"बिहार के छपरा (सारण) प्रमण्डल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के विशेष सन्दर्भ में"

P.K.University
Shivpuri (M.P.)

पी०के० विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी (म०प्र०)
से
अर्थशास्त्र विषय में
पी-एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शोध निर्देशक
डॉ0 चन्द्रकान्त अवस्थी
(अर्थशास्त्र विभाग)

शोधकर्ता
अनिल कुमार प्रसाद
En.No.-161596504548

-: शोध केन्द्र :-

अर्थशास्त्र विभाग,
पी०के० विश्वविद्यालय, करैरा शिवपुरी (म०प्र०)
२०२४

Scanned with OKEN Scanner

डॉ.चन्द्रकान्त अवस्थी

अर्थशास्त्र विभाग,
पी.के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि **अनिल कुमार प्रसाद** ने **"बिहार के छपरा (सारण) प्रमण्डल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के विशेष सन्दर्भ में"** शीर्षक पर मेरे निर्देशन में शोध–प्रबन्ध पूर्ण किया गया।

प्रस्तुत शोध प्रबंध की सामग्री मौलिक है। यह सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी परीक्षा के लिये प्रयोग नहीं की गयी है। यू.जी.सी. विनियम 2018 के अनुसार शोधार्थी का शोध कार्य किसी अन्य शोध प्रबन्ध की अनुकृति नहीं है।

इन्होंने मेरे निर्देशन में 240 दिन से अधिक उपस्थित होकर शोध कार्य पूर्ण किया है।

मैं संस्तुति करता हूँ कि यह शोध प्रबन्ध इस योग्य है कि मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाये।

(डॉ. चन्द्रकान्त अवस्थी)
अर्थशास्त्र विभाग
पी.के. विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

घोषणा-पत्र

मैं **अनिल कुमार प्रसाद** यह घोषणा करता हूँ कि **अर्थशास्त्र** विषय के अन्तर्गत **"बिहार के छपरा (सारण) प्रमण्डल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के विशेष संदर्भ में" (सन् 2024)** विद्या–वाचस्पति (पी–एच॰डी॰) उपाधि हेतु यह शोध प्रबन्ध मेरी स्वयं की मौलिक कृति (रचना) है। इसके पूर्व यह शोध कार्य किसी अन्य के द्वारा कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अपना यह शोध कार्य मैने परम् पूज्यनीय शोध निर्देशक **डॉ0 चन्द्रकान्त अवस्थी, प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, पी0के0 विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी (म0प्र0)** के निर्देशन में पूर्ण किया है। विश्वविद्यालय परिनियमावली धारा 07 के अन्तर्गत अपने शोध केन्द्र पर निर्धारित मानक के अनुरूप उपस्थित रहकर निर्देशक महोदय के निर्देशन में मैनें कार्य पूर्ण किया है।

दिनांक 02/07/24

शोधार्थी

अनिल कुमार प्रसाद

Scanned with OKEN Scanner

आभार पत्र

ईश्वर की अनुकम्पा एवं जगत जननी गायत्री माता की कृपा से मुझे शिक्षा जगत में यह कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सदैव ईश्वर की कृपा को दृष्टिगत मानते हुए उनसे आशीष प्राप्त करता हूँ।

सर्वप्रथम में शोध प्रबन्ध **पी.के. विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी (म0प्र0)** के माननीय कुलाधिपति **श्री जगदीश शर्मा जी,** एवं सम्मानीय कुलपति **प्रो0 (डॉ.) जी पवन कुमार,** सम्मानीय कुलसचिव **डॉ0 दीपेश नामदेव,** प्रशासनिक निदेशक **डॉ0 जितेन्द्र मिश्रा जी, डॉ0 एमन फातिमा जी** (डीन)-अकादमी, एवं **डॉ0 भास्कर नल्ला**-डीन रिसर्च, **डॉ0 महालक्ष्मी जौहरी जी, डॉ0 विक्रांत शर्मा जी** एवं पुस्तकालयाध्यक्ष **मिस निशा यादव जी** के प्रति आभारी हूँ।

मेरे शोध निर्देशक **प्रो0 (डॉ0) चन्द्रकांत अवस्थी जी** के कुशल निर्देशन में प्रत्येक अनुसंधान कार्य की आधारशिला रखने के लिए एक सुयोग्य निर्देशक की आवश्यकता होती है। इसके लिए **पी0के0 विश्वविद्यालय** से सम्पर्क कर विषयगत चर्चा की तो आपने मेरा शिष्यत्व सहज ही स्वीकार कर लिया, और मुझे निदेशित किया कि मैं आज की ज्वलन्त समस्या **"बिहार के छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के विशेष सन्दर्भ में"** शोध शीर्षक पर शोध कार्य सम्पन्न हुआ। पी0के0 विश्वविद्यालय के सभी पी0एच0डी0 समन्वयक, विभागाध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य को करने में पूर्ण सहयोग दिया।

इस शोध प्रबन्ध को लिखते समय अनेक विद्वानों, लेखकों, अर्थशास्त्रियों व बिहार के छपरा (सारण) प्रमण्डल क्षेत्र के कुशल विशेषज्ञों से जो दिशा–निर्देश एवं ग्रन्थों का सहयोग मिला, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना आवश्यक होगा। ऐसे सुधी गुरूजन विद्वान है– **डॉ0 नूर आलम,** (पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र), **डॉ0 तनवीर अहमद,** (विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र), **प्रो0 वी0के0 सिन्हा,** (सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र), **डॉ0 अशोक कुमार मिश्रा** (सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र) एवं **प्रो0 उमेश प्रसाद सिंह,** (सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र), (जेड0ए0 इस्लामिया पी0जी0 कॉलेज, सिवान) मैं अपनी कर्म स्थलीय **श्री अवध बिहारी चौधरी (बिहार विधानसभा, अध्यक्ष, सह–संस्थापक दारोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज, सिवान),** प्राचार्य **डॉ0 रामसुन्दर चौधरी, डॉ0 वीरेन्द्र प्रसाद यादव** (विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी), **श्री इन्द्रजीत चौधरी** (विभागाध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र), **श्री भरत प्रसाद सोनी** (विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र), **श्री**

Scanned with OKEN Scanner

विनोद कुमार प्रसाद, (सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र), **श्री मुन्शीधर यादव** (सहायक प्राध्यापक, हिन्दी), **डॉ0 उबैद रियाज** (सहायक प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र), **श्री राजेन्द्र राय** (सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग), **डॉ0 संतोष कुमार** (सहायक प्राध्यापक, इतिहास), **श्री वीरेन्द्र प्रसाद यादव** (सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र), **श्री सुरेन्द्र सिंह** (सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र), **श्री कामेश्वर कुमार यादव एवं संतोष कुमार यादव** (सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग), श्रम विभाग एवं सांख्यिकीय विभाग, सिवान के सभी कर्मचारियों आदि का आभार हृदय से व्यक्त करना चाहता हूँ।

उक्त में अपने परिवार के पिताजी **श्री भिखारी प्रसाद** एवं माताजी **श्रीमति बुच्ची देवी** जिनके प्रच्छन्न आशीर्वाद के फलस्वरूप इन शोध कार्य को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त हो सकी। मैं अपने चाचा जी **श्री मोसाफिर प्रसाद एवं अमर प्रसाद,** बड़े भाई एवं छोटे भाई **श्री हरेन्द्र प्रसाद, नागेन्द्र प्रसाद, धनन्जय प्रसाद एवं मृतुन्जय प्रसाद** बड़ी व छोटी बहनें, **श्रीमती लालसा देवी, मन्सा कुमारी, संगीता कुमारी, पिंकी कुमारी एवं नीतू कुमारी** का भी हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया तथा यथावत् सहयोग प्रदान किया।

मैं अपनी धर्मपत्नी **श्रीमति ऊषा कुमारी पुत्री अन्नुजा प्रिया पुत्र रिषभ राज** व सभी परिजनों के विशेष सहयोग एवं स्नेह से आज इस कार्य को सम्पन्न कर सका हूँ।

अन्त में मैं अपने दोस्त **रूप सिंह पाल, आश्रय गृह दीनदयाल डड़ियापुर, (मेडिकल कॉलेज, झाँसी), आकांक्षा आर्या, दुर्गावती कुमारी, रूब्बी ठाकुर, गिरजाशंकर, अशोक कुमार यादव, नाजिर अहमद, खालिद भाई, अफजल इमाम एवं प्रेम कुमार शर्मा आदि** का बहुत–बहुत आभारी हूँ जिन्होंने समय–समय पर अपना समय देकर मुझे शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करते रहे।

हम अपने अग्रज **श्री रामकुमार प्रजापति** के कुशल टंकण द्वारा शोध कार्य को पूर्ण किया गया। शोध में टंकण द्वारा जो भी त्रुटि हुई हो सहृदय माफ किया जाय।

शोधार्थी

अनिल कुमार प्रसाद

Scanned with OKEN Scanner

P.K. UNIVERSITY

(University established under section 2f of UGC act 1956 vide mp government act no 17 of 2015)
Village- Thanra Tehsil, Karera NH 27 District Shivpuri M.P.}

FORWARDING LETTER OF HEAD OF INSTITUTION

The Ph.D. thesis entitled, "बिहार के छपरा (सारण) प्रमण्डल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के विशेष संदर्भ में" (सन् 2024) submitted by **Anil Kumar Prasad** is forwarded to the university in six copies. The candidate has paid the necessary fees and there are no dues outstanding against her.

Name Prof. Dr. Mahalaxmi Johri

Date: ....

Place: ....

Seal ....

....

(Signature of Head of Institution where the Candidate was registered for Ph.D degree)

HOD
Department of Art
P.K. University
Shivpuri (M.P.)

Signature of the Supervisor

Date: 02, March, 2024

Place: Jhansi

355 Nanak Ganj
Sipri Bazar
Jhansi

Address: ....

....

Scanned with OKEN Scanner

P.K.University
Shivpuri (M.P.)

No. : P.K.U/2017/03/14/RD-STUD/23 Dated: 11-07-17

To,

ANIL KUMAR PRASAD,

COURSE WORK CERTIFICATE

Dear Student,

This is to certify that **ANIL KUMAR PRASAD, (Reg. No. PH16ART003EC)** Son/Daughter of **Mr./Ms. BHIKHARI PRASAD,** student of **Ph.D. (ECONOMICS)** has successfully passed the Course Work Examination with **'A' Grade** from **P.K. University, Karera, Shivpuri.**

11/7/17
Registrar

Village- Thanra, Karera, NH 27, District Shivpuri (M.P.)
Contact : 7241115081, 7241115082, 7241115083, www.pkuniversity.org / www.pkuniversity.edu.in

Scanned with OKEN Scanner

P. K. UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)
University Established Under section 2(F) of UGC ACT 1956 Vide MP Government Act No 17 of 2015

Date. 13/03/18

No. PKU/2018/03/14/RO-STUD/23 Certificate

To,

Mr. Anil Kumar Prasad

Enrollment No: 161596504548

Sub.: Registration for Ph.D. Degree

Dear Student,

This is to certify that **MR. ANIL KUMAR PRASAD S/o BHIKHARI PRASAD** is registered for Ph.D. program in the **Faculty of Arts and Humanities** for the Subject of Economics at PK University and the topic "बिहार के छपरा (सारण) प्रमण्डल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्याए के सन्दर्भ में" has been approved by the RDC held on 11/11/2017 for further research work that will be governed by the academic regulations of the university.

With kind regards

Registrar

CC: Dean Academics

1) Guide
2) Office only

CAMPUS : VILLAGE - THANRA, TEHSIL - KARERA, NH-27, DIST. - SHIVPURI (M.P.) -473665
Mob.: 7241115088, Email: registrar.pkuniversity@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

P.K.UNIVERSITY
SHIVPURI (M.P.)

UniversityEstablished Under section 2F of UGC ACT 1956 Vide MP Government Act No 17 of 2015

CENTRAL LIBRARY

Ref. No. PKU/ C.LIB /2023/PLAG. CERT./122 Date: 20.12.2023

CERTIFICATE OF PLAGIARISM REPORT

1. Name of the Research Scholar	:	Anil Kumar Prasad
2. Course of Study	:	Doctor of Philosophy (Ph.D.)
3. Title of the Thesis	:	बिहार के छपरा (सारण) प्रमण्डल अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के विशेष सन्दर्भ में
4. Name of the Supervisor	:	Dr. Chandrakant Awasthi
5. Department	:	Art
6. Subject	:	Economics
7. Acceptable Maximum Limit	:	10% (As per UGC Norms)
8. Percentage of Similarity of Contents Identified	:	7%
9. Software Used	:	Ouriginal (Formerly URKUND)
10. Date of Verification	:	20.10.2023

20.12.23

Signature of Ouriginal Coordinator
(Librarian, Central Library)
P.K.University, Shivpuri (M.P.)

LIBRARIAN
University
Shivpuri (M.P.)

ADD: VIL: THANRA, TEHSIL: KARERA, NH-27, DIST: SHIVPURI (M.P.) -473665
MOB: 7241115902, Email: library.pku@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

P.K. UNIVERSITY

(University established under section 2f of UGC act 1956 vide mp government act no 17 of 2015)

Village- Thanra Tehsil, Karera NH 27 District Shivpuri M.P.}

COPYRIGHT TRANSFER CERTIFICATE

Title of the Thesis: "बिहार के छपरा (सारण) प्रमण्डल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के विशेष संदर्भ में" (सन् 2024)

Candidate's Name: **अनिल कुमार प्रसाद**

COPYRIGHT TRANSFER

The undersigned hereby assigns to the P.K. University, Karera, Shivpuri (M.P.) all copyrights that exists in and for the above thesis submitted for the award of the Ph.D. degree.

Date: 09/08/24

अनिल कुमार प्रसाद

Place:.....

Scanned with OKEN Scanner

प्राक्कथन

भारत में विषमता की स्थिति गम्भीर है। आर्थिक सीढ़ी के आखिरी पायदान के परिवार बेरोजगार के दुष्चक्र में बुरी तरह से फंसे हुए है। हमारे पास अभी भी 40 करोड़ असंगठित कार्यबल है और लगभग सभी आर्थिक समस्याओं से प्रभावित है। इस श्रम शक्ति को आज मजबूत बनाने की जरूरत है। भारत सबसे युवा और क्रियाशील आबादी होने के साथ आज सिद्धहस्त होना अन्य देश पर हमारे बढ़त का प्रतीक है।

भारत गाँवों का देश है। गाँव अभी भी अहम है। बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान देने के लिए प्राचीन समय में गांव स्वावलम्बी हुआ करते थे। हर एक गांव में पर्याप्त काम करने का अवसर था। जैसे कोई खेत में, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने में, कोई सब्जियां उगाने में, कोई बाल काटने में इत्यादि। आज के आधुनिक युग में मजदूरों को बिना रूपये के काम करना पसन्द नहीं है। इसलिए हर परम्परागत रोजगार खत्म सी हो गयी है और मजदूरों शहरों की ओर पलायन करने लगे। वर्ष 2020–21 के दौरान में देखा गया है कि बेरोजगारी की दर तीन गुना बढ़ गयी है और करीब 12 से 13 करोड़ मजदूरों की रोजगार चली गयी है। ऐसे में भारत के पास ऐसे लोगों के लिए भरण–पोषण की भी समस्या है।

मलिन बस्तियों की घुटने में फंसे और आर्थिक समस्या से निकलने की कोशिश करते लाखों मजदूरों की स्थिति क्रान्तियों की उत्प्रेरक हो सकती है लेकिन इसकी ओर न तो मीडिया ने ध्यान दिया और न ही सरकार एवं राजनीतिक वर्ग ने, किसी और दौर में सामाजिक न्याय के योद्धा तथा वर्ग संघर्ष के परोपकार इस माहोल में कूद पड़ते लेकिन अब ऐसा नहीं होता। गांधी क्या उन्होंने मांओं को भी भुला दिया है। कल्पना कीजिए ऐसी स्थिति में कोई जय प्रकाश नारायन एवं राम मनोहर लोहिया क्या करते ? साल 2000 के शुरू में पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी का एक कम्युनिष्ठ पार्टी द्वारा आयोजित खेतिहर मजदूरों की एक रैली में शामिल होने के लिए खम्मम (तेलगांना) में गये थे। खम्मम कभी तेलगांना के किसानों के सशस्त्र आंदोलन (1946–51) का केन्द्र था। यह विद्रोह हैदराबाद के पूर्व शाही शासन के तहत सामंतो के विरुद्ध था। यह हैदराबाद के भारत में विलय के बाद भी

चलता रहता था तथा इसे सोवियत नेता स्टालीन की मौत के बाद ही वापस लिया गया। खम्मम 1970 के दशक में बामपन्थी गढ़ बन रहा था। एक रैली थी और लोग दोपहर के सूरज के नीच बेचारगी का भाव लिए बैठे थे जो आज भी हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर में देखा जा सकता है। कम्युनिष्ठ पार्टी के तत्कालीन महासचिव दिवगंत ए0बी0 बर्धन रैली के साथ हैदराबाद लौटते हुए लोगों ने पूछा कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खेतिहर और असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कामगारों को संगठित क्यों नहीं कर पा रही है ? उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी और सी0पी0एम0 के संगठन बनाने वाले सदस्य संगठित क्षेत्र में ट्रेड यूनियन बनाने में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। क्योंकि यह करना आसान भी है और फायदेमंद भी है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बिना कामकाजी वर्ग कुछ नहीं है। दूसरी ओर असंगठित श्रमिकों से तात्पर्य उन श्रमिकों से जो असंगठित अथवा अनियमित उद्योगों में कार्य करते हैं एवं जो अपने समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वयं को संगठित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका रोजगार अकास्मिक प्रकृति का है। उनमें निरक्षता एवं जिन प्रतिष्ठानों में वे कार्यरत है उनका कार्यकार निवेश अतिनिम्न है एवं उनका आकार भी छोटा है उनके प्रतिष्ठान केन्द्रीयकृत न होकर बिखरे हुए है तथा उनको नियुक्ताओं अथवा सामूहिक की शक्ति श्रेष्ठ है।

प्रस्तुत अध्ययन ''बिहार के छपरा (सारण) प्रमण्डल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के विशेष सन्दर्भ में।'' अध्ययन क्षेत्र बिहार छपरा (सारण) प्रमण्डल के विभिन्न गांवों एवं शहरों में निवास करने वाले असंगठित मजदूरों तथा जिनकी उम्र 20 वर्ष एवं 60 वर्ष से कम है का अध्ययन है। अध्ययन के अन्तर्गत असंगठित मजदूर उन्हें माना गया है जो आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े हुये एवं आभाव की संस्कृति में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य है। ऐसे लोगों को न अच्छा वस्तु और न भोजन और न उन्हें रहने के लिए समुचित साधन युक्त मकान उपलब्ध रहता। सामाजिक स्तर पर भी लोगों के द्वारा उनका कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। बिहार छपरा (सारण) प्रमण्डल के ऐसे मजदूरों की आर्थिक समस्या का अध्ययन कर अपने प्रयास से जानकारी प्राप्त हुआ है कि यह एक बहु–विषयक सर्वे है जिसमें बिहार छपरा (सारण) प्रमण्डल के तीनों जिले से लगभग 320 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शामिल किया गया है।

अध्याय–एक

प्रस्तावना

1. भूमिका

हमारे देश में विभिन्न धर्मों एवं संस्कृतियों के लोग रहते है और यही विविधता इसे सबसे महत्वपूर्ण बनाती है। आजादी के आन्दोलन में सभी जातियों, धर्मा एवं वर्गों के पुरुष महिलाओं ने एकजुट होकर अंग्रेजों को टक्कर दी।

प्राचीन काल में मानव जब अस्तित्व में आया तो वह अपनी क्षुधा की पूर्ति, फल और कच्चे मांस से करता था। उस समय मानव खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे या गुफाओं में निवास करते हुए पेड़ की छाल या पत्ते से अपने शरीर को ढकता था। अर्थात मानव प्रकृति के समीप तथा प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन धीरे धीरे निरंतर मानवीय ज्ञान ने संस्कृति को विकसित करना प्रारंभ किया, तथा पत्थर के हथियार या औजार बनाकर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने लगे। ऐसा देखा जाता है कि सभ्यता या संस्कृति विकास दिन प्रतिदिन एवं निरंतर हुआ तथा साथ–साथ मानवीय ज्ञान भी धीरे–धीरे विकसित हुई। मानव अपनी ज्ञान के सहारे तकनीकी (Technology) को भी विकसित करने लगे। यानी मानवीय ज्ञान के सहारे या तकनीकी विकास के फलस्वरूप वर्तमान समय में नए–नए एवं अधिक उत्पादन तथा कार्यक्षमता वाले मशीन अस्तित्व में आ चुके है तथा जिसकी सहायता से उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पादन या वास्तु निर्माण का कार्य किया जा रहा है दूसरी ओर यह देखा जाता है कि प्राचीन काल में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती स्वयं करता था। कालांतर में परिवार और समाज रुपी संस्थान भी अस्तित्व में आ गए। साथ ही साथ उद्योगों का विकास होने लगा। बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ती करने के उद्देश्य से लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने लगे।

प्रारंभ में कोई भी व्यक्ति स्वयं उत्पादन एवं विक्रेता दोनों की भूमिका अदा करता था। यकीन क्रमशः जनसंख्या वृद्धि के कारण दैनिक उपयोग वस्तुओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इस समय तक एक तरफ जो भी उद्योग स्थापित

हुए थे वे सभी कृषि पर आधारित थे तथा दूसरी तरफ भाग में वृद्धि के कारण वस्तुओं का उत्पादन करने वाला व्यक्ति स्वयं अपना या अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद से उत्पादन तथा विक्रय का कार्य संपन्न करता था। विश्व की जनसँख्या लोगों की आवश्यकता, तकनीकी विकास, खनिज पदार्थों की खोज मनुष्य की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता इत्यादि सभी क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा दिन प्रतिदिन बढोत्तरी होता रहा। अतः ऐसी स्थितियों में वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने के उद्देश्य से क्रमशः कुटीर एवं लघु उद्योग की स्थापना की जाने लगी. जिससे की मांग के अनुरूप वस्तुओं की पूर्ती करने के लिए उचित मात्र में उत्पादन किया जा सके। जब इस प्रकार के उदयोग स्थापित किये कुछ लोगों को नियोजित किया जाने लगा। इसी समय सर्वप्रथम नियोजक श्रमिक संबंध अस्तित्व में आया जहां श्रमिको के कार्यों की दशाओं से सम्बंधित सभी निर्णय नियोजकों द्वारा लिए जाते थे।

लेकिन कालांतर में विश्व के प्रायः अभी देशों में औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति के जन्मभूमि ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को मन जाता है। उच्च प्रारंभिक निवेश तथा लम्बी तथा परिपक्वता अवधी के कारण निजी क्षेत्र बड़ी पूँजी वाले और आवश्यक उपभोक्ता माल उत्पादन विकास कार्यो की सम्पादित करने की स्थित में नहीं थे।

1.1 श्रम का अर्थ

इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानव जीवन में श्रम का आदिकाल से ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, न केवल मानव जीवन में अपितु जीव जन्तुओं के जीवन में भी श्रम का उतना ही महत्व है जितना मानव जीवन में श्रम का महत्व मनुष्य के हर क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। सभ्यता और संस्कृति का विकास आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति, धार्मिक एवं अध्यात्मिक विकास के पीछे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से श्रम का हाथ रहा है। जीवन के सुख समृद्धि का आधार श्रम ही है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो उन्नति हुई है, उसका श्रेय श्रम को ही जाता है। इस प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया कोई भी कार्य श्रम ही है, जिसके बदले में मजदूरी की प्राप्ति होती है।

यदि कोई प्राणी अगर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक या शारीरिक कार्य किया जाता है, तो वह श्रम कहलाता है।

थामस के अनुसार– ''श्रम से मानव के उन सभी शारीरिक या मानसिक प्रयास का बोध होता है। जो किसी फल की आशा से किया जाता है।''

मार्थल के अनुसार– ''श्रम से हमारा आशय मस्तिष्क या शरीर के किसी भी ऐसे प्रयास से है, जो पूर्णतः या अंशतः कार्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले आनंद के परे किसी लाभ की दृष्टि से किया जाए।''

श्रम को इन तत्वों के रूप में समावेश कर सकते हैं–

(क) श्रम में केवल उन प्रयासों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिसमें पूंजी की प्राप्ति होती है।

(ख) यह प्रयास शारीरिक एवं मानसिक दोनों हो सकता है।

(ग) श्रम के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं।

(घ) वे सभी प्रयास जो अपनी इच्छा अथवा मजबूर होकर किये जाते हैं। यदि उनके द्वारा उपयोगिता का सृजन भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या वितरण होता है। श्रम के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं।

मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाओं का आधार श्रम होता है। श्रम के आभाव में सभी आर्थिक क्रियाओं–उत्पादन, वितरण, विनिमय या जीवकोपार्जन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। श्रम उत्पादन का न केवल महत्वपूर्ण साधन है बल्कि उत्पादन क्रियाओं का साध्य भी होता है। अन्य शब्दों में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मनुष्य या श्रम के उपयोग के लिए होता है। पिछले दशक में 2006–07, 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में क्रमशः 272.76 लाख, 275.48 लाख, 695.38 लाख, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

श्रम को मुख्यतः तीन प्रकार से बांटा जा सकता है–

1. **उत्पादक एवं अनुत्पादक श्रमः–** जो प्रयत्न, उपयोगिता का सृजन करता है, और इस उद्देश्य में सफल होता है, वह उत्पादक श्रम है, तथा अनुत्पादक श्रम इसके ठीक विपरीत होता है।

2. **कुशल एवं अकुशल श्रमः–** कुशल श्रम वह है, जिसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जबकि अकुशल श्रम वह है, जिसके लिए इन विशिष्टताओं की आवश्यकता नहीं होती।

3. **मानसिक व शारीरिक श्रमः–** मानसिक श्रम वह है, जिसमें शरीर की अपेक्षा बुद्धि तथा मानसिक शक्ति का प्रयोग अधिक किया जाता है, जबकि शारीरिक श्रम वह है जिसमें शारीरिक शक्ति अधिक प्रयोग में लाई जाती है।

यह सत्य है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है, इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जिस कुशलता, सार्थक प्रयास, बुद्धि की आवश्यकता होती है, वह मनुष्य के श्रम से ही प्राप्त होती है।

रोजगार क्या है ? श्रमिक कौन होता है ? जब एक किसान खेतों में काम करता है तो वह खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कपास ही कपड़े के कारखानों और विद्युतकरघों में कपड़े का रूप धारण कर लेता है। गाड़ियाँ सामान को एक स्थान से दूसरे सीान तक पहुँचाती हैं। हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका 'सकल घरेलू उत्पाद' कहलाता है। हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है, इसमें हम देखते हैं कि देश का निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है (यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक रहे) या ऋणात्मक हो सकता है (यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे) या शून्य हो सकता है (यदि आयात और निर्यात के मूल्य समान हो)। हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं (+ या –) तो हमें उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं से संलग्न होते हैं,

श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यदि इनमें से कुछ लोग बीमारी, जख्म होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक–धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते, तो उन्हें श्रमिक ही माना जाता है। इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वालों को भी हम श्रमिक ही मानते हैं। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें काम के बदले नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है, उन्हें श्रमिक कहा जाता है पर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्व–नियोजित होते है, वे भी श्रमिक ही होते हैं।

भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है, तो कुछ लोग वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार पाते हैं। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य को उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं, उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। आप विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की संख्याएं जानने को उत्सुक होंगे। वर्ष 2017–18 में भारत की कुल श्रम–शक्ति का आकार लगभग 471 मिलियन आंका गया था। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसीलिए ग्रामीण श्रमबल का अनुपात भी शहरी श्रमबल से कहीं अधिक है। इन 471 मिलियन श्रमिकों में दो–तिहाई श्रमिक ग्रामीण है। भारत में श्रमशक्ति में पुरुषों की बहुलता है। श्रमबल में लगभग 70 प्रतिशत पुरुष तथा शेष (इसमें महिला तथा पुरुष बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया है) महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रमिक कुल श्रमबल का एक तिहाई हैं, तो शहरों में केवल 20 प्रतिशत महिलाएं ही श्रमबल में भागीदार पाई गई है। महिलाएं खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ–साथ खेतों में भी काम करती हैं। उन्हें नकद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती–कितने ही मामलों में तो कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता। इसी कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में भी शामिल नहीं किया जाता। अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को भी श्रमिक ही माना जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं ?

1.2 श्रमिकों की रोजगार में भागीदारी

श्रमिक जनसंख्या अनुपात जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है, यह जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। यदि यह अनुपात अधिक है, तो इसका तात्पर्य है जनता की काम में भागीदारी अधिक होगी। यदि यह अनुपात मध्यम या कम हो, तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है।

सारणी 1.1

भारत में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात, 2017–2018

लिंग	कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात		
	सम्पूर्ण	ग्रामीण	शहरी
पुरुष	52.1	51.7	53.0
स्त्री	16.5	17.5	14.2
योग	**34.7**	**35.0**	**33.9**

स्रोत–भारत सरकार (2019)

अपने 'जनसंख्या' शब्द का अर्थ तो पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या से है। यदि भारत के श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आंकलन करना चाहें, तो हमें भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग कर उसे 100 से गुणा करना होगा। इस प्रकार हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात हो जायेगा। (सारणी 1.1)

सारणी 1.1 भारत में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लोगों की भागीदारी के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कर रही है। भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 35 श्रमिक है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात लगभग 34 है, जबकि ग्रामीण भारत में

यह अनुपात लगभग 35 है। ऐसा अंतर क्यों है ? ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित हैं, इसी कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। अधिकांश व्यक्ति स्कूल, महाविद्यालय या किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जा पाते। यदि कुछ जाते भी हैं तो वे बीच में ही छोड़कर श्रमशक्ति में शामिल हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा भाग विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर सकने में सक्षम है। शहरी जनसमुदाय को रोजगार के भी विविधतापूर्ण अवसर सुलभ हो जाते हैं। वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोजगार की तलाश में रहते हैं। किंतु ग्रामीण क्षेत्र के लोग घर पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा उन्हें ऐसा नहीं करने देती।

शहरी और ग्रामीण, दोनों ही वर्गों में पुरुषों की श्रमशक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला भागीदारी का अंतर बहुत ही बड़ा है– केवल 15 प्रतिशत शहरी महिलाएं ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई दे रहा है। किन्तु, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की रोजगार बाजार में भागीदारी 25 प्रतिशत आँकी गई। महिलाएँ सामान्य और विशेष रूप से शहरों में काम क्यों नहीं कर रही हैं ? यह बात देखने में आई है कि जहाँ कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से उच्च आय अर्जित करने में सफल रहते हैं, परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने से प्रायः निरुत्साहित किया जाता है।

हमने पहले भी कहा है कि महिलाओं द्वारा की जाने वाली घरेलू गतिविधियों को आर्थिक या उत्पादन कार्य ही नहीं माना जाता। कार्य का रोजगार की यह संकीर्ण परिभाषा देश में महिला–वर्ग की श्रमबल में भागीदारी को नहीं मानती तथा इसलिए देश में महिला श्रमिकों की संख्या को कम आँका जाता है। जरा सोचकर देखिए, कि घर के भीतर और खेतों में महिलाएँ कितने ऐसे काम करती हैं, जिनका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। चूंकि वे परिवार तथा खेतों के रख–रखाव में निश्चित रूप से योगदान देती है, क्या आपको नहीं लगता की उनकी संख्या भी महिला श्रमिकों में सम्मिलित की जानी चाहिए ?

1.3 स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक

क्या श्रमिक जनसंख्या अनुपात समाज में श्रमिकों की स्थिति और कार्य की दशाओं के विषय में भी कुछ जानकारी देता हैं ? यदि किसी उद्यम में श्रमिक के स्तर या पद की जानकारी मिल सके, तो निश्चय ही देश में रोजगार के गुणवत्ता के आयामों की जानकारी प्राप्त करना संभव होगा। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि श्रमिक का अपने काम से कितना लगाव है और अपने सहकर्मियों तथा उद्यम के प्रति उसके अधिकार क्या हैं? आइए, निर्माण उद्योग के तीन कर्मियों की तुलना करें, एक सीमेंट की दुकान का स्वामी है, दूसरा निर्माण मजदूर है तो तीसरा निर्माण करने वाली कंपनी का एक सिविल इंजीनियर है। इन तीनों के पद अथवा प्रतिष्ठा में अंतर है, जिन्हें विभिन्न नामों से भी संबोधित किया जाता है। जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं, उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। इस प्रकार सीमेंट की दुकान का स्वामी स्वनियोजित है।

भारत का लगभग आधा श्रमबल इसी श्रेणी में आता है। निर्माण मजदूर अनियत मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। ये भारत की श्रमशक्ति का लगभग 25 प्रतिशत है। ऐसे ही मजदूर अन्य लोगों के खेतों में अनियत रूप से कार्य करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। निर्माण कंपनी के अभियंता के रूप में काम कर रहे व्यक्ति श्रमशक्ति का मात्र 23 प्रतिशत ही है। जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रख उसे मजदूरी (वेतन) देता है, तो वह श्रमिक नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है।

भारत में पुरुष और महिला श्रमिकों के 50 प्रतिशत से अधिक तो स्वरोजगारी वर्ग में ही आते हैं। अतः स्वरोजगार ही देश की आजीविका का सबसे प्रमुख स्रोत है। अनियत मजदूरी कार्य पुरूषों और महिलाओं के लिए रोजगार का दूसरा प्रमुख स्रोत है। इस अनियत रोजगार में महिलाओं का अंश (24–27 प्रतिशत) पुरुषों से अधिक पाया गया है। नियमित वेतनभोगी रोजगारधारियों में पुरुष एवं महिलाएं, दोनों अधिक अनुपात में लगे हुए हैं। देश के 23 प्रतिशत पुरुष नियमित वेतनभोगी हैं और इस वर्ग में 21 प्रतिशत महिलाएं हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर बहुत कम हैं।

यदि ग्रामीण और शहरी श्रमबल के वितरण की तुलना करें तो चार्ट के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि अनियत मजदूरी पाने वाले श्रमिक स्वनियोजित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। शहरों में स्वनियोजित और नियमित वेतन वाले रोजगार की संख्या अधिक है। गाँवों में अधिकांश ग्रामीण अपनी जमीन के टुकड़ों पर निर्भर है जो स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं, अतः स्वनियोजन में उनकी भागीदारी अधिक है।

शहरी क्षेत्रों में काम का स्वरूप भी अलग होता है। हर व्यक्ति कारखाना, दुकान और कार्यालयों का संचालक नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त शहरी उद्यमों में नियमित रूप से श्रमिकों की आवश्यकता होती है।

1.4 असंगठित क्षेत्र का अर्थ एवं प्रमुख समस्याएँ

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दुदर्शा ने स्वतंत्रता से अब तक सभी सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। उनका असंगठित होना ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, ये आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं, इनके कार्यस्थल छिट–पुट और छिन्न–भिन्न हैं। नियोक्ता और श्रमिकों के बीच कोई अच्छा सम्बन्ध नहीं है, संसाधनों की कमी तथा कुशलता भी इनकी दुर्दशा का कारण है। राष्ट्रीय से सेप्पल सर्व संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा किये गए सर्व के अनुसार देश में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में श्रमिकों की कुल संख्या 45.9 करोड़ थी। 2019 में करीब 51 करोड़ मजदूर (कामगार) थे जिसमें से 94 फीसदी से ज्यादा अनगिनत असंगठित उद्यमों में कार्यरत थे। इनमें से 2.6 करोड़ संगठित क्षेत्र में बाकी 43.3 करोड़ यानी कुल रोजगार का 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है। राष्ट्रीय आयोग (2004) असंगठित क्षेत्र की परिभाषा इस प्रकार दी है :– ''असंगठित क्षेत्र में निजी अनियमित क्षेत्र के सभी उद्यम शामिल किये जाते हैं, जिनका स्वामित्व या साझेदारी आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और विक्रय का कार्य करते हैं जिनमें 10 से कम व्यक्ति कार्यरत होते हैं।'' प्रथम श्रम आयोग (1966–69) ने असंगठित श्रम को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जो अपने समान हितों की रक्षा के लिए स्वयं को संगठित नहीं कर सका है। इसी प्रकार दूसरा राष्ट्रीय आयोग कहता है ''असंगठित श्रमिकों में वे सभी शामिल किये जाते हैं जो असंगठित

उद्यमों या परिवारों में कार्य करते हैं। इनमें ऐसे श्रमिकों को शामिल नहीं किये जाते जिन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होते हैं।''

श्रमिकों के इस वर्ग में वे व्यक्ति आते हैं, जिन्हें किसी परिभाषा द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। परन्तु जिनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह वे श्रमिक है, जो एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न प्रकार के अवरोधों के कारण स्वयं को संगठित करने में समर्थ नहीं होते हैं।

1. इनमें रोजगार की आकस्मिक प्रकृति पायी जाती है।
2. अज्ञानता एवं अशिक्षा अधिक होती है।
3. संस्थाओं का लघुस्तरीय होना, जहां नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति के पीछे थोड़ी पूंजी का विनियोग किया जाता है। संस्थाऐं बिखरा हुआ होता है।
4. सेवा योजकों की शक्ति, चाहे वह एक सेवा योजक के रूप में अथवा साथ मिलने के रूप में हो, अधिक होता है।

हीथर एवं विजय जोशी ने असंगठित क्षेत्र की परिभाषा निम्न प्रकार से की है– ''असंगठित क्षेत्र में लघु उत्पादकों की संख्या बहुत अधिक होती है, जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद बाजार में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं को निम्न आय समूह के लोगों को सीमित लाभ सीमा के अंतर्गत विक्रय करते हैं।''

1. असंगठित क्षेत्र अनियमित, असुरक्षित शोषित एवं परम्परागत क्षेत्र होता है। संगठित क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत श्रमिकों के रोजगार कार्य की दशा और मजदूरी सभी श्रम विधानों के अंतर्गत सुरक्षित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत सभी असुरक्षित होते हैं।
2. संगठित क्षेत्र में पूंजी की गहनता पश्चिमी उन्नत तकनीक, सार्वजनिक अथवा निगम संबंधी नियंत्रित एवं सुरक्षित बाजार के कारण श्रमिकों के प्रवेश में कठिनाई होती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार की सीमाएं न होने के कारण श्रमिकों का प्रवेश सरलता से हो जाता है।

3. संगठित क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिक संघ के माध्यम से श्रमिक अपने हितों का संरक्षण कर लेता है जबकि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत वे अपने हितों की रक्षा करने में असफल हो जाते हैं।

4. असंगठित क्षेत्र में श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

5. असंगठित श्रम क्षेत्र में औपचारिक संगठन संरचना नहीं होती है, इस क्षेत्र में पारिवारिक श्रम का वृहत मात्रा में उपयोग किया जाता है। अधिकांश प्रबंधकीय एवं पर्यवेक्षकीय कार्य स्वामी द्वारा किया जाता है।

6. असंगठित श्रम क्षेत्र के बाजार में संगठित क्षेत्र कर अपेक्षा अधिक प्रतियोगिता विद्यमान होती है। क्योंकि इन्हें व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क एवं विपणन संरचना का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।

7. देश की अर्थव्यवस्था में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्यबल में हिस्सा 80 प्रतिशत है।

8. भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से बना है और इसमें अधिकांशतः वे लोग होते हैं जो गांव में परम्परागत कार्य करते हैं।

9. गंवों में परम्परागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी में आते हैं।

10. शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं।

11. इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांवों में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों महानगरों में काम करने के लिये आजीविका तलाशते हैं।

12. भारत में लगभग 50 करोड़ का कार्यबल है, जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है।

13. इन उद्यमों में काम करने वाले श्रमिक 1948 के फैक्टरी एक्ट जैसे किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं।

14. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रम बल को व्यवसाय, रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी और सेवा श्रेणी इन 4 भागों में बांटा है।

15. व्यावसायिक श्रेणी में छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक, बुनकर आदि आते हैं।

16. श्रोजगार की प्रकृति श्रेणी में बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर और दैनिक मजदूर आते हैं।

17. विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी में सफाईकर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले आदि आते हैं।

18. सेवा श्रेणी में घरेलू कामगार, महिलाएं, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार–पत्र विक्रेता आदि आते हैं।

उपरोक्त चारों श्रणियों के काम, मजदूरी और रहन–सहन को लेकर कई समस्याएं हैं–

1.4.1 अल्प आय– असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है, बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती। इसके अलावा, अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की बजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता, जो कि कर्मचारियों को दिया जाना बाध्यकारी है। इसलिये न्यूनतम मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये कामगार अपना श्रम बेचने को विवश हो जाते हैं। वैसे भी हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी की दरें वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम हैं।

1.4.2 अस्थायी रोजगार– असंगठित क्षेत्र में रोजगार गारंटी न होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है, जो इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हतोत्साहित करता है। रोजगार स्थिरता न होने के कारण इनमें मनोरोग का खतरा भी संगठित क्षेत्र के कामगारों से अधिक होता है। इनके पास विभिन्न सरकारी योजनाओं का

लाभ भी नहीं पहुंच पाता। बिचौलियों और अपने नियोक्ताओं द्वारा भी इनकी उपेक्षा की जाती है।

1.4.3 श्रम कानूनों के तहत नहीं आते– अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जहां श्रमिक कानून लागू नहीं होते। इसलिये इनकी कार्य दशा भी सुरक्षित नहीं होती और इनके लिये स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत अधिक होते हैं।

1.4.4 खतरनाक उद्यमों में भी सुरक्षा नहीं– बाल श्रम, महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा तक असमानता और उनका शारीरिक, मानसिक तथा यौन–शोषण आम बात है। कई व्यवसायों में स्वास्थ्य मानकों के न होने का मसला भी चुनौती के रूप में इस क्षेत्र से जुड़ा है। माचिस के कारखाने में काम करने वाले, कांच उद्योग में काम करने वाले, हीरा तराशने वाले, कीमती पत्थरों पर पॉलिश करने वाले, कबाड़ बीनने वाले, पीतल और कांसे के बर्तन बनाने वाले तथा आतिशबाजी बनाने वाले उद्यमों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। वे खतरनाक और विषाक्त रसायनों तथा जहरीले धुएं आदि के सम्पर्क में आकर श्वास संबंधी बीमारियों, दमा, आंखों में जलन, तपेदिक, कैंसर आदि जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार बन जाते हैं।

1.4.5 बढ़ती हुई जटिल आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था– जटिल आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज्यादा निम्न हो गया है। आय और व्यय के बीच असंगति ने इनकी आर्थिक स्थिति को इस लायक नहीं छोड़ा है कि ये बेहतर जीवन जी सके। इसीलिये सरकार समय–समय पर अनेक योजनाएं चलाती तो हैं, लेकिन इसके सामने बहुत सी बाधाएं हैं, जो उन योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के आड़े आती है।

1.5 असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं

1. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रोजगार मिशन के अनुसार असंगठित क्षेत्र की निम्न विशेषताएं होती हैं–

अ. नए उपक्रम सरलता से प्रवेश हो जाता है।

ब. आंतरिक संसाधनों पर निर्भरता रहता है।

स. पारिवारिक स्वामित्व रहता है।

द. छोटे पैमाने पर उत्पादन होता है।

य. अनियमित एवं प्रतिस्पर्धात्मक बाजार होती है।

र. श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग होता है।

1.6 असंगठित मजदूरों (कामगारों) की स्थिति एवं बेरोजगारी का प्रभाव

हमारे पास अब भी 40 (चालीस) करोड़ असंगठित कार्य बल है और लगभग आर्थिक समस्या के प्रभाव से प्रभावित है, इस श्रम शक्ति को आज मजबूत बनाने की जरूरत है। भारत सबसे युवा और क्रियाशील आबादी होने के साथ आज सिद्ध हस्त होना अन्य देशों पर हमारे बढ़त का प्रतीक है।

भारत गाँवो का देश है गाँव अभी भी अहम है। बेरोजगारी की समस्या का एक समाधान देने के लिए, प्राचीन समय में गाँव स्वावलम्बी हुआ करते थे। हर एक गाँव में पर्याप्त काम करने का अवसर था। जैसे कोई खेत में, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने में कोई सब्जियों उगाने में कोई बाल काटने में इत्यादि। आज के आधुनिक युग में मजदूरों को बिना रुपये के काम करना पसंद नहीं है। इसलिए हर परम्परागत रोजगार खत्म सी हो गई है और मजदूरों शहरों की ओर पलायन करने लगे। 2020–21 के तीन महीने के प्रभाव में देखा गया है की बेरोजगारी की दर तीन गुना बढ़ गई है और करीब 12 से 13 करोड़ मजदूरों की नौकरिया पनी गई है। ऐसे में भारत के पास ऐसे लोगों के लिए भरण पोषण की भी समस्या है।

प्राचीन काल के प्रमुख समाजशास्त्री यह मानते थे कि राज्य का आंतरिक कार्य केवल कानून व्यवस्था को बनाये रखना, देश के बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा करना है। राज्य औद्योगिक विकास सम्बन्धी कोई कार्य अपनी ओर से नहीं करता है। समय के साथ यह विचारधारा भी परिवर्तित हो गई है। आधुनिक काल में यह मन जाने लगा है कि अपने परम्परागत कार्यों के अलावा राज्य सामाजिक कल्याण का भी कार्य करता है इसके साथ साथ राज्य के आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यों को निश्चित किया गया। रोजगार के अवसर का सृजन करना आर्थिक संस्थाओं का स्वरुप निश्चित करना मौद्रिक नीति को लागू करना।

विश्व के भारत जैसे कुछ राष्ट्र ऐसे भी है, जो अल्प विकसित श्रेणी में आते हैं। ऐसे राष्ट्रों के विकास में राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे राष्ट्रों के विकास के लिए राज्य की भूमिका दो वर्गों में विभाजित किया गया हैः–

1. राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका
2. राज्य की अप्रत्यक्ष भूमिका

प्रायः देखा जाता है की विकासशील देशों में विकास सम्बंधित सुविधाएँ नहीं होती है। तथा जिनकी पूर्ति राज्य को ही करनी होती है। विश्व के विकासशील देशों में कुशल श्रमिकों तथा पूँजी की कमी होती है जिससे देश का उत्पादन प्रभावित होता है इसलिए राज्य प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही कर के देश के उत्पन्न के लिए आवश्यक साधनों की पूर्ति करता हैं। कुशल श्रमिक पूर्ती के लिए राज्य तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ नए उद्योगों की स्थापना भी करता है। राज्य सरकार का सबसे प्रमुख कार्य श्रमिक वर्ग की दशा को सुधारना होता है इसके लिए प्रमुख श्रम कल्याण कोष की भी स्थापना राज्य द्वारा की गई है। ही मजदूर कार्य नहीं कर पाते हैं उनको राज्य द्वारा सहायता राशि दी जाती है।

मलिन बस्तियों की घुटने में फंसे और बेरोजगारी की बंदिशों से निकलने की कोशिश करते लाखो प्रवासियों मजदूरों की स्थिति क्रांतियों की उत्प्रेरक हो सकती है. लेकिन इसकी और ना तो मीड़िया ने ध्यान दिया और ना ही सरकार एवं राजनीतिक वर्ग ने किसी और दौर में सामाजिक न्याय के योद्धा तथा वर्ग संघर्ष के पुरुष इसमें कूद पड़ते लेकिन अब ऐसा नहीं होता, गाँधी क्या उन्होंने मांओ को भी भुला दिया है। कल्पना कीजिये ऐसी स्थिति में कोई जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया क्या करते साल 2000 के शुरू में पूर्व प्रधान मंत्री चंद्रशेखर जी एक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित खेतिहर मजदूरों की एक रैली में शामिल होने के लिए खम्मम (तेलंगाना) में गए थे। खम्मम कभी तेलंगाना के किसानों के सशस्त्र आन्दोलन (1946–51) का केंद्र था, यह विद्रोह हैदराबाद के पूर्व शाही शासन के तहत सामतो के विरुद्ध था, यह हैदराबाद के भारत में विलय के बाद भी चलता

रहता था तथा इसे सोवियत नेता स्टालीन की मौत के बाद ही वापस लिया गया, खम्मम 1970 के दशक में वामपंथी गढ़ बन रहा था।

वह एक रैली थी और लोग दोपहर के सूरज के नीचे बेचारगी का भाव लिए बैठे थे, जो आज भी हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर (कामगारों) में देखा जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन महासचिव दिवंगत ए0 बी0 बर्धन रैली के साथ हैदराबाद लौटते हुए लोगों ने पूछा कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खेतिहर और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामगारों को संगठित क्यों नहीं कर पा रही है? उन्हों स्पष्ट कहा की उनकी पार्टी और सी.पी.एम. के संगठन बनाने वाले सदस्य संगठित क्षेत्र में ट्रेड यूनियन में अधिक दिवास्पी लेते हैं क्योंकि यह करना आसान भी है, और फायदेमंद भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों (कामगारों) के बिना कामकाजी वर्ग कुछ नहीं है, साल 2019 में देश में करीब 51 करोड़ मजदूर (कामगार) थे, जिसमें से 94 फीसदी से ज्यादा खेतों, अनगिनत और असंगठित उद्यमों में कार्यरत थे, संगठित क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों और निजी उपक्रमों के मजदूर शामिल है। साल 2018 में संगठित क्षेत्र करीब तीन करोड़ लोग कार्यरत थे, जिसमें से लगभग 2030 करोड़ सरकार या सरकारी उद्यमों के कर्मचारी थे, बाकी 70 लाख उस संगठित हिस्से में थे, जहाँ ट्रेड यूनियन मुख्य रूप से सक्रिय है।

यही सभी राजनैतिक दलों से सम्बंध मजदूर संगठन अपनी सदस्यता बढाने और आकर्षक नियमित कसाई के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मजदूर संगठनों से जुड़े अधिकतर कामगार मध्य और उच्च मध्य वर्ग के हैं, लेकिन अपने घमंड में खुद को कामकाजी वर्ग नहीं मानते हमारे यहाँ कामकाजी व एक ऐसे लोगों को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ऐसे काम करते हैं, जिसमें कम वेतन मिलता है। सीमित कौशल की जरूरत होती है, या शारीरिक श्रम करना पड़ता है, ऐसे कामों में शैक्षिणिक योग्यता कम जरूरी होता है। अब भारत में पहले की तरह ऐसी स्थिति नहीं है कि ट्रेड यूनियन की आक्रमक सक्रियता दबाव डाल कर मांगे मानवाना और एक नरम राज्य की वजह से लोगो को जीवन भर काम और समुचित वेतन–भत्ता मिलने की गुंजाईश हो और यह भी की जहाँ संतान की रोजगार मिलने की गारंटी हो, ऐसी सुरक्षा माहौल ने एक स्तर पर अनुशासन की कमी और कम

उत्पादन की संस्कृति को पैदा किया है। इस वजह से संगठित क्षेत्र का श्रमः आमतौर पर महंगा है, और उसकी उत्पादकता कम है, बिना यह है कि इससे ऑटोमेशन तथा ठेके पर काम करने की व्यवस्था पर निर्भरता बढ़ती है। वैसे कामकाजी वर्ग की सुरक्षा की इस आर्थिक वास्तविकता ने औद्योगिक विस्तार को कुंद किया है, और ठेके पर उत्पादन को बढ़ावा दिया है, यहाँ तक की यहाँ पूँजी का भी बाहर पलायन हुआ है, ट्रेड यूनियन बनाने में अधिक मुश्किल नहीं है, सत्तर कामगारों वाले उद्योग में सात लोग यूनियन बना सकते हैं, छोटे और मझोले उद्यमों की बड़ी तादाद की एक वजह यह है कि रोजगार को इस संख्या से कम रखा जाए।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में आधे से कुछ अधिक (लगभग 27 करोड़) कृषि मजदूर है, और बाकि सेवाओं और छोटे कारखानों में कार्यरत है, भारतीय अर्थ व्यवस्था पर निगरानी रखने वाली प्रतिष्ठित संस्था सीएम आइई का आंकलन है कि 2020–21 में बेरोजगारी के आर्थिक प्रभाव के बाद इनमें से 12.20 करोड़ का रोजगार छिन चूका है, इनमें 9.13 करोड़ छोटे कारोबारी और कामगार थे, लेकिन बड़ी संख्या में नियमित आमदनी मजदूर वाले वर्गों का रोजगार भी चला गया है, जिनमें 1.78 करोड़ वेतन भोगी कामगार और 1.82 करोड़ स्वरोजगार करने वाले लोग है, गैर कृषि कार्यों में आकलनो के अनुसार ये लोग हर साल 2 लाख करोड़ रुपये के आसपास की कमाई अपन घरों को भेजते हैं। बेरोजगारी आर्थिक प्रभाव ने इनकी समस्याओं को उजागर किया और इनकी आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है, विज्ञबना यह है की ये प्रवासी ऐसे बाजार में कार्यरत है जहाँ वेतन आपूर्ति और मांग के हिसाब से तय होती है। हमारे देश में जहाँ हर साल 60 लाख से 1 करोड़ मजदूर काम की तलाश में जुड़ते हैं, आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है, इससे वेतन या मजदूरी का स्तर नीचे बना रहता है। उनके पास यूनियन बनाने वालो के लिए वमुश्किल कुछ बच पता है, जिन्हें मजदूरों में चुनने का अधिकार होता है। इन ठेकेदारों गाँव के लिए कर्ज की वजह से भी कई मजदूर बचे रहते हैं, ऐसे में आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल उनकी ओर से नहीं खड़ा हुआ। जब 2020–21 में बेरोजगारी की उत्पन्न समस्याओं के वजह से जो कहर,

यहाँ तक की मीडिया को भी अपने कैमरे का रुख मजदूरों (कामगारों) की ओर करने में अधिक समय लगा जो लाखों की संख्या में अपने घरों की लम्बी दूरी तय कर रहे थे, हाल के दिनों में कुछ राज्यों में श्रम कानूनों के प्रावधानों को निरस्त कर दिया और कई तरह के बुनियादी अधिकारों से मजदूरी (कामगारी) को बंचित कर दिया गया है। प्रवासी मजदूर (कामगारों) की परशानिया बढती जाएँगी अगर उनकी जीवन जीविका और रक्षा के लिए कानून नहीं होंगे।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की समस्या यह है कि रोजगार के भरोसेमंद आकडे उपलब्ध नहीं है। सालों से हमें नेशनल सेम्पल सरआर्गेनाईजेशन एनएसएसओ (NSSO) द्वारा हर 5 वर्ष में कराए गए रोजगार सर्वे पर निर्भर रह रहे हैं। पिछला सर्वे 2011–12 में किया गया था अगला अभी चल रहा है. नतीजे सितम्बर 2023 तक आ पाएंगे।

सच तो यह है की रोजगार की समस्याओं का ध्यान नौकरियों की संख्या के आभाव के साथ अच्छी गुणवता की नौकरियों के आभाव पर केन्द्रित होना चाहिए। बहुत से मौजूदा नौकरी चाहने वालों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होते एनएसएसओ (NSSO) सबै बताते है कि जब किसानों से पूछा गया तो लगभग 50% किसानों ने उत्तर दिया है कि दे खेती करना या छोड़ना चाहते हैं।

इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में भी कही कम भुगतान वाले और कम वाली है। ऐसे जॉब तब मंजूर थे जब गरीबी अधिक थी और लोग हर काम करने को तैयार रहते थे। अब परिवार की आमदनी बढ़ने के साथ मजदूरों की जीवन स्तर भी ने लगे है। आज अच्छी जॉब चाहते है।

हम उस प्रकार की पर्याप्त नौकरी कैसे पैदा करे जो मजदूर चाहते है, बहुत बड़ी संख्या ऐसे मजदूरों की होगी जो अनौपचारिक क्षेत्र में जॉब कर रहे होगे। सार्वजनिक क्षेत्र के जॉब में बाजार दर से अधिक भुगतान होता है वे अन्य फायदे व जॉब रक्षा भी देते हैं।

2011–12 में किसानों की गिनती 15.1 करोड़ थी। इसमें मजदूर किसान तो मिल नहीं लेकिन जो किसान खुद को स्वरोजगार में लगा बताते हैं, वे शामिल है।

यह स्पष्ट है कि वे अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है। वर्तमान में हमारे देश में 50 करोड़ लोगों की श्रम शक्ति है। यदि देश की जनसंख्या 13 फीसदी सालाना बढती है, तो हर साल 65 लोग हमारी श्रमशक्ति में जुड़ेगे जिनके लिए भी रोजगार प्रावधान करना होगा, श्रमशक्ति में प्रवासी मजदूर महिलाओं को भागीदारी भी बढ़ानी होगी। आज प्रवासी मजदूरों को देख कर राज्य सरकार भी सभी राज्य में जो रोजगार घटने की सम्भावनाये बनी हुई हैं जिससे मजदूरों की आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है, और आज की तकनीकी शक्तियां ऑटोमेशन की ओर कड़ी धक्का लगाती है जिसमे पुराने रोजगार के अवसर खुल जाते हैं यदि हम ऑटोमेशन की वैश्वविक चलन का विरोध करेंगे तो अपनी प्रतिस्पर्धा खो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया में पहले से ही रोजगार वृद्धि के बड़े स्रोत बनने की सम्भावना नहीं दिख रही थी, साथ ही श्रम कानूनों में लचीलापन लाना भी बहुत आवश्यक है, प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ राज्य में चंद कदम उठाये गए हैं, लेकिन जो किया गया, पर्याप्त नहीं है, जिससे प्रवासी मजदूरों की और समस्या बढ़ सकती है। असंगठित मजदूरों (कामगारों) की समस्याओं से सम्बंधित श्रमिकों की व्यक्तिगत समस्या से तथा उद्योग धंधे एवं व्यवसायों से रोजगार से उत्पन्न आर्थिक समस्या एवं सामाजिक समस्याओं से है। आज इन मजदूरों की समस्याएं बेरोजगारी के प्रभाव से जी उत्पन्न हुआ है, उसमें व्यक्तिगत स्तर पर ये समस्याएं कार्मिक सम्बन्धो का रूप लिए इन प्रवासी मजदूरों के रोजगार उपलब्ध करने में समस्या दिख रही है।

1.7 अल्प संख्या मजदूरों की समस्या

शहरों में आने वाले ग्रामीण प्रवासी अक्सर खराब रिहायशी इलाको में रहते है जहाँ जीवनयापन की तमाम दुस्वरियां होती है ऐसी जगहों पर मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सार्वजनिक ढांचे का बढ़ा आभाव होता है। खराब आवास के लिए भी उन्हें अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा व्यय करना होता है। उन्हें मिलने वाली तनख्वाह आवासीय खर्च कर पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है। इससे अन्य खर्चा और बचत के लिए गुंजाइश कम हो जाती है।

इसमें आश्चर्य नहीं कि गाँवों से पलायन कर शहरों में पहुंचे अकुशल लोग इतनी कमाई नहीं कर पाते कि उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। अच्छी गुणवतापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य तक ही उनके परिवार की पीढीगत तरक्की का अहम जरिया है अनुभव बताता है कि ऐसे लोग खराब आवासीय इलाकों या मालिन बस्तियों में इसलिए रहना स्वीकार करते हैं, ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ बचत कर सके। जीवन से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं में निवेश करने की सरकार अक्षमता इन परिवार की मुश्किल का कारण बनती है, ऐसे परिवारों के बच्चे स्कूलों में रहने की अक्सर भीख मांगते हुए देखते है, या गलियों और सड़को पर सामान बेचते नजर आते है। कई बच्चे तो आपराधिक कार्यों में समलित हो जाते है। वर्तमान में विश्व की आधी आबादी शहरों की निवासी हो चुकी है और अगले कुछ दशकों में अनेक विकसित देशों में पूर्ण रूप से शहरीकरण का विस्तार हो जायेगा। दुनियाभर में वर्तमान हर व्यक्ति मालिन मस्तियों में रहता है। विकासशील देश में तो यह अनुपात और भी अधिक है। ताज्जुब की बात है, कि भारत में यह 24 प्रतिशत है, शहरीकरण के तेज प्रक्रिया की वजह से अनेक विकासशील देशों में जल आपूर्ती जल निकासी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बोझ बढ़ रहा है। आने वाले उजी खपत में कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा और वायु प्रदूषण की वजह से जहरीली हवा में साँस लेना होगा और साथ ही वायु प्रदूषण से मौत भी होगी। अक्सर शहरों में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के लिए गरीब आबादी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अक्सर उन्हें गंदगी और अव्यवस्था के लिए दोषी कहा जाता है, जबकि सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने में शहरी प्राधिकरण संघर्ष कर रहे होते है। विभिन्न स्तरों पर शहरों का रहने योग्य तथा अपने नागरिकों का भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश होती रहती है।

आवासीय योजनाओं के लिए सार्वजनिक जमीनों को खाली कराने और योजनाबद्ध तरीके से उसके अधिग्रहण के बजाय अमूमन विध्वस और लोगों को विस्थापन का समाधान के तौर देखा जाता है पीप जलापूती में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को दूषित पानी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है साथ ही अगर ऐसे स्थानों पर जलनिकासी की उचित व्यवस्था हो तो घरो की मरम्मत कराने की

दिक्कतों और जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में भी निजात मिल सकती है। स्ट्रीट लाइट होने से ऐसे जगहों पर होनेवाले में कमी आती है अगर आम लोगों के हितो को ध्यान रखकर उक्त बातो पर काम किया जाये, साथ ही समय और धन की समस्या के समाधान के लिए ऐसे समूदायों की सहमति से परियोजना की कुल लागत से उनका हिस्सा तय किया तो इन सुविधायों के लिए उन्हें अन्य विकल्पों की अजमाने सहमत नहीं उठानी पड़ेगी।

शहरी क्षेत्रों का भविष्य कुशल लोगों की आय में निरंतर वृद्धि पर टिका है। अनस्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी वाले कार्यों का आटोमेशन नही हो सकता। ऐसी दशा में इन सब में रोजगार की मांग बनी रहेगी लेकिन जीवनयापन के लिए इन क्षेत्रों में काम करने वाले को पर्याप्त तनख्वाह नहीं मिल सकेगी खास बात यह है कि पलायन कर रही शहरी क्षेत्रों में पहुचने वाले ज्यादातर प्रवासी इसी कार्य क्षेत्र के दायरे में होगे शहरों में शहरों की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि अनेक कार्यों की परिस्थितियों के लिए वे कैसे समावेशी समाधान निकालते है और अर्द्धकुशल लोगों के लिए भी रहने की व्यवस्था कर पाते है ताकि शहरों एवं वहाँ के निवासियों की स्थिति में सुधार हो सके शहरों में भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी और दूसरे लोगों की आमदनी के लाभ के साथ साथ तथा शहरी संघनता के दुष्प्रभाव दोनों होगे शहरों में लगातार सकरी सहको अशुद्ध एवं अपर्याप्त जलापूर्ती और वायु प्रदूषण जैसी अनेक समस्याओं से भी जूझना होगा।

मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने नियमितीकरण और आबादी के सभी वर्गों की सुविधाओं पर केन्द्रित राजनीति उनकी बेहतरी के लिए अहम होगी अन्यथा इस बात की अधिक संभावना है कि शहर जिस तरह से बढ़ रहे है, उससे लोगों की हालत बहुत ही पिताजनक और खतरनाक होगे संस्थानिक तौर पर कामगारों की समस्याओं को नजर अंदाज किए जाने से उनकी दिक्कते लगातार बढ़ेगी इससे वे अवसरवादी तरीके से भीड़ का हिस्सा बनेगे नौतियों में टैरिफ और विनियामक बधायों को दूर करने के लेन–देन की लागत को कम करने तथा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने पर जोर रहा है. इससे आगे व्यापर विकास और आर्थिक वृद्धि होगी जिससे इसका विस्तार शहरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी होगा। अधिकांश लोग जो

अनस्ट्रक्च फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी नौकरियों में होगे, उनका भविष्य स्थायी तौर पर उनकी धन तथा शैक्षणिक निवेश तक बेहतर पहुंच टिका होगा। यह उच्च कौशल वाले कार्यों में उनकी भागीदारी के लिए अहम होगा। आने वाले दशक में सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इन प्रयासों के बगैर उस प्रश्न का समाधान नहीं हो सकता, जिसका हमने शुरूआत में जिक्र किया था। ग्रामीण इलाकों से पलायन कर शहरों में आने वालों के लिए शहरी प्रवास लाभदायक एवं क्रयशक्ति का एक अस्थायी स्त्रोत मिलेगा। यह बेहतर मौके और जीवनयापन की उनकी खोज का स्थायी समाधान नहीं होगा।

2019 में प्रकाशित यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 में भारत के 47 प्रतिशत युवाओं के पास बाजार के अनुकूल अवश्य शिक्षा एवं कौशल नहीं होगा। किसी भी देश की युवा आबादी न सिर्फ देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बल्कि उत्पादन उपयोग निवेश नवचार एवं अनुसंधान और निर्यात के अवसर भी पैदा करती है। यदि कामलायक हाथों को कम नहीं मिलता तो फिर युवा आबादी एक समस्या भी बन जाती है। देश में लगभग 21–35 आयु वर्ग की लगभग 10 करोड़ आबादी ऐसी है, या कम कौशल क्षमता है, इसलिए वह अर्थव्यवस्था के लिए अनुपर्युक्त साबित हो रही है। अकुशल एवं रोजगार विहीन कुंठित युवा सामाजिक सदभाव एवं कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। भारत में कौशल विकास की नई योजनाएं चलाई जा रही है, किन्तु बाजार के अनुकूल प्रशिक्षण और कौशल विकास के कमी के कारण अभी भी उसका सुनियोजित लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता के स्तरों को बनाएं रखने और लघु–कुटीर एवं मध्यम उद्योगो में आवश्यक श्रमशक्ति के बीच तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी अथवा डी0एम0 को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। आइ0टी0आइ0 में आज भी ऐसे पाठ्यक्रमो का समयानुकूल बनाना हमारी पहली आवश्यकता है। विश्व की अन्य देश बुजोगों की संख्या बढने से नर्सों एवं पैरामेडिकल सेवाओं की मांग आने वाले समय में अन्यधिक बढ़ जाएगी। इसके लिए युवाओं को अभी से कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा सकता है। ऋण की उपलब्धता को आसान बनाने एवं व्यवसाय को

प्रोत्साहन देने के लिए बैंको को कागजी प्रक्रिया को सरल बनाना होगा, उतने ही अधिक मजदूर स्वरोजगार के लिए भी तैयार होगे। इस सबके साथ ही सरकार को मजदूरों एवं लोगों के साथ मिलकर एक जनसँख्या नीति बनानी होगी, जिससे आर्थिक विकास की दर एवं बढ़ती आबादी के बीच तालमेल कायम हो सके अन्यथा आने वाले समय में हमारे इतने साधन नहीं होंगे कि हमे बढ़ती हुई जनसंख्या का भार उठा सकें ।

1.8 उच्च शिक्षा में रोजगार के स्वरूप में बदलाव

रोजगारोन्मुखी बन रही शिक्षा में उच्चतर और पेशवर शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसमें चुनौतिया भी बहुत है सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं पर निगरानी और उनके पाठ्क्रमो को बेहतर करने पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी ओर आबादी और बढ़ते श्रमबल को पिछले कुछ वर्षों से रोजगार मुहैया करा पाना सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी साबित हो रही है शिक्षा और रोजगार से जुड़ी इन्ही समस्याओं और उम्मीदों को रेखांकित कर है आज का समय।

प्रो0 अमर्त्यसेन ने एक साक्षात्कार में कहा था की भारत एक मात्र ऐसा देश है, जो अशिक्षित एवं स्वास्थ्य हीन श्रमबल के आधार पर वैश्विक आर्थिक शक्ति होने की कोशिश कर रहा है और प्रो0 सैन के विचार से भविष्य में भी ऐसा नहीं हो सकता है। गुणवता पूर्ण शिक्षा और आर्थक वृद्धि में एक निश्चित संबंध है, गुणवतापूर्ण शिक्षा से श्रमबल में गुणवता आती है तथा इससे उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होती है, यही कारण है कि अधिकतर यूरोपीय देशों ने सार्वभौमिक शिक्षा को अपनाया दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर और चीन में यह व्यवस्था लागू हुई।

आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया और गुणवतापूर्ण रोजगार को श्रमबल से अलग करने विचार एक गम्भीर आर्थिक गलती है बाजार अर्थव्यवस्था के की गुणवत्ता पिता कहने जाने वाले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ 1776 में ऐसा समझ के विरुद्ध चेता दिया था उनकी समझ सही थी कि भारत में अंग्रेजी शासन बुनियादी शिक्षा पर समुचित ध्यान नही दे रहा है लेकिन सबसे बढ़ी विन्दु बना यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के

बाद लगभग सभी सरकारों ने भी यही भूल की है मौजूदा सरकार भी इस रुझान का अपवाद रही है।

जनसंख्या के आभार पर बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य है। परन्तु कम उत्पादन, कम विविधकरण, छोटा औद्योगिक आधार राज्य की सीमित संसाधनों पर जनसंख्या का भार और कम लाभप्रद छोटे सेना क्षेत्र की निरंतरता के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था प्रतिकूलता–ग्रस्त रही है। इस बजह से इच्छा के अनुरूप यहां रोजगार का सृजन नहीं हो पाते है। दूसरी ओर, बिहार गरीबी के दुश्चक्र में फंसा हुआ एक ऐसा राज्य है, जहां की समग्र गरीबी अनुपात 33.7 था। (तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट)

इसका अर्थ यह भी हुआ कि राज्य की कुल जनसंख्या का 3307 प्रतिशत लोगों के पास जीवन जीने संबंधी रोजगार उपलब्ध है। गरीबी और रोजगार विहीनता के कारण यहां के लोग देश के अन्य हिस्सों के साथ–साथ विदेशों में भी काम करने लिए चले जाते हैं। इस तरह बिहार श्रमिकों के अधिशेष वाला भारत का एक प्रमुख राज्य बन गया है। ऐसे में बिहार को अपने जनसांख्यिकी लाभांश का दोहन करने तथा श्रमबल में शामिल होने वाले के लोगों की बढ़ती इच्छाओं को पूरा करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रोजगार सृजित करने की होगे। यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रथम स्थान पर था, परन्तु वर्तमान में नियोजन एवं रोजगार के मामले में देश के निचले पायदान पर है।

यह देश का एक मात्र ऐसा राज्य है, जहाँ सर्वभोग गरीबी की स्तर (46–70 प्रतिशत) उच्चतम है, बिहार की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 3,650 रूपये है, जो राष्ट्रीय औसत 11.625 रुपये का एक तिहाई है। बिहार की बहुसंख्यक आबादी (52.47 प्रतिशत) अशिक्षित है। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी है। लेकिन इस राज्य का दूसरा पहलू भी है। यहां शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 62 है। जो राष्ट्रीय औसत 66 से कम है। यह भी दिलचस्प है कि इस राज्य का शिशु दर उत्तर प्रदेश (83) और ओड़िसा (91) से केवल अच्छा ही नहीं है, बल्कि आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा (66–66 प्रतिशत) से अच्छा है। इतना ही नहीं बिहार पुरुष की जीवन प्रत्याशा 63.6 वर्ष है, जो भारतीय पुरुष की जीवन पत्याशा (62.4वर्ष) से अच्छा हो। 2011 की

जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी। देश की जनसंख्या (121,06 करोड) का 8.6 प्रतिशत है। जनसंख्या के वर्तमान विकास दर के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को बिहार की जनसंख्या 11.09 करोड़ हो गई है। 2001–2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर बिहार में 25.1 प्रतिशत थी। जबकि सम्पूर्ण देश के लिए 17.6 प्रतिशत राज्य जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है जो पूरे देश के जनसंख्या घनत्व (382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी) काफी अधिक है। बिहार में शहरी आबादी की दशकीय वृद्धि दर मात्र 0.8 प्रतिशत रही है। जो पूरे देश के औसत (3.4)प्रतिशत से कफी कम है 92,257,51 वर्ग किमी फैला है, बिहार का ग्रामीण क्षेत्र लिंग अनुपात बिहार में 918 और भारत में 943 से कम है। लेकिन बिहार का लिंग अनुपात 935 है, जो राष्ट्रीय औसत (919) से अधिक है। बिहार के सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला सारण प्रमंडल के गोपलगंल 1021 के बीच है। राज्य घरेलू उत्पात 2016–17 में 2011–12 का स्थिर मूल्य पर 3.32 लाख करोड़ रु था। जिससे प्रति व्यक्ति आय 29.178 रु अनुमानित है जिससे प्रति व्यक्ति 38.546 रु ठहरती है। बिहार में 70.4 लाख हेक्टेयर कृषि भूमी है। जो 1.205 मिली. मी. सामान्य बारिस पर निर्भय है। और इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 1.679 किलो ग्राम है। जो राष्ट्रीय औसत 1.739 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है। हालांकि यह आंकड़ा 6 राज्यों, जिसमे बड़े खेतिहर राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र भी सामिल है। उनसे अच्छा है ये आकड़े राज्य की सकारात्मक उपलब्धि संभावना की और इंगित करते है। इन सबके वावजूद आर्थिक एवं सामाजिक मामलों में बिहार की स्थिति दयनीय है। फिर यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों है? पिछले वर्षों के दौरान देश का प्रति व्यक्ति विकास व्यय 7.935 रु की तुलना में बिहार का प्रति व्यक्ति विकास व्यय 3.633 रु ही रहा है। जो राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम है। हालांकि यह कई कारणों पर निर्भय करता है। जिससे राष्ट्रीय खजानों में राज्य का योगदान भी शामिल है। इस राज्य में दसवी योजना के प्रति व्यय 2,533 रु रहा है जो गुजरात (9,289.10 रु) कर्नाटक (8,260 रु) और पंजाब (7.682.20 काफी तुलना में एक तिहाई से भी कम था, भन कि अब योजना आयोग नहीं है। लेकिन नीति आयोग तो है। लेकिन अब कौन सी नौति है. इस संबंध में?

जब कोई तेजी से पिछड़ रहा हो तो विकास के लिए निवेश की आवश्यकता होती है, परिवार में कमजोर या बीमार बच्चे के लिए अधिक देखरेख की जरूरत होती हैं केवल दुर्बल को नजर अंदाज कर योग्यतम की उत्तर जीविता देखते हैं, आर्थिक सामाजिक दशा के आधार पर बिहार को अतिरिक्त मदद से ही नहीं, बल्कि उसके उचित अधिकार से भी वंचित रखा गया प्रति व्यक्ति निवेश की दयनीय स्थिति से यह स्पष्ट है, कि केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक रूप से व्यवस्थागत ढंग से राज्यों का वंचित नीति से वंचित रखा गया, केंद्र से मिलने वाले ऋण के मामले में भी बिहार को नजर अंदाज किया, बिहार में राज्य सरकार द्वारा चार प्रमुख विकास योजनाओं में निवेश तुलनात्मक तौर पर कम रहा बिहार में सड़क पर प्रति व्यक्ति व्यय मात्र 44.60 रु रहा, जो राष्ट्रीय औसत (117.80 रु) का मात्र 38 प्रतिशत है। इसी तरह बिहार का सिचाई और बाढ़ नियंत्रण पर प्रति व्यक्ति खर्च 104.40रु रहा जबकि राष्ट्रीय औसत 199.20 रू0 है, दसवी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत के हिसाब से बिहार का हिस्स 48,216.66 करोड़ होना चाहिए, जबकि उसे 21000.00 करोड़ ही आवतरित किया गया द्य इस चलन की शुरुआत पहली पंचवर्षीय योजना में ही हो गई थी, अभे संचयी कमी 80,000 करोड़ से अधिक की है। यानी इतनी अतिरिक्त राशि पर उसका दावा बनता है।

यदि प्रचलित राष्ट्रीय ऋण जमा अनुपात लाभ को देखे तो बिहार को बैंकों से साख के तौर पर 44,830 करोड़ मिलना चाहिए था, जबकि वास्तव में इस राज्य को केवल 5,635,76 करोड ही मिला वित्तीय संस्थाओं से बिहार को मात्र 551.60 रु प्रति अनुदान मिला जबकि राष्ट्रीय औसत 4,82880 रु प्रति व्यक्ति है। इससे स्पष्ट है, कि बिहार में शायद कोई औद्योगिक गतिविधि हो रही है, नाबार्ड द्वारा कम निवेश के लिए बहाना नहीं है, यह कोई तर्क नहीं है, की बिहार में कोई कृषि कार्य हो रहा है। अगर वित्तीय संस्थान प्रति व्यक्ति औसत के हिसाब से निवेश करे तो राज्य को 40.020.51 करोड़ रु प्राप्त होगे, जबकि सच्चाई यह है कि राज्य को 4,57159 करोड़ ही मिले। इन बातों से पता चलता है कि बिहार का केवल हक ही नहीं छीना गया बल्कि इस सबसे पिछड़े राज्य से पूंजी का निकास भी हुआ। यह एक क्रूर विरोधाभास है। इसी पूंजी द्वारा अन्य क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का वित्त

पोषण किया गया और वहाँ उच्च कर व्यवस्था के साथ केन्द्रीय मदद भी मुहैया करायी गयी। थोड़ी कड़ी भाषा में कहे तो केन्द्रीय निधि में वाजिब अधिकार से वंचित कर बिहार को व्यवस्थागत तरीके से विकसित नहीं होने दिया, अभी केंद्र द्वारा जो मदद मिली है। उसे दोगुना करने की आवश्यकता है। ताकि यह राज्य देश के विकास के एवं यहाँ के असंगठित मजदूरों के आर्थिक समस्याओं में अपना समुचित योगदन दे सके।

1.9 बिहार के छपरा (सारण) प्रमंडल अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के आर्थिक समस्याएं

भारत में विषमता की स्थिति गंभीर है। आर्थिक सीढ़ी के आखिरी पायदान के परिवार बेरोजगारी के दुष्चक्र में बुरी तरह फंसे हुये है। अपने देश में खास तौर से 1992 के बाद के उदारीकरण के दौर में आर्थिक असमानता काफी बढ़ी है। 2018–2012 दरम्यान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में रोजगार से जुड़े निजी सूचकांक (असमानता मापने का सांख्यिकी) में उल्लेखनीय बढोत्तरी हुई हैं। (ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट) भी बताती हैं की 2002–2012 के बीच देश की कुल सम्पदा में आबादी के निचले हिस्से (पिछली 50 फीसदी जनसंख्या) की हिस्सेदारी 1.8 फीसदी से घटकर 4.2 फीसदी दर गई, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल सम्पदा में एक फीसदी शीर्ष आबादी के हिस्सेदारी 15.7 प्रतिशत बढ़कर 25.7 प्रतिशत हो गई है। असमानता में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को देखने हुए यह जरूरी है कि भारत में आर्थिक गतिशीलता की सीमा सही ढंग से मामी की जाए ताकि बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्याओं के कारणों का सही पता चल सके कि समय के साथ कितने मजदूरों को रोजगार नहीं मिलने के कारण और उन्हें अन्य कारणों से उससे होने वाली आर्थिक समस्याओं से आर्थिक पायदान से ऊपर उठे है, और कितने नीचे की और अप्रैल 2016 से जून 2019 के आंकड़े का इस्तेमाल कर छपरा (सारण) प्रमंडल अंतर्गत असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर अपने प्रयास से जानकारी प्राप्त हुआ है कि यह बहु–विषयक सर्वे है। जिसमे सारण प्रमंडल के तीनों जिले से लगभग 200 (दो सॉ) असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शामिल किया गया है। अपने अध्ययन में हमने

पाया कि समयता में पूरी आबादी के लिए असंगठित मजदूरों की सारण प्रमंडल में आर्थिक समस्या आश्चर्यजनक है। इस तीन वर्षों में 10 मजदूरों में से कम से कम 07 परिवार या तो बेरोजगार ही रहे या उसे बाहर निकलने के बावजूद उनका जोखिम समान रूप से बना रहा जबकि 10 परिवार मजदूर में से महज दो मजदूर एन तीन वर्षों में आर्थिक समस्याओं को मत दे रहे है द्य वही दूसरी तरफ एन तीन वर्षों में मजदूरों की आर्थिक समस्या का कारण कम रोजगार का न होना मन रहे है।

शोध अध्ययन के क्रम बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में हमने विभिन्न उप आबादी के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र से बेरोजगार मजदूरों की गतिशीलता दर की तुलना आर्थिक समस्याओं की जिसमे हमे प्रर्याप्त विविधता का प्रमाण मिले पहला अंतर यह है कि हिन्दुओं या अन्य धार्मिक समूहों की तुलना इन तीन वर्षो में सबसे मजदूर आर्थिक समस्याओं से ग्रसित है इतना ही नहीं आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल कर जोखिमरहित गैर मजदूर की हैसियत पाने या यह नया दर्जा बरकार रखने की इसकी संभावना भी कम रहती है। दूसरी विविधता यह है कि उच्च जाति समूह (ब्राम्हण या गैर ब्राम्हण) और अन्य पिछड़े (ओबीसी) की तुलना में अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिय के असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या को दूर कने की संभावना कम दिखती है, और उनके लिए बेरोजगार होने की आशंका भी अधिक होती है। उच्च जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की मजदूरों की यदि तुलना करे, तो सारण प्रमंडल में असंगठित क्षेत्र के मजदूर खासकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के मजदूर आर्थिक समस्याओं से तंग है, और आखरी अंतर शहरी मजदूर से की ग्रामीण मजदूरों के आर्थिक समस्या असंगठित क्षेत्र में बने रहने की आशंका अधिक होती है। वे आर्थिक समस्याओं से निकलने के लिए प्रयास भी अपेक्षाकृत कम करते है और उनके लिए शहरी असंगठित मजदूर की तुलना में आर्थिक समस्या नीचे जाने की जोखिम भी अधिक होती है।

दूसरी तरफ सारण प्रमंडल अंतर्गत असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या का एक महत्वा पूर्ण कारण है की यहाँ उद्योग–धंधे के लिए भी जमीन की

उपलब्धता को लेकर कई अड़चने है। दर्जनों भर अधिक औपचारिकता उद्योग धंधे की स्थापना असंभव जैसा है। सरकार द्वारा इस दिशा में किये गए प्रयास न काफी है। चूँकि राज्य में सिंगल विन्डो सिस्टम फ़ैल है। यही कारण है की सारण प्रमंडल में पिछले 30 वर्षों से उद्योग–धंधे पनप नहीं पा रहे है, और इसी कारण से यहाँ के असंगठित क्षेत्र के मजदूर काफी संख्या में बेरोजगार होकर दर–दर की ठोकर कहा रहे है। जिससे उसकी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो अहि है। प्रस्तुत शोध अध्यन के क्रम में सारण प्रमंडल के असंगठित क्षेत्र के कुछ मजदूरों का कहना है कि बिहार राज्य का 'ईको सिस्टम' उद्योग धंधे के खिलाफ है। साथ हि साथ सारण प्रमंडल में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों अपने उद्योग–धंधे की स्थापना के लिए बैंको से छोटे छोटे ऋणों के लिए प्रायः बैंको द्वारा 'कोलेटूल' (बैंक कर्ज नियमावली) का भी मांग करते है। बैंको के इस रवैये के कारण असंगठित मजदूर के लिए उद्योग–धंधे और रोजगार सृजन म बाधाएँ आ रही है जिससे असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और उद्योग–धंधे को छिन्न–भिन्न हो जाने से अधिकतर मजदूर जैसे– बुनकर, दस्तकार, शिल्पकार आदि अपन व्यवसाय छोड़ कर खेती करने की ओर बढ़ रहे है। कारण यह है की मजदूर अपने था अपने परिवार के सदस्यों को जीवन–यापन करने का यहाँ अन्य कोई साधन नहीं दिख रहा है। तब यहाँ आचार होकर बहुत ही कम मजदूरी पर मजदूर बनकर काम करना पड़ रहा है, जिससे यहाँ की असंगठित मजदूरों की अवस्थाएं अत्यंत ही दयनीय हो गई है। जिसका कारण यह है की बहुत से मजदूर अपने या अन्य परिवार के सदस्यों के साथ शहर की ओर धीरे–धीरे पलायन कर रहे है और वहाँ पर मजदूरी कर अपने और अपने परिवार के सदस्यों को जीवन यापन करने में लगे है।

शोध अध्ययन प्रतिवेश बिहार उपरा (सारण) प्रमंडल के अंतर्गत असंगठित मजदूरों के विविध आयामों का अनुभाविक अध्ययन किया गया है। शोध–अध्ययन क प्रथम भाग में 400 (चार सौ) समग्र असंगठित मजदूरों के व्यक्तिगत चरों से सम्बंधित जानकारी असिल करने का प्रयास किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से आयु, जाति, धर्म, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, व्यवसाय, रोजगार, आय आदि। को शामिल किया गया है। यही महत्त्वपूर्ण चार आर्थिक समस्यायों से मजदूरों की आर्थिक सामाजिक स्थिति

का निर्धारण करते हैद्य उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला जा सकता है कि असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्यायों में से 50.8 प्रतिशत मजदूर मध्य आयु वर्ग के है, 32.4 प्रतिशत युवा वर्ग के है, 19.8 प्रतिशत मजदूर 50 वर्ष से अधिक आयु के है, आर्थिक समस्यायों से सामान्य जाति के मजदूर मात्र 8.2 प्रतिशत शेष आर्थिक समस्या के मजदूर दलित, अत्यंत पिछड़ी एवं अन्य पिछड़ों से ताल्लुक रखते है। इससे स्पष्ट होता है की आर्थिक समस्याओं से ग्रसित सारण प्रमंडल में पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के मजदूर कम आर्थिक अन्य से ग्रसित वही अपेक्षाकृत सामान्य जाति के मजदूर कम आर्थिक समस्याओं से ग्रसित है। आर्थिक समय से ग्रसित मजदूरों में 10.2 प्रतिशत निरक्षर, शिक्षित मजदूर 32.5 प्रतिशत तथा मात्र साक्षर मजदूर 57.3 प्रतिशत है।

शोध अध्ययन में आर्थिक समस्यायों में 35.4 प्रतिशत मजदूर सिर्फ कृषि उद्योग–धंधे में कार्यरत है, जबकि 80 प्रतिशत मजदूर ठेका या रोजमर्रा के रोजगार में संलग्न है। 16.2 प्रतिशत मजदूर स्वयं के कार्यों में कार्यरत है। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अंतर्गत असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्यायों का कारण निम्न प्रकार से है–

1.9.1 ग्रामीण विकास में रोजगार की कमी– सामाजिक न्याय का अर्थ आजकल देह एवं गरीबी एवं बेरोजगारी को पूर्णतः समाप्त करना है। अर्थव्यवस्था जब प्रचलित मजदूरी दर पर व्यक्ति काम खोजता है, किन्तु उसे काम नहीं मिलता है, तब उसे बेरोजगार कहा जाता है। यही कारण है, कि ग्रामीण विकास में रोजगार की धारणा को निम्न प्रकार से देखि जाति है।

- काम खोजना
- काम के लिए उपलब्ध रहना

ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र भी कई भुगतान और कम कौशल वाले जॉब है। ऐसे जॉब तब मंजूर थे जब गरीबी अधिक थी और लोग हर काम करने को तैयार रहते थे अब परिवार की आमदनी बढ़ने के साथ, लोगो की हसरतें भी बढ़

गई है। वे बेहतर गुणवत्ता के जॉब चाहते है। यही वास्तविक ग्रामीण विकास की चुनौती है। हम उस प्रकार के जॉब बिहार उपरा (सारण) प्रमंडल में जॉब कैसे प्राप्त किया जाए जो लोग चाहते है। आमतौर पर सुनने में आ रहे हैं कि चपरासी या सफाई कर्मचारी जैसे निचली श्रेणी के सरकारी जॉब के लिए लाखो आवेदन देने वाले सारे ही बेरोजगार थे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या ऐसे लोगो की होगी, जो अनौपचारिक क्षेत्र में जॉब कर रह होंगे। इस प्रकार बिहार उपरा (सारण) प्रमंडल ग्रामीण मजदूर रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित 62 प्रतिशत सोचते है की इस समय देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है वहीं अन्य मजदूरों का मानना है कि 69 प्रतिशत सोचते है कि इस समय देश गलत दिशा में जा रहा है जो ग्रामीण मजदूरों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सच तो यह है की रोजगार की समस्या का ध्यान नौकरियों की संख्या के आभाव के साथ–साथ अच्छी गुणवत्ता की नौकरियों के आभाव पर केन्द्रित होना चाहिए। बहुत से मौजूदा ग्रामीण लोगो और मजदूरों की जॉब कम चाहने वाले की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होती।

1.9.2 खेती में रोजगार की कमी– बिहार सारण की श्रमशक्ति और संसाधन प्रदेश और उसकी जनता एवं मजदूर की तरक्की का द्वार खोल सकते है कृषि आधारित रोजगार को अवसर के रूप में बदला जा सकता है संभावनाएँ इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी के दौर गुजरती है कृषि ही उसके लिए संबल साबित होती है। उपजाऊ मिट्टी, नदियों का संजाल, मेहनतकश मजदूर, अनुकूल और विविध जलवायु, सब कुछ तो है यहाँ। संभावनाओं का ऐसा सागर है, जिसकी लहरों को चीरकर इस प्रमंडल में अग्रणी बनने के हर तरीके की कृत्वत है। बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल मुख्यतः कृषि आधारित रोजगार ज्वाला प्रदेश में सबसे बड़ा स्थान सब्जियों का है। (दूसरा स्थान) बस जरूरत है उन संभावनाओं को समुचित उपयोग करने की है।

1.9.3 कृषि पर आधारित रोजगार और बाजार की दूरी पाटनी होगी– बिहार (सारण) प्रमंडल की मजदूरों की किस्मत बदलने के लिए पारंपरिक काशी पर आधारित रोजगार से बाहर निकलकर इससे बाजार आधारित करना होगा तभी कृषि मजदूरों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के प्रति युवाओं का भी आकर्षण बढेगा। यह समझना

होगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि में निहित है, और उसके अनुकूल माहौल बनाने की ओर अग्रसर होना पड़ेगा सारण प्रमंडल की कृषि अभी तक उत्पादकता आधारित रही है। अब तक जो नीतियाँ बनी उसमे उत्पादकता केंद्र में रही है। कभी–कभी कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने पर जो नहीं दिया गया बाजार और कृषि दोनों में अभी भी काफी दूरी है। जब तक बाजार एवं खेती की दूरी है। जब तक बाजार एवं खेतों की दूरी पाटने के लिए नीति नहीं बनेगी मजदूरों का भला होने वाला नहीं है ।

1.9.4 प्रसंस्करण उद्योग का न होना– राज्य एवं सारण प्रमंडल में कृषि उत्पादकों सुरक्षा, संरक्षण और प्रसंस्करण की उचित व्यवस्था नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का टोटा है, इसके आभाव में हर साल 7 हजार करोड़ की सब्जियों एवं फल बर्बाद हो जाते है। यह किसी भी कृषि मजदूर के हित में नहीं है। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। कृषि प्रधान सारण प्रमंडल में जलवायु के आधार पर जैवविविधता काफी है इस कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियों एवं फलों का भरपूर उत्पादन होता है। बड़ी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है किसान और मजदूरों के अलावा कई अन्य तबके भी है जो कृषि आधारित व्यवसाय कर अपनी जीविका चलाते है। कृषि उत्पादों को सुरक्षा, संरक्षण और प्रसंस्करण के उचित व्यवस्था के आभाव में बड़े पैमाने पर बर्बादी भी होती है। एक अनुमान के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आभाव में हर साल 7 हजार करोड़ रुपये की सब्जियाँ एवं फलों को बर्बाद हों से बचा लिया जाए, और इन्हें किसी प्रकार से बचाकर उपयोग में लाया जाए तो सारण प्रमंडल के किसान एवं मजदूर खुशहाल हो सकेगें ।

1.9.5 अंडा एवं मछली उत्पादन की व्यवस्था में कमी– कृषि प्रधान बिहार एवं सारण प्रमंडल में यहाँ की सघन आबादी एक बड़ी समस्या है लेकिन अमुचित योजना से यही वरदान साबित हो सकती हैं। सारण का विकास केवल राज्य सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है, बल्कि विकास की तस्वीर सरकार और समाज दोन मिलकर ही खीचें जिसे असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या का समाधान किया जा सके द्य आजादी के बाद विभिन्न सरकारों ने समय समय पर सारण प्रमंडल में विकास के

लिए समुचित कदम उठाये है, लेकिन सारण प्रमंडल राज्य स्तर पर कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं कर पाया है। यदि राज्य को इसी दिशा में देखे तो पंजाब और हरियाणा बिहार राज्य भी अभी काफी पीछे है। समेकित कृषि एवं पशुपालन ही बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल का उज्ज्वल भविष्य है कृषि के लिए सारण प्रमंडल में रकबा बढ़ाना बहुत ज्यादा संभव नहीं है। पशुपालन, मत्स्यपालन, अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन के क्षेत्र में बहुत करने की संभावनाएँ है। इस पर विचार करना होगा और इस अनुरूप योजनाएँ बनानी होगी और इन सब में वैज्ञानिक तरीके से फार्मिंग की जाए तो रोजगार के अवसर भी होंगे।

1.9.6 अधिकारीगण से सम्बंधित– बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं ने कहा है कि शासकीय अधिकारी उन्हें मदद नहीं करते है अतः अधिकारीगण के कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए, जिससे वह हुनरमंदों के लिए देश–विदेश में रोजगार की कोई कमी न हो इस के लिए युवा मजदूरों में कौशल विकास करने अधिनस्थ वाली संस्थाओं को आगे आना होगा युवा मजदूर जो अधिनस्थ क्षेत्र के है उसे ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए जिससे रोजगार मिले ना कि केवल सर्टिफिकेट, प्रमाणपत्र नौकरी मिलने का पैमाना नहीं है। विदेश मंत्रालय के सहयोगी से श्रम संसथान विभाग द्वारा समुद्र पर नियोजन ब्योरो के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, गया व दरभंगा में प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण स्थापित किये गए है। उन्होंने विदेश मंत्रालय के सहयोग से छपरा (सारण) प्रमंडल में सिवान और गोपालगंज में भी प्रशिक्षण केंद्र खोलन के लिए कहा गया। राज्य से 2017 में 59,426, 2018 में 59,181 लोग विदशों से सबसे अधिक जाने के लिए इमिग्रेशन क्लेअरेंस लिए है। प्रशिक्षण के जरिये रोजगार के लिए विदेश जाने बालों का सुरक्षित व वैध प्रवासन सुनिश्चित करने का सुरक्षित व वैध प्रवासन सुनिश्चित करने की जरूरत होगी।

1.10 बिहार राज्य को विशेष पैकेज नहीं होने के कारण

सारण प्रमंडल बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में आधारभूत संरचना को सुदृढ करने के साथ शहद, सब्जी, मछली, दूध उत्पादन स्थानीय उपज और औषधीय खेती को बढ़ावा देने एवं पशुओं के शतप्रतिशत टीकाकरण अभियान को व्यवस्था

करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को इस दिशा में विशेष पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे सारण प्रमंडल में रोजगार सृजन करने में मदद मिलेगी जो कृषि आधारित व्यवसाय है, जिसमे टमाटर, प्याज व् आलू के साथ सब्जियों, ये सब को यदि व्यवस्था करके रोजगार से जोड़ा जाए, तो मजदूरों को बहुत बड़ा रोजगार मिल सकता है। इन सबको लगभग 50 एवं 60 प्रतिशत अनुदान से और मदद मिलेगी।

1.11 केन्द्र सरकार के पैकेज से बिहार में लाभ

केन्द्र सरकार ने पशुपालक पैकेज की ओषणा से बिहार के 1.61 करोड़ किसानों और पशुपालकों और 40 लास मछुआरों को लाभ गिलेगा। बिहार का मरवाना वैश्विक उत्पाद बनेगा। स्थानीय उत्पादों की बांडिंग के लिए 10 करोड़ के प्रावधान से बिहार में मरवाना लीची, आम, कतरनी एवं मिर्चा, चावल की ब्राडिंग हो सकती है। टाप टू टोल योजना में 500 करोड़ से लाभ मिलेगा। इसमें टमाटर, प्याज व आलू के साथ अन्य सब्जियों को जोड़ने से सब्जी उत्पादकों को लाभ होगा। मधु, मशरूम, टमाटर, आलू ओल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में मिलेगा। रोजगार के अवसर बढ़ेगे। कृषि प्शु एवं मतस्य संसाधन मंत्री डॉ0 प्रेम कुमार ने कहा कि परिवहन एवं भंडारण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान से किसानो को लाभ होगा। मछली संपदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ योजना का बिहार के 40 लाख से अधिक मधुखारो को लाभ होगा।

1.11.1 रेहड़ी, पटरी वालों को फायदा– बिहार में रेहड़ी पटरी वालों की संख्या कुल 99514 है। इनमें 36283 लोग आधार से जुड़े हैं। बिहार आधार जुडने वालों 63231 है। केन्द्रीय पैकेज में इन्हें 10–10 हजार देने क्षे0 देने की बात हैं। इस हिसाब से कुल 99514 रेहड़ी पटरी वालों को 99 करोड़ 51 लाख 40 हजार का कर्ज मिल सकता है।

1.12 बिहार में श्रमशक्ति एवं सहभागिता दर (2018–19)

श्रमशक्तिः भारत के सापेक्ष में श्रमशक्ति जनसंख्या के उस भाग को कहा जाता है, जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम हो। इस आयु वर्ग को

श्रमशक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आयु वर्ग कार्य करने में सक्षम होता है और उत्पादन कर सकता है। श्रमशक्ति में रोजगार और बेरोजगार दोनों को गिना जाता है, चाहे व्यक्ति को काम मिला हो न मिला हो अब भी उसकी परिभाषा श्रमशक्ति ही रहती है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर उससे काम करवाया जा सकता है। किसी देश का यह आयु वर्ग उस देश की श्रमशक्ति कहलाता है।

जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 3.45 करोड़ श्रमिक है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 33.3 प्रतिशत है। उनमें से 2.50 करोड़ पुरुष तथा 95 लाख महिलाएं है।

वर्ष 2001 और 2011 के जनगणना के आंकड़ों की तुलना करने पर दिखता है। कृषि कार्यों और गृह उद्योग में लगी श्रमशक्ति के हिस्से में बहुत अंतर नहीं था। बिहार में पुरूषों और महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर) सम्पूर्ण भारत के औसत से कम है।

बिहार में महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर संपूर्ण भारत के औसत की तुलना में कम थी। ग्रामीण क्षेत्र में 4 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 6.5 प्रतिशत थी (2018–19)

श्रमशक्ति सहभागिता दर (2018–19)

राज्य	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
बिहार	73.5	4.0	40.6	69.7	6.5	39.2

स्रोत– सर्वाधिक श्रमशक्ति की रिपोर्ट

1.13 बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात एवं श्रमशक्ति जनसंख्या अनुपात

पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है।

पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 13.9 प्रतिशत करोड़ इसी प्रकार शहरी बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 12.6 प्रतिशत था।

बिहार में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्र में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात अत्यंत कम था। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 4 प्रतिशत थी और शहरी बिहार में 5.7 प्रतिशत।

श्रमशक्ति जनसंख्या अनुपात (2018–19)

राज्य	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
बिहार	66.0	4.0	36.6	62.6	5.7	35.1

स्रोत– सर्वाधिक श्रमशक्ति की रिपोर्ट

1.14 बिहार में रोजगार का स्वरूप

रोजगार में मुख्य श्रेणियां है– स्वरोजगार नियमित मजदूरी, मजदूरी। वेतन और नियमित श्रम बिहार में नियमित संवैधानिक पुरुष श्रमिकों का अनुपात महज 9.7 प्रतिशत था, जो देश के सभी राज्यों के बीच सबसे कम था।

बिहार में 57.6 प्रतिशत पुरुष श्रमिक स्वनियोजित थे।

पुरुष श्रमिकों का रोजगार की स्थिति (2018–19)

राज्य	स्व श्रम श्रमिक नियोक्ता	घरेलू उद्यम में सहायक	समस्त स्वनियोजित	नियमित	अनियमित श्रमिक
बिहार	52.5	5.1	57.6	9.7	32.7

स्रोत– सर्वाधिक श्रमशक्ति की रिपोर्ट

स्वरोजगार के कार्यों में महिला श्रमिकों की संलग्नता (40 प्रतिशत) श्रमिकों की तुलना में बहुत कम थी। बिहार में नियमित मजदूरी/वेतन और अनियमित श्रम श्रेणियों वाली महिला श्रमिकों का बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में नियोजित था।

बिहार में पुरुषों और महिला श्रमिकों दोनों को अभी भी अधिकांश रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में मिल रहा है।

1.14.1 बिहार में रोजगार की प्रकृति– बिहार (छपरा सारण) में रोजगार की प्रकृति एक जैसा नहीं है। गांवों में निवास करती है, जो कृषि एवं इसके सहवर्ती कर्म पर ही निर्भर है। संसाधनों की कमीं, जनसंख्या घनत्व, निर्धनता, कमजोर आदि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रहने के कारण वहां सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी पायी जाती है। अतः रोजगार के लिए उन्हें बाजार पर ही निर्भर करना पड़ता है। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति बिल्कुल सीमित है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं।

शहरों के शिक्षित मुख्यतः तृतीय क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। शहरों में रोजगार के लिए नये–नये अवसर खुलते जा रहे हैं वहीं ग्रामीण बिहार (छपरा सारण) आज भी परम्परागत स्थिति में है। कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में मृतप्राय सिथति में है।

1.14.2 बाल मजदूर– बिहार राज्य गरीबी के कुश्चक्र में फंसा हुआ एक ऐसा राज्य है, जहां की समग्र गरीबी अनुपात 33.7 प्रतिशत था। (तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट) ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अनुपात 34.1 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 31.2 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में आय के साधन भी सीमित है। इसलिए गरीब परिवार के लोग मासूम बच्चों को भी आय के साधन के रूप में देखते हैं और उन्हें रोजगार में लगा देते हैं। इस संबंध में समाजशास्त्री एक मत राय यह देखते हैं कि निर्धनता से बाल श्रम को प्रोत्साहन मिलता है।

1.14.3 न्यूनतम मजदूरी की दरें– मजदूरी में असमानता हटाने के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी को कार्य प्रकृति के अनुसार छः श्रेणियों में विभाजित किया है–

कार्यश्रेणी–1 69 प्रकार के अनौपचारिक कार्य

कार्यश्रेणी–2 पापड़ और अगरबत्ती उद्योग, शौचालय निर्माण

कार्यश्रेणी–3 दवाओं की बिक्री प्रोत्साहन और योजना निर्माण

कार्यश्रेणी–4 घरेलू मजदूर

कार्यश्रेणी–5 पत्थर तुड़ाई और पिसाई, बीड़ी ईट निर्माण आदि

कार्यश्रेणी–6 कृषि कार्य

1.15 बिहार में बेरोजगारी ग्रामीण एवं शहरी

देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार राज्य में पायी जाती है। यहां ग्रामीण और शहरी पुरुष श्रमिकों के लिए बेरोजगारी अनुपात सम्पूर्ण भारत के औसत से काफी अधिक था। दूसरी ओर महिला बेरोजगारी दर ग्रामीण बिहार में मात्र 1.4 प्रतिशत और शहरी बिहार में 11.9 प्रतिशत था। शहरी बिहार में महिला श्रमिकों के लिए बेरोजगारी दर सम्पूर्ण भारत से अधिक थी।

1951 में बिहारी नियोजन एवं रोजगार में 7.37 प्रतिशत के आधार पर समस्त भारत में प्रथम सीान पर था। 1956 तक नियोजन एवं रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार की स्थिति भारत में प्रथम सीान में बनी रही थीं। परंतु 1960 के बाद नियोजन एवं रोजगार सृजन में कमी आने लगी। 1980 में नियोजन के मामले में बिहार का सीान 7वां हो गया। 1994–95 में बिहार का देश के कुल रोजगार सृजन में सिर्फ 5 प्रतिशत की ही भागीदारी रही। बिहार, झारखंड अलग होने के बाद नियोजन एवं रोजगार सृजन नहीं कर पाने में देश के निचले पायदान पर पहुंच गया है। बिहार में बेरोजगारी दर 30 प्रतिशत रिकार्ड (2020 में) स्तर पर पहुंच गई है।

1.15.1 ग्रामीण बेरोजगारी– बिहार की कुल जनसंख्या का 88.7 प्रतिशत गांवों में निवास करती है, जो कृषि एवं उससे संबंधी कार्य से जुड़ी हुए है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में जनसंख्या के अधिक भार हो जाने से अलग तरह की समस्या उत्पन्न कर दी है। वैसे भी गांवों में प्रच्छन्न बेरोजगारी पायी जाती है। गांवों में रोजगार का सृजन नहीं होने से वे आजीविका की तलाश में देश के अन्य हिस्से में चले जाते हैं।

1.15.2 शहरी बेरोजगारी– बिहारों के शहरों में लोग तृतीयक क्षेत्र के कार्यों में सर्वाधिक संख्या में संलग्न पाए जाते हैं, इनमें पटना में सर्वाधिक संख्या में लोग जुड़े हुए थे। शहरी शिक्षित वर्ग के लोग तृतीयक क्षेत्र के कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। शिक्षित बेरोजगारी दर रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। एक अनुमान के अनुसार उच्च शिक्षित में 60 प्रतिशत तक की बेरोजगारी है। सामान्य मूल स्थिति दृष्टिकोण (यूपीएस) के अनुसार 15 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी की दर (यू आर) ग्रामीण क्षेत्रों में 4.7 प्रतिशत तक शहरी क्षेत्रों में 5.5 प्रतिशत है।

अध्याय–दो

शोध अध्ययन

2. असंगठित श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन

विद्वानों द्वारा विभिन्न वर्ग एवं जाति के असंगठित मजदूरों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि उनकी एक अलग संस्कृति होती है, जिसे गरीबी की संस्कृति कहा जाता है। यह है आर्थिक समस्या के साथ साथ सामाजिक समस्या भी है। आज संपूर्ण विश्व के लिए यह एक सामाजिक नैतिक और बौदधिक चुनौती है क्योंकि संपूर्ण विश्व इस समस्या से किसी न किसी रूप में ग्रसित हैं। इसका बुरा प्रभाव लोगों के आर्थिक स्थिती के साथ साथ सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि विभिन्न अध्ययन के आधार पर यह बदलाव आया है कि गरीबों की एक अपनी संस्कृति होती है एवं इस अवधारणा के आर्थिक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को समझना होगा।

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी से तंग असंगठित मजदूरों का अध्ययन विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है, डॉ धर्मेन्द्र कुमार, डॉ विनोद कुमार, डॉ प्रदीप गुलिया इत्यादिः का भी ध्यान इधर गया है। इससे स्पष्ट होता है कि असंगठित मजदूर का सिर्फ आर्थिक पहलू ही नहीं होता बल्कि सामाजिक पहलू भी महत्वपूर्ण होता है।

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या का संबंध हैं ऐसे लोगों के समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रभावपूर्ण सहभागिता एवं एकीकरण से अलग थलग पड़ा है। अर्थात ऐसे मजदूर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह, हीन भावना से ग्रसित होने के कारण नहीं कर पाते। ऐसी हीनभावना पनपने के मुख्य कारण आर्थिक विपन्नता, सामाजिक डर, शंका, अशिक्षा एवं अन्य कारक है। ऐसा पाया गया है कि मजदूरों का राजनैतिक दल स्वयंसेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था, राजनैतिक संगठन इत्यादि से लगाव बहुत ही

कम या ना के बराबर रहता है। ऐसे मजदूरों के परिवार में विभिन्न तरह की आर्थिक एवं सामाजिक समस्या रहती है, जिससे वे समाज के मुख्यधारा में आने से बाध्य रहते हैं। स्वाभाविक है कि उनका आर्थिक एवं सामाजिक लगाव भी ऐसे लोगों एवं संगठनों से रहता है. जिसका महत्व सुसंस्कृत निमंत्रित किया जाता है एवं आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर पड़ती जाती है। सच तो यह है कि असंगठित मजदूर वर्ग सिर्फ अपनी समस्या अपनी स्थानीय हालात. अपना पड़ोसी एवं अपने ढंग से जीना चाहता है। ऐसे मजदूर ज्ञान, आदर्श, वर्ग जागरूकता इत्यादि नहीं जानते।

2.1 मजदूरों का वर्गीकरण एवं पुनरावृति

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के अन्तर्गत असंगठित मजदूरों के अध्ययन के क्रम में यह देखा गया कि मजदूरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से पांच प्रकार के हैं–

1. व्यवसाय आधारित श्रमिक (Occupation Based Labours)
2. रोजगार के प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत श्रमिक (Natural Empolyment Based Labours)
3. घृणित प्रकारर के कार्यों में संलग्न श्रमिक (Disressed Lategories Workers)
4. सेवा के कार्यों में संलग्न श्रमिक (Servicce Workers)
5. कृषि कार्यों में संलग्न श्रमिक (Workers Engaged in Agricultural Workers)

2.1.1 व्यवसाय आधारित श्रमिक (Occupation Based Labours)- बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के अन्तर्गत अधिकांश मजदूर लगभग 40 प्रतिशत अपने व्यवसाय के प्रति आश्रित है और रोज का व्यवसाय है जैसे– कृषि जन्य वस्तुओं, फल, आम, लीची, केला आदि से संबंधित व्यवसाय अंडा, मछली, दुग्ध आदि से मजदूरी की दरे भी निम्न हैं–

क्र. सं.	कामगारों की श्रेणी	वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरें	दिनांक 01.04. 2016	कुल 3+4	15% पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरें दिनांक 01.12.2016 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1.	अकुशल	144.00	62.00	206.00	30.90= 31.00	237.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	150.00	65.00	215.00	32.25= 32.00	247.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	183.00	79.00	262.00	39.30= 39.00	301.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	223.00	96.00	319.00	47.85= 48.00	367.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय लिपिकीय	4134.00	1778.00	5912.00	886.80= 887.00	6799.00 प्रतिमाह

2.1.2 रोजगार के प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत श्रमिक (Natural Empolyment Based Labours) - शोध अध्ययन में बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के असंगठित मजदूर का योजनानुसार रोजगार से संबंधित प्रकृति के आधार पर आज भी रोजगार सीिपित है, जिसकी संख्या 35 प्रतिशत है, जो अपने पुराने रोजगार पर आज भी आश्रित है, जैसे– लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, टोकरी निर्माण, कुम्हारगिरी, नाईगिरी, खिलौना निर्माण, मल्लाहगिरी, दर्जीगिरी, मूर्ति निर्माण, भेड़, बकरी, आटो रिक्सा आदि सभी प्रकार से रोजगार में दृष्टांत युक्त है और मिलने वाली मजदूरी की दरें भी निम्न हैं–

क्र. सं.	कामगारों की श्रेणी	वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरें	दिनांक 01.04. 2016	कुल 3+4	15% पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरें दिनांक 01.12.2016 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1.	अकुशल	138.00	59.00	197.00	29.55= 30.00	227.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	144.00	62.00	206.00	30.90= 31.00	237.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	176.00	76.00	252.00	37.80= 38.00	290.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	215.00	92.00	307.00	46.05= 46.00	353.20 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय लिपिकीय	3974.00	1709.00	5683.00	882.45= 852.00	6535.00 प्रतिमाह

2.1.3 घृणित प्रकार के कार्यों में संलग्न श्रमिक (Disressed Lategories Workers)

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के अन्तर्गत कुछ ऐसे असंगठित मजदूरों की संख्या है जो अपने रोजगार के लिए एक दूसरे के घर जाकर गणित प्रकार के कार्यों में संलग्न है जैसे– कपड़ा धोना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, मल मूत्र साफ करना आदि। इस प्रकार के मजदूर अपने रोजगार के प्रति मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी से अपने जीवन स्तर में सुधार करने की दिशा, दशा दोनों सुनिश्चित कर रहे हैं।

क्र. सं.	कामगारों की श्रेणी	वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरें	दिनांक 01.04. 2016	कुल 3+4	15% पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरें दिनांक 01.12.2016 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1.	बर्तन धोना (1 घंटा)	430.00	185.00	615.00	92.25= 92.00	707.00 प्रतिदिन
2.	कपड़ा धोना/ बर्तन धोना (1 घंटा)	430.00	185.00	615.00	92.25= 92.00	707.00 प्रतिदिन
3.	कपड़ा धोना/ बर्तन धोना/ एक हजार स्कवायर फीट में पोछा लगाना	430.00	185.00	615.00	92.25= 92.00	707.00 प्रतिदिन
4.	कपड़ा धोना/ बर्तन धोना/ बच्चों की देखभाल करना	3443.00	147.00	4909.00	736.35= 736.00	5645.00 प्रतिदिन
5.	कपड़ा धोना/ बर्तन धोना/ पोछा लगाना/ बच्चों की देखभाल करना /बच्चों को स्कूल छोड़ना एवं वापस लाना तथा अन्य घरेलू कार्य (8 घंटा)	3433.00	1476.00	4904.00	736.35= 736.00	5645.00 प्रतिमाह

2.1.4 सेवा के कार्यों में संलग्न श्रमिक (Servicce Workers)- शोध के परिणाम स्वरूप बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में सेवा क्षेत्र के विकास एवं रोजगार के अक्सर उपलब्ध हो रहे है। सेवा क्षेत्र में मजदूरों की सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। भारत के मानवीय संसाधन में आते हैं। बिहार हमारे देश का पिछड़ा राज्य है, जो विगत वर्षों तक गरीबी और बेरोजगारी का केन्द्र रहा है, जिसका प्रभाव सारण प्रमंडल के असंगठित मजदूरों पर भी पड़ा।

लेकिन वर्तमान में कुछ परिस्थितियां बदली है। दूरसंचार सेवाएं, यातायात सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वरोजगार की सेवायें इत्यादि के व्यापक प्रसार होने के कारण सारण प्रमंडल में पर्याप्त विस्तार हुआ है और मजदूरों को रोजगार काा अक्सर भी प्राप्त हो रहा है– सिल जैसे– निजी अस्पताल, नर्सिंगहोम, क्लीनिक्स, होटल, भोजन गृह, रेस्ताराओं, निजी सिक्योरिटी, कोरियर सेवा आदि में रोजगार प्राप्त हो रहे हैं।

क्र. सं.	कामगारों की श्रेणी	वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरें	दिनांक 01.04. 2016	कुल 3+4	15% पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरें दिनांक 01.12.2016 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1.	अकुशल	144.00	62.00	206.00	31.00	237.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	150.00	65.00	215.00	32.00	247.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	183.00	79.00	262.00	39.00	301.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	223.00	96.00	319.00	45.00	367.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय लिपिकीय	4134.00	1778.00	5912.00	887.00	6799.00 प्रतिमाह

2.1.5 कृषि कार्यों में संलग्न श्रमिक (Workers Engaged in Agricultural Workers)- छपरा सारण प्रमंडल में असंगठित मजदूरों का मुख्य रोजगार कृषि एवं कृषि से संबंधित लगभग 65 प्रतिशत प्राप्त हुई है और मिलने वाली मजदूरी की दर भी निम्न हैं–

क्र. सं.	कामगारों की श्रेणी	वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरें	दिनांक 01.04. 2016	कुल 3+4	15% पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरों की दरें दिनांक 01.12. 2016 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1.	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए	138.00	59.00	177.00	29.55=30.00	227.00 प्रतिदिन
2.	टैक्ट्रर चालक एवं पंप ऑपरेटर	4967.00	2136.00	7103.00	1065.45=1065.00	8168.00 प्रतिदिन
3.	टैक्टर खलासी/ पंप खलासी /चौकीदार /सिपाही	386400	1662.00	5526.00	828.90=829.00	6355.00 प्रतिदिन
4.	कटनी					
5.	कटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा					

2.2 रोजगार की कमी से आर्थिक समस्या

बिहार में सारण प्रमंडल उन प्रमंडल में अब्बल है जहाँ सर्वाधिक युवा आबादी है। यही सारण प्रमंडल की ताकत है। भावी इतिहास हमरा है आ शासकीय दवा इन्हीं नौजवान के कंधों पर टिका है। बदलते बाजार, कारोबारी के दौर के चुनौती से यही पीढ़ी मुकाबिल है, क्योंकि काम की तकनीक बदल रही है। इनके मन में एक सवाल आ रहा है कि क्या पढ़ने से कैसी नौकरी, मिलगी और जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उनके सामने एक ही सवाल है क्या करें, कहां रोजगार मिलेगा ? युवाओं के मन में कौधते सवालों का सही उत्तर उन्हें लक्ष्य की ओर ले जाता है। लिहाजा, ऐसा इको सिस्टम बनेगे कि हमारे युवा हुनरमंद बने जो हुनरमंद है, उनकी राह की रोड़े दूर हो जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमवीर को रोजगार प्राप्त हो सके।

यही ग्रपोच बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में दिहाड़ी करने वाले 32 प्रतिशत और स्वरोजगार के 54 प्रतिशत के आंकड़े को फ्लट देगा जिसमें रोजगार प्राप्त होगा और बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल की कुल आबादी कामकाजी आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा अनिश्चिता भरे असंगठित क्षेत्र में है।

2.3 परंपरागत रोजगार के कमी से मजदूरों की आर्थिक समस्या

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में भी गांव से रोजगार प्राप्त करने का अभी भी अहम् हैं, बेरोजगारी की समस्या का समाधान देने के लिए प्राचीन समय में गांव स्वालंबी हुआ करते थे। हर एक गांव में पर्याप्त काम करने का अवसर था जैसे कोई खेल में, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने में कोई सब्जियां उगाने में, कोई बाल काटने में इत्यादि। आज के आधुनिक युग में मजदूरों को बिना रूपये के काम करना पसंद नहीं इसलिए हर परम्परागत रोजगार खत्म सी हो गई है और मजदूर शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं।

दूसरी तरफ परंपरागत रोजगार एवं उनकी जातिगत रोजगार की दशा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जातिगत रोजगार की चर्चा करें, तो कुम्हार जाति ये परंपरा के वाहक है। परंपरा में रंग भर रहे हैं। लेकिन इनका जीवन बदरंग है। देश अब स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग हस्तकरघा वस्तु की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर

रहा है। विदेशी वस्तुओं को त्याग कर देशी वस्तुओं के उपयोग की अपील हो रही हैं। और अब थोड़ा–थोड़ा मिट्टी के वस्तुओंों का उपयोग लोग भारी संख्या में कर रहे है। जो अनेक व्यवहारों में इसका महत्व देकर कुम्हार जाति के परिवार हीं सार्थक बना रहे हैं।

वर्षो की परंपरा का निर्वाह कर आज के आधुनिक युग में भी लोग कुम्हारों द्वारा निर्मित मिट्टी के दीया, घड़ा ही उपयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद कुम्हार या अन्य जातिगत रोजगार के लोग अब धीरे–धीरे इस परंपरागत रोजगार को छोड़कर दूसरे व्यवसाय से जुड़ रहा है। सरकार के उदासीन रवैया से कुम्हार समाज ही नहीं अन्य समाज अपनी प्रथा एवम् परंपरा से दूर भाग रहे हैं। अपने बच्चो को इस पेशे से दूर कर रहे हैं। हालात ऐसे रहे तो बिहार अपरा (सारण) प्रमंडल में अगले कुछ वर्षो में इस समाज का पेशागत रोजगार विलुप्त हो जाएगा। सारण प्रमंडल के सिवान जिला के इस जाति से जुड़े लोगो का कहना है कि मिट्टी के वस्तुओं की बिकी पहले की तुलना में काफी घटी है। मिट्टी की वस्तु बनाने में काफी मेहनत एवं समय लगता है। लेकिन उत्पाद बेचने के बाद पसीने तक की कीमत नहीं मिलती हैं। ऐसे हालात में इस पेशे से जुड़े रहना काफी मुश्किल है। अपने बच्चों को इस पेशे से दूर रखेंगे। हमारे बच्चे अपना भविष्य बनाने में कोई भी पेशा चुने, लेकिन कुम्हार के पेशे से दूर रहे। इस पेशे से पहले की तरह आय नहीं होता। इस पेशे में रहकर परिवार चलाना मुश्किल है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो कुछ वर्षों के अंदर यह पेशा बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल से विलुप्त हो जाएगा।

2.4 रोजगार के प्रति सरकार का अंश

मिट्टी कला से जुड़े कलाकारों के लिए बनायी गई कार्य योजना, माटी कला बोर्ड के गठन से सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मिट्टी से जुड़े कलाकारों एवं उओमियों के आर्थिक विकास के लिए उपेन्द्र महारथी शिल्प संस्था के निदेशक के नेतृत्व में हीन सदस्यी समिति बनाई गई है। यह मिट्टी की कलाकृतियों की मांग बाजार एवं नवीनता को लेकर कार्य योजना सौपेगी। विधान परिषद के सदस्य रामेश्वर महतो ने भी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने को लेकर रूचि दिखायी है।

इस प्रकार उद्योग मंत्री शाहनावाज हुसैन ने कहा कि मिट्टी के कला से जुड़े जो लोग हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए सरकार प्रयास कर रही है। कुम्हार समाज के लिए सरकार चिंतित है।

2.5 बदलते परिवेश में रस्सी से जुड़े धानुक जाति के मजदूरों के आर्थिक समस्या

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के कुछ जातिगत मजदूरों की आर्थिक समस्या को देखने से अध्ययन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है कि धानुक जाति का पुश्तैनी पेशा सुतली काटना और उससे रस्सी बनाना है, लेकिन बदलते दौर ने इनका पुश्तैनी पेशा छिन लिया। इस कारण इसके समक्ष जीविकापार्जन के लिए एक चुनौती बन गई है, जिंदगी भी इस समाज के मजदूरों को इस रस्सी की तरह उलझ गई हैं।

दो दशक पूर्व सारण प्रमंडल के खेती के कार्यों में बैल की मदद से खेती की जाती थी, आज उसकी जगह ट्रेक्टर ने ले ली है। इससे कृषि कार्यों के लिए रस्सी, पगहा, गलजोरी, बरही आदि की जरूरत खत्म हो गई। परसन की रस्सी की जगह प्लास्टिक की आ गई। इस कारण कुछ वर्ष पूर्व तक समाज में बड़ी भूमिका निभाने वाले धानुक हासिये पर चले गए। एक जमाने में गांव के बड़े–बड़े किसान इस जाति के दरवाजे पर चक्कर लगाते थे, लेकिन अब रस्सी की मांग ही खत्म हो गई है। इस प्रभाव यह देखने को मिला है कि इस जाति के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे है या मजदूरी कर जीविकापार्जन करने में लगे हैं।

2.6 समय साथ बदल गयी मजदूर लोगो की माँग

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के मजदूरों का कहना है कि हमारी जिंदगी व रोज़ी–रोटी किसानों की खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई रही है, लेकिन कृषि कार्य के स्वरूप बदले के साथ हीं चीरे–धीरे इनकी रोजी–रोटी छिनती चली गयी।

पहले किसान बड़े पैमाने पर पटसन एवं सनई उगाते थे, जिससे धानुक जाति के मजदूरों को पटसन एवं सनई के रेशे मुहैया हो जाते थे। एक किलो तैयार करने में दो–तीन दिन लगता हैं। सारण प्रमंडल के मजदूरों का कहना है कि

सुतली तैयार करने में एक मजदूर को दो से तीन दिन लग जाते हैं। उस सुतली को बाजार में बेचे जाने पर 160–180 रू0 मिलते हैं। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा कोई अनुदान या प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिलता है, जिससे आर्थिक स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल से रस्सी, बरही, बरहा आदि की खरीदारी के लिए सारण प्रमंडल ही नहीं यूपी एवं पंजाब के व्यापारी यहां सं सुतली खरीदते थे। स्थानीय बाजारों में भी बहुत आसानी से बिक्री हो जाती थी।

2.7 बुनकर मजदूरों की आर्थिक समस्या

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत सिवान जिला के महाराजगंज प्रखण्ड के पसनौली गगन 80 के दशक में हस्तकरघा उद्योग के लिए चर्चित था। गांव मे हस्तकरघा एवं चरखे की खट–खट की आवाज की गूंज से गांव गुलजार हुआ करता था, लेकिन समय के साथ बाजार की कमजोर मांग ने पुश्तैनी धंधे पर विराम सा लगा दिया हैं। बुनकरों में बीरानगी छायी हैं। कुटीर उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाएं धंधे से जुड़े दर्जनों मजबूर आज खामोस दिख रहे है, रोजगार के अभाव में राज्य के अलावा दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गए हैं। साथ ही साथ पूंजी की मार पड़ गयी है। अतीत आइने में सिमटा पुश्तैनी धंधा समय के साथ धीरे–धीरे ठप पड़ता गया और बुनकर मजदूर गांव छोडकर अलग–अलग व्यवसाय में जुट गए कभी जनता धोती साड़ी की धूम मचाने वाला हस्तकरघा उद्योग की आवाज बंद पड़ गयी है। कपड़ा बुनकर प्रतिदिन अच्छी कमाई कर हंसी–खुशी जीवन गुजर बसर करने वाले बुनकर मजदूर फते हाल हैं। हालांकि कहने को गांव में इक्के–दुक्के आज भी चरखे से कपडे की बुनाई होती हैं। समय के फीके पड़े हस्तकरघा उद्योग से गाँव के करीब 200 (दो सौ) परिवार के मजकूर जुडे हुए थे, जो आज पूंजी के अभाव में मेरठ, मानपुर, दिल्ली, बनारस, कानपुर, कलकता आदि जगहों पर अपना हुनर दिखा रहे है। गांधी बुनकर सहयोग समिति के सदस्य काशीद हुसैन बताते हैं कि पूंजी के अभाव एवं सीमित कमाई के कारण बुनकरों ने इस धँधे से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने बताया कि 1980 में करीब 50 हैंडलूम से कपडे की बुनाई होती थी, महिलाएं चरखे से सूत काटने का काम करती थी। सभी परिवार के सदस्य इस कार्य में जुटे रहते थे। लेकिन अधिकांश चरखा आज बेहाल

पड़े हैं, ऐसे कई बुनकर मजदूर बताते है कि हैंडलूम कारपोरेशन से प्रति हैंडलूम जरूरत के हिसाब से कच्चा सूत उपलब्ध कराया जाता था, साथ ही बुने हुए कपड़ों को बचेने की जिम्मेदारी भी कारपोरेशन की ही होती थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत कर्मशाला यह आवास के लिए सरकार द्वारा भेजी गयी राशि तकनीकी कारणों से लौटा दी गयी। उस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री अनिल कुमार ने बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल का भी वितरण किया था। बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलायी जा रही है। लेकिन हस्तकरघा उद्योग भी ठप पड़ा हुआ है, जिससे आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है।

बिहार छपरा (सारण) प्रर्मडल के कई हुनरमंद कारीगर पुरस्कृत भी हुए। लेकिन मशीनीकरण के दौड़ में पर्याप्त पूंजी एवं सरकारी सहायता .के अभाव में पारंपरिक कुटीर उद्योग ठप पड गया है। इससे जुड़े सिद्धस्त बुनकर बेरोजगार हो गए हैं। इनका कहना है कि अगर इनके संरक्षण व संवर्द्धन की उचित व्यवस्था हो तो यह उद्योग एक बार फिर से जीवित हो सकता है। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अन्यथा बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल की हस्त करघा उद्योग सदा के लिए गुम हो जाएंगी।

यहाँ कारोबारी ने बताया कि सूती व ऊनी चादरों की बिनाई हस्तचालित हस्तकरघों से किए जाने के कारण व गुणवत्तायुक्त मजबूत व टिकाउ होती थी। सूती चादर की मांग गर्मी में तो ऊनी चादर की जाड़े में मांग बढ़ जाती थी। इससे दोनों मौसम में इतनी मांग रहती थी। कच्चा माल मांग के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में मांग के अनुरूप चादरों की आपूर्ति न कर पाने के कारण इस कारोबार में वे लोग पीछे पड़ गए। फलतः धीरे–धीरे रोजगार बंद होता चला गया।

2.8 निर्माण मजदूरों की आर्थिक समस्या

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत कुछ ऐसे गांवो को शोध अध्ययन में शामिल किया गया, जो पीढी दर पीढ़ी बस मजदूरी के लिए गांव खाली कर देते हैं,

रह जाते है सिर्फ बूढ़े और लाचार लोग। इस मुद्दे पर काम करने के लिए पति–पत्नी ही नहीं बच्चे भी साथ जाते. हैं। साल के छह महीने मद्दे पर काम करना है, तो बच्चो की पढ़ाई लिखाई की बात ही बेमानी है।

वैसे भी इनकी जिंदगी ठेकेदार के रहमोकरम पर होती हैं। सारण प्रमंडल के मजदूरों के कुछ ऐसे परिवार के सदस्य है, जो हमेशा मार–पीट करते हैं, सिर्फ इसलिए की उसने बाहर जाने से मना कर देते हैं। यह सब आम बात हैं। मजदूरों की वस्ती में जाकर देखे ही वेबरा चेहरों के पीछे पीढियों की दर्द भरी दस्ता है। कार्तिक मास आते–आते गांव खाली हो जाते हैं। मजदूर परिवार के साथ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उतर–प्रदेश, पश्चिम बंगाल खादि। राज्यों में ईट भट्टे पर काम करने चले जाते हैं। कुछ मजदूर बताते हैं कि हमारे दादा भी यहीं काम काम करते थे। फिर पिताजी और अब मैं स्वयं भट्टे पर मजदूरी के लिए बाहर जा रहा हूँ। अग्रिम के रूप में थोड़ी राशि मिल जाने से थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधर जाती हैं, राह तक के रूप में पर लौटकर आते हैं तो मजदूरी की रकम भोजन आदि के व्यवस्था में कर दी जाती है। हालांकि जो थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो कमा भी, लेते हैं। गांव के छोटे ठेकेदार को मेठ बोलते है। वहीं बड़े ठेकेदार के सम्पर्क में रहता है। अग्रिम राशि देने से लेकर भट्टे तक वहीं पहुंचाता हैं। यहीं के मेट का कहना है कि वे वर्षों से बाराबंकी (यूपी) असम में कार्यालय संचालित करने वाले बड़े–बड़े ठेकेकार के साथ काम कर रहे हैं। कोई मजदूर भागे नहीं, यह जिम्मेदारी मेट की होती है। भागने पर जुर्माना देना पड़ता है। मजदूर नेता का कहना है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर के बच्चे का कोई भविष्य नहीं रह जाता है। उसे भी आगे चलकर यहीं करना है, यहीं नियति है।

छह से आठ महीने तक पूरा परिवार बाहर काम करने भट्टे पर चला जाता है तो बच्चे कैसे पढ़ेगे? वे भी इसी काम में माता–पिता का हाथ बटाते हैं। थोडा बडा होते ही इसी काम में लगा दिया जाता है। उन्होने बताया कि आर्थिक समस्या से निजात पाने के लिए अग्रिम राशि भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यह सब देखने की फुर्सत किसे है? समाज की एक बड़ी आबादी छपरा (सारण) प्रमंडल के मजदूर आज भी मुख्यधारा से दूर है।

2.9 मजदूरों की सामान्य आर्थिक समस्या का कारण

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के श्रम शक्ति को हमेशा शिकायत रही है कि उसे उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। इसके विपरीत नियोक्ताओं को यह शिकायत रही है कि उन्हें कुशल श्रम शक्ति नहीं मिलती। इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने कौशल विकास योजना की शुरूआत की और विभिन्न क्षेत्रों में इच्छुक मजदूर लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है फिर भी अनेक मजदूरों को रोजगार का लक्ष्य पूरा करने में सरकार अनेक समस्याओं को झेल रही है जिससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है।

2.9.1 श्रम समस्याएं (Labour Problems) - श्रम समस्याओं का अभिप्रायः श्रमिकों की व्यक्तिगत समस्याओं तथा उद्योग धंधों से रोजगार से उत्पन्न आर्थिक सामाजिक समस्याओं से है। व्यक्तिगत पर ये समस्याएं कार्मिक संबंधों का रूप लिए होती है, जबकि सामान्य स्तर पर ये श्रम संबंधों का रूप लिए होती है। यह समस्या काम करने और रहने के वातावरणों के साथ–साथ अनुकूलता प्राप्त करने की क्रिया में ऐसी समस्याओं का आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन की प्रत्येक प्रणाली देखने को मिलता है। जब तक ये व्यवस्थाएं पैदा होना स्वाभिक है और मजदूर किसी भी व्यवस्था से वंचित रहता है तो बिहार छपरा प्रमंडल के असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या से आशय या तो व्यक्तिगत मजदूरी की निजी समस्याओं से उद्योग धंधों के रोजगार से उत्पन्न होने वाली सामान्य आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं से हो सकता है। बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में असंगठित मजदूरी की आर्थक समस्या का कारण निष्क्रिय मानवीय संसाधनों का प्रयोग आधुनिक तकनीकी की संचालन क्षमता के सृजन हेतु मानवीय पूंजी तथा खास समय में रोजगार का न होना, विकसित करने से संबंधित है।

कुछ आर्थिक समस्या ऐसी होती है, जो आर्थिक विकास की सामान्य समस्या से संबंधित है, ऊँची मजदूरी बनाम पूंजी निर्माण की समस्या तथा उच्ची मजदूरी बनाम रोजगार की समस्या। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सुविधाओं का विस्तार। ये सभी बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के असंगठित मजदूरों के आर्थिक समस्या काा कारण है।

2.9.2 स्थानीय सेवा श्रम व्यवस्था का न होना– बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत सिवान जिला के मेखा में अनुग्रह नगर स्थित राजेन्द्र कुष्ठ सेवा श्रम चिकित्सा का केन्द्र रहा है। इसकी स्थापना 1959 डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद तथा बाबा राघव दास की प्रेरणा में जगदीश दीन द्वारा की गयी थी। यहां कुष्ठों के लिए 200 बैड वाला अस्पताल बना। साथ ही कुष्ठ रोग के लिए विशेषण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया। यहां अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्र है, जिसके तहत कुष्ठ कला पहल निर्माण, प्लास्टिक उद्योग, सिलाई तथा बुनाई आदि का प्रशिक्षण कराया जाता था। इसमें 250 कार्यकर्ता कार्य करते थे। इसके लिए अनुदान की राशि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार को देने की सहमति थी लेकिन आज सरकार की उदासिन कदमों से बंद पड़ा हुआ जिसमें लगे स्थानीय मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

2.9.3 असंगठित मजदूरों का सामान्य आर्थिक कारण

तालिका संख्या–क	**ऋण ग्रस्ता की समस्या**
	बिहार राज्य में सरकारी रोजगार के दरवाजे तेजी से बंद हो रहे है, गैर सरकारी रोजगार के दरवाजे पूरी तरह खुले नहीं। अब स्वरोजगार मुहैया कराने की एक योजना का बंटाधार हो गया है। इस प्रकार सारण प्रमंडल में कृषक मजदूरों को फसल ऋण वाणिज्य बैंकों द्वारा दिया जाता है। अब सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक एवं वाणिज्य बैंक मिलकर कृषि से संबंधित लगे मजदूरों को पर्याप्त ऋण देने में सक्ष्म नहीं है, जिससे मजदूरों के प्रति आर्थिक समस्या बनी हुई है।
तालिका संख्या–ख	**रोजगार एवं काम की दशाएं**
	सारण प्रमंडल में असंगठित मजदूरों से शोध संबंधित अध्ययन रोजगार को यदि ध्यान में रखकर बात करे तो सबसे पहले स्थानी वस्तुओं की मदद् से उद्योग धन्धे लगाये जाए जैसे– आम, लीची, केला, तम्बाकू, मिर्च, आलू, प्याज, मछली, अंडा आदि से संबंधी स्थापना की जाए जैसा कि अन्य राज्यों में रोजगार देने के लिए पहल शुरू है, जैसे में आन्ध्र

	प्रदेश में मछली, गुजारत में नमक एवं मछली उद्योग, मध्य प्रदेश में कपास उद्योग विकसित किया गया। इस हिसाब से बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में भी विकसित करने की जरूरत है।
तालिका संख्या–ग	**मजदूरी और आय की समस्या**
	सारण प्रमंडल के मजदूर गांव एवं शहरों के उद्योग धंधों एवं व्यवसाय एवं प्रतिष्ठानों से मिलने वाले रोजगार ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि गांव और शहरों में आधारभूत संरचनाएं इतना विकसित नहीं है और जो बच्चों में हुए छोटे–बड़े उद्योग धंधे की स्थिति भी ठीक नहीं है जिससे मजदूरो को समय–समय पर मजदूरी नहीं मिलने के कारण उनकी आय की बचत कम दिख रही है।
तालिका संख्या–घ	**मालिक मजदूर के संबंध में असंतोष**
	प्रत्येक व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या तार्किक क्षमता अलग–अलग होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रायः सभी लोगों का व्यवहार अलग–अलग देखा जाता है। साथ ही कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किसी भी कार्य को करने की इच्छा रखता है तथा दिन प्रतिदिन कार्य के दौरान कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती है जो यथाशीघ्र उसका निदान निकालना कठिन हो जाता है। इसी सबको ध्यान में रखकर कभी मालिक और मजदूर का संबंध सारण प्रमंडल में भी अच्छा नहीं रहता है।
तालिका संख्या–ड़	**सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा का अभाव**
	मजदूरों की मानसिक शक्तियाँ विकसित करने तथा उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाने के लिए शिक्षित करने की आवश्यकता है। यहां के अधिकांश मजदूर तकनीकी शिक्षा के कारण अपने रोजगार से कभी कभी वंचित हो जाते हैं, जो कि मजदूरों के लिए तकनीकी शिक्षा का प्रसार आवश्यक होना चाहिए, जिससे अपनी सुरक्षा से लेकर अपनी

	कार्यकुशलता से रोजगार को और आगे बढ़ा सके।
तालिका संख्या–च	**मजदूरी में उपयुक्त स्तर तक वृद्धि नहीं होने के कारण**
	बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूर जो छोटे–बड़े उद्योग धंधों एवं व्यवसाय प्रतिष्ठानों में लगे हैं, उन्हें शान्ति बनाये रखने के लिए मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी जो उपयुक्त है वे बहुत अधिक आवश्यक नहीं है।
तालिका संख्या–छ	**उद्योग धंधों व्यवसायों एवं प्रतिष्ठानों में लाभ हिंसा नहीं होने के कारण**
	मजदूरों की अपनी क्षमता से होने वाली सभी प्रकार की छोटी–बड़ी वस्तुओं की उत्पादकता से लेकर उसमें मजदूरों के प्रति असंतोष दिख रही है जो मजदूर के कुछ लाभ के अंश के रूप में भागेदारी होनी चाहिए। वे यहां नहीं है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि अंशभागिता की योजनाएं लागू की जानी चाहिए।
तालिका संख्या–ज	**रहन–सहन और काम की दशाओं में सुधार की कमी**
	सारण प्रमंडल के कुछ असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या का एक बहुत बड़ा कारण मजदूरों के काम घंटों में कमी, लगभग सभी प्रकार के मजदूरों को काम घंटों से ज्यादा मजदूरी कर रहे हैं, जो मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। इस दशा में सुधार करने की जरूरत है।
तालिका संख्या–झ	**भर्ती प्रणाली में सुधार की कमी**
	सारण प्रमंडल में उद्योग धंधों एवं प्रतिष्ठानों में मजदूरों की जो स्थिति भर्ती होने को है। स्थायी रूप से कमी को पूरा करने की प्रक्रिया मध्यसीों और ठेकेदारों द्वारा भर्ती होने की प्रणाली है, जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, इससे मुक्त करने के लिए रोजगार दफ्तरों एवं सरकारी माध्यम से भर्ती पर बल दिया जाना चाहिए।
तालिका	**विकेन्द्रीत आधार पर कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना की कमी**

संख्या–त	रोजगार प्रणाली में सारण प्रमंडल के असंगठित क्षेत्रों से काफी संख्या में छोटे–बड़े उद्योग, व्यवसाय, निर्माण एवं प्रतिष्ठानों में रोजगार के प्रति आर्थिक समस्या का कारण यदि सभी मजदूरों को केन्द्रित कर दिया जाए तो आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
तालिका संख्या–थ	**मजदूरों को आपसी विवाद संबंधी अधिनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना**
	मजदूरों को अपने रोजगार से संबंधित कभी–कभी उद्योग धंधों व्यवसायों एवं प्रतिष्ठानों में विवाद हो ही जाता है। मजदूरों की संख्या का कम होना, कभी ज्यादा होना, कभी मजदूरी दर में कटौती कर मजदूरी देना, ये सभी समस्या मजदूरों के आर्थिक समस्या का कारण है। अब इन सभी विवादों से निजात पाने के लिए कुछ मजदूरों के लिए न्याय अधिनियम है, और इससे लागू कर देने में एक तो शोषण नहीं होगा और मजदूरों को आपसी विवाद से कार्यस्थल पर किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं होगा।

2.9.4 स्किल इंडिया से ना उम्मीद – मौजूदा केन्द्र सरकार ने स्किल इंडिया कार्यक्रम बहुत उत्साह से शुरू किया था, लेकिन उसके लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही और इसका नतीजा यह हुआ है कि अब संबद्ध मंत्रालय का कहना है कि भविष्य लक्ष्य ही निर्धारित किए जाएंगें और पूरी प्रक्रिया भंग के अनुरुप होगी, साधारण शब्द में लोगों को उन्हीं क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा जिसमें मांगी होगी, इसके साथ ही इस कार्यक्रम के तहत रोजगार का रिकार्ड भी बहुत खराब है, वर्ष 2016–17 में करीब 16.6 तथा 2017–18 में नौ फीसदी सफल प्रशिक्षु रोजगार पा सके हैं।

इस तरह से अभी गुणवता पूर्ण श्रमबल तैयार करने तथा बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने की प्रक्रिया बहुत चिंताजनक नजर आती है, यदि हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो, वोकेशनल प्रशिक्षण का मॉडल बुरी तरह से असफलता साबित हुआ है, कई अन्य सरकारी कार्य{मों की तरह स्किल इंडिया की चर्चा तो खूब हुई पर

आज हालत यह है कि छोटी अवधि के पाठ्यक्रमों के मॉडल भी कामयाव नहीं हो पा रहे है, जिसका असर बिहार छपरा (सारण) में छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों और उद्यम जरूरत भर रोजगार पैदा कर पा रहे हैं। ऐसे में सेवा क्षेत्र खासकर असंगठित क्षेत्र में पर भारी दबाव बढ़ता जा रहा है, जहां मजदूर गुजर–बसर की मजदूरी के कारण जिए जा रहे हैं।

2.9.5 कृषि का पिछड़ेपन एवं प्रसंस्करण उद्योगों में कमी – राज्य में कृषि उत्पादों को सुरक्षा, संरक्षण और प्रसंस्करण की उचित व्यवस्था नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का टोटा है। इसके अभाव में बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में हजारो करोड़ों रू0 की सब्जियां एवं फल बर्बाद हो जाते है। यह किसी भी किसान के हित में नहीं है। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है।

कृषि प्रधान बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में जलवायु के आधार पर जैव विविधता काफी है। इस कारण यहां विभिन्न प्रकार के फलों एवं सब्जियों का भरपूर उत्पादन होता है। बड़ी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है। किसानों और मजदूरों के अलावा कई अन्य तबके भी है, जो कृषि आधारित व्यवसाय कर अपनी जीविका चलाते हैं। कृषि उत्पादों को सुरक्षा, संरक्षण और प्रसंस्करण के उचित व्यवस्था के अभाव में बड़े पैमाने पर बर्बादी भी होती है। यदि इन्हें किसी भी प्रकार बचाकर उपयोग में लाया जाए तो छपरा (सारण) प्रमंडल के किसान और मजदूर खुशहाल हो सकेंगे।

2.9.6 खेत और बाजार की दूरी होने के कारण – बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल की किस्मत बदलने के लिए पारंपरिक कृषि से बाहर निकलकर इससे बाजार आधारित करना होगा तभी किसानों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के प्रति युवाओं और मजदूरों का भी आकर्षण बढ़ेगा। यह समझना हो कि किसान और मजदूरों की समस्या कृषि में ही निहित है और उसके अनुकूल माहौल बनाने की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। सारण प्रमंडल की कृषि अभी तक उत्पादकता आधारित रही है। राज्य सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया है। अब तक जो नीतियां बनी उसमें उत्पादकता केन्द्र में रही है। कभी भी कृषि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने पर जोर नहीं दिया गया। बाजार और कृषि दोनों में अभी भी काफी दूरी है। जब तक बाजार और खेतों

की दूरी पाटने के लिए नीति नहीं बनेगी, किसानों को बाजार से जोड़ने की कोशिश की जाए। इसके साथ यह भी कोशिश हो कि सारण प्रमंडल के उत्पादकों का अधिक से अधिक निर्यात हो। सारण प्रमंडल में कई वस्तुएं हैं जिनका हम आसानी से निर्यात कर सकते हैं, जिससे किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो सकता है, जिसे आर्थिक समस्या को मात दे सकते हैं।

दूसरी तरफ बिहार की समस्या और जटिल है, क्योंकि एक तरफ उद्योग एवं फल कारखाने का विकास नहीं होने से करीब तीन चौथाई आबादी ही नहीं बल्कि मजदूर भी अपनी रोजगार का साधन भी मुख्य रूप से मान रहे है। बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होने की बजह से प्रति व्यक्ति भूमि भी कम है। पर बिडंबना यह रही कि एक तरफ हरियाणा, पंजाब जेसे राज्यों में जहां बेहतर उद्योग एवं फल कारखाने होने के बावजूद भी कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग थे। विकसित कर अधिकतम भू–दोहन किया, वही दूसरी तरफ बिहार जैसे अपनी उपजाऊ भूमि को समुचित उपयोग तक नहीं करते जब शहरी क्षेत्र में ही रोजगार की समस्या मुंह बाये खड़ी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी विस्फोटक स्थिति का गहन कल्पना की जा सकती है। गांव के युवा वर्ग रोजगार की खोज में अंधा धुंध बड़े शहरों एवं तुलनात्मक रूप से विकसित राज्यों की ओर भाग रहे हैं और बड़ा भी उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। समावेशी और संतुलित विकाय के लिए आवश्यक है कृषि पर आधारित व्यवसाय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके ग्रामीण परिवेश में भी रोजगार सृजन हो, इस दिशा में व्यवसायिक और योजनाबद्ध तरीके से रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम लागू करना होगा जैसे– पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, दूध उत्पाद आदि।

2.10 नोटबंदी से रोजगार पर प्रभाव

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अंतर्गत असंगठित क्षेत्र मे नोटबंदी का तात्कालिक प्रभाव दैनिक साप्ताहिक मजदूरी पर काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर एवं अप्रत्यक्ष सेक्टर और गरीब परिवार के मजदूरों पर पड़ा है। नकदी लेन–देन में आए उस व्यवधान का बुरा असर पड़ा है।

रबी फसल की बुआई का सत्र शुरू हो गया है। ऐसे मे यह समय अधिकांश नकद पर आधारित कृषि व्यवस्था के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। बीजों से लेकर खादों तथा कीटनाशकों की खरीदारी, कृषि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान और उत्पादों की बिक्री आदि सभी नकद मे आता है। शोध अध्ययन में सामने आ रहे हैं कि सारण प्रमंडल में नकदी के कमी के कारण आने वाले दिनो मे नोट बंदी से रोजगार पर बहुत बुरा असर पडेगा जिससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, खेत श्रमिकों छोटे कारोबारियों के रोजगार छिने जाएंगें।

यदि असंगठित क्षेत्र और जरूरी चीजों की कीमतो पर नोटबंदी के प्रतिकूल प्रभाव को ठीक ढंग से नियंत्रित नही किया गया तो यह कदम मजदूरी के आर्थिक समस्या का कारण बनेगा।

2.11 कोविड–19 कोरोना संक्रमण का प्रभाव

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में कोरोना संक्रमण का प्रभाव गरीब मजदूर, दिहाड़ी पर जिंदगी जीने वाले मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। लॉकडाउन के समय शोध अध्ययन के क्रम जो तस्वीरे सामने दिख आ रही थी, सिर्फ रोजगार की समस्या ही नहीं उन मजदूरों को ऐसी कहानियां और दृश्य सामने हैं जो भूखे, प्यासे उनके साथ बच्चे जिनके साथ क्या गुजरा जो यह साबित करती है कि सरकार की सारी कल्याणकारी योजनाएं इनके लिए झूठे है, जुमले हैं और फिजूल है। बिहारर राज्य में मजदूरों का दुख–दर्द और अंतहीन पीड़ा उनकी समस्या को देखकर राज्य के प्रति बनाया गया सारा सौन्दर्य बोध, सारा शाक्ति बोध कूड़ा लगने लगता है। यह कहानी गरीब मजदूर दिहाड़ी मजदूर के दर्द का है। यह देश और राज्य है स्किल और मेंक इन इंडिया का नये भारत का है जो रोजगार ही नहीं इनकी सही व्यवस्था नहीं हो पाया है।

2.12 प्रवासिता/पलायन

लोगों का आना जाना नहीं रुक सकता है। बेहतर की तलाश आदमी की फितरत है। इसके तमाम आर्थिक सामाजिक कारण हैं लेकिन जब रोजी रोटी के खातिर आदमी को सरजमी छोड़ना पड़े तो यह पलायन चिंता का विषय होता है।

इसमें व्यवस्था कोमा बेचारगी का पुट है। यह शोषण की पृष्ठभूमि रस्ता है क्योंकि काम की तलाश व्यक्ति अपनी शर्तों पर नहीं कर पाता है। यह स्थिती तब पैदा होती है जब माटी के रोटी पर स्रोत सीमित हो। सारण प्रमंडल से बाहर जाने वाली आबादी का एक हिस्सा इसी कमजोरी का शिकार है। सारण का औद्योगिक विकास भी नगण्य है। लिहाजा खेती पर अत्यधिक दबाव है। खेती भी प्रकृति पर निर्भर है। कुल मिलाकर सारण प्रमंडल के असंगठित मजदूरों को काम के अवसर सीमित हैं। लिहाजा दूसरे राज्यों में ज्यादा मजबूरी है। फिक्र इस बात की है कि देश हो या दुनिया में आज हुनरमंद हाथी की मांग है, लेकिन हमारे सारण प्रमंडल के असंगठित मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा अप्रशिक्षित, ऋण की समस्या, रोजगार की कमी, उद्योग धंधों का पतन आदि होने के कारण लिहाजा पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहे है और बिहार छपरा सारण प्रमंडल के असंगठित मजदूरों को कहीं नजर नहीं आ रही है। रोजगार की किरण जो यहाँ के अधिकांश मजदूर कमाई के लिए घर छोड़ना एक रास्ता मान रहे हैं। लगभग 70 प्रतिशत प्रवासिता (माइगेशन) पलायन ग्रामीण इलाकों से और 30ः प्रवासी ता माइग्रेशन शहरी इलाकों से बाहर जाने वालों में 29 प्रतिशत बेहतर सैलरी एवं अच्छे रोजगार के लिए, 64 फीसदी मजदूर अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए छोड़ रहे हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या 04 प्रतिशत दिख रही है जो राज्य का 7.5 प्रतिशत है जो अन्य राज्यों मजबूत किया जैसे– गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों को।

दूसरी तरफ शोध अध्ययन के समय सारण प्रमंडल में देखने को मिला कि पलायन ने ही केरल को मजबूत किया। केरल ने अपने मैनपावर को हुनरमंद बनाया। यहाँ के मजदूरों की मांग विदेश एवं खाड़ी देशों में बढ़ी। यह पेट के लिए पलायन नहीं था। नतीजा यह हुआ कि विदेशों और खाड़ी देशों में सैलरी उनकी बड़ी। लेकिन प्रश्न जो यहाँ उपरा सारण प्रमंडल के मजदूरों से है ये सच में कई दशकों से सारण प्रमंडल से मजदूर अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं, जिसका यहाँ के मैनपॉवर, हुनरमंद और रोजगार से आश्रित हैं, जो आए दिन पलायन होते नजर आ रहे हैं जो हम एक चित्र के माध्यम से दिखा रहे है।

अध्याय–तीन

अध्ययन के उद्देश्य एवं परिचय

जहाँ एक ओर बिहार कलाकारों साहित्यकारों, कवियों, चित्रकारों की भूमि रही है। वहीं दूसरी ओर यह महान क्रांतिकारियों की भी जननी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्लासी युद्ध से लेकर 1947 तक बिहार का अपना विशाल योगदान रहा है। बिहार वस्तुतः केवल भौगोलिक हृदयस्थली नहीं बल्कि भारत का मानस स्थल है। यहीं से सम्पूर्ण भारत में जागरण चैतन्यता व सांस्कृतिक तेज का भाव संचित होता है। यह राज्य एक तरफ झारखण्ड, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, तीसरी तरफ नेपाल, चौथी तरफ पं0 बंगाल की सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत की संस्कृति में बिहार जगमगाते दीपक के समान है, जिसका प्रकाश की सर्वथा अलग प्रभा और प्रभाव है। विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का जैसे आकर्षक गुलदस्ता है। बिहार राज्य जिसे प्रकृति ने राष्ट्र की वेदी पर जैसे अपने हाथों से सजाकर रख दिया है, जिसका सतरंगी सौन्दर्य और मनमोहक सुगन्ध चारों ओर फैल रहे हैं। यहां के वातावरण में कला साहित्य और संस्कृति की बहुमयी युवास रहती है। यहां तैरती रहती है, यहां के लोक समूहों और विभिन्न जाति समूहों में प्रतिदिन नृत्य, संगीत, गीत की रसधारा सहज रूप से फूटती रहती है। यहां का हर दिन पर्व की तरह आता है और जीवन में आनंद रस घोलकर स्मृति के रूप में चला जाता है।

शोध अध्ययन क्षेत्र बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के परिवंशात्मक अध्ययन से संबंधित है। छपरा (सारण) प्रमंडल बिहार का सबसे पश्चिम में अवस्थित सिमांत प्रमंडल है। आजादी के बाद छपरा (सारण) प्रमंडल में सिवान, गोपालगंज दोनों जिला का हिस्सा था, जो 1971 में सिवान 19 गोपालगंज जिला के रूप में अस्तित्व में आया, इन प्रमंडल के तीनों जिला, छपरा (सारण), सिवान गोपालगंज का क्षेत्रफल अलग–अलग है। छपरा (सारण) 38.26 वर्ग मि0 1477 सिवान 22.19 वर्ग किमी0 एवं गोपालगंज 20.33 वर्ग

किमी तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या विवरण छपरा (सारण) का 3951862, सिवान 3330464 एवं गोपालगंज 25620.12 है। वहीं 2022 तक इन तीनों जिला का जनसंख्या अनुमानित दर इस प्रकार क्रमशः होगा, 4878178, 4111125 एवं 3162548 यह बहुत धनी आबादी वाला प्रमंडल है जिसमें तीनों जिला शामिल है। आघरा और गंड़क नदियों के बीच के एक समतल मैदानी भाग में बसा है। प्रतिभूमि कृषि कम होने तथा जोते का आकार छोटे होने के कारण छपरा (सारण) प्रमंडल के हजारों–हजारों की संख्या में विदेशों में खासकर अरब देशों में काम करते हैं और वहां से काफी रकम भेजते हैं। इसलिए सारण प्रमंडल के सिवान जिला को अर्थव्यवस्था को मनीऑर्डर इकोनोमी भी कहा गया है। बिहार में पटना के बाद बैंकों में सबसे अधिक पूंजी सिवान में ही है। प्रशासनिक आधार पर चार अनुमंडलों में बंटा हुआ है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से काफी सचेतन रहा है। जैसे– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना मजरहरूबहक आदि ने अनेक राजनीतिक नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया।

3.1 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के अन्तर्गत असंगठित मजदूरों का आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त अध्ययन के अन्य निम्न उद्देश्य हैं–

1. उत्तरदाताओं का ब्यारा तैयार करना।
2. मजदूरों पर होने वाले आर्थिक समस्याओं के कारणों एवं सूचकों की जानकारी करना है।
3. आर्थिक समस्या के भारत सरकार की नीतियों की जानकारी करना।
4. आर्थिक समस्या के विवरण की जानकारी करना।
5. आर्थिक समस्या निवारण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

इस शोध में मूल्यांकन शोध का प्रयोग किया गया है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए प्रयोगों के माध्यम से नवीन विचार के प्रयोग के लिए उज्जवल संभावना का विकास किया गया है। क्रिया शोध के माध्यम से नवीन विचारों की

मदद से मजदूरों की आर्थिक समस्याओं का समुचित रूप से चुनाव किया गया है। विस्तृत स्तर पर सफल विचारों एवं कार्य{मों की लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक दंगों एवं प्रविधियों का विकास किया है। बाल मजदूरों के सर्वांगीण विकास की गति को तीव्र बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में अपूर्ण आवश्यकताओं की प्रभावपूर्ण पूर्ति तथा इस पूर्ति के मार्ग में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करने तथा नवीन कार्यक्रमों को चलाने के समुचित अवर क्रिया शोध क्रिया द्वारा प्रदान किये गए है।

शोध आर्थिक सामाजिक अनुसंधान का वह विशिष्ट रूप है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय परिस्थिति में विशिष्ट परियोजनाओं को चलाते हुए वर्तमान आावश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तावित साधनों की प्रभावपूणता एवं उनके स्वीकृत होने पर कार्य प्रारम्भ किया जाता है। मूल्यांकन शोध क्षेत्र प्रयोग पर आश्रित चर एक विशिष्ट स्वरूप पहले ही निश्चित कर इसकी प्राप्ति की दिशा में सत्वामासी साधन के रूप में स्वतंत्र चर में परिवर्तन किया गया। मौलिक बौद्धिक अथवा सैद्धान्तिक अनुसंधान कुछ निश्चित मौलिक सत्यों का पता लगाने के लिए किया गया। किसी भी सिद्धांत की स्थापना हो जाने के पश्चात् इसकी उपयोगिता का आश्वासन किया। शोध के माध्यम से प्रदान किया गया। इस प्रकार मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य सत्य की स्थापना करना हैं जबकि मूल्यांकन शोध इस सत्य के उचित उपयोग के लिए आवश्यक दंगों एवं प्रविधियों को विकास करने का लक्ष्य रखता है। क्रिया शोध की विशेषताओं में स्पष्ट है कि यह क्षेत्रीय परिस्थितियों द्वारा संचालित किया जाता है तथा इसकी प्रकृति उपादेयतापूर्ण होती है। मूल्यांकन शोध का प्रथम चरण आधार रेखा सर्वेक्षण होता है। सूचनाओं के एकत्रीकरण के पश्चात् क्रिया की एक योजना तैयार की जाती है। क्रिया शोध में जब सहभागिता को अधिक महत्व दिया गया। इसको प्रोत्साहित करने के लिए लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क सीापित किया गया तथा विचार–विमर्श के पश्चात् स्थानीयों व्यक्तियों की समितियों का गठन किया गया।

3.2 अध्ययन की अवधि

प्रस्तुत अध्ययन का संदर्भ वर्ष 2017 से सम्बन्धित है, बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या के संदर्भ में अनुसूची की सहायता से आंकड़ें को एकत्रित करने का कार्य माह अप्रैल 2017 से प्रारंभ किया गया है।

3.3 परिकल्पना (Hypothesis)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाओं का परीक्षण किया है, जिसके परिणाम सकारात्मक साबित हुए है।

(क) असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्याओं को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं।

(ख) बिहार राज्य में श्रम प्रधान एवं परम्परागत समाज के व्यवसाय पर आधारित रोजगार के आधार पर असमानताएं प्रभावित करता है।

(ग) बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में संगठित मजदूरों की संगठन दलीय स्तर पर सहभागिता अधिक होती है।

(घ) बिहार राज्य श्रम प्रधान होने के परिणाम स्वरूप असंगठित मजदूरों की अपेक्षा संगठित मजदूर की सहभागिता में वृद्धि हुई है।

(ड़) सारण प्रमंडल में असंगठित मजदूर महिला, महिला मजदूर प्रतिनिधि महिला मुद्दे के प्रति संवेदनशील है।

(च) महिला मजदूर प्रतिनिधियों के निर्णय आर्थिक समस्याओं के प्रति कुछ हद तक पुरूष मजदूर से प्रभावित होती है।

(छ) ऐसे मजदूरों का सरकार के बीच अन्तःक्रिया की प्रकृति एवं विशेषताओं का मूल्यांकन करना।

(ज) सरकार की उदासीन एवं सम्वेदनहीन नीति के कारण असंगठित मजदूरों को सरकारी लाभ मिलने की सम्भावना भी कम हो सकती है।

3.4 पद्धति शास्त्र

वर्तमान अध्ययन बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या के सम्बन्ध में है। अध्ययन को व्यवस्थिति एवं सही दिशा देने तथा विवादपूर्ण दशाओं पर नियंत्रण रखने के लिए शोध प्रारूप का सहारा लिया गया है। जैसा कि विमल शाह ने अपनी पुस्तक रिसर्च डिजाइन एण्ड स्ट्रेटीजिस पेज 3–4 में स्पष्ट किया है कि शोध प्रारूप किसी भी अध्ययन की एक योजना है। अतः इसका आयोजन प्रत्येक अध्ययन में किया जाता है। चाहे वह अध्ययन नियंत्रित हो अथवा अनियंत्रिक भावनात्मक हो अथवा वस्तुनिष्ठ। इसके कई प्रकार होते हैं, क्योंकि आर्थिक सामाजिक घटनाओं की विविधता के कारण प्रस्तुत (Exploratory and Discriptive Research Design) का सहारा लिया गया है। जब किसी समस्या के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष की पर्याप्त जानकारी नहीं होती एवं शोधकर्ता का उद्देश्य किसी विशेष आर्थिक एवं सामाजिक घटना के लिए उत्तरदायी कारणों को खोज निकालना होता है, तब अध्ययन के लिए जिस शोध प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। उसे अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप कहते हैं। हंसराज ने लिखा है ''अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशिष्ट अध्ययन के लिए परिकल्पना का निर्माण करने एवं उससे सम्बन्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसकी सफलता के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है–

1. साहित्य का सर्वेक्षण (Revoew of Literature)
2. अनुभव सर्वेक्षण (Experience Survey)
3. सूचनादाताओं का चयन (Selection of Respondents)
4. उपयुक्त प्रश्न पूछना (Proper Guestioning)
5- अन्तदृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण (Analysis of Insight Stimulating Cases)

वर्णनात्मक शोध प्रारूप (Descriptive Research Design)

वर्णनात्मक शोध प्रारूप का उद्देश्य उसी अध्ययन के बारे में यथार्थ तथ्य एकत्रित करके उन्हें एक विवरण के रूप में प्रस्तुत करना होता है। आर्थिक

सामाजिक जीवन के अध्ययन से सम्बन्धित अनेक विषय इस प्रकार के होते हैं। जिनका अतीत में कोई गहन अध्ययन प्राप्त नहीं होता। ऐसे स्थिति में यह आवश्यक होता है कि अध्ययन से सम्बन्धित समूह अथवा विषय के बारे में अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें जनसामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अध्ययनों के लिए जिस शोध प्रारूप का निर्माण किया जाता है उसी को वर्णनात्मक शोध प्रारूप कहते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अध्ययन के अन्तर्गत विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्रारूप का मदद लिया गया है।

3.5 पद्धति एवं निदर्शन प्रारूप (Method and Sampling Design)

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या विषय पर किये गये अध्ययन का छपरा सीवान एवं गोपालगंज है। इन्हीं तीनों जिलो से 18 वर्ष एवं 60 वर्ष उम्र की सभी असंगठित जाति के 500 मजदूरों को उद्देश्यपूर्ण निर्देशन पद्धति एवं स्तरीय निदर्शन पद्धति से अध्ययन के लिए सूचनादाता के रूप में चुनाव किया गया है। सूचनादाताओं के चुनाव में इतना अवश्य ध्यान दिया गया कि एक से अधिक किसी भी परिवार के ऐसे मजदूरों का चुनाव न हो।

यद्यपित उद्देश्य निदर्शन पद्धति (Purposive Sampling Method) से सूचनादाताओं के चुनाव को कुछ लोग दोषपूर्ण मानते है फिर भी यह उपयोगी पद्धति के रूप में मानी जाती है। कारण इस पद्धति से चुनाव करने पर महत्वपूर्ण इकाईयों के छूटने की सम्भावना बिलकुल नहीं रहती। इस तथ्यों को गुडे एवं हॉट ने भी स्वीकार किया है। इस प्रणाली का आरम्भ इस आधारभूत मान्यता से होता है कि शोधकर्ता समग्र की सभी विशेषताओं से भलीभांति परिचित हो। वह अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर स्वयं यह निश्चित करता है कि समग्र में कौन इकाईयां प्रतिनिधि है। तथा अपना एक उद्देश्य विशेष बनाती है, जिनके आधार पर उसे प्रतिदर्श ग्रहण करना है।

शोधकर्ता को अध्ययन की सभी विशेषताओं की भलीभांति जानकारी रहने के कारण वह समग्र को कई इकाइयों में विभक्त किया और उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के साथ–साथ स्वरित निदर्शन पद्धति (Stratific Random Sampling) को भी सूचनादाताओं के चुनाव में सहारा लिया है क्योंकि उसे बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल असंगठित मजदूरों को सूचनादाता के रूप में चुनाव करना था।

स्चनादाताओं से तथ्यों को प्राप्त करने के लिए वैयक्तिक संरचित साक्षात्कार अनुसूची (Individual Structural Interview Schedule) को प्रयोग में लाया गया। यह साक्षात्कार की वह प्रविधि है जिसमें पहले से ही निर्धारित प्रश्नों का निश्चित सूची की सहायता से सूचनादाताओं से सम्पर्क सीापित करके उनका साक्षात्कार किया जाता है और प्राप्त उत्तरों का उसी स्थान पर आलेखन भी कर लिया जाता है। ऐसे साक्षात्कार का उद्देश्य सभी सूचनादाताओं समान प्रश्न करना होता है। यदि प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं होता तो साक्षात्कार की इस प्रविधि में प्रश्न को पुनः दोहराया जा सकता है। लेकिन शोधकर्ता को पूर्व निर्धारित प्रश्नों में किसी तरह का परिवर्तन करने की छूट नहीं होती। सच तो यह है कि ऐसे साक्षात्कार का उद्देश्य सम्पूर्ण अध्ययन में स्वरूपता बनाये रखना तथा प्राप्त उत्तरों का वैज्ञानिक आधार पर सारणीयन करके निष्कर्ष प्रस्तुत करना होता है।

अध्ययन में एकल अध्ययन पद्धति (Case Study Method) एवं प्रत्यक्ष अवलोकन (Direct Observation Method) से भी उपयोगी तथ्यों को एकत्रित किया गया है। पी0वी0 यंग के अनुसार CcCase Study Method किसी एक सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है, चाहे यह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, संस्था सांस्कृतिक समूह अथवा सम्पूर्ण समुदाय ही क्यों न हो। दूसरे शब्द में एकल अध्ययन पद्धति का तात्पर्य किसी भी एक आर्थिक, सामाजिक इकाई के समस्त पक्षों का व्यापक सूक्ष्म और गहन अध्ययन करना है। जिस प्रकार एक मनोचिकित्सक किसी रोगी के विषय में अत्यधिक गहन और व्यापक जानकारी प्राप्त कर बाहरी रोग का निदान और दवा का निवारण करता है, उसी प्रकार Case Study Method के अन्तर्गत भी शोधकर्ता विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में किसी इकाई का गहन अध्ययन करके कार्य कारण के सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयत्न

करता है। यह इकाई एक व्यक्ति एक समूहख एक संस्था, एक जाति, एक राष्ट्र या एक सांस्कृतिक क्षेत्र आदि कुछ भी हो सकता है।

दूसरी ओर प्रत्यक्ष अवलोकन पद्धति वह है जिसमें घटनाओं को स्वभाविक रूप से घटित होते उसी समय देखना है कि जब वे स्वाभाविक रूप से घटित हो रही होती है। Oxford Concise Dictionary में कहा गया है कि समग्र में घटित होने वाली घटनाओं के कार्य कारण सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए उन्हें यथार्थ रूप में देखना और लिखना ही प्रत्यक्ष अवलोकन है। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि हम किसी घटना को देखकर कार्य कारण सम्बन्ध की खोज न कर सके तो ऐसे देखने मात्र को अवलोकन नहीं कहा जा सकता। अतः स्पष्ट है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री को संकन करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है।

अध्ययन पद्धति के अन्तर्गत आवश्यक जानकारी के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त तथ्य संकलन के कुछ अन्य द्वितीयक स्रोतों को सामान्य सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

3.6 प्रकृति एवं विषय क्षेत्र

प्रस्तुत शोध की प्रकृति आवश्यक रूप से क्षेत्रीय हस्तक्षेप है। आरम्भ से लेकर अंत तक अधिक से अधिक विषयात्मक मनोवृत्ति अपनाते हुए क्रमबद्ध रूप से कार्य किया गया। अनुसंधान के अन्तर्गत वैज्ञानिक ढंग को अपनाकर कार्य करते हुए चुनावपूर्ण प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अपने कार्य का आरम्भ किया गया। विश्लेषक दृष्अि से वस्तुओं एवं घटनाओं को उनकी सम्पूर्णता समझकर एक विशिष्ट दृष्टिकोण तथा एक विशिष्ट प्रकार की अभिरूचि की दृष्टि से समझा गया। यहां पर यद्यपि एक जटिल आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में पाये जाने वाले तत्वों की परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखा गया। स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सरलता का आर्थिक से अधिक समावेश किया गया है। आर्थिक अनुसंधान के अन्तर्गत अत्यधिक प्रभावपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रों में कुछ ढंगों में प्रयोग के माध्यम से किये गए कार्यों से प्राप्त विभिन्न परिणामों में एकीकरण करने का प्रयास किया गया। यह एकीकरण केवल अध्ययन

के ढंगों के स्तर पर बल्कि विभिन्न विद्या विशेषज्ञों के स्तर पर किया गया। आर्थिक वास्तविकता के विभिन्न क्षेत्रों का अन्वेषण करके इनके विकास की प्रक्रियाओं का पता लगाया गया है। आर्थिक अनुसंधान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के चरों का प्रयोग किया गया। चर से यहां पर अभिप्रायः वस्तुओं, गुणों अथवा घटनाओं की ऐसी विशेषता गुण अथवा श्रेणी से है जो इसे निर्धारित किए गए विभिन्न आंकिक मान ग्रहण कर सकती है। जैसे आयु, धर्म, बीमारी, तथा चोरी करने की आदत इत्यादि। आर्थिक अनुसंधान के अन्तर्गत चरों के साथ कार्य करते हुए आवश्यकतानुसार इन्हें स्थिर रखा गया तथा परिवर्तित किया गया। असंगठित मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के अन्तर्गत अपनाई गई मनोवृति की यह विशिष्ट विशेषता है कि प्रत्येक कथन प्रत्येक सिद्धांत एवं स्वयं अथवा किसी अन्य के द्वारा कही गयी किसी भी बात की परीक्षा कसौटियों के आधार पर की गयी।

3.7 आँकड़ों के स्रोत

प्रस्तुत शोध का प्रारूप मूल्यांकनात्मक है, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया। प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्याओं से समस्याओं के प्रतिपादन मजूदरों के आर्थिक समस्या के संदर्भ में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों का वास्तविक मूल्यांकन, उत्तरदाताओं के जीवन के पार्श्वचित्र का विवरण तथा उत्तरदाताओं के विकास संरक्षण तथा रोजगार से जीवित रहने सम्बन्धी अधिकार के किस सीमा के प्राप्त हुए सभी तथ्यों के वास्तविक संग्रह के लिए मुख्यतः दो स्रोतों का प्रयोग किया गया। प्रथम प्राथमिक एवं क्षेत्रीय दूसरा द्वितीयक अथवा प्रलेखीय स्रोत। प्रलेखीय स्रोतों के एकत्रीकरण के रूप में पुस्तकों का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक आंकड़ों के रूप में व्यक्तिगत साक्षात्कार का उपयोग किया गया। सूचना के लेख स्रोत वे है जो प्रकाशित एवं अप्रकाशित दस्तावेजों के प्रतिवेदनों, सांख्यिकी, हस्तलेखों, पत्रों, दैनन्दियों इत्यादि के रूप में प्रयोग किए गए। व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करने हेतु मौखिक रूप से विचारों का आदान–प्रदान किया गया। साक्षात्कार के अन्तर्गत उत्तरदाताओं से उनके ज्ञान, अनुभवों, विचारों

मान्यताओं, रूचियों तथा प्राथमिकताओं इत्यादि के विषय के एक प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया गया। साक्षात्कार की प्रक्रियां के दौरान उत्तरदाता का सम्मेलन तथा उनके द्वारा प्रदान किया गया। सहयोग पूर्णरूपेण मजदूरों की उस स्वेच्छा पर आधारित था जिसे अनुभव एवं विनय के दंगों का प्रयोग करते हुए जागृत किया गया था।

इसके अतिरिक्त उत्तरदाताओं की समस्याओं, जरूरतों एवं अनुभवों को जानने के लिए सहभागी अध्ययन का सहारा लिया गया। यह उत्तरदाताओं की समस्याओं एवं उनके निदान को जानने के त्वरित तरीका है। कभी–कभी स्थानीय स्तर पर चर्चा करते समय विभिन्न सुझाव सामने आते थे। परन्तु समुदाय में रहने वाले परिवारों के संदर्भ में समस्याओं का उपचार वयस्कों द्वारा किया गया जिन्हें अन्य बिन्दुओं की स्पष्ट जानकारी नहीं थी। जिनका विकास उनकी भागीदारी नामक संकल्पना को विकसित करने पर एक स्वयं सिद्ध धारण उभर कर आयी कि मजदूरों की स्थानीय संस्कृति रीति–रिवाज मान्यओं समस्याओं एवं उनके विशिष्ट को मान्यता देनी ही होगी। इसके लिए समुदाय के स्थानीय समुदाय को जाने का प्रयास किया गया। चूंकि प्रत्येक साक्षात्कार प्रश्नावली में प्रत्येक क्यों उत्तर नहीं होता है, उसी क्यों का जवाब सहभागी अध्ययन द्वारा खोजने का प्रयास किया गया।

3.8 आँकड़ों का सम्पादन वर्गीकरण एवं सारणीकरण

प्रस्तुत शोध में आँकड़ों के सम्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रमुख रूप से निम्न कार्य सम्पादित किए गए–

1. आँकड़ों की विश्वसनीयता, यथार्थता तथा प्रमाणिकता की जांच की गयी।
2. अन्य संग्रह तथ्यों के साथ आंकड़ों की समरूपता की जांच की गयी।
3. आँकड़ों को एकरूपतापूर्ण ढंग से भरा गया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्गीकरण की प्रक्रिया का सार वर्गों अथवा श्रेणियों के विकास में निहित है। शोध के दौरान से प्राप्त मौलिक सामग्री को कुछ समूहों में

इस प्रकार विभाजित किया गया है कि वह अर्थपूर्ण प्रतीत होने लगे। यद्यपि कुछ श्रेणियाँ तो आँकड़ों से स्वयं ही प्राप्त हो गयी।

वर्गीकरण में निम्न नियमों का पालन किया गया–

1. अनुसंधान उद्देश्यों के लिये सार्थकता।
2. पूर्णता।
3. पारस्परिक पृथकता एवं स्वतंत्रता।
4. स्पष्ट परिभाषा।
5. श्रेणियों की व्यापकता।
6. सक्रियता।
7. वर्गीकरण का एक स्तर।
8. प्रबन्ध का एक स्तर।
9. प्राप्त उत्तरों को सारांशबद्ध किया गया।
10. सभी विशेषताओं को सम्मिलित किया।

3.9 विश्लेषण एवं विवेचन

विश्लेषण के द्वारा असंगठित मजदूरों के आर्थिक समस्या के संदर्भ में विचारपूर्ण आधारशिला की स्थापना की गयी। जिसकी सहायता से संकलित तथ्यों को उचित स्थिति एवं सम्बन्धों के रूप में व्यवस्थित किया जा सका। असंगठित मजदूरों के आर्थिक समस्या की रोकथाम हेतु आंकड़ों एवं किये गए प्रयासों की परिकल्पनाओं एवं सिद्धांतों के प्रकाश में देखने का प्रयास किया गया तथा ऐसे निष्कर्ष निकाले गए जिसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वय संभव हो सका।

प्रत्येक अनुसंधान प्ररचना पर आधारित है। अनुसंधान प्ररचना के बिना कोई भी शोधकार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। अनुसंधान का अर्थ है– स्थापित तथ्यों अथवा नये तथ्यों अथवा सिद्धांतों की खोज करना। वेवस्टर के अन्तर्राष्ट्री शब्दकोश के

अनुसार– सावधानीपूर्ण आलोचनात्मक पूछतांछ अथवा परीक्षण जो किसी तथ्य अथवा सिद्धांत की खोज के लिए किसी क्रम में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनुसंधान कहते हैं।

उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि अनुसंधान किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नये तथ्यों की खोज की जाती है। प्रत्येक सर्वेक्षण अथवा अनुसंधान वैज्ञानिक विधि तथा तकनीकियों के माध्यम से आंकड़ों के संग्रह की एक तकनीकियों के माध्यम से आंकड़ों के संग्रह की एक व्यवस्था है।

अनुसंधान प्ररचना निर्णय लेने से पूर्व की प्रक्रिया है जिसमें उसे लागू करना है। प्रत्येक अनुसंधान के निम्न चरण होते हैं–

1. समस्या का चयन
2. समग्र का निर्धारण
3. प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्शन
4. अध्ययन के उपकरणों का चयन
5. आँकड़ों का चयन
6. आँकड़ों का सारणीयन
7. आँकड़ों का विश्लेषण
8. प्रतिवेदन

वर्तमान अध्ययन में अनुसंधानकर्ता ने उपरोक्त अनुसंधान प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है। अनुसंधानकर्ता ने प्रतिदर्शन हेतु साक्षात्कार अनुसूची तथा सारणियों का भी प्रयोग किया है।

अ. प्रतिशत विधि– अध्ययन अवधि में बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के विभिन्न परिस्थितियों को जानने के लिए प्रतिशत की गणना की गई है।

ब. सारणीयन एवं रेखांकित प्रदर्शन– समंको का सारणीयन कर उनका यथा स्थान प्रदर्शन भी रेखाचित्रों के माध्यम से किया गया है।

स. सामान्तर माध्य, प्रमाप विचलन एवं विचरण गुणांक– असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मद मजदूरों के मजदूरी दरों में कमी एवं विभिन्नता को जानने के लिए सामान्तर मध्य प्रमाप विचलन एवं विचरण गुणांक का प्रयोग किया गया है।

सामान्तर माध्य

सूत्र– $$x = \frac{\Sigma x}{N}$$

जहाँ –

x = सामान्तर माध्य

Σx = पद मूल्यों का प्रयोग

N = कुल पदों की संख्या

विचरण गुणांक

सूत्र– विचरण गुणांक $= \frac{\delta}{x} \times 100$

जहाँ –

δ = प्रमाप विचलन

x = सामान्तर माध्य

प्रमाप विचलन

सूत्र– $$\delta = \sqrt{\Sigma d^2}$$

जहाँ –

δ = प्रमाप विचलन

d^2 = सा0मा0 से ज्ञात किये विचलनों का वर्ग

N = कुल पदों की संख्या

द. काई वर्ग का परीक्षण– अध्ययन क्षेत्र के मजदूर अपने वर्तमान कार्य जो परम्परागत है संतुष्ट नहीं है तथा इसकी सार्थकता की जानकारी प्राप्त करने हेतु काई वर्ग का प्रयोग किया गया है।

सूत्र–

$$x^2 = \left[\Sigma \frac{(f_b - f_e)x^2}{f_e} \right]$$

जहाँ –

x^2 = काई वर्ग का मूल्य

f_b = वास्तविक आवृत्ति

f_e = अमानत आवृत्ति

3.10 समग्र का अध्ययन

समग्र का अर्थ है सम्पूर्ण में से कुछ का चयन जो कि सम्पूर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत अध्ययन में बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या के क्षेत्र को समग्र के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रस्तुत समग्र में से 500 (पांच सौ) असंगठित मजदूरों के अध्ययन हेतु चयनित किया गया है।

अध्याय–चतुर्थ

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

समाज वैज्ञानिकों ऐसे मजदूरों के सम्बन्ध में बतलाया है कि इनका जीवन नीरस होता है। उनकी दुनिया कष्ट अभाव विचलन, भ्रष्टाचार एवं अमीरों की निष्ठुरता से भरी रहती है। इसके साथ ही ऐसे मजदूरों में भावनाओं और मानवीय संवेदनाओं की गहनता, व्यक्तिवादिता का सवाल भाव, प्रसन्नता की क्षमता, बेहतर जीवन की आशा, समझ एवं प्यार की आशा, अपने थोड़े से चीजों में हिस्सेदारी एवं तत्परता, अनसुलझे समस्याओं का सामना करने का साहस पाया जाता है। ऐसे मजदूर लोग विभिन्न तरह की आर्थिक समस्याओं एवं सामाजिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। उन्हें न अच्छा भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि की सुविधा नहीं मिलती है। उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बिलकुल दयनीय होती है। पुनीत (1982) ने कहा है कि ऐसे लोगों में भू–स्वामित्व का अभाव पाया जाता है, अर्थात् अधिकांश के पास न भूमि नहीं होती है और शिक्षा ऐसे लोगों में आधुनिक पेशा का अभाव पाया जाता है और हमेशा पिछड़ेपन के दौर से गुजरते हैं। आधुनिक पेशा एवं परम्परागत पेशा में जाने की न्यूनतम शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता का भी अभाव पाया जाता है। वर्तमान समाज में आधुनिकीकरण के कारण ऐसे मजदूरों की संख्या दिनो–दिन बढ़ती जा रही है।

त्वंत स्मूपे ने ऐसे लोगों के आर्थिक विशेषताओं के बारे में कहा है कि ऐसे लोगों में आर्थिक संसाधनों की कमी पायी जाती है। कम मजदूरी पाने एवं बेरोजगारी तथा अर्द्धबेरोजगारी के शिकार बने रहने के कारण उनकी गिनती निम्न आय वर्ग में होती है। सम्पत्ति का अभाव, घर में भोजन सामग्री की कमी एवं बचत माध्यम के घोर अभाव के कारण विभिन्न आर्थिक समस्याओं से ऐसे लोग ग्रसित रहते है। ऐसे लोगों को वृहद् आर्थिक व्यवस्था में सहयोगी बनने की सम्भावना कम रहती है। घोर आर्थिक अभाव में रहने के कारण विभिन्न कार्यों के लिए ऐसे मजदूरों को दूसरे से अनाज एवं पैसे लेने पड़ते हैं एवं उन्हें ऋण के साथ आपस करना

पड़ता है। ऋण पर पैसे देने वाले प्रायः पड़ोस, रिश्तेदार एवं साहूकार ही होते हैं। कभी–कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि इसके लिए उन्हें घर और जमीन बेचना पड़ता है। अभाव में जीने के कारण वे दूसरे दिया हुआ एवं फुटपाथ से पुराना वस्त्र एवं इस्तेमाल किये हुए पुराने बर्तन भी उपयोग करने का ऐसा अभ्यस्त हो जाते हैं। घर में अन्न की कमी हो जाने एवं कोई व्यवस्था न होने पर किसी दिन भूखे भी सपरिवार रहना पड़ता है। डॉ0 मुश्ताक अहमद ने भी अपनी पुस्तक "Poverty Among Dalitis (2001) में उपर्युक्त तथ्यों को ऐसे लोगों के बारे में सही पाया है। अर्थात् ऐसे मजदूरों की एक अपनी आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति होती है, जिसमें जीने के लिए वे अभ्यस्त हो जाते हैं।

भारत में प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज को विशेष महत्व देता है। यहां की मान्यताएं है कि बिना समाज के कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन सामान्य रूप से नहीं कर सकता है। भारतीय समाज सभ्यता का प्रमुख अंग है। असंगठित मजदूर इसी समाज की एक बुराई मानी जाती है। इस बात पर सोचने कके लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक तरफ इन मजदूरों पर दया दिखाते हुए असंगठित मजदूरों का शोषण मानते हैं और दूसरी तरफ विभिन्न रोजगार, व्यवसाय, घरों, ठेका एवं अन्य स्थलों पर इन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसे आर्थिक समस्या में वृद्धि हो रही है।

प्रस्तुत अध्याय बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। निदर्श असंगठित मजदूरों के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उसका वर्णन इस प्रकार हैं–

कुजनेट्स साइमन (1966)[1]

शोधकर्ता के अनुसार किसी भी देश की आर्थिक विकास को तीव्रगति से वृद्धि करने के लिए साधन के रूप में श्रमिकों की शिक्षा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। किसी भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश के लिए सबसे बड़ा पूंजी भंडार उसकी भौतिक सामग्री नहीं होती बल्कि निरीक्षण किये गये प्राप्त निष्कर्षों से इकट्ठा किये गए ज्ञान तथा इस ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग

करने की योग्यता एवं प्रशिक्षण में होता है। अतः मौलिक अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की जानकारी बढ़ाने व श्रमिकों की एकता को मजबूत बनाने की आवश्यकता श्रमिकों हेतु शिक्षा की उपयोगिता को जरूरी बनाते हैं। श्रमिकों की शिक्षा विशेषकर असंगठित श्रमिकों हेतु शिक्षा की अनिवार्यता के प्रति अर्थशास्त्रीयों को उपरोक्त विचार से सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। Kuznets Siman, "Process and problems of industrial of under developed countries" Indian Journal labour economics vol. 05 No. 04, Jan. 1966.

सेतुरामन एस0वी0 (1976)[2]

लेखक के अनुसार संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत नए उद्योगों एवं श्रमिकों के प्रवेश में कठिनाई होती है। अतः श्रमिकों की मजदूरी अधिक होती है क्योंकि वह संगठित होते हैं। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कम होने के कारण इनकी मजदूरी की दर कम होती है। तथा संगठन के आभाव में व शोषण के शिकार होते हैं। Sethuram S.V., "Urban Informal sector concept measurement and policy" Indian labour review vol. 144, no. 01, July.

मजूमदार दीपक (1977)[3]

लेखक ने संगठित एवं असंगठित श्रम क्षेत्र की भिन्नताओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार संगठित श्रम क्षेत्र में मजदूरी एवं रोजगार की निश्चित के कारण मजदूर सुरक्षित होता है। तथा उनके लिए शासकीय अधिनियमों की सुरक्षा भी होती है, जबकि असंगठित श्रम क्षेत्र की कमी श्रमिकों का बिखरापन कार्य की अनिश्चितता तथा कार्य दशाओं में अत्यधिक शोषण के कारण यह असुरक्षित तो होता ही है, संगठित क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में आय अत्यन्त अल्प होती है। Mazumdar Deepak, "The urban informal sector world staff working papers no 211 Washington, 1977.

पपोला टी0एस0 (1980)[4]

इन्होंने असंगठित नगरीय श्रम क्षेत्र को शहरी अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा मानते हुए उत्पादकता एवं आय में कमी का कारण उचित तकनीक एवं सुविधा का

अभाव अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। Papola T.S., "Informal sector concept and policy" Economic and Political weekly Vol. 15, No. May 3, 1980.

गगराडे, के0डी0 व गाठिया जी0ए0 (1983)[5]

इनके अनुसार नीति निर्धारकों व प्रबंधकों ने असंगठित श्रम क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों का ध्यान नहीं रखा तथा वे हमेशा उपेक्षित रहे हैं। उनके अनुसारण असंगठित नगरीय श्रम क्षेत्र के मजदूर हमेशा से शोषण के शिकार हुए है, उन्होंने असंगठित कार्य क्षेत्र जिसमें विभिन्न मजदूर कार्यरत है। विभाजित करने का प्रयास किया है। Gangrate K.D. and Gathiha G.A., "Women and child workers in uroganise sector", Concept publishing Comp. New Delhi, 1983.

मेहता मीरा (1983)[6]

इनका अध्ययन असंगठित नगरीय श्रम क्षेत्र से संबंधित भारतीय अवधारणों पर आधारित है। उन्होंने इस क्षेत्र की मूलभूत विशेषताओं एवं इस क्षेत्र का शेष शहरी अर्थव्यवस्था से संबंध पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार असंगठित क्षेत्र के श्रम क्षेत्र के आंतरिक ढांचे उसकी विशेष आर्थिक उपयोगिता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए क्षेत्र की गहन अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया है। Mehta Meera, "Urban informal sector concept section evidence and policy inflation economic and political" weekly Vol. 18, no. 50, Feb. 23, 1983.

अग्रवाल, बी0एस0 (1986)[7]

लेखक के अनुसार असंगठित श्रम क्षेत्र शोषित एवं असुरक्षित अवश्य है किन्तु यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ स्वरोजगार हेतु प्रेरक तत्व मौजूद है, उन्होंने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि असंगठित क्षेत्र में स्वयं के द्वारा छोटे रोजगार चलाये जाने की पूर्ण संभावना है, जिसमें हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक निदान संभव है। अतः सरकार को इस क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए। Agrawal, B.S., "Employment in the unorganized sector opportunities for self employment" man power journal Vol. 22, no. 02, July, 1986.

रोमटटे (1987)[8]

शोधकर्ता के अनुसार, महानगरीय अर्थव्यवस्था का असंगठित क्षेत्र के रोजगार एवं आज के अनुसार नवसृजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके अनुसार यह क्षेत्र सर्वथा बेरोजगारों को भी कार्य देता है। अतः एक पूण विकासात्मक नीति बनाकर निम्न वर्ग को भी लाभान्वित करने की योजना बनाते रहने की अपेक्षा सरकारी अधिनियमों को इन पर लागू करके उन्हें बैंक साख उपलब्ध कराकर इनका सहकारिता में विश्वास बढ़ाना चाही, इनका यह विश्लेषण कलकत्ता शहर के असंगठित नगरीय श्रम क्षेत्र के अध्ययन पर आधारित है। Romtat Emmaure, "Calculate informal sector and reality" Economic moepolitical weekly Vol. 20, No. 05, Feb 23, 1987.

मिश्रा, निर्मल (1988)[9]

इनके अनुसार भारत में असंगठित श्रम क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या संगठित श्रम क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक ज्यादा है, फिर भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत कमजोर है जो अपनी बातें नहीं मनवा पाते, इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार संबंधित विश्वसनीय आंकड़े मात्र संगठित क्षेत्र में ही उपलब्ध है जबकि यहाँ कुल श्रम शक्ति के मात्र दसवें हिस्से को रोजगार प्राप्त हुए है। Mishra, Nirmal, "Unorgnised labour India Yojana Vol. 32, No. May 01, 1988.

गुप्ता, नीलम (1990)[10]

शोधकर्ता का अध्ययन यह बताता है कि कामगार मजदूरों का एक बहुत बड़ा भाग कचरा बीनने के धंधा में है, कच्ची बस्तियों में काम करने वाली स्वयं सेवी और सरकारी संस्थाएं अगर चाहे तो इन मजदूरों एवं इनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पैसा बैंक में जमा करवाने की कोई नवीन व्यवस्था करा सकती, पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण धंधों को सहभागिता क्षेत्र में लाने की जो बात कहीं गई है, उससे भी मजदूरों का शोषण घटेगा। इन सबके साथ यह जरूरी है कि सरकार दूरदर्शन जैसे माध्यम पर विज्ञापनों के जरिए बालश्रम संबंधी कानूनों की जानकारी

मजदूरों को दें। गुप्ता नीलम, ''बाल श्रम समस्या और समाधान कुरूक्षेत्र नवम्बर, 1990 पृष्ट 76, नई दिल्ली।

गुप्ता जितेन्द्र (1997)[11]

इन्होंने ऐतिहासिक रूप से बालश्रम परम्परा औद्योगीकरण व औपनिवेशक शासन की देश है। जब ब्रिटेन औद्योगीकरण शुरू हुआ तो गांव से विस्थापित लोगों और उनके बच्चों को अपना पेट पालने के लिए 12–14 घंटे काम करना पड़ता था, इनके अनुसार वर्तमान विकासशील देशों में से अधिकांश द्वितीय विश्वयुद्ध के समय तक यूरोपी उपनिवेश थे तथा उनके कृषि, उद्योगों, व्यापार तथा कुटीर उद्योग अव्यवस्थ थे, जिसके कारण शहर की ओर गांव के जैसे– चाय दुकान, प्रिटिंग प्रेस, सायंकल एवं गाड़ी रिपेरिंग केन्द्र, जूता पालिश करने वाले, हार्कस, कूड़ा बीनने वाले इत्यादि है। Gupta Jitendra, "The Chimerision of child labour" Kurushhetra Vol. 42, No. 4, May, 1997.

सूर्यामूर्ति, आर0 (1998)[12]

शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में यह पाया है कि बीड़ी उद्योग एवं ईट भट्टा में कार्यरत मजदूरों की दशा दयनीय एवं निरस्तर की है। परन्तु इस स्थिति में वर्तमान सुधारों के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा सुधार हो रहा है। क्योंकि इन सुधारों से उनके परिवार की स्थिति कुछ संभल रही है। Soorya Murthi, Child work and working condition of labour inthree major cities social metion Vol. 48 No. 01 Jan. 1988.

कुंवर नीलिमा वर्मा एवं वंदना (1998)[13]

लेखकों के संयुक्त निर्देशकों के अनुसार मजदूरों की आर्थिक समस्या को खत्म करना आसान नहीं है, इसके लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे गरीबी अथवा बेरोजगारी, शोषण की प्रवृति, सामाजिक विचारधारा, नियमों तथा कानूनों को अप्रभावी ढंग से लागू करना, आंकड़ों की सही उपलब्धता न हो पुर्नवास तथा शिक्षा की व्यवस्था का आभाव होना। लेखकों ने अपने लेख में यह निर्देश दिए है कि यदि इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता तो कम अवश्य किया जा सकता है। कुंवर नीलिमा एवं वर्मा वंदना, ''ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मजदूरी'' कुरूक्षेत्र अगस्त, 1998 पृष्ठ 36, नई दिल्ली।

अग्रवाल, उमेशचन्द्र (2002)[14]

शोधकर्ता ने अपने लेख में यह सुझाव दिया कि समाज से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा तथा विषमताओं को दूर किये बिना मजदूरों को उनके बुनियादी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इस भयंकर असाध्य बीमारी को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या का भी नियंत्रण करना आवश्यक है। अतः मजदूरों के सुखद भविष्य और देश के नव निर्माण की कल्पना को साकार करने के लिए अब सच्चे मन से, श्रद्धा और निष्ठा और लगन से जरूरी उपाय करने होंगे, तभी कामयाबी की संभावना बन सकती है। ''मजदूरों के मौलिक अधिकार और वर्तमान स्थिति'' कुरूक्षेत्र नवम्बर 2002, पृ0सं0 22, नई दिल्ली।

खरे, आर0 के0 (2002)[15]

शोधकर्ता ने अपने लेख में यह पाया है कि दस पन्द्रह घंटे काम करके कम पैसे से अधिक मेहनत करके अपना श्रम बेचने वाले ये मजदूर मायूसी की जिंदगी जीने को बाध्य होते है, जिससे मजदूरों का कम मजदूरी पर काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। शिक्षा, खेल, स्वस्थ एवं सामान्य जीवन से वंचित ऐसे मजदूर गरीबी की चादर ओड़ दरिद्रता के पीढ़ी–दर–पीढ़ी जारी रहने वाले विनाशकारी चक्र का हिस्सा बनते जाते हैं। ''श्रमिकों की स्थिति कारण निदान'' पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स 807, जयपुर, पेज 30, 2003.

उपाध्याय, देवेन्द्र (2003)[16]

इन्होंने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि असंगठित बिखरा हुआ है, इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के सौदेबाजी की ताकत नहीं है। जिससे इनका निरंतर शोषण होता रहता है। खेत मजदूरी का काम स्थायी नहीं है, क्योंकि चक्र से उनका रोजगार प्रभावित होता है, खेती का काम मौसमी होने के कारण उन्हें छोड़ मौसम में दूसरे रोजगार तलाशने पड़ते हैं। असंगठित के श्रमिकों के पास सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है, कि इनकी जो आय होती है, वह गुजर बसर करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसकी बजह से इन्हें अपने परिवार के जीवन यापन के लिए और सामाजिक रीति–रिवाजों बच्चों के जन्म, विवाह एवं मृत्यु आदि

के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ''असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याएं और सामाजिक सुरक्षा'' कुरूक्षेत्र मई 2003, पेज सं. 6, नई दिल्ली।

वर्मा, उदय कुमार (2005)[17]

लेखक का अध्ययन यह बताता है कि असंगठित क्षेत्र में जितना विशाल और विभिन्नताओं से भरा होगा उतना ही इनकी समस्यायें भी विकराल होगी। इस कारण इससे जुड़े श्रमिकों की समस्याओं से निपटने का काम काफी चुनौती पूर्ण और कठिन है, किन्तु गरीबी, बेरोजगारी, ग्रामीण जनसंख्या नौजवानों कमजोर और वंचितों के लिए प्रतिबद्धता और अच्छाशक्ति के परिपूर्ण वर्तमान नीतिगत प्रयासों से जहाँ चाह वहां यह वाली कहावत चरित्रार्थ होती है, उन्होंने सुझाव दिया कि रोजगार सृजन, आधारभूत स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएँ और खाद्य सुरक्षा के बारे में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को यदि प्रभाव का तरीके से लागू किया जाए तो इस क्षेत्र को समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ''असंगठित क्षेत्र की चुनौतियाँ और न्यूनतम साझा कार्यक्रम'' कुरूक्षेत्र फरवरी, 2005 नई दिल्ली।

आलोका (2011)[18]

शोधकर्ता के अनुसार श्रम मंत्रालय को विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है, जो देश में कुल मजदूरों की संख्या का 93 प्रतिशत है, सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान लगभग 65 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय बचत में इनका योगदान 45 प्रतिशत है यही कारण है कि श्रम मंत्रालय समय–समय पर कानून बनाने की बात करता है। ''असंगठित श्रमिक विशेष कोष जरूरत क्रियान्वयन की'' योजना 9 सितम्बर, 2011 पृ0सं 37, नई दिल्ली।

राठी मेहश (2011)[19]

इनके अध्ययन के अनुसार अर्थव्यवस्था और उत्पादन के बदलते तरीको के साथ ही असंगठित क्षेत्र और कामगार की परिभाषा ही बदल जाती है। स्वरोजगार वाले व्यक्ति जैसे बेंडर्स अर्द्धव्यापारी जो हमारे लिए सुबह से लेकर देर रात तक सेवाएँ उपलब्ध कराते है और बगैर काम के घंटों के नियम की बाध्यता के कार्यस्थल पर बिना प्राथमिक उपचार सुविधा, पीने के पानी की कमी और शौचालयों

की अनुपलब्धता जैसी अभावग्रस्त एवं खराब परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं, यह भी इस असंगठित क्षेत्र के हिस्से में आते हैं। राठी महेश, ''सेवा क्षेत्र के असंगठित कामगार'' योजना सितम्बर, 2011 पेज सं0 29, नई दिल्ली।

दुबे, नीरज तृप्ति दुबे (2006)[20]

शोधकर्ता ने अपने अध्ययन मं यह सुझाव दिया है कि मजदूरों की आर्थिक समस्या से युक्ति अचानक संभव नहीं है। अतः सरकार गरीब परिवार के शिक्षार्थियों के लिए एवं ऐसे रोजगार की व्यवस्था करे, जिसमें शिक्षा एवं रोजगार साथ–साथ चल सके। एक व्यवस्था ये भी हो सकती है, कि शालाओं में स्वैच्छिक मूलक प्रशिक्षण के दौरान मजदूरों का सहायता में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त हो, जिसमें शिक्षोपरांत व स्वरोजगार की योग्यता से भी पूर्ण हो, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन आदि इस प्रकार के प्रयोग किये जा सकते हैं। ''श्रमिकों में अशिक्षा की समस्या'' कुरूक्षेत्र मई 2006, पे.सं. 16, नई दिल्ली।

बोरकर हेमलता (2006)[21]

लेखिका ने अपने अध्ययन में श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक दशा एक मूल्यांकन करते हुए स्पष्ट किया है, ऐसे श्रमिक परिवार का वृहत आकार, अशिक्षा एवं गरीबी है तथा श्रमिकों के सस्ते मजदूरी में उपलब्ध होना है। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए अनिवार्य शिक्षण संस्था एवं आर्थिक साधन उपलब्ध होने चाहिए। ''श्रमिकों के आर्थिक सामाजिक दशा एक मूल्यांकन'' छत्तीसगढ़ एसोसिएशन इकोनॉमिक द्वितीय एनुअल कानफ्रेंस नं. 18–20, 2006.

डॉ0 मुस्ताक अहमद ने भी अपनी पुस्तक "Porety Among Dalits (2001) उपयुक्त तथ्यों को ऐसे लोगों में सही पाया है।

पुनीत (1982) ने कहा कि ऐसे लोगों में भू–स्वामि का अभाव पाया जाता है, अर्थात् अधिकांश के पास भूमि नहीं होती है और शिक्षा ऐसे लोगों में आधुनिक पेशा का अभाव पाया जाता है और हमेशा पिछड़ेपन के दौर से गुजरते हैं। आधुनिक पेशा में जाने की न्यूनतम शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता का भी अभाव पाया जाता है।

अध्याय–पंचम

तालिकाओं का विवरण

तालिका संख्या–01 (सूचनादाताओं का व्यवसाय)

क्र.सं.	व्यवसाय के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	मजदूरी	164	51.25
2.	खेतीहर मजदूर	23	7.18
3.	छोटा व्यापार	08	2.5
4.	कोई काम नहीं	11	3.44
5.	स्वतंत्र पेशा	09	2.82
6.	जाति पेशा	105	32.82
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने पता चलता है कि 164 उत्तरदाता अर्थात 51.25 प्रतिशत मजदूरी करते है, 23 उत्तरदाता अर्थात 7.18 प्रतिशत खेतीहर मजदूर है, 8 उत्तरदाता अर्थात 2.5 प्रतिशत छोटा व्यापार करते है। 11 उत्तरदाता अर्थात 3.44 प्रतिशत कोई काम नहीं करने वाले है। 9 उत्तरदाता अर्थात 2.82 प्रतिशत स्वतंत्र पेशा का काम करता है, वहीं 105 उत्तरदाता अर्थात 32.82 प्रतिशत के मजदूर है जो अपने जातिगत पेशा के मजदूर है। अतः स्पष्ट है कि सबसे अधिक मजदूरी करने वाले मजदूर है जिनकी संख्या सबसे अधिक है।

ग्राफ संख्या–01

सूचनादाताओं का व्यवसाय

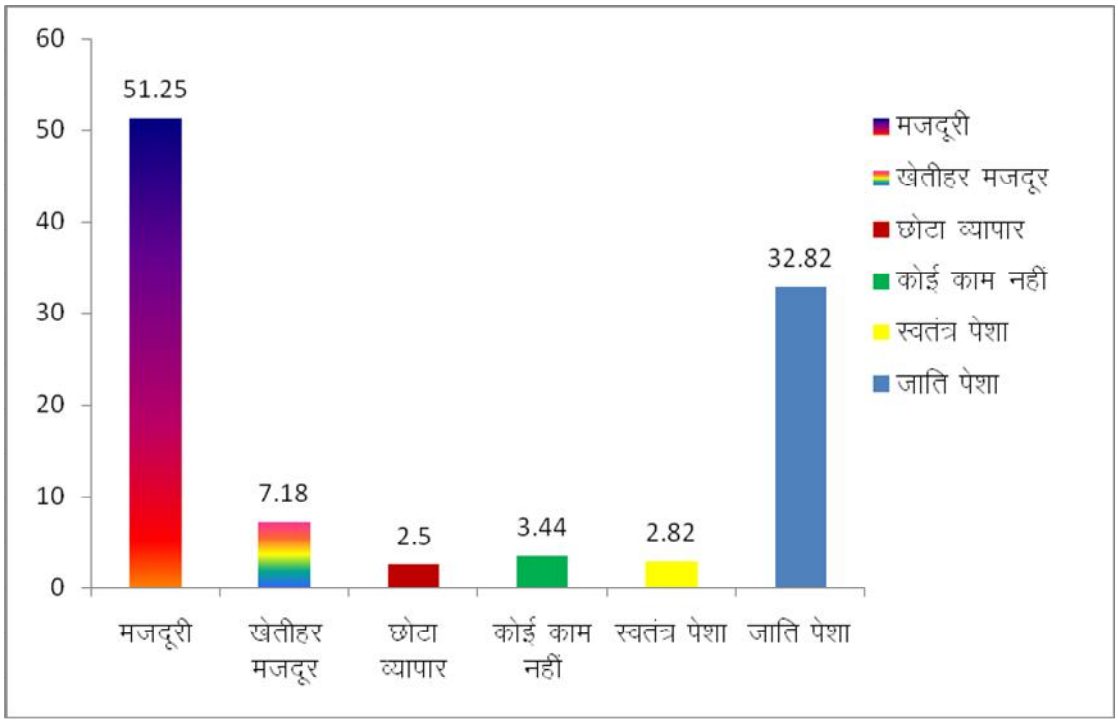

तालिका संख्या–02 (सूचनादाताओं की जाति)

क्र.सं.	जाति	संख्या	प्रतिशत
1.	अति पिछड़ा वर्ग	117	36.56
2.	पिछड़ा वर्ग	118	36.87
3.	अनुसूचित जाति	64	20
4.	सामान्य	21	6.56
	कुल	**320**	**100%**

भारतीय ग्रामीण समाज में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सम्पूर्ण ग्रामीण सामाजिक एवं आर्थिक संरचना जाति पर ही किसी न किसी रूप में आधारित है। सूचनादाताओं की ऐसी जाति का उल्लेख तालिका संख्या–01 में किया गया है। तालिका से स्पष्ट होता है कि सूचनादाता 320 में से कुछ 36.87 प्रतिशत है जो अपने पिछड़ी एवं 36.56 अति पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक 20 प्रतिशत अनुसूचित एवं 6.56 प्रतिशत जाति के सूचनादाता है।

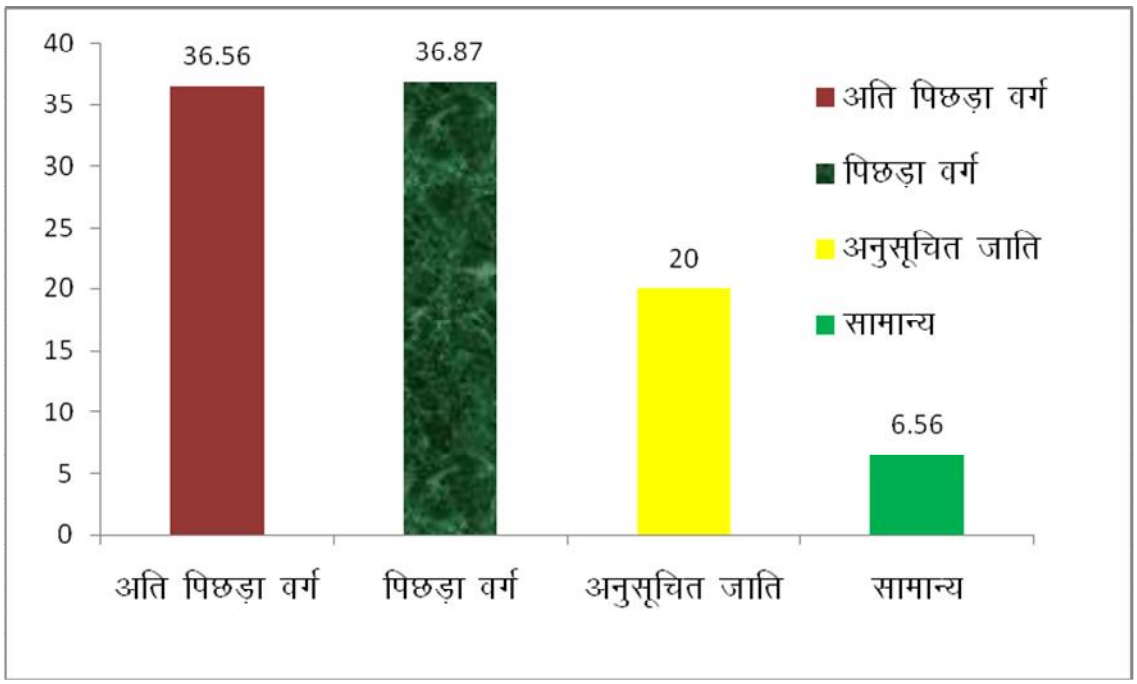

तालिका संख्या–03 (शिक्षा)

क्र.सं.	शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	116	36.25
2.	प्राथमिक	141	44.06
3.	हाईस्कूल	35	10.94
4.	इण्टरमीडिएट	17	5.31
5.	स्नातक	11	3.43
6.	अन्य	00	00
	कुल	**320**	**100%**

शिक्षा मनुष्य के जीवन का अहम पहलु है। उपरोक्त सारणी को देखने से पता चलता है कि 116 अर्थात 36.25 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित है। प्राथमिक स्तर तक उत्तरदाताओं की संख्या 141 अर्थात 44.06 प्रतिशत है, हाईस्कूल स्तर तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 35 अर्थात 10.44 है, इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 17 अर्थात 5.31 प्रतिशत वहीं अन्तर स्नातक शिक्षित उत्तरदाताओं की संख्या 11 अर्थात 3.43 प्रतिशत है। अतः स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर तक उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है।

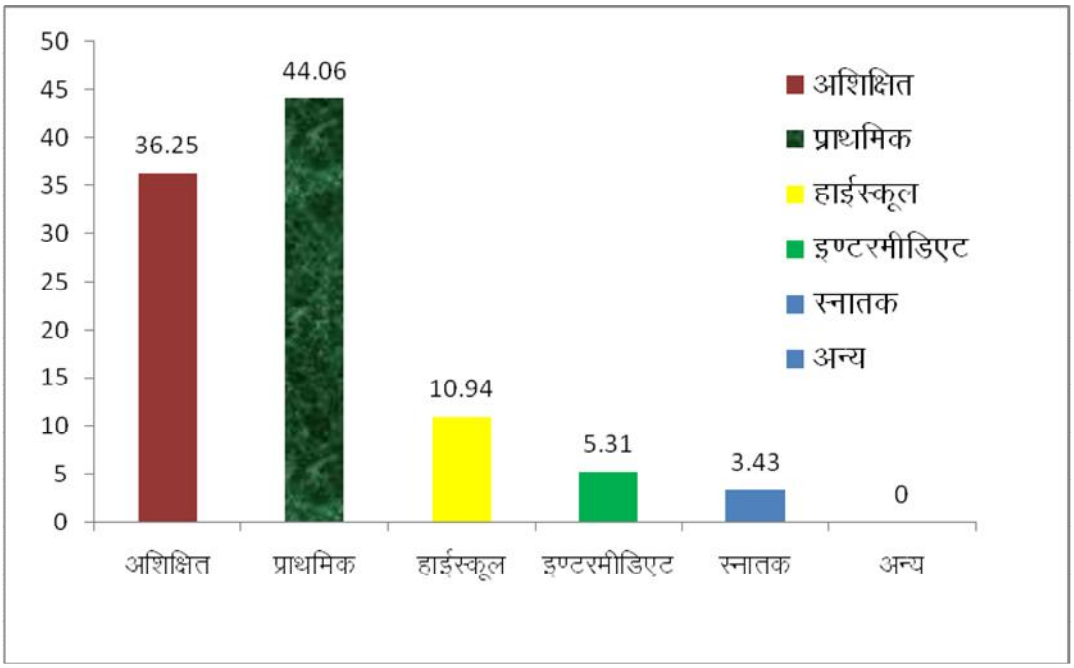

तालिका संख्या–03 (उम्र)

क्र.सं.	उम्र समूह	संख्या	प्रतिशत
1.	20 – 25	14	4.37
2.	25 – 30	22	6.87
3.	30 – 35	32	10
4.	35 – 40	85	26.56
5.	40 – 45	45	14.06
6.	45 – 50	70	21.87
7.	50 – 55	34	10.62
8.	55 – 60	18	5.62
	कुल	**320**	**100%**

सूचनादाताओं की उम्र की चर्चा तालिका संख्या–03 में की गयी है। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 20–25 वर्ष के 4.37 प्रतिशत, 25–30 वर्ष के 6.87 प्रतिशत, 30–35 वर्ष 10 प्रतिशतख 35–40 वर्ष के 26.56 प्रतिशत उम्र वाले है, 40–45 वर्ष के 14.06 प्रतिशत, 45–50 वर्ष के 21.87 प्रतिशत, 50–55 वर्ष के 10.62 प्रतिशत एवं 55–60 वर्ष उम्र वाले मात्र 5.62 प्रतिशत है अर्थात सबसे अधिक 35–40 वर्ष के उम्र वाले मजदूरों की संख्या है वही सबसे कम मात्र 5.62 प्रतिशत जो 55–60 वर्ष के है।

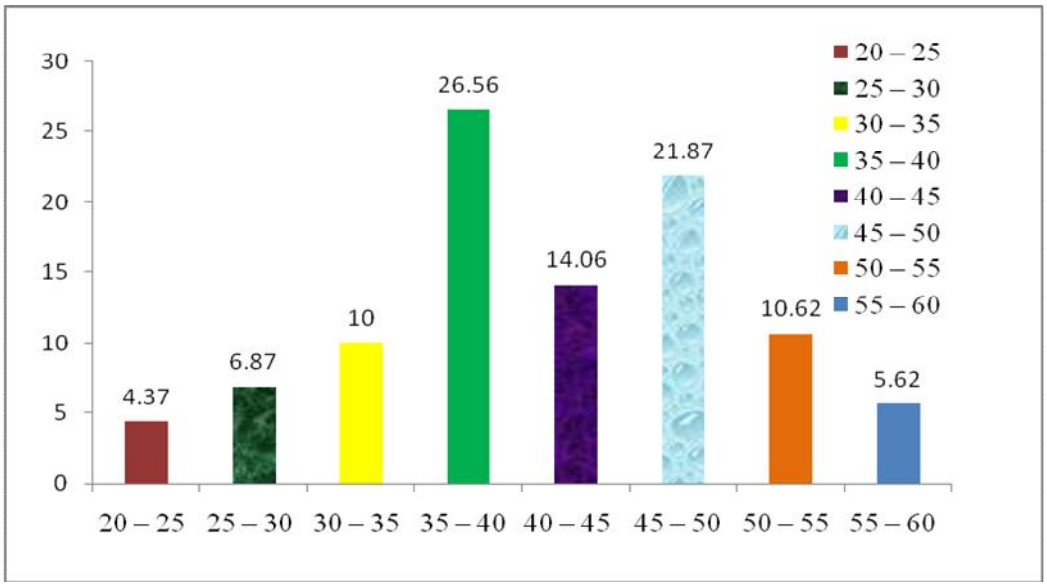

तालिका संख्या–04 (धर्म)

क्र.सं.	धर्म	संख्या	प्रतिशत
1.	हिन्दू धर्म	320	100
2.	बौद्ध धर्म	00	00
3.	इस्लाम धर्म	00	00
4.	जैन धर्म	00	00
5.	अन्य	00	00
	कुल	**320**	**100%**

धर्म संसार प्राकृतिक एवं विकास का परिणाम है, धर्म व्यवस्था सामाजिक विकास के क्रम में विकसित हुई। सुख–दुःख इसी शक्ति की प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता का प्रतिफल है। अतः अगर मनुष्य जीवन में सुखी रहना चाहता है तो उस आदि शक्ति को खुश रखना होगा। जिसका आधार पूजा, अर्चना एवं आराधना है। तालिका संख्या–04 में सूचनादाताओं के ऐसे ही धर्म की चर्चा की गयी है। अवलोकन से साफ पता चलता है कि सूचनादाताओं में सब 320 ऐसे है जो हिन्दू धर्म में विश्वास करते हैं।

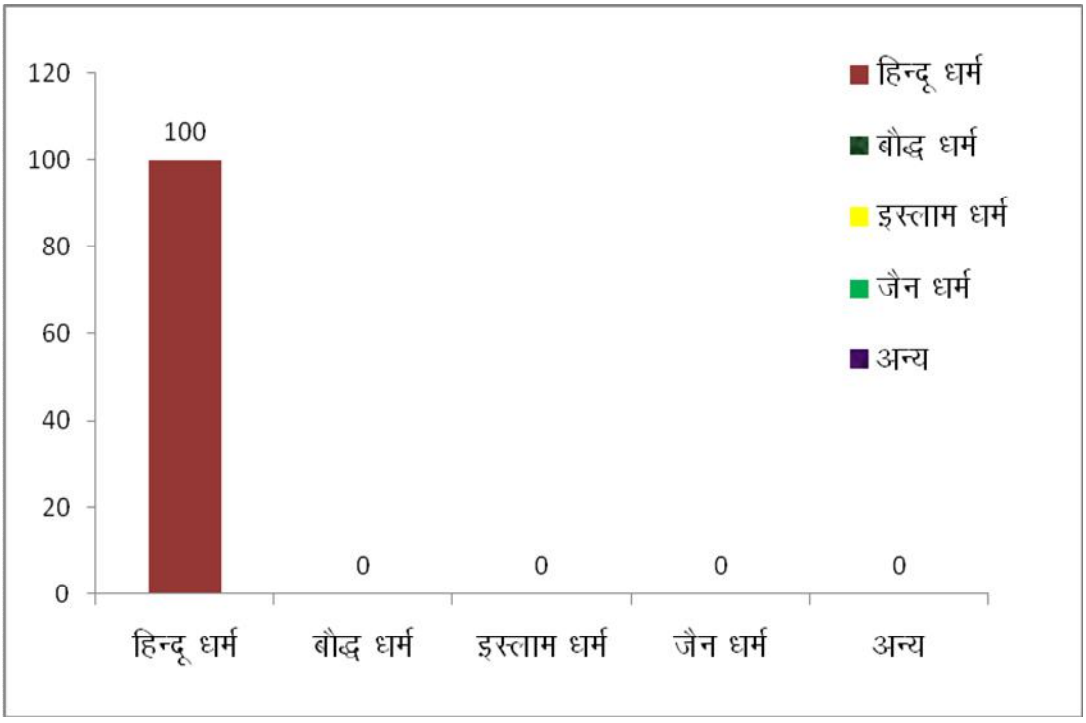

तालिका संख्या–05 (मातृभाषा)

क्र.सं.	मातृभाषा	संख्या	प्रतिशत
1.	हिन्दी	63	19.68
2.	भोजपुरी	257	80.31
3.	मैथिली	00	00
	कुल	**320**	**100%**

सूचनादाताओं की मातृभाषा का उल्लेख तालिका संख्या–05 में किया गया हैं। तालिका पर सरसरी निगाह दौड़ाने साफ पता चलता है कि सूचनादाताओं 320 में 80.31 प्रतिशत ऐसे है, जो भोजपूरी को अपने मातृभाषा स्वीकार करते हैं। शेष 19.68 प्रतिशत वैसे भी सूचनादाता है जिनकी मातृभाषा हिन्दी है।

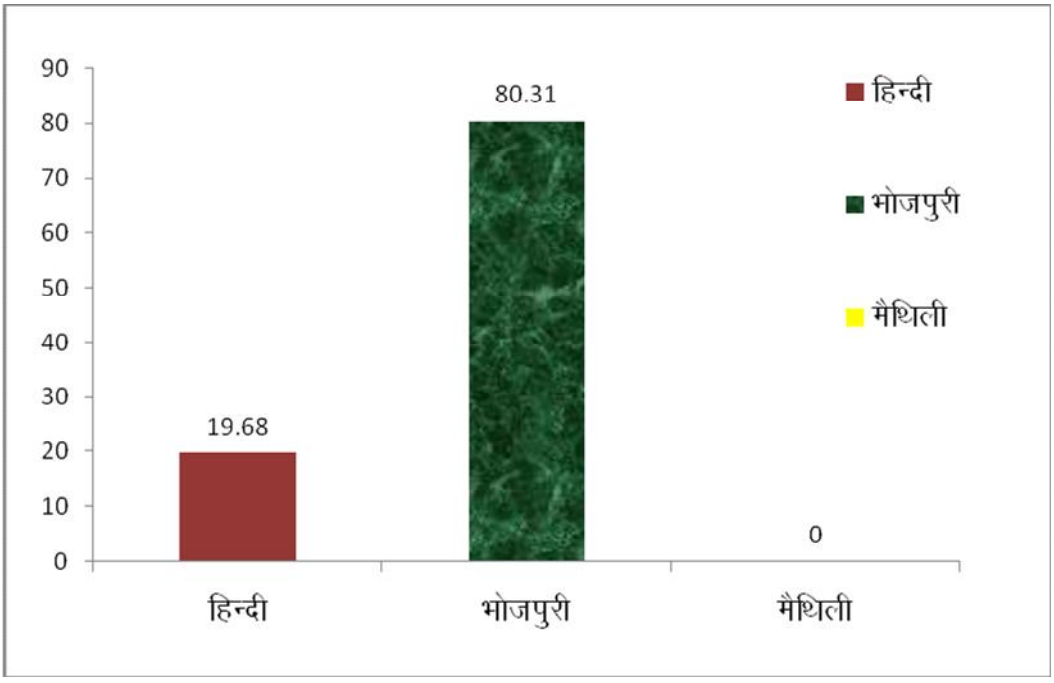

तालिका संख्या–06 (परिवार के प्रकार)

क्र.सं.	परिवार	संख्या	प्रतिशत
1.	एकल	265	82.81
2.	संयुक्त	55	17.18
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने से यह ज्ञात होता है कि एकल परिवार की सदस्यों की संख्या अधिक है अर्थात 82.81 प्रतिशत है। संयुक्त परिवार के सदस्य वाले एकल परिवार के सदस्यों से कम अर्थात 17.18 प्रतिशत ही हैं।

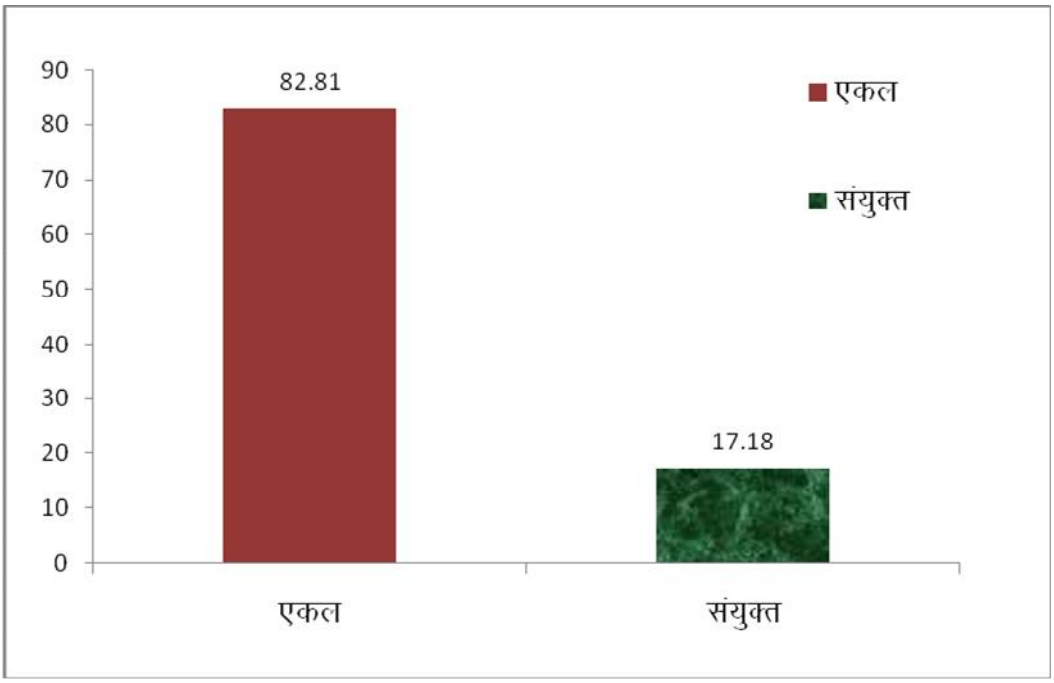

तालिका संख्या–07 (परिवार की सामूहिक स्थिति कैसी है)

क्र.सं.	सामाजिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	संतोषजनक	120	37.5
2.	असंतोषजनक	180	56.25
3.	सामान्य	20	6.25
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि 120 उत्तरदाताओं की सामाजिक स्थिति संतोषजनक है, अर्थात 37.5 प्रतिशत परिवार की स्थिति संतोषजनक है। असंतोषजनक 56.25 प्रतिशत है, 180 परिवार की स्थिति हैख 20 अर्थात 6.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की सामाजिक स्थिति सामान्य है अर्थात ज्यादातर की सामाजिक स्थिति असंतोषजनक ही है।

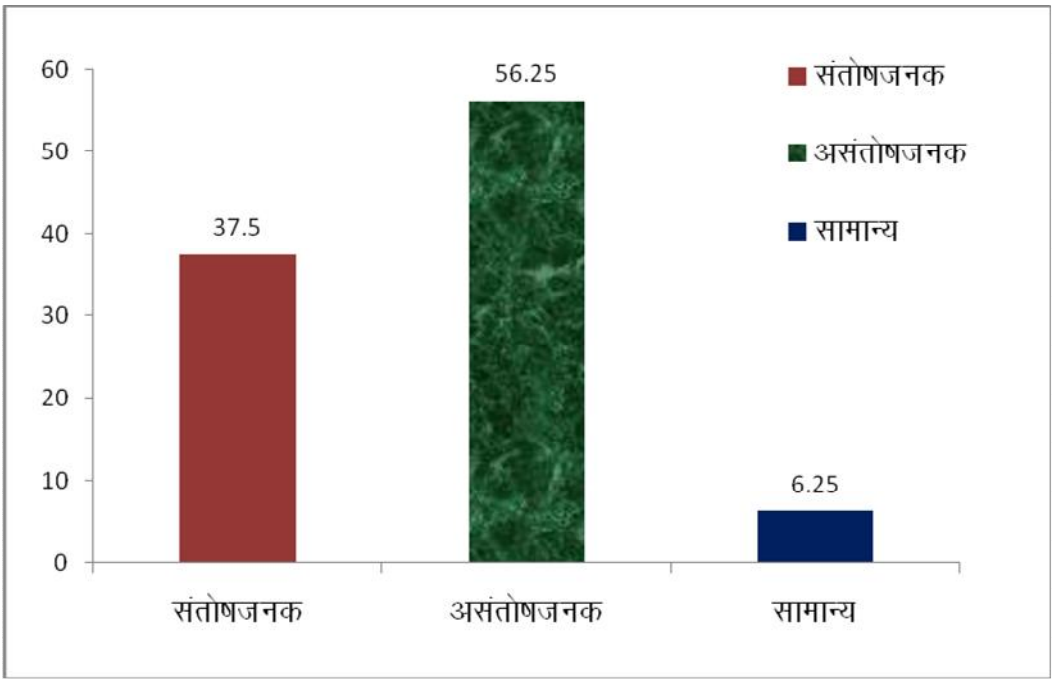

तालिका संख्या–08 (स्वास्थ्य कैसा रहता है)

क्र.सं.	स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	अस्वस्थ	155	48.43
2.	मिश्रित	130	40.62
3.	स्वस्थ	35	10.93
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि 155 अर्थात 48.43 प्रतिशत उत्तरदाता अस्वस्थ रहते हैं, 130 अर्थात 40.62 प्रतिशत उत्तरदाता स्वस्थ और अस्वस्थ्य दोनों रहते हैं, 35 उत्तरदाता 10.93 प्रतिशत स्वस्थ रहते है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अस्वस्थ उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है।

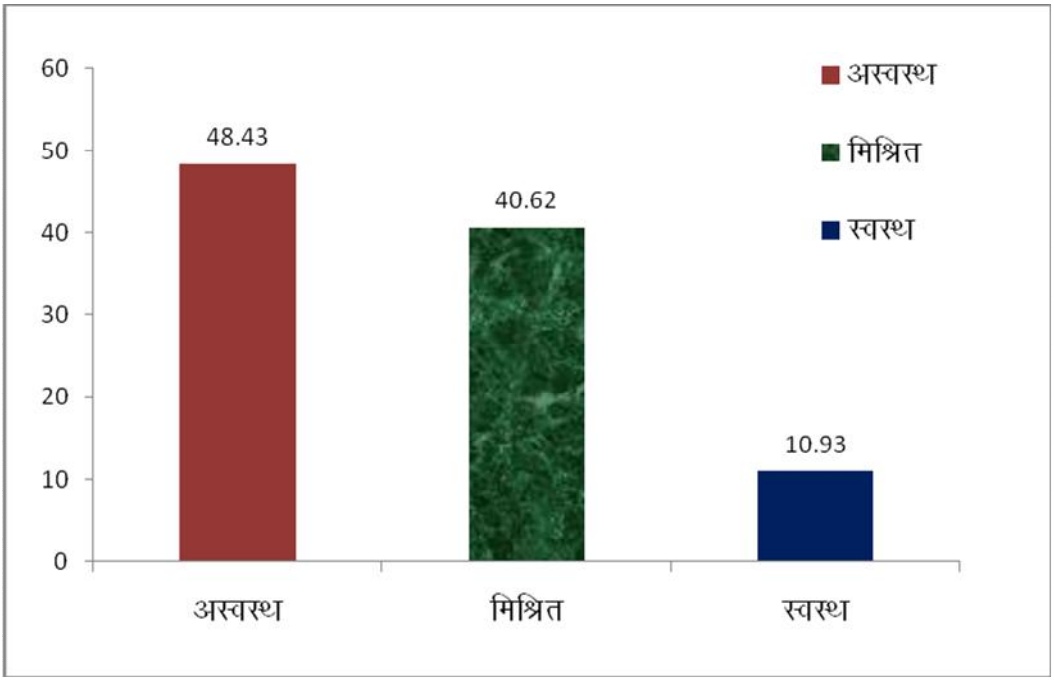

तालिका संख्या–09 (सूचनादाताओं का जन्म स्थान)

क्र.सं.	जन्म स्थान	संख्या	प्रतिशत
1.	देहात	270	84.37
2.	शहरी	50	15.62
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने से पता चलता है कि सभी उत्तरदाता अर्थात 270 उत्तरदाता का जन्म स्थान गांव है। अर्थात् 84.37 प्रतिशत उत्तरदाता गांव में ही आते है। 50 उत्तरदाताओं का 15.62 प्रतिशत का जन्म स्थान शहर में हैं।

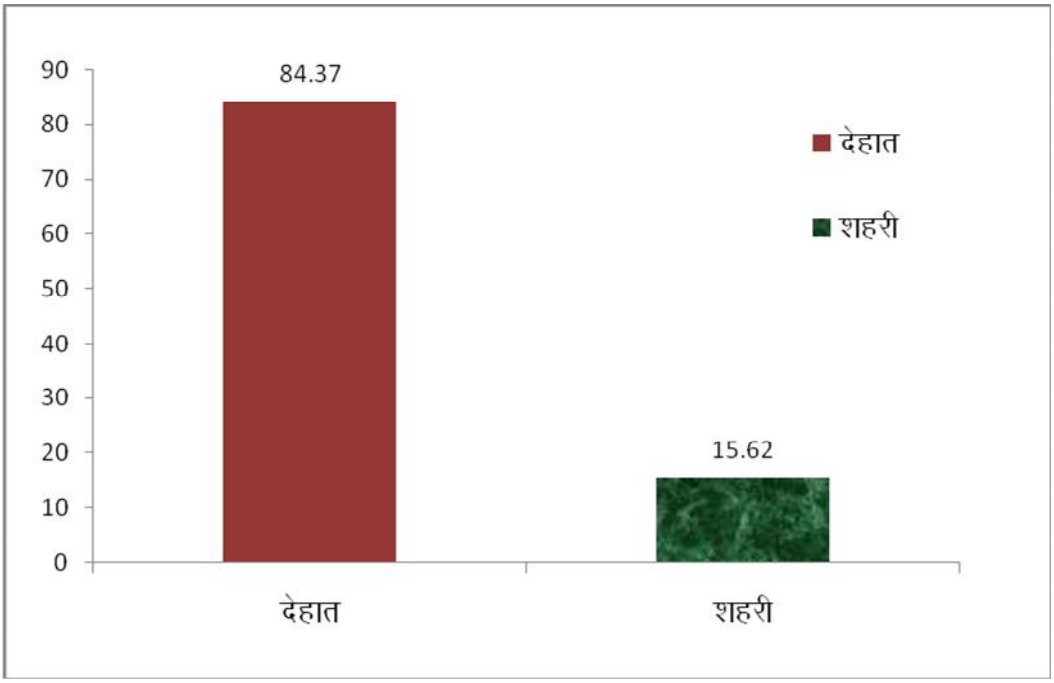

तालिका संख्या–10 (सूचनादाताओं का मकान)

क्र.सं.	धर्म	संख्या	प्रतिशत
1.	स्वयं का	290	90.62
2.	किराये का	26	8.12
3.	संबंधी का	04	1.25
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि 290 उत्तरदाताओं का अपना स्वयं का मकान है, अर्थात 84.37 प्रतिशत उत्तरदाता अपने मकान में रहते हैं। किराये के मकान में रहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 26 है अर्थात 8.12 प्रतिशत उत्तरदाता किराये के मकान में रहते है तथा 4 उत्तरदाता अन्य या किसी संबंधी के मकान में रहते है। अधिकतर उत्तरदाताओं का अपना स्वयं का मकान है।

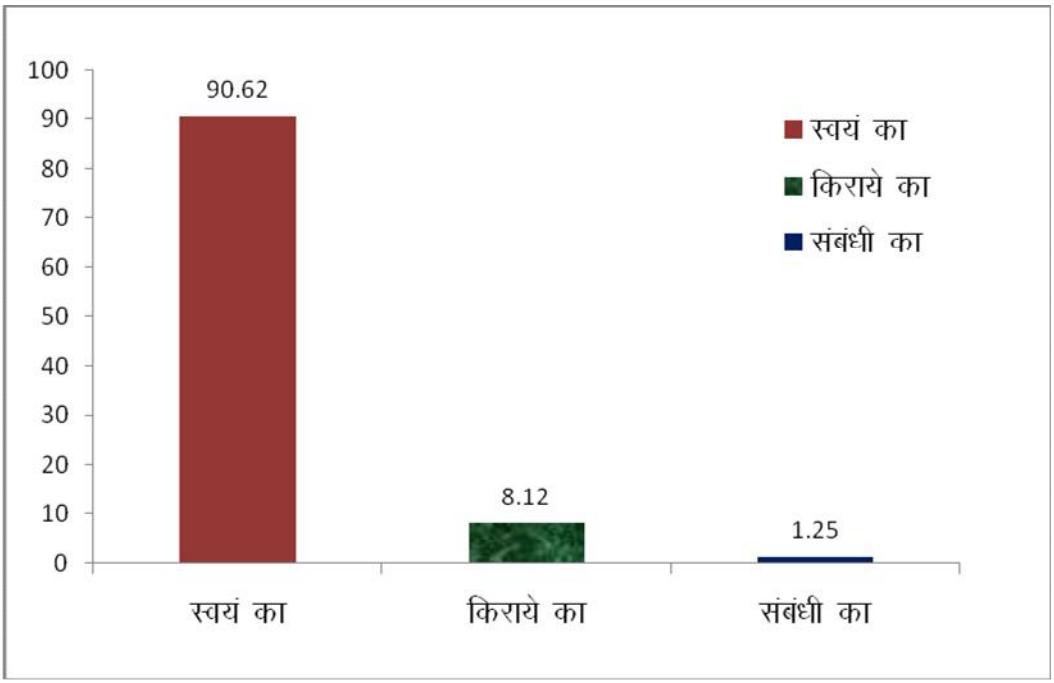

तालिका संख्या–11 (सूचनादाताओं के मकान के प्रकार)

क्र.सं.	मकान के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	पक्का	92	28.75
2.	कच्चा	120	37.5
3.	मिश्रित	60	18.75
4.	झोपडी	38	11.87
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने से पता चलता है कि 92 उत्तरदाताओं का मकान पक्का है अर्थात 28.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मकान पक्का है, 120 उत्तरदाताओं का मकान कच्चा है, 60 मिश्रित मकान में उत्तरदाता रहते है, झोपड़ी 38 उत्तरदाता रहते है। अतः ज्यादातर मकान कच्चा हैं।

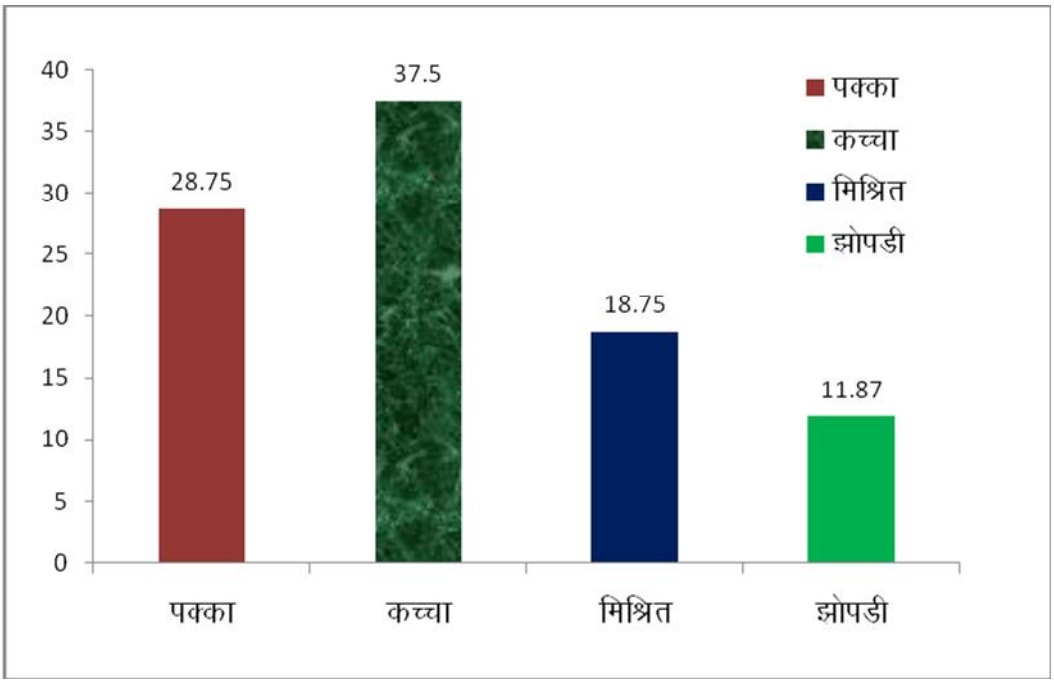

तालिका संख्या–12 (परिवारों का विवरण)

क्र.सं.	धर्म	संख्या	प्रतिशत
1.	पुरूष	293	91.56
2.	महिला	27	8.44
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 293 उत्तरदाता पुरूष है, अर्थात 91.56 प्रतिशत जबकि मात्र 27 उत्तरदाता महिलाओं की है अर्थात 8.44 प्रतिशत हैं।

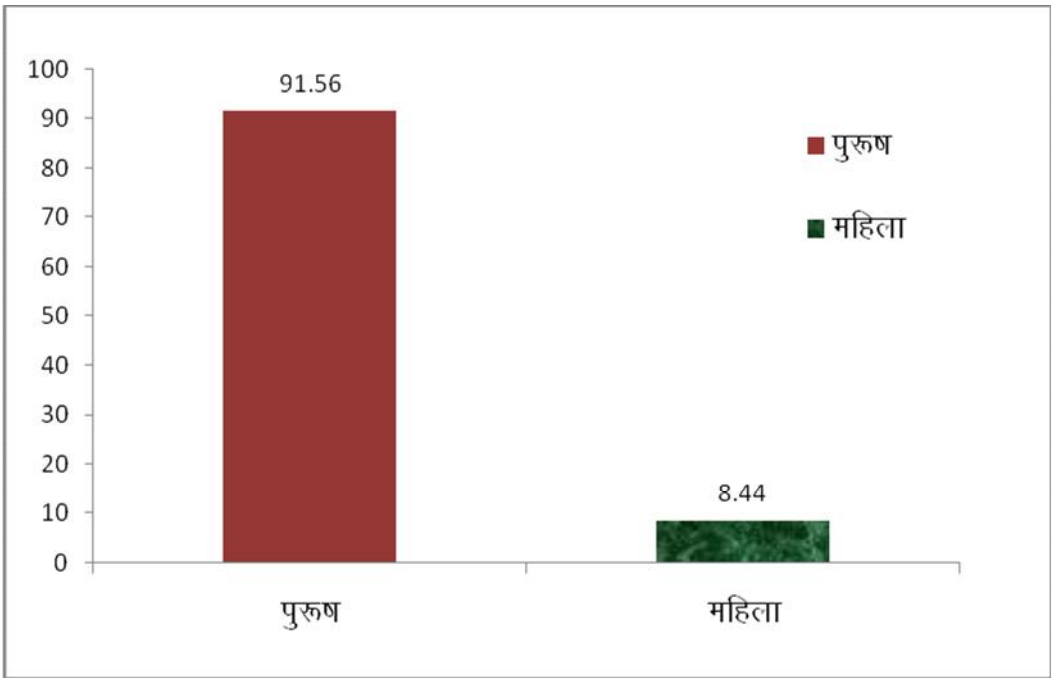

तालिका संख्या–13 (परिवार का आकार)

क्र.सं.	सदस्यों की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1.	1 से 4 सदस्यों की संख्या	32	10
2.	5 से 6 सदस्यों की संख्या	240	75
3.	7 से 9 सदस्यों की संख्या	48	15
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि 1 से 4 सदस्यों की संख्या वाले परिवार 32 अर्थात 10 प्रतिशत है, 5 से 6 सदस्य संख्या वाले परिवार 240 अर्थात 75 प्रतिशत है 7 से 9 सदस्य संख्या वाले परिवार 48 अर्थात 15 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि 5 से 6 सदस्य संख्या वाले परिवार अधिक हैं।

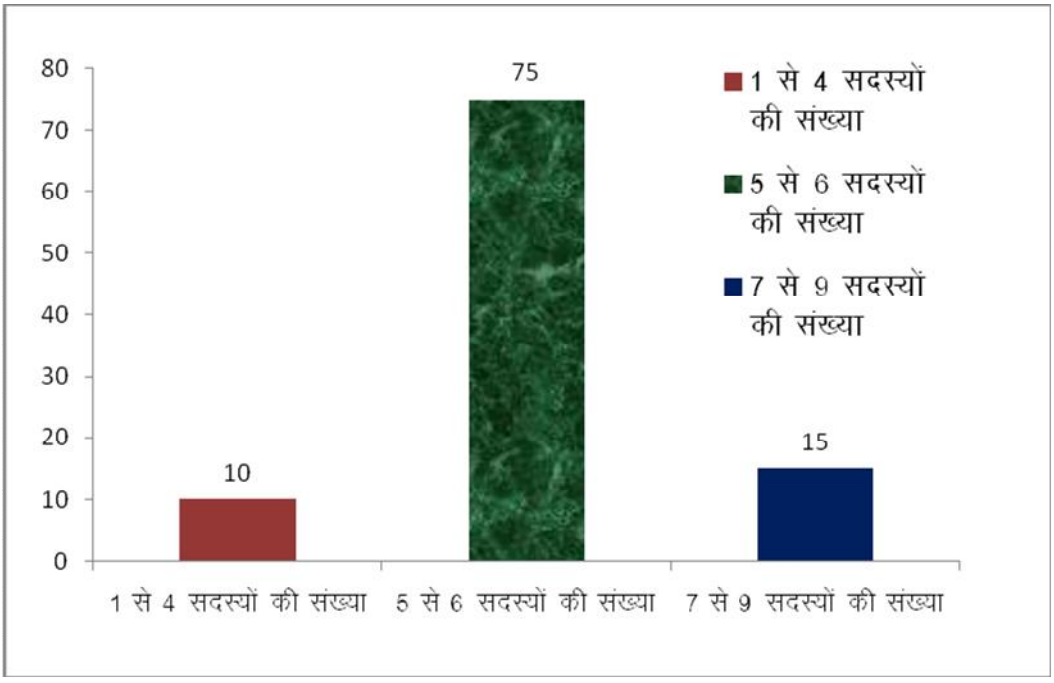

तालिका संख्या–14 (परिवार की ऋणग्रस्ता)

क्र.सं.	ऋणग्रस्ता परिवार	संख्या	प्रतिशत
1.	ऋणी परिवार	292	91.25
2.	ऋण रहित परिवार	28	8.75
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी के संबंध में ऋणग्रस्ता के अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि कुल निदर्श असंगठित मजदूर परिवार में से 292 अर्थात 91.25 प्रतिशत मजदूरों के परिवार ऋणग्रस्त है तथा 28 अर्थात 8.75 प्रतिशत नहीं हैं।

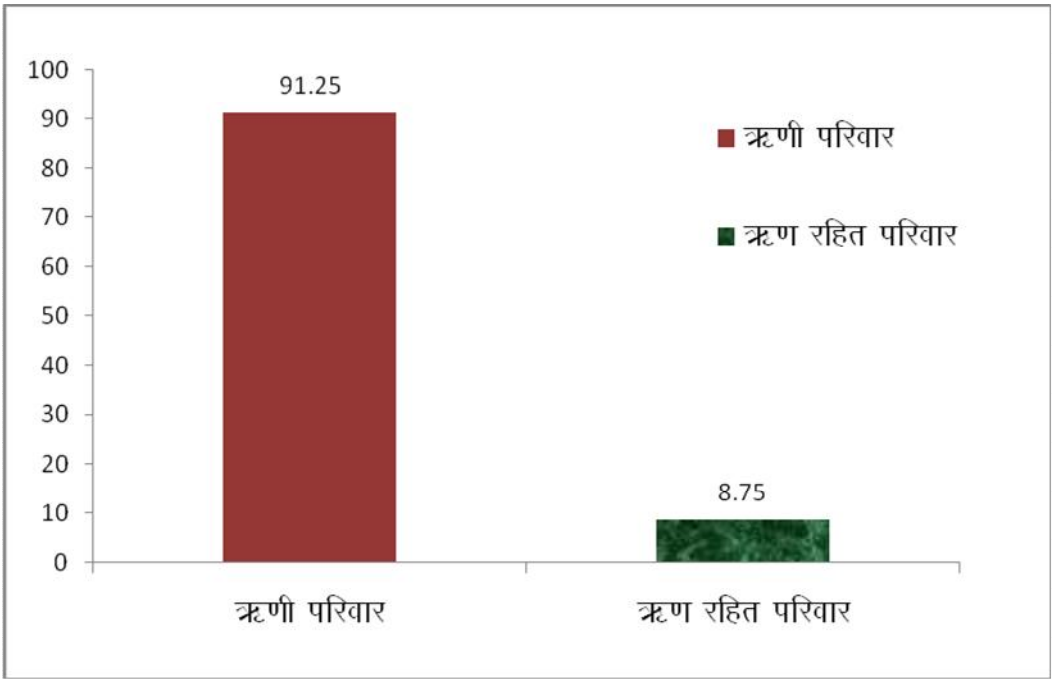

तालिका संख्या–15 (ऋण लेने के उद्देश्य)

क्र.सं.	ऋण लेने के उद्देश्य	संख्या	प्रतिशत
1.	शादी (विवाह)	95	29.69
2.	उत्सव एवं त्यौहार	55	17.18
3.	निर्माण	27	8.44
4.	ईलाज (बीमारी)	75	23.44
5.	कृषि	05	1.57
6.	धंधे के उद्देश्य	29	9.06
7.	अन्य	34	10.63
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–15 का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं 320 में प्रतिशत मजूदरों का परिवार ऋण से ग्रस्त है, जिसमें प्रमुख रूप से 29.69 प्रतिशत शादी विवाह के लिए 55 अर्थात 17.18 प्रतिशत उत्सव एवं त्यौहार में, 27 अर्थात 8.44 प्रतिशत निर्माण कार्य, 75 अर्थात 23.44 प्रतिशत इलाज बीमारी के लिए, 51.57 प्रतिशत कृषि के लिए, 34 अर्थात 10.63 प्रतिशत मजदूर परिवार अन्य कारण के लिए ऋणग्रस्त है। अर्थात सबसे ज्यादा शादी एवं इलाज के लिए ही ऋणग्रस्त है।

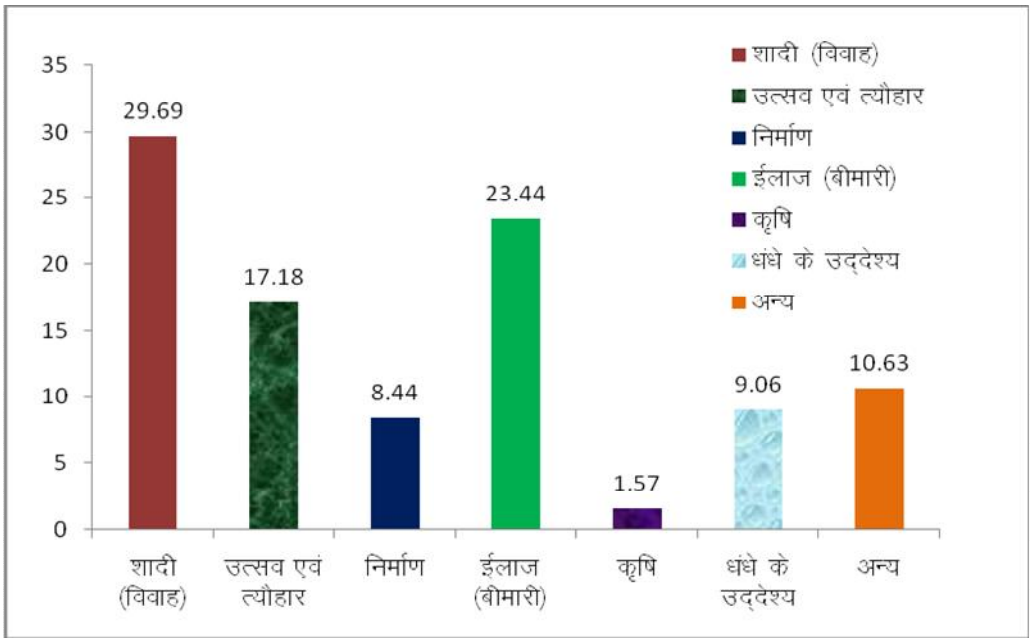

तालिका संख्या–16 (निवास स्थान में जल की व्यवस्था के आधार पर)

क्र.सं.	जल की व्यवस्था	संख्या	प्रतिशत
1.	स्वयं का नल	07	2.19
2.	स्वयं का कुंआ	09	2.81
3.	सार्वजनिक नल	251	78.44
4.	अन्य	53	16.56
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–16 के अध्ययन से यह तथ्य सामने आया है कि 78.44 प्रतिशत मजदूर सार्वजनिक का उपयोग करते है, 16.56 प्रतिशत मजदूर अन्य साधनों जैसे– टैंकर से, 2.81 मजदूरों के घर में स्वयं घर का कुंआ पाये गए, 2.19 प्रतिशत मजदूरों के घर स्वयं का नल पाये गए। अर्थात सबसे ज्यादा मजदूर सार्वजनिक नल का ही उपयोग करते है।

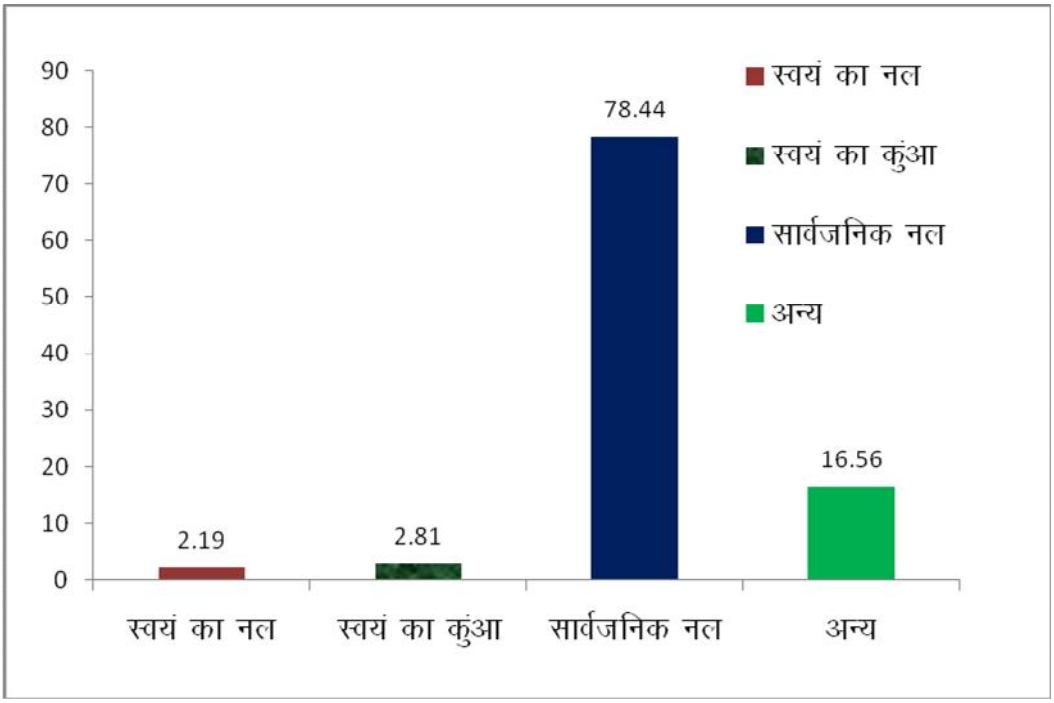

तालिका संख्या–17 (असंगठित मजदूरों में नशे की आदत)

क्र.सं.	नशे की आदत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	209	65.31
2.	नही	111	34.69
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–17 से यह स्पष्ट होता है कि कुल न्यादर्श मजदूरों में से 65. 31 प्रतिशत मजदूरों में नशे करने की आदत पाये गए तथा 34.69 प्रतिशत मजदूरों में नशे करने की आदत नहीं पाये गए। अर्थात सबसे ज्यादा नशेड़ी ही है।

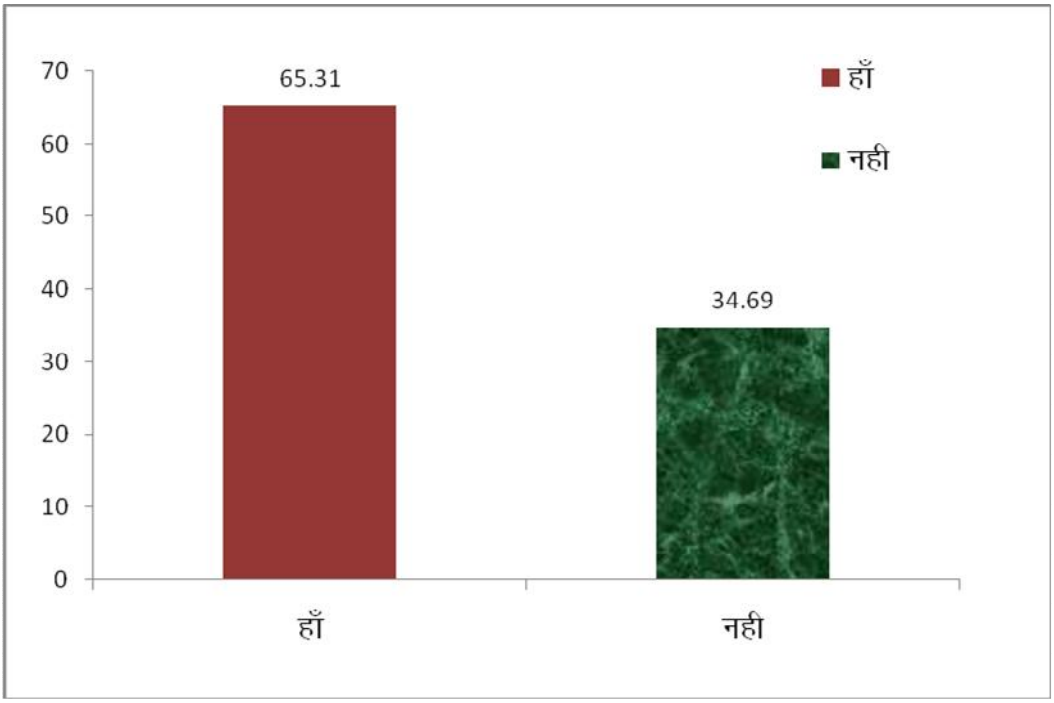

मजदूरी एवं रोजगार का अध्ययन

किसी परिवार का व्यय तथा बचत पूर्णतः उस परिवार की कुल आय पर निर्भर के स्तर को निर्धारित करता है। जब किसी परिवार का आय स्तर ऊँचा रहता है, तो उनका परिवार उच्च जीवन यापन को प्राप्त करता है। उसके विपरीत निम्न रहन–सहन को स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में कहा निर्वाह स्थिति के मध्य समानुपाती संबंध है। किसी भी परिवार के व्यय का निर्धारण प्राप्त होने वाले मजदूरी की दर आयु तथा ऋणग्रस्त के आधार पर होती है। असंगठित मजदूर एवं उसके परिवार की अशिक्षा गरीबी तथा असंगठित क्षेत्र की अनियमितता के कारण उनके पारिवारिक आय में निश्चितता एवं नियमितता नहीं रहती, जिसके कारण ऋण का सहारा लेते है जो कि गरीबी को शास्वत बनाने में सहायक ही सिद्ध होती है।

प्रस्तुत अध्ययन में बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी एवं रोजगार का अध्ययन संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उनका वर्णन उस अध्ययन में किया गया है।

तालिका संख्या–18 (मजदूरों की मासिक मजदूरी दर)

क्र.सं.	मासिक मजदूरी आय	संख्या	प्रतिशत
1.	2000 – 4000	21	6.57
2.	4000 – 7000	120	37.5
3.	7000 – 10000	90	28.12
4.	10000 – 13000	66	20.63
5.	13000 – 15000	18	5.63
6.	15000 – 18000	05	1.57
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि 2000–4000 तक 21 अर्थात 6.57 प्रतिशत, 4000–7000 तक 120 अर्थात 37.5 प्रतिशत, 7000–10000 तक 90 अर्थात 28.12 प्रतिशत, 10000–13000 तक 66 अर्थात 20.63 प्रतिशत, 13000–15000 तक 18 अर्थात 5.63 प्रतिशत, 15000–18000 तक के मात्र 5 अर्थात 1.57 प्रतिशत के है। अतः स्पष्ट है, कि सबसे मासिक मजदूरी के रूप जो 4000 से 7000 तक 37.5 प्रतिशत है उन उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक है।

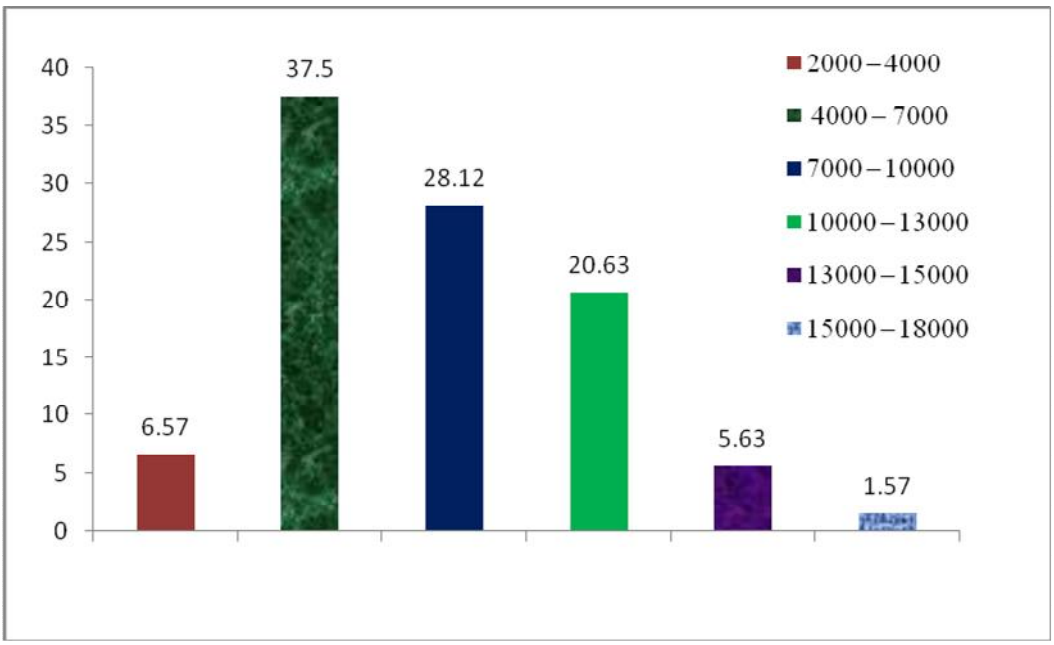

तालिका संख्या–19 (भुगतान की अवधि)

क्र.सं.	भुगतान की अवधि	संख्या	प्रतिशत
1.	दैनिक	165	51.56
2.	साप्ताहिक	131	40.94
3.	मासिक	24	7.5
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–19 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि न्यादर्श मजदूरों में से सर्वाधिक 51.56 प्रतिशत मजदूर दैनिक भुगतान के रूप में मजदूरी प्राप्त करते है, 40.44 प्रतिशत मजदूर को साप्ताहिक भुगतान की प्राप्ति एवं 7.5 प्रतिशत मजदूरों को मासिक भुगतान की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसे मजदूर जिनकी मजदूरी रोज का रोज प्राप्त कर लेते, इनकी संख्या सबसे अधिक है।

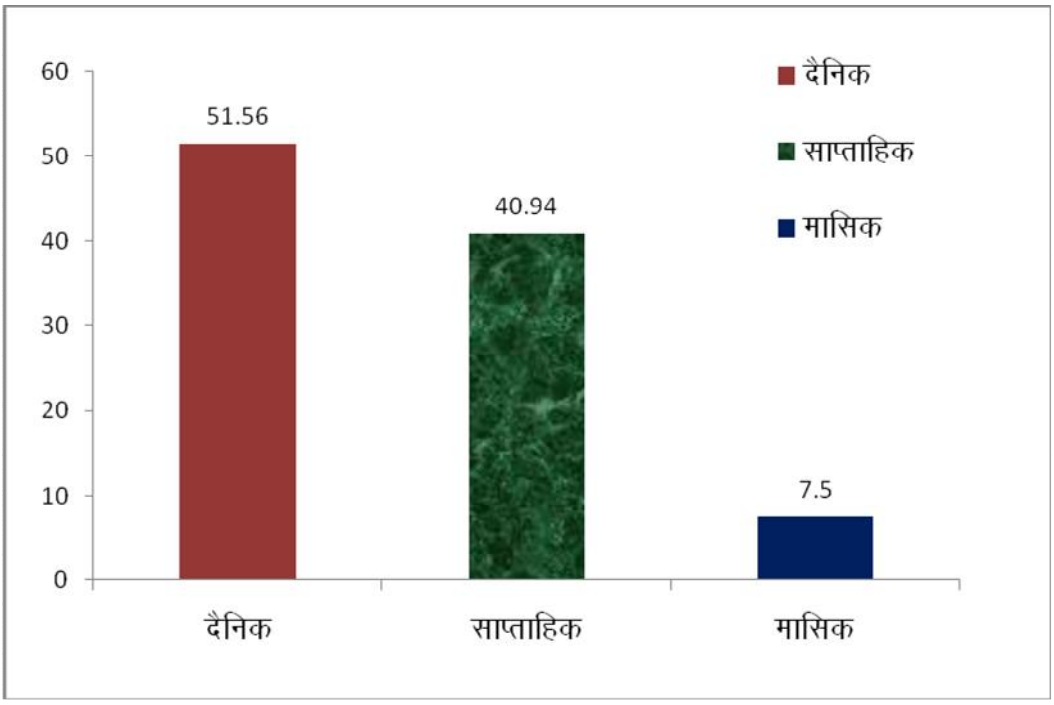

तालिका संख्या–20 (रोजगार में कार्य घंटे)

क्र.सं.	श्रमिकों के कार्य घंटे	संख्या	प्रतिशत
1.	1 – 3	35	10.94
2.	4 – 6	92	28.75
3.	7 – 9	127	39.69
4.	10 – 12	66	20.62
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–20 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 39.69 प्रतिशत मजदूर 7–9 घंटे के बीच काम करते हैं, 28.75 प्रतिशत मजदूर 4–6 घंटे के बीच 20.62 प्रतिशत मजदूर 10–12 घंटे के बीच में 10.94 प्रतिशत मजदूर 1–3 घंटे के बीच कार्य करते पाए गए। अर्थात सबसे अधिक कार्य करने वाले 7–9 घंटे वाले मजदूर देखने को मिला है।

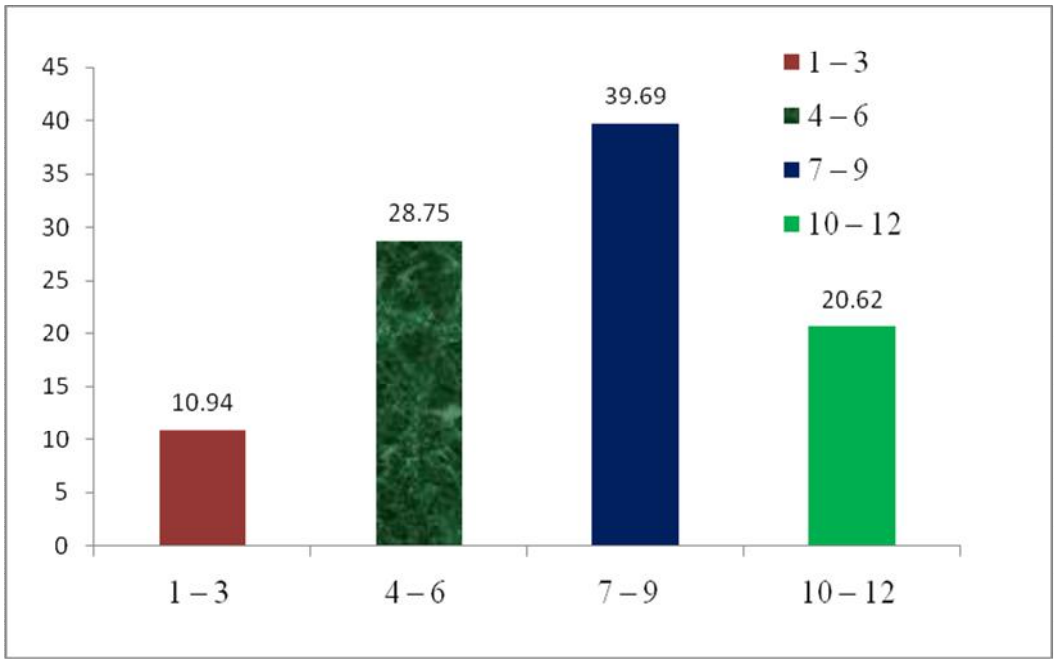

तालिका संख्या–21 (निवास स्थान से कार्य स्थल की दूरी)

क्र.सं.	कार्य स्थल की दूरी	संख्या	प्रतिशत
1.	0.5 किमी0	10	3.13
2.	1 किमी0	17	5.31
3.	2 किमी0	143	44.69
4.	2 किमी0 से अधिक	144	45.00
5.	अन्य	06	1.87
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–21 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि न्यादर्श असंगठित मजदूरों में 10 अर्थात 3.13 प्रतिशत, 0.5 किमी0 की दूरी से 17 अर्थात 5.31 प्रतिशत, 1 किमी0 की दूरी से 143 अर्थात 44.69 प्रतिशत, 2 किमी0 की दूरी में 144 अर्थात 45 प्रतिशत 2 किमी0 से अधिक स्थानों से कार्य करने के लिए मजदूर आते है। वहीं 6 अर्थात 1.87 प्रतिशत ऐसे भी मजदूर है जो कहीं कम तो कही ज्यादा दूरी से आते है। अतः स्पष्ट है कि 2 किमी0 से अधिक दूरी तय कर काम करने वाले मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है।

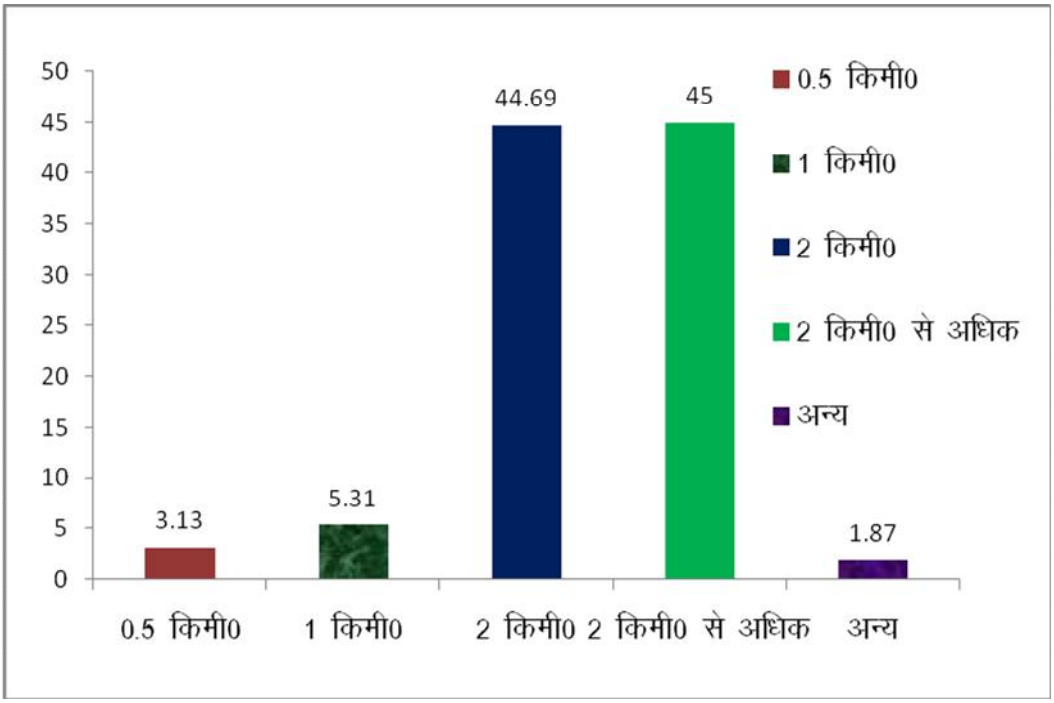

तालिका संख्या–22 (मजदूरों का वर्तमान समय में कार्य करने की अवधि)

क्र.सं.	कार्य की अवधि	संख्या	प्रतिशत
1.	6 माह	132	41.25
2.	1 वर्ष	95	29.69
3.	2 वर्ष	39	12.19
4.	3 वर्ष	54	16.87
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–22 का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाता 132 में अर्थात 41.25 प्रतिशत, 6 माह से 29.69 प्रतिशत, 1 वर्ष तथा 12. 19 प्रतिशत, 2 वर्ष के 16.87 प्रतिशत, 3 वर्ष से एक ही जगह कार्य करते पाए गए। अतः स्पष्ट है कि 6 माह तक ही सबसे अधिक मजदूर कार्य करने में मजदूर है।

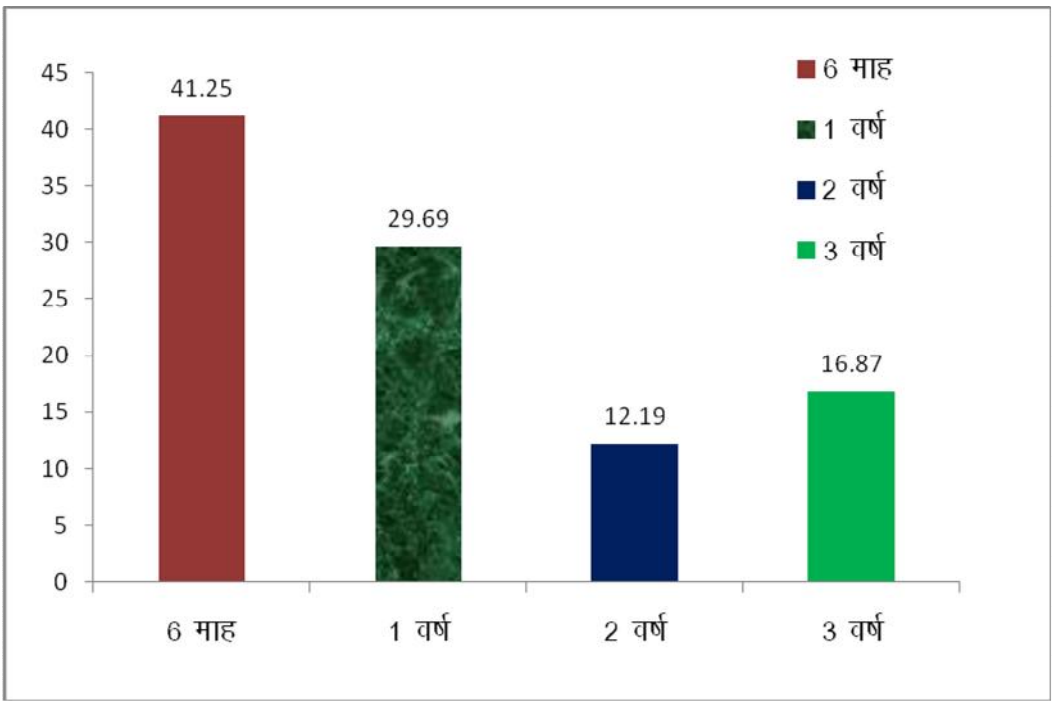

तालिका संख्या–23 (सप्ताह में किए गए कार्य दिवस)

क्र.सं.	सप्ताह का कार्य दिवस	संख्या	प्रतिशत
1.	5 दिन तक	17	5.31
2.	6 दिन तक	36	11.25
3.	7 दिन तक	267	83.44
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में सर्वेक्षण कार्य के दौरान 267 अर्थात 83.44 प्रतिशत मजदूर पूरे सप्ताह तक कार्य करते हुए पाए गए तथा 36 अर्थात 11.25 प्रतिशत मजदूर 5.31 प्रतिशत 5 दिन तक कार्य करते हुए पाए गए है।

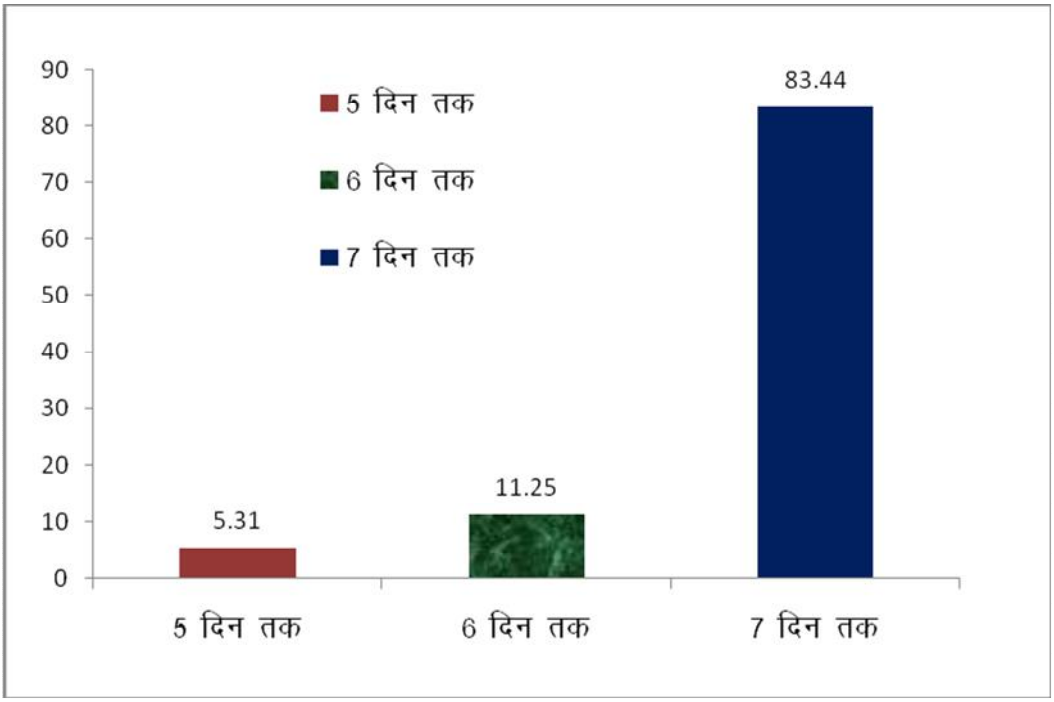

तालिका संख्या–24 (मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश की उपलब्धता)

क्र.सं.	साप्ताहिक अवकाश	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	0	0
2.	नही	284	88.75
3.	निश्चित नहीं	36	11.25
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–24 में उत्तरदाताओं को साप्ताहिक अवकाश की उपलब्धता के आधार पर सर्वेक्षण किए गए है कि 284 अर्थात 88.75 प्रतिशत मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश की प्राप्ति नहीं होती है तथा 36 अर्थात 11.25 प्रतिशत मजदूरों को कभी किसी कारणवश छुट्टी दे दी जाती है। अतः स्पष्ट है कि अधिक से अधिक मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती है।

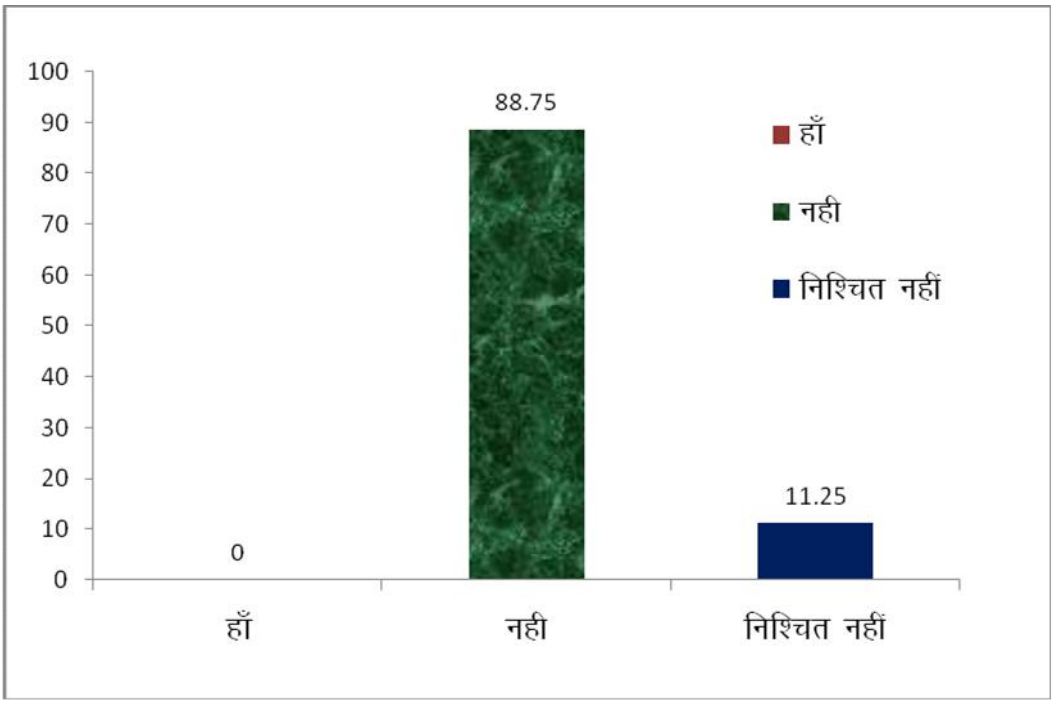

तालिका संख्या–25 (श्रमिकों के कार्य करने का कारण)

क्र.सं.	कार्य करने का कारण	संख्या	प्रतिशत
1.	परिवार द्वारा मजदूर करना	107	33.44
2.	परिवार की आय में वृद्धि करना	158	49.38
3.	परिवार का ऋण चुकाना	40	12.5
4.	आत्म निर्भता	15	4.68
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–25 के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि न्यादर्श मजदूरों में सर्वाधिक 158 अर्थात 49.38 प्रतिशत असंगठित मजदूर परिवार की आय में वृद्धि कके लिए, 33.44 प्रतिशत परिवार द्वारा मजदूर करने पर 12.5 प्रतिशत परिवार का ऋण चुकाने के लिए, तथा 4.68 प्रतिशत मजदूर अपने आत्मनिर्भरता के लिए कार्य करते हैं। अतः स्पष्ट है कि परिवार की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से ही सबसे अधिक कार्य करते हैं।

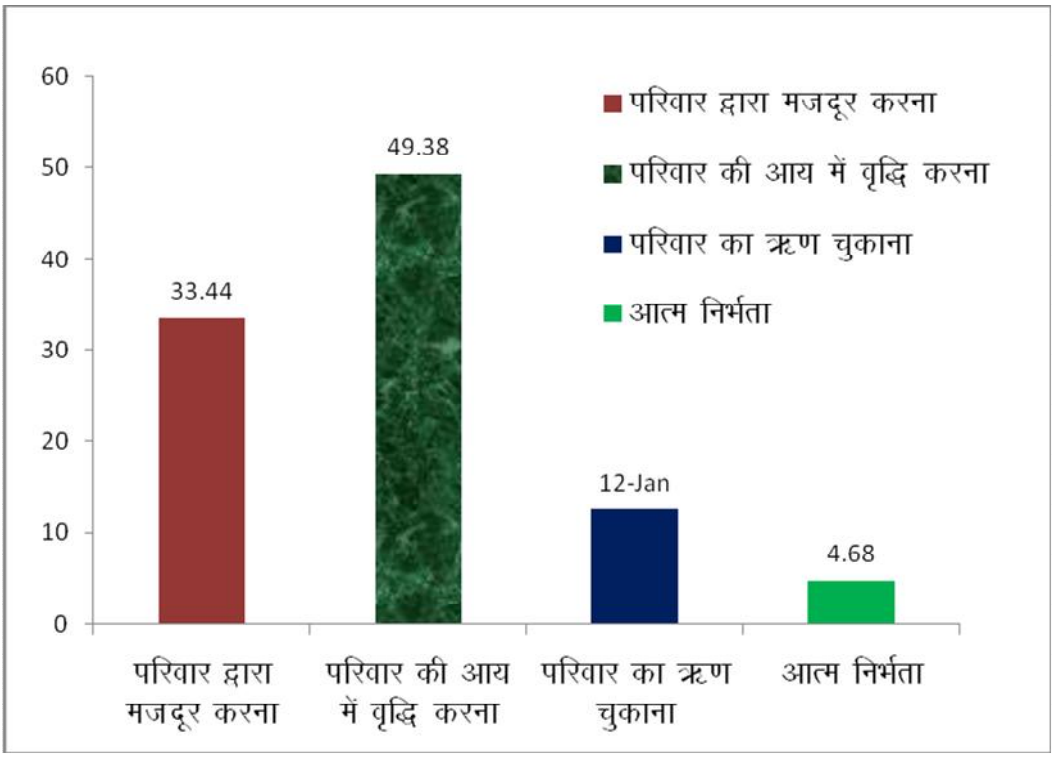

तालिका संख्या–26 (मजदूरी को छोड़कर प्राप्त अन्य सुविधाएं)

क्र.सं.	अन्य सुविधाएं	संख्या	प्रतिशत
1.	भोजन	71	22.18
2.	आवास	20	6.25
3.	वस्त्र कपड़ा	31	9.69
4.	मनोरंजन	15	4.69
5.	परिवहन	8	2.5
6.	शिक्षा	0	0
7.	अन्य सुविधा अप्राप्त	175	54.69
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–27 से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 175 अर्थात 54.69 प्रतिशत मजदूरों को मजदूरी के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है जबकि 45.31 प्रतिशत मजदूरों को अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है जिसमें 22. 18 प्रतिशत मजदूरों को भोजन की, 6.25 प्रतिशत आवास की 9.69 प्रतिशत कपड़े की, 4.69 प्रतिशत मनोरंजन की, 2.5 प्रतिशत परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट है कि मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त नहीं होता है।

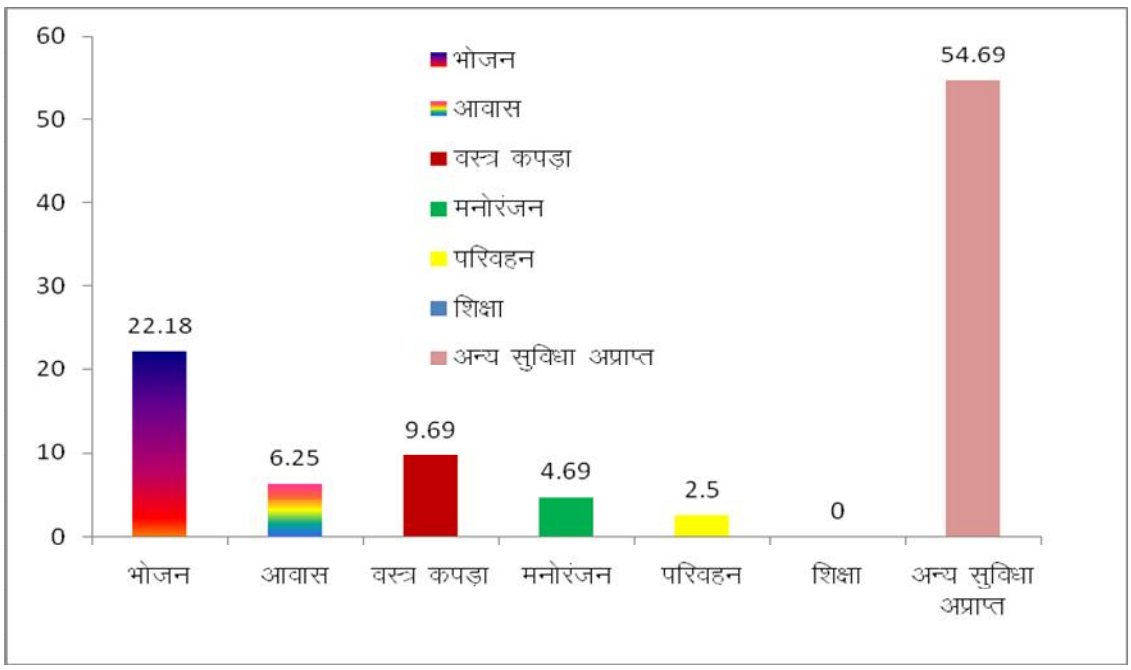

तालिका संख्या–28 (व्यवहार में बोनस अग्रिम राशि की सुविधा)

क्र.सं.	बोनस एवं अग्रिम राशि	संख्या	प्रतिशत
1.	सुविधा प्राप्त मजदूर त्यौहार बोनस/अग्रिम राशि	25/38	11.88
2.	कुल सुविधा प्राप्त मजदूर	63	19.69
3.	सुविधा अप्रयाप्त मजदूर	154	51.25
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 51.25 प्रतिशत मजदूर सुविधा अप्रयाप्त है तथा 19.69 प्रतिशत सुविधा प्राप्त मजदूर है, जिसमें 7.81 प्रतिशत मजदूरों को त्यौहार बोनस एवं 11.88 प्रतिशत मजदूरों को अग्रिम राशि की सुविधा प्राप्त होती है। अतः स्पष्ट होता है उन मजदूरों की संख्या अधिक है जिसको न किसी प्रकार का बोनस मिलता है और न ही अग्रिम राशि ही प्राप्त ळें

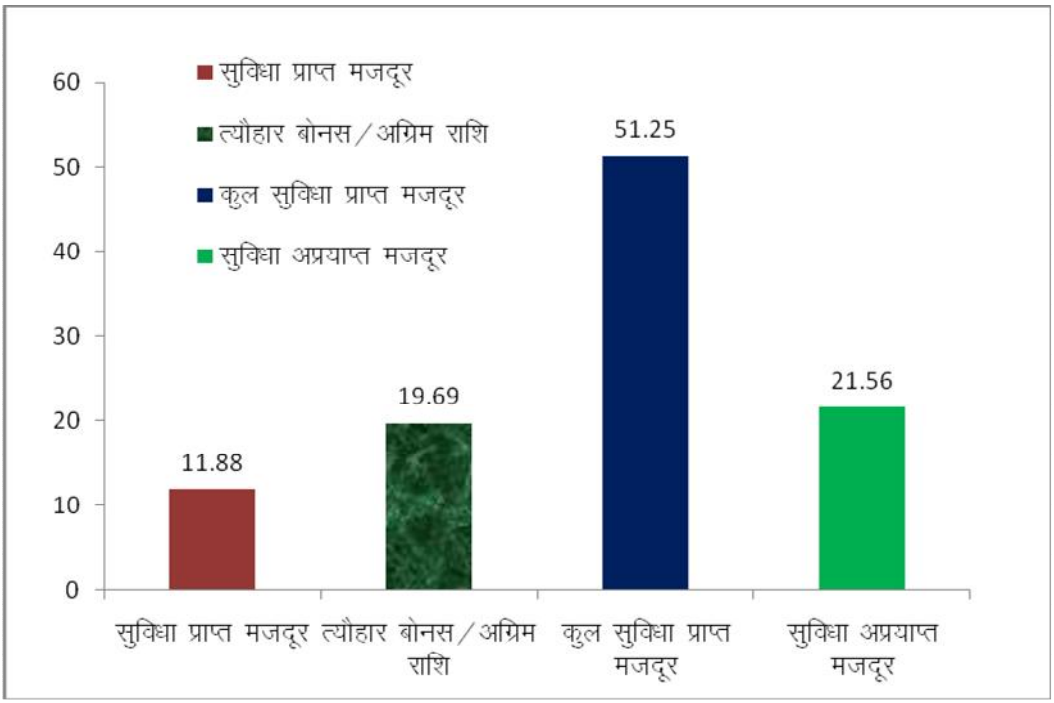

तालिका संख्या–29 (पूर्व कार्य छोड़ने का कारण)

क्र.सं.	पूर्व कार्य छोड़ने का कारण	संख्या	प्रतिशत
1.	कम वेतन	120	37.5
2.	मालिक से संबंध खराब	25	7.81
3.	मालिक ने निकाल दिया	51	15.94
4.	बेहतर अवसर प्राप्त न होना	69	21.56
5.	कार्य कर रहे हैं	55	17.19
	कुल	**320**	**100%**

तालिका संख्या–29 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता में पूर्व कार्य छोड़ने का कारण यह है कि 37.5 प्रतिशत मजदूरों ने कम वेतन के कारण, 7. 81 प्रतिशत मालिक से अच्छा संबंध नहीं रहने के कारण, 15.44 प्रतिशत मालिकों द्वारा निकाल देने के कारण, 21.56 प्रतिशत, मजदूरों को बेहतर अवसर प्राप्त न होने के कारण, 17.19 प्रतिशत मजदूर उसी जगह कार्य कर रहे है। अतः स्पष्ट है कि कम वेतन ही पूर्व कार्य छोड़ने का प्रमुख कारण है जिसकी संख्या अधिक है।

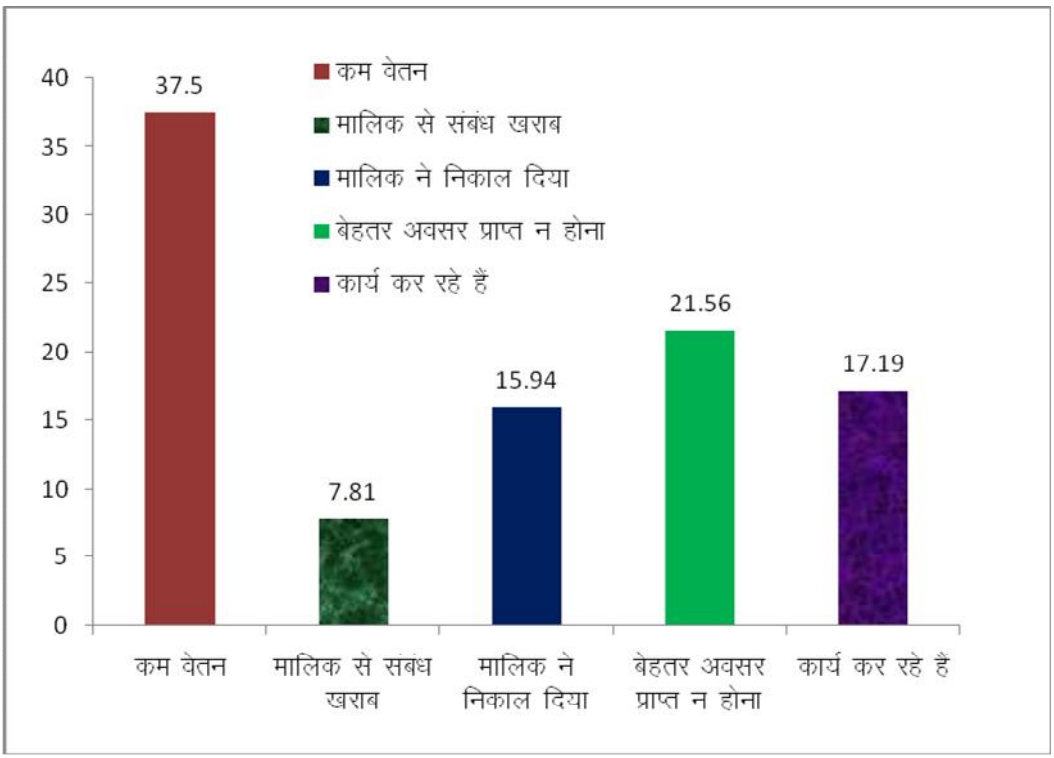

तालिका संख्या–30 (मजदूरों के वर्तमान कार्य से संतुष्टि के आधार पर)

क्र.सं.	संतुष्टि के आधार पर	संख्या	प्रतिशत
1.	संतुष्ट है	147	45.94
2.	संतुष्ट नहीं	173	54.06
	कुल	**320**	**100%**

उपरोक्त सारणी को देखने से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्तरदाताओं में 173 अर्थात 54.06 प्रतिशत मजदूर अपने वर्तमान कार्य से संतुष्ट नहीं है तथा 147 अर्थात 45.44 प्रतिशत मजदूर अपने वर्तमान कार्य से संतुष्ट है। अतः ज्यादातर मजदूर अपने वर्तमान कार्य से संतुष्ट नहीं है।

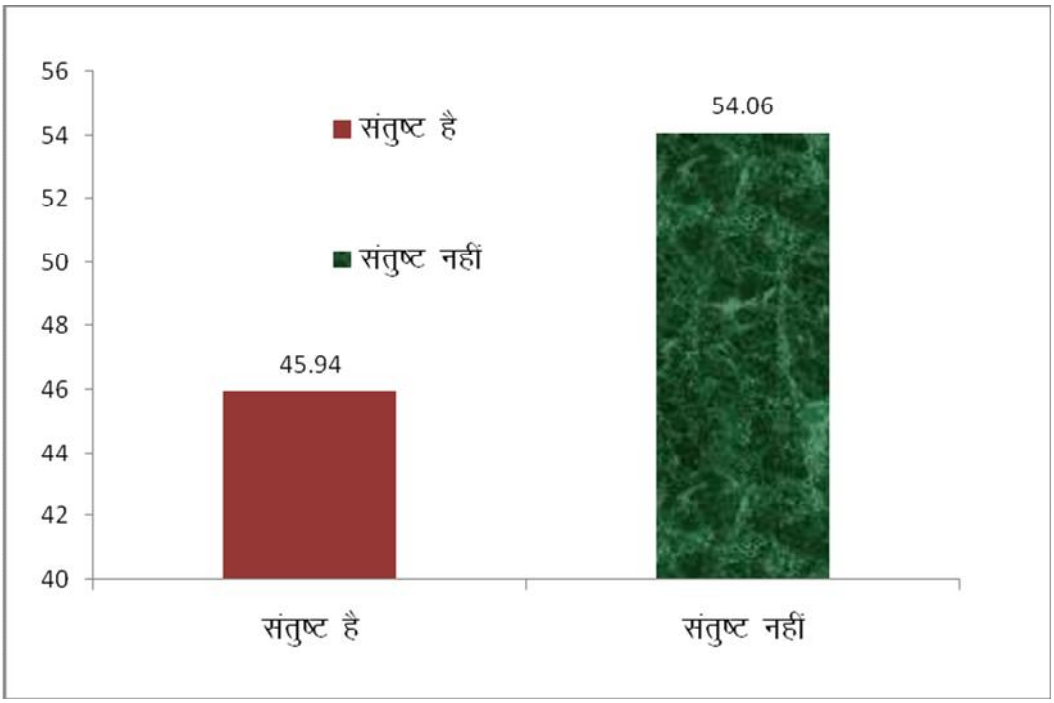

अध्याय–छः

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण एवं वैधानिक स्थिति

संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है। लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। लेकिन जब संगठित क्षेत्र भी अपने आपको कर वंचन वेतन विसंगतियाँ तथा कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करने वाली सुविधाओं से बचने के लिए असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जो बहुत कम वेतन देते हैं। उनका प्रायः शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है।

सन् 1990 के बाद संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के विवश है। अतः संगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है।

ये विवश लोग कौन है, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बांटाईदारों और कारीगरों (जैसे– बुनकरों, लौहारों, बढ़ई और सोनार) से रचित होता है। भारत में लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को कम समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख, भण्डारण सुविधा और विपणन केन्द्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है।

शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता काम करने वालों, सिर पर बोझ ढ़ोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से बना हुआ है। लघु उद्योग को भी कच्चे माल की प्राप्ति एवं उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मद्द की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है।

हम यह भी देखते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से है, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अतिरिक्त सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है।

अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता जरूरी है जैसे–

मजदूरी– असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रायः 10 से 12 घण्टे तक बिना किसी अतिरिक्त समय (ओवर टाइम) के कार्य करना पड़ता है। ऐसे मजूदरों को मजदूरी के अलावा दूसरी सुविधाएँ भी नहीं दी जाती। इस क्षेत्र में श्रमिकों के लिए प्रायः रोजगार सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। इस क्षेत्र में रोजगार की प्रकृति प्रायः अनियमित होती है। ऐसे मजदूर पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। इसी कारण मजदूरी दर पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

सुरक्षा– असंगठित क्षेत्र के मजदूर जोखिम भरे कार्य करते हैं जैसे ईट उद्योग, सेट्रिंग कार्य राजमिस्त्री या भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा का हमेशा खतरा बना रहता है।

स्वास्थ्य– जोखिम भरे कार्य में लिप्त होने कारण श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब रहता है। इसका मुख्य कारण एक तो अच्छे खान–पान की कमी है। दूसरी उद्योग से जहरीली गैस एवं धुएँ का प्रभाव है। इस सन्दर्भ में हमारी सरकार को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

अत्याचारों पर नियंत्रण कभी कभी मजदूरों के प्रति कार्य करने के लिए किस संस्था के मालिक एवं ठेकेदारों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, जिसका नियंत्रण आवश्यक है। डॉ0 राधाकमल मुकर्जी ने एक उपयोगी सुझाव दिया है। उनका कथन है कि भारत में एक ऐसा अधिनियम बनना चाहिए जिसके अनुसार यदि किसी मालिक मजदूरों के कार्यों में हस्तक्षेप करते या मजदूरों को आतंकित करते हैं तो उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। परन्तु कठिनाई हो यह है कि सिद्ध करना कठिन है कि मजदूरों को आतंकित किया गया है, या उन पर अत्याचार हुआ है।

अन्य संरक्षण– सवाल यह है कि मजदूर आखिर सड़क पर क्यों है ? पहला कारण तो शायद यहीं है राज्य सरकारों ने इनकी क्रमशक्ति पर ध्यान नहीं दे रहीं है, उनके रहने खाने व उनकी क्रमशक्ति बनाएं रखने की व्यवस्था होनी चाहिए और इनकी संरक्षण भी।

6.1 असंगठित कामगार

'असंगठित कामगार' को असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत एक गृह–आधारित कामगार, स्व–नियोजित कामगार अथवा असंगठित क्षेत्र में एक मजदूरी लेने वाले कामगार के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें संगठित क्षेत्र का वह कामगार शामिल है जो इस अधिनिमय की अनुसूची–11 में उल्लिखित किसी भी अधिनियम अर्थात् कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 3), औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19), प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53) और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) में शामिल नहीं होता।

वर्ष 2011–2012 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल 47 करोड़ लोग नियोजित थे। इसमें से लगभग 8 करोड़ संगठित क्षेत्र और शेष 39 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे। असंगठित क्षेत्र में कामगार देश के कुल रोजगार के 90 फीसदी से भी ज्यादा है। बड़ी संख्या में असंगठित कामगार गृह आधारित श्रमिक है और बीड़ी बनाने, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, वस्त्र सिलाई तथा कशीदाकारी जैसे व्यवसायों में लगे हुए है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, रोजगार के अत्यधिक मौसमी प्रकृति के होने से, नियोक्ता–कर्मचारी में कोई औपचारिक संबंध नहीं होने तथा सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण पीड़ित रहते हैं। बहुत से विधान जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, भवन तथा अन्य निर्माण कामगार

(नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996; भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण (उपकर) अधिनियम, 1996 इत्यादि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर भी लागू हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के कुछ विशिष्ट कामगारों यथा बीड़ी कामगारों, सिने कामगारों तथा कतिपय गैर–कोयला खान कामगारों के लिए भी कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। इन निधियों का प्रयोग श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याण कार्यकलापों अर्थात् स्वास्थ्य देख–रेख, आवास, बच्चों के लिए शिक्षण सहायता, पेयजल की आपूर्ति इत्यादि के लिए किया जाता है।

6.2 असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए व्यापक विधान

असंगठित क्षेत्र के कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम 16.05.2009 से लागू है। अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय नियम बना दिए गए है।

6.3 अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत् हैं–

- धारा (2) में असंगठित कामगार, स्व–नियोजित और मजदूरी कामगार संबंधी परिभाषाओं का प्रावधान है।
- धारा 3 (1) में केन्द्र सरकार द्वारा (क) जीवन और अक्षमता कवर; (ख) स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ; (ग) वृद्धावस्था संरक्षण, (घ) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों हेतु योजनाएँ तैयार किए जाने का प्रावधान है।
- धारा 3 (4) में राज्य सरकारों द्वारा भविष्य निधि, रोजगार से जुड़े चोट संबंधी लाभ, आवास, बच्चों के लिए शिक्षण योजनाएं, कौशल उन्नयन, अंत्येष्टि सहायता और वृद्धाश्रमों से संबंधित योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है।

- धारा 4 केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं के वित पोषण से संबंधित है।
- धारा 5 में केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में सदस्य सचिव के रूप में महानिदेशक (श्रम कल्याण) तथा संसद सदस्यों, असंगठित कामगारों, असंगठित कामगारों के नियोक्ताओं, सिविल सोसायटी, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 34 नामित सदस्यों वाले राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन की संकल्पना की गई है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति से संबंधित व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और बोर्ड की महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान।
- राष्ट्रीय बोर्ड केन्द्र सरकार को असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों हेतु उपयुक्त योजनाओं की सिफारिश करेगा; योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करेगा और अधिनियम के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देगा।
- धारा 6 में राज्य स्तर पर इसी प्रकार के बोर्डों के गठन हेतु प्रावधान किया गया है।
- धारा 7 राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के वित्तपोषण पैटर्न से संबंधित है।
- धारा 8 में जिला प्रशासन द्वारा रिकार्ड के रख–रखाव के कार्यों का निर्धारण किया गया है। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार (क) ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत को; और (ख) शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों को ऐसे कार्य निष्पादित करने का निर्देश दे सकती है।
- धारा 9 में जिला प्रशासन द्वारा असंगठित कामगारों के लिए (क) उसके पास उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सूचना का प्रसार करने (ख) कामगारों के पंजीकरण और नामांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए कामगार सुविधा केन्द्र गठित किये जाने का प्रावधान है।

- धारा 10 में अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पात्रता मानदंड और प्रक्रिया का भी प्रावधान है।
- धारा 11–17 में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु विविध उपबंधों का उल्लेख है।

अधिनियम के अंतर्गत असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2009 बनाये गए हैं तथा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का 16.06.2009 को गठन किया गया था। राष्ट्रीय बोर्ड असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् जीवन और अपंगता कवर, स्वास्थ्य, और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण और सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले अन्य लाभों की सिफारिश करेगा। राष्ट्रीय बोर्ड की अब तक आठ बैठकें हुई हैं और इनमें असंगठित कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) और वृद्धावस्था पेंशन का विस्तार किए जाने की सिफारिश की गयी।

भारत में लगभग 93 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्र में है। असंगठित कामगारों और राज्य स्तर पर एजेंसियों के कल्याण के लिए 'असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएसए), 2008' की अनुसूची–प्प के अंतर्गत वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा भिन्न–भिन्न पात्रता मापदंडों, नामांकन, प्रक्रियाओं और इनके अंतग लाभों इत्यादि के साथ विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीमें चलाई जा रही है।

असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अधिसूची के अन्तर्गत सूचीबद्ध की गई विभिन्न योजनाएं थी।

6.3.1 मजदूरी संबंधी सन्नियम

मजदूरों की मजदूरी किस प्रकार की इस संबंध में कुछ अधिनियम बनाए गए हैं–

1. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

6.3.2 सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिनियम

1. श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948
3. कोयला खान प्राविडेंस फंड योजना अधिनियम, 1947
4. कर्मचारी प्राविडेंस फंड अधिनियम, 1952
5. मातृत्वकालीन लाभ अधिनियम, 1961

6.3.3 श्रम कल्याण संबंधी विधान

1. कोयला खान श्रम कल्याण अधिनियम, 1947
2. अभ्रक खदान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947
3. भारतीय कारखाना अधिनियम, 1952
4. बगान श्रम अधिनियम, 1951

6.4 श्रम कल्याण कार्य की नयी दिशाएं

1. परिवार नियोजन को प्राथमिकता
2. सस्ती दर पर वस्तुएं
3. संतुलित भोजन को प्राथमिकता
4. दृष्टिकोण में परिवर्तन
5. स्थानीय सहयोगियों का सहयोग

1.	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, पेंशन योजना	ग्रामीण विकास मंत्रालय	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 60 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार (बीपीएल) से संबंध रखने वाले व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाएगी। योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। 60–79 की आयु के व्यक्तियों के लिए 200 रुपये

			और 80 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए 500 रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभ प्राप्तकर्ता की पहचान पेंशन, पेंशन की स्वीकृति और वितरण राज्य/संघ शासित सरकार द्वारा किया जाता है। योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और कुछ राज्यों में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू किया जाता है।
2.	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	ग्रामीण विकास मंत्रलाय	बीपीएल परिवार 18 से 59 वर्ष की आयु के प्रमुख जीविका अर्जक की मृत्यु होने पर प्रतिपूरक राशि प्राप्त करने का हकदार है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय चल रही है।
3.	जननी सुरक्षा योजना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थान में प्रसूति द्वारा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। यह योजना गरीब गर्भवती महिलाओं जो उन राज्यों से संबंध रखती हों जिनमें संस्थान में प्रसूति की दर कम है जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में विशेष प्रबंध किया गया है। जबकि इन राज्यों को कम निष्पादन राज्य (एलपीएस) का नाम दिया गया है। शेध राज्यों को उच्च निष्पादन (एचपीएस) का नाम दिया गया है। योजना गर्भवती महिलाओं में संस्थानों में प्रसूति को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वास्थ्य स्वयं सेवक जिन्हें एएसएचए प्रत्यातित सामाजिक स्वास्थ्य कामगार कहा जाता है को कार्य आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता

			है।
4.	हस्तकरघा बुनकर व्यापक कल्याणकारी योजना	वस्त्र मंत्रालय	इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बुनकर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। यह योजना वस्त्र मंत्रालय (हस्तकरघा विकास आयुक्त कार्यालय) द्वारा चलाई जाती है।
5.	हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याणकारी योजना	वस्त्र मंत्रालय	हस्तशिल्प असंगठित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आवास और स्वास्थ्य बीमा के लिए कारीगरों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा रखता है।
6.	प्रमुख शिल्प व्यक्तियों की पेंशन	वस्त्र मंत्रालय	यह योजना 60 वर्ष या अधिक आयु के उन उन्नत शिल्पकारों को मदद देती है जो हस्तशिल्प में राष्ट्रीय पुरस्कारों या योग्यता प्रमाण–पत्र या राज्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और उनकी निजी आमदनी 30 हजार प्रतिवर्ष से कम है और जो किसी अन्य स्रोत से अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
7.	मछुवारों के कल्याण और प्रशिक्षण और विस्तार के लिए राष्ट्रीय योजना	पशु–पालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग	योजना के अन्तर्गत मछुवारों को उनके मछली पकड़ने के गांव में आधारभूत सुविधाएं जैसे आवास, पीने का पानी, सामुदायिक भवन के निर्माण और टयूबबेल उपलब्ध करवाया जाता है। मछली पकड़ने के काम में सक्रिय रूप से लगे हुए मछुआरों को बीमा कवर भी उपलब्ध करवाया जाता है। उस मौसम में जिसमें मछली की उपलब्धता कम रहती है, उसमें मछुआरों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

8.	आम आदमी बीमा योजना	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को जीवन बीमा कवर उपलब्ध करवाना है। एएबीबाई 47 पहचान किए गए व्यावसायिक समूह के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर 18 वर्षों के बीच की आयु के व्यक्तियों के लिए जीवन और अपंगता कवर का विस्तार करता है।
9.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे असंगठित कामगारों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाने के लिए लागू की जाती है। योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (5 की एक यूनिट) को 30 हजार रूपये प्रतिमाह का स्मार्ट कार्ड आधारित निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाया जाता है। यह सरकार का प्रयास है कि असंगठित कामगारों को एक चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) उपलब्ध करवाई जाए।

6.5 कौशल विकास मिशन

युवाओं में रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाने, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पेशेवर ज्ञान उपलब्ध कराने के मकसद से बिहार कौशल विकास मिशन (बीडीएसएम) का संगठन 2019 में किया गया था।

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण एक ऐसा कारगर तरीका है, जिससे उद्योग के विभिन्न स्तरों तथा उप क्षेत्रों में कौशल का विकास करके राज्य की आबादी में रोजगार परकता को सुधारा जा सकता है।

कौशल प्रशिक्षण के जारी मिशन द्वारा कुशल जनशक्ति की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए कौशल को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। कौशलों के ये प्रकार हो सकते हैं– बुनियादी कौशल, व्यावसायिक कौशल और उद्यमिता कौशल। युवा को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और पेशेवर ज्ञान देकर उन्हें रोजगार प्राप्ति योग्य बनाया जाता है। राज्य में कौशल विकास मिशन की दो मुख्य योजनाएं हैं– 1. कुशल युवा कार्यक्रम 2. मूर्ति प्रशिक्षण तैनाती आरटीडी योजना।

6.6 राज्य और अन्य संस्थाओं द्वारा नियुक्ति

रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न समयों पर अभिकरणों और आयोगों के गठन किया है, उनमें बिहार लोकसेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था बिहार राज्य इलैक्ट्रानिक विकास (निगम बेल्ट्रान) आदि प्रमुख है।

6.7 बीड़ी/चूना, पत्थर/सिने श्रमिकों के लिए

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार दिनांक 21.03.2016 से बीड़ी/चूना पत्थर/सिने श्रमिकों के लिए संशोधित एकीकृत आवास योजना (RIHS) लागू की गई है। इस योजना के मुख्य विशेषता निम्न प्रकार हैं–

1. इस योजना के तहत अनुदान की राशि 40000/– से बढ़ाकर 1,50,000/– कर दी गई है, जो तीन किस्तों में इस प्रकार दी जाएगी।

   प्रथम किस्त 25 प्रतिशत अग्रिम राशि 37,000/–

   द्वितीय किस्त 60 प्रतिशत (राशि 90,000 प्रतिशत)

   तृतीय किस्त 15 प्रतिशत (राशि 22,500/–)

2. श्रमिकों को अपनी ओर से कोई राशि अंशदान के रूप जमा नहीं करना है।

6.8 कोरोना संक्रमण के समय रोजगार की व्यवस्था

लॉकडाउन के बजह से देश की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग गया है। लेकिन इस दौरान मनरेगा योजना के जरिए रोजगार मुहैया करना में भारी उछाल आया है। अन्य राज्यों से बिहार वापस आए लगभग 3 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर

मनरेगा से जुड़कर काम कर रहे हैं। राज्य में 16 अप्रैल को मनरेगा के जरिए ग्रामीण इलाकों में काम शुरू हुआ। पहले दिन 2.47 लाख श्रमिकों को काम मिला इसमें प्रवासी श्रमिकों की संख्या 1.25 लाख थी। राज्य में 8160 ग्राम पंचायतों में 3 लाख 9 हजार से अधिक योजनाओं में काम हो रहा है।

राज्य सरकार मजदूरों के लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल कर रही है। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गई है। मनरेगा योजना के तहत जितना भी काम हो रहा है। सरकार के पास धन (श्रम बजट) की कमी नहीं है, जिसका फायदा बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के प्रवासी अकुशल कामगारों को हो रहा है।

6.9 मजदूर कार्ड योजना (2021–22)

कोरोना महामारी में असंगठित मजदूरों को रोजगार की दिक्कत हो रही है, ऐसे में सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण मजदूर कार्ड की योजना बनी है। इससे सरकार के पास रोजगार तलाश करने में सहूलियत होगी। इसको लेकर सरकार द्वारा असंगठित मजदूरों का भी मजदूर कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। मजदूर कार्ड योजना की शुरूआत 26.08.2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। शुरूआत के बाद जिला के हर सीएससी केन्द्र पर निःशुल्क इसका पंजीयन होगा एवं 16 से 60 साल आयु वर्ग वाले हर असंगठित मजदूरों का कार्ड बन सकेगा। इसे बनवाने के लिए मजदूरों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खुद का मोबाइल नम्बर लेकर जाना होगा।

पांच लाख से कम आय वाले बनवा सकेगें कार्ड सीएससी में बनने वाले मजदूर कार्ड का लाभ पांच लाख से कम आय वाले उठा सकेगें। आयकर सीमा वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर किन्हीं परिवार से पांच सदस्य में सभी असंगठित मजदूर है, तो उन्हें सभी सदस्य का कार्ड बनवाना होगा। योजना के शुरूआत के पहले बनवाना होगा। योजना के शुरूआत के पहले दि नही में ज्यादा से ज्यादा असंगठित मजदूरों का मजदूर कार्ड बनवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सीएससी के सभी अधिकारियों कैंप मोड़ काम का निर्णय लिया है।

सीएससी कर्मियों को दिया गया है प्रशिक्षण योजना का लाभ हर स्तर से हर लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पंचायत स्तर पर मुखिया, सरपंच कार्ड सदस्य आदि के साथ आंगनबाड़ी, सेविका आशा और जीविका की दीदी जागरूक करने के साथ साथ अपना भी कार्ड बनवाएंगे। मजदूर कार्ड बनवाने के लिए पूर्व में जिला के सभी सीएससी संचालकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। योजना का लाभ खासकर रिक्शा, चालक, सफाई कर्मचारी, बढ़ई मिस्त्री, राजमिस्त्री, प्लंबर, महिला और पुरूष किसान को देना है।

बिहार राज्य के साढ़े तीन करोड़ मजदूरों को सीएससी से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य की आबादी का करीब 30 प्रतिशत है। बिहार में भवन एवं अन्य सन्निमणि कर्मकार कल्याण बोर्ड में लगभग 18 लाख 34 हजार कामगार पंजीकृत है। इन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना भी चलाया जा रहा है। मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना है।

610 सरकार द्वारा संचालित प्रमुख रोजगार योजनाएँ

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रारम्भ होने का वर्ष	प्रमुख उद्देश्य
1.	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	दिसम्बर, 1997	शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
2.	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	अप्रैल, 1999	ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम को स्वरोजगार प्रदान करना।
3.	प्रधानमंत्री ग्राम	25 दिसम्बर,	वर्ष 2007 तक 500 तक की आबादी के

	सड़क योजना	2000	सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ते हुए गांवों को मजदूरीपरक रोजगार उपलब्ध कराना।
4.	जयप्रकाश रोजगार गारण्टी योजना	फरवरी, 2001	देश के सर्वाधिक जनपदों में बेरोजगारों को सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना।
5.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	सितम्बर, 2001	ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को अतिरिक्त रोजगार के साथ खाद्य सुरक्षा प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना।
6.	काम के बदले अनाज	नवम्बर, 2004	प्रत्येक कार्य दिवस के लिए 5 किलोग्राम अनाज प्रतिदिन दिया जाता है।
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, 2005	2 फरवरी, 2006	रोजगार के इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण कराने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिये जाने पर न्यूनतम मजदूरी दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
8.	मैला ढोने वालों हेतु स्वरोजगार योजना	दिसम्बर, 2006	इस योजना में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मैला ढोने वाले लोगों हेतु आवश्यक वित्तीय सुविधाएं तथा कौशल प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार में सीमित करना है।
9.	स्किल डेवलपमेंट मिशन योजना	दिसम्बर, 2006	इस योजना के अन्तर्गत नये औद्योगिक माहौल के अनुरूप कम पढ़े लिखे लोगों एवं डिग्रीधारी वयस्कों को नए–नए कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें

			स्वरोजगार में शामिल करने योग्य बनाना है।
10.	ग्राम बाजार योजना	नवम्बर, 2008	इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने हेतु ग्रामवादियों के जीवन स्तर को बढ़ाना है।
11.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	15 अगस्त, 2008	इन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 'माइक्रो एण्टरप्राइजेज' के जरिए रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना है।

6.11 बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना

बिहार सरकार राज्य के निर्धनों, असहायों तथा असंगठित क्षेत्र के कुछ क्षेणियों के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा के विशेष योजनाएं चलाती आ रही है। इस योजनाओं में मुख्य है– 1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, 2. असंगठित मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, 3. निजी दुर्घटना बीमा सामाजिक योजना, 4. भूमिहीन कृषि मजदूर समूह बीमा योजना, 5, वस्त्र वितरण योजना, 6. झोपड़ी बीमा योजना, 7. बंधुआं मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम। इन योजनाओं का समुचित प्रबंधन के लिए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय का गठन किया गया है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यतः जिला अनुमंडल एवं प्रखण्ड प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशानुसार होता रहा है। 2007 में बंधुआं श्रमिकों के पुनवर्सन को छोड़कर सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समाज–कल्याण विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया। वर्तमान समय में राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज कल्याण प्रथा श्रम संसाधन दोनों विभाग द्वारा चलाई जा रही है।

6.12 सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या एवं भूमिका

13 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों से संबंधित दायर जनहित याचिकाओं को लेकर कुछ फैसला देने के बजाए सरकार को मजदूरों के लिए इंतजाम करने को कहा था, (प्रवासी मजदूरों) को तो पत्रकार करण थापर के साथ बैठक कर पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर एवं एपी शाह घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, कह रहे थे कि संविधान के मात्र 3 में बताए गए नागरिकों के अधिकार पर फैसला देने में न्यायपालिका ने कोताही बरती, अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को लेकर सरकार को कार्यवाही का निर्देश देना था, जैसे तब ये कुर्सी पर थे, तो सब मजदूरों के 100 फीसदी हक महफूज थे।

जब इनकी आलोचना में पूर्व न्यायाधीश मार्केडेय काट जू बोल रहे थे कि मैं इन दोनों से असहमत हूँ और सरकार के पास कितनी वित्तीय शक्ति है और कितने गरीब है, उसका आंकलन न्यायालय के पास नहीं है, तो क्या फैसला दे।

ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि हमारे देश में जहां चर्चा मजदूर नेताओं को एवं सरकार को करनी चाहिए थी, वहां पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं और मीड़िया बढ़ाचढ़ा कर छाप रहा है, कि देखिए भी लॉर्ड साहब को कितनी चिंता है।

दर असल इस देश की समस्या ही सामाजिक ना इंसाफी हैं। इस देश में जितनी ऊंची जाति, उतने बेहतर मौके, जैसे देखने को कोरोना संक्रमण में विदेशों से जो लाखों लोग हवाई जहाजों से मुफ्त ले आए गए थे। उनका आंकड़ा सामने आए तो पता चलेगा कि वे मुफ्त में क्यों आए ? देश के अन्दर मजदूरों के जिंदगी आज विभिन्न समस्याएं से ग्रसित है और वे लाचार वेबस मजदूर लोग जिंदगी के उपवन में तड़प रहे हैं, चाहे संगठित हो या असंगठित क्षेत्र के उनकी जातियों पर गौर कीजिए।

सता के तरीके से लेकर सता के काम करने तक सामाजिक व्यवस्था तक ने सबको देखने से यही लगता है कि इनके पुरखों को मजदूर बनाए रखा था और आजाद भारत में ही सब कुछ यही हो होता रहा है। सरकार भले ही इनके आंकड़े सामने न रखे मगर असंगठित मजदूरों के सदस्यों को देखे जब रोजगार ही मिलता

ये सब सड़क पर भूखे प्यासे भटकते हुए दिखते हैं, इन मजदूरों से बात करके देख लीजिए।

किस मौलिक अधिकार की बात ये पूर्व न्यायाधीश कर रहे है ? अनु0 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, क्या कहने मात्र से कोई नागरिक जीवन ली लेगा ? जीवन के साथ रोजगार का मसला जुड़ा है, हर साल एक करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार के फौज में शामिल हो रहे और जो नौकरियां है भी सरकार उन्हें खत्म कर रही है।

भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक, तकरीबन एक तिहाई आबादी गरीब है। भारत की गरीबी संसाधनों की कमी से नहीं बल्कि यह सोशल जस्टिस की कमी के चलते हैं।

दुनिया के बहुत अच्छी जमीन हमारे पास है। खजिनों का अनुकूल भंडारण हमारे पास है। पशुधन से लेकर मानव श्रम की अकूत दौलत हमारे पास है, फिर क्या बजह है कि भारत में दुनियां के सबसे गरीब मजदूर रहते हैं ? उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना जैसी नदियों के पानी का इस्तेमाल वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो राज्य से एक भी गरीब को बाहर कमाने जाने की जरूरत नहीं है।

उंगरगढ़ राजस्थान के एक वैज्ञानिक भारत सरकार को जल संरक्षण एवं इस्तेमाल का पूरा वैज्ञानिक रोड़ मैप मुहैया कराया था, तब प्रोजेक्ट हासिल करने वाले जाहिल मुस्करा रहे थे।

एक बांघ को बनाने के लिए 50 साल लगते है और करोड़ो लोग उस इलाके से जाकर कहीं बाहर बसते हैं, इस समस्या को लेकर सालो लड़ाईयां चलती है, जिसका समाधान उन्होंने 50 महीने में बिना कहीं दूसरे जगह बसे, बिना जमीन को डुबाए पेड़ों को काटे बताया, मगर सता चाहती है कि गरीबों के चलते वह सत्ता में है इसलिए टसमस नहीं होती।

झारखंड, ओड़िसा, बिहार और राजस्थान अकूत खनिज संसाधनों की जमीन है मगर आज इन्हीं राज्यों के करोड़ों गरीब लोग कहीं और बसने के लिए मजदूर हैं, क्योंकि खनिज संपदा पर स्वदेशी लालाओं ने कब्जा कर लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से पूछा कि भुखमरी से देश में कितने लोगों की मौत हुई ? आटांर्नी जनरल का कहना था कि भुखमरी से कोई नहीं मरा, लेकिन उनके पास इसका कोई अध्ययन नहीं है। यह सब है कि सरकारी आंकड़े में भूख से किसी मौत का रिकार्ड नहीं है, लेकिन इसका कारण यह है कि भूख से कोई एक दिन में नहीं मरता बल्कि बजह पोषक तत्वों का शरीर में गिरता स्तर और उन अभावों से पैदा हुई बीमारियां होती है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रहा था कि इस भयंकर ठंड ठिठुरन में फूटपाथ पर बेसहारा लोग अक्सर गुमनामी में मर जाते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कोर्ट को सरकार से अपेक्षा थी कि दक्षिणी राज्यों की भांति देश में सभी जगह मुफ्त भोजन चलाए जाए। लेकिन क्या यह स्थाई समाधान है ? क्या लोग फुटपाथ को अपना घर भीख को आजीविका बनाते हैं ? इनकी संख्या लाखों में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब और आबादी नहीं झेल सकती, लिहाजा लोग बेचारगी में शहरों में श्रम बेचने आते हैं। बड़े शहरों के मजदूर चौराहों पर हजारों की तदाद में श्रमिक हर आने वाले वाहन को आशा से देखते हुए उन्हें घेर लेते हैं। उसका एक दिन के लिए दस प्रतिशत ही खुश किस्म होते हैं। बाकी 90 फीसदी वापस लौट जाते हैं। बच्चों को फिर भूखा सुलाने के लिए। कुछ दिन के भुखमरी के बाद ऐसे श्रमिक भीख मांगने वालों की दुनियां में चले जाते हैं। कहने को शेल्टर होम हैं, लेकिन अक्षमता और भ्रष्टाचार उन्हें मनुष्य के रहने लायक नहीं छोड़ता। सर्वोच्च न्यायालय की चिंता जायज है, पर स्थाई हमें तलाशना होगा।

6.13 असंगठित कामगारों के लिए फंड की घोषणा

असंगठित कामगारों के विभिन्न प्रकार की मदद के लिए सरकार एक फंड की स्थापना करने जा रही है। आगामी बजट में इस फंड की विस्तृत घोषणा हो सकती है। वहीं ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को जल्द ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) से जुड़े अस्पताल की ओपीडी सुविधा मिल सकती है।

ओमिक्रोन की बजह से देश व्यापी लॉकड़ाउन की स्थिति में भी ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को सहायता दी जा सकती है। असंगठित कामगारों के आंकड़े एकत्र करने और उनकी मदद के लिए सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में (2021) ई–श्रम पोर्टल की शुरूआत की थी। अब तक देश भर के 19–51 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

श्रम मंत्रालय एक रिपोर्ट के अनुसार असंगठित कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल और उनकी भलाई के लिए सरकार एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना करने जा रही है। यह स्वास्थ्य प्राधिकरण की तर्ज पर होगा। असंगठित कामगारों के लिए फंड की भी स्थापना की जाएगी और आगामी बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि फंड का आकार क्या होगा इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इस फंड का इस्तेमाल कामगारों की भलाई से जुड़े काम के लिए किया जाएगा। नई श्रम संहिता के तहत असंगठित कामगारों के लिए फंड का प्राविधान किया गया है।

ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को ईएसआइसी अस्पताल की ओपीडी भी दी जाएगी। श्रम मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं को ई–श्रम पोर्टल से जुड़ने की तैयारी चल रही है, ताकि इस पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले श्रमिक उसका लाभ उठा सके।

सरकार की बीमा योजना, पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, जैसी तमाम स्कीम इन कामगारों के लिए लागू होंगी, जिसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार हो रही है।

श्रम मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को जरूरत पड़ने पर नकद रूप में सहायता दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को 500 (पांच सौ) रू0 देने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार भी इस प्रकार से अपने श्रमिकों को नकद देने पर विचार कर रहा है।

6.14 कौशल भारत

देश का श्रम शक्ति को हमेशा शिकायत रही है कि उसे उचित परिश्रमिक नहीं मिलता। इसके विपरीत नियोक्ताओं का यह शिकायत रही है कि उन्हें कुशल श्रम शक्ति नहीं मिलती। इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने कौशल विकास योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत निर्माण, इलैक्ट्रानिक्स एवं हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एवं जेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 क्षेत्रों में इच्छुक मजदूर लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत देश भर में 22.550 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा चुके हैं। वर्ष 2016 से दिसम्बर 2020 तक 34.17 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रशिक्षण के लिए पंजीयन करवाया। 33.62 लाख से ज्यादा लोग प्रशिक्षित हुए। सरकार ने 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों की कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। इस दृष्टि से बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं।

6.15 स्टार्ट अप

युवाओं ने अपनी ओर देश की तरक्की के लिए नया रास्ता तलाशा है। वह है स्टार्ट अप वर्ष 2014 में देश में महज 3000 स्टार्ट अप हुआ करते थे, जिसकी संख्या अब 50000 से ज्यादा हो चुकी है। सरकार ने स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद से लेकर नियमों में बदलाव तक किए है। इससे आज बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में मजदूरों के रोजगार मुहैया कराने के साथ–साथ आर्थिक समस्याओं के दूर करने में योगदान दे रहे है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में तेजी से स्टार्ट अप का विकास हो रहा है। उम्मीद है कि 2021 में इसकी संख्या एक लाख के आस पास हो जाएगी और इनके जरिए लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा।

6.16 हुनर के उस्ताद

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने हुनर के उस्ताद कार्यक्रम के जरिए दस्तकर, शिल्पकार कारीगर एवं खानसामों को प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाने की योजना शुरू की है। इसके जरिए बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के मजदूरों (हुनरमंद) में कौशल विकास करने के साथ–साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का दवा है कि इस योजना के तहत गत वर्ष तक पांच लाख लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। हुनर हाट योजना के जरिए इन हुनर मंद मजदूरों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न राज्यों में इनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इससे जहां उसके हुनर का प्रचार होता है वहीं कलाकृतियों की उचित कीमत भी मिलती है।

6.17 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना

- 2019–20 का अंतरिम बजट जब पेश हुआ था तो सरकार ने 15 हजार रुपए तक मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा था।
- इसके तहत ऐसे कामगारों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने का प्रस्ताव है।
- इस पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के कामगार एक छोटी–सी राशि के मासिक अंशदान से 60 साल की आयु से 3000 रूपए की निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
- इसके तहत 29 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना से जुड़ने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार को केवल 100 रुपए प्रतिमाह का अंशदान 60 वर्ष की आयु तक करना होगा।
- 18 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना में शामिल होने वाले कामगार को सिर्फ 55 रुपए प्रतिमाह का अंशदान करना होगा।

- सरकार हर महीने कामगार के पेंशन के खाते में इतनी ही राशि जमा करेगी।
- संभावना है कि अगले पांच सालों में असंगठित क्षेत्र के कम–से–कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तब यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बन जाएगी।
- इस योजना के लिये 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई और यह योजना 15 फरवरी से लागू भी हो गई है।

श्रम योगी मान धन योजना

असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को 3000 रू0 मासिक पेंशन तय करने वाली प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम–एसबाइएम) योजना 05.03.2019 मंगलवार से पूरे देश में लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अहमदाबाद में श्रमिक लाभार्थियों को श्रम योगी मान धन योजना का पेंशन कार्ड बनाकर बांट कर योजना शुरू की।

बिहार के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष के बाद तीन हजार रू0 प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। इस योजना में प्रतिमाह 55 से 200 रू0 अंशदान करना है। कामगार जितनी राशि अंशदान करेंगे उतनी ही राशि हर माह सरकार देगी। इसमें 50 प्रतिशत केन्द्र और 50 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इसी क्रम में हमारे बिहार कम समय में ही राज्य के 33 हजार कामगारों को इस योजना के लिए पंजीयन हो चुका है। निर्माण मजदूर को स्वभाविक मृत्यु पर भी एक लाख के बदले अब 2 लाख रू0 मिलेगे। केन्द्र सरकार ने अब राज्य के 94.42 लाख गरीबों को बीमा का सुरक्षा का कवच दिया। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनायेगा। देश के 40 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार इसका लाभ ले सकेंगे। जिसकी आर्थिक आय 15 हजार या इससे कम है। इस योजना का लाभ ले सकेंगे। जो न्यूनतम 18 अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए।

सारण प्रमंडल में इस योजना का शुभारंभ होने से मजदूरों को काफी मदद मिला है। इस योजना का शुभारंभ के सिवान सांसद छपरा सांसद राजीव प्रताप

खड़ी के प्रतिनिधि और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से आए निदेशक व नोडल अफसर अगर सिंह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी राजीव कुमार एवं अन्य गजमान लोगों द्वारा ऑन द स्पार्ट योजना के लिए 05.03.2019 को 13 मजदूरों को मौके पर पंजीयन कराएं और परिचय पत्र भी दिया जिसमें मजदूर के रूप में विनोद कुमार सिंह, चंदन कुमारी, मनोज कुमार आदि शामिल थे।

दूसरी ओर निबंधित मजदूरों को पेंशन के लिए राज्य सरकार प्रीमियम राशि का भुगतान करेगी। पीएम श्रम योगी मान धन योजना के तहत पेंशन के लिए प्रीमियम राशि पांच लाख तक सरकार खुद देगी। निर्माण संबंधी कार्यों से जुड़े निबंधित मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा। श्रम विभाग ने ऐसे मजदूरों के लिए प्रथम चरण में 5 लाख श्रमिकों की सूची तैयार कर ली है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सालाना अधिकतम 1.5 करोड़ टन ओवर वाले छोटे व्यावसायी, दुकानदार, कमीशन एजेंट इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रीमियम राशि प्रतिमाह 55 से 200 रू0 60 राशि केन्द्र सरकार दे रही है।

निर्माण से जुड़े निबंधित मजदूरों का ही प्रीमियम राशि सरकार जमा करेगी। निजी मकान छोड़कर बहुमंजिली इमारत सरकारी भवन, निर्माण का नक्सा पास होने के समय ही 1 प्रतिशत श्रम शेष राशि ले लें। शेष राशि बसूलने की समस्या नहीं रहेगी। इससे बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड फंड अधिक होगा, ताकि श्रमिकों और उनके परिवार को अधिक लाभ दिया जा सके। बिहार सरकार ने 2.64 लाख निबंधित श्रमिकों को खाते में चिकित्सा सहायता मदद में 3000 सालाना की दर से 112 करोड़ की राशि सीधे भेजी। केन्द्र सरकार ने महिला श्रमिकों को मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह सवैंतानिक कर दिया है। बिहार मजदूर कल्याण बोर्ड में 16 लाख मजदूर निबंधित है। बिहार में भी महिला मजदूरों को भी संवैतानिक मातृत्व अवकाश 6 माह करने की जरूरत है। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग को कदम उठाना चाहिए।

श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों का निबंधन कराना है। दो वर्ष पहले लगभग 8 लाख निबंधित मजदूर थे, जो अब बढ़कर 16

लाख हो गए है। इस संख्या को और बढ़ाना है। श्रम अधिकारियों ने कहा कि पहले प्रत्येक पंचायत कम से कम 200 नए मजदूरों का निबंधन कराए, पहले यह लक्ष्य 100 मजदूर का था, 2016–17 में 142 करोड़ खर्च हुए थे, जो अब 2018–19 में बढ़कर 399 करोड़ होगा। अब किसी भी योजना को लाभ दिलाने में एलईओ और एलएस श्रम अधीनक को दाएं बाएं करने का मौंका नहीं है। श्रमिकों को बाद श्रम अधिकारियों को इसकी सूचना मुख्यालय से दी जाती है।

15 हजार से कम मासिक आय पर योजना का लाभ

श्रम संसाधन के ऊपर मुख्य सचिप सुधीर कुमार ने स्वीकार किया कि श्रमिक और व्यापारियों के लिए पीएम पेंशन योजना लक्ष्य के अनुरूप राज्य में नहीं है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक लक्ष्य पाने में हम सफल होंगे। इस योजना से वैसे श्रमिक और व्यापारियों को लाभ मिलेगा, जो अन्य इपीएफ आदि का लाभ नहीं ले रहे हैं। इस योजना में खेती हर मजदूर, फेरीवाला, रिक्शा, ठेला, चालक, भूमिहीन मजदूर, धोबी, कचरा चुनने वाले, बोझा ढोने वाले, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, दर्जी, पान दुकान वाले, इस तरह के अन्य कामगार। इस योजना में शामिल हैं, जिनका 15 हजार रू0 से कम मासिक आय है।

6.18 श्रम प्रशासन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 और अनुसूची 7 में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन संबंधी उपबंध है। श्रम संबंधी विधान बनाने के विषयों को संघ सूची, समवर्ती सूची तथा राज्य सूची तीनों में रखा गया है।

संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर संसद और राज्यों के विधान मंडल दोनों कानून बना सकते हैं।

संघ और समवर्ती सुचियों में उल्लिखित विषयों में मुख्य है– औद्योगिक संबंध, नियोजन, श्रम प्रबंधन सहयोग, मजदूरी और कार्य की अन्य दशाओं का विनिययन सुरक्षा श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, श्रम विवाद, प्रशिक्षण तथा

सांख्यिकी। अन्य नियोजनों में श्रम नीतियों का क्रियान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है।

केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के श्रम संबंधी कार्यकलाप को समन्वित करती है तथा आवश्यकतानुसार उन्हें परामर्श और निर्देश देता है।

श्रम विधानों के कार्यान्वयन तथा श्रम संबंधी अन्य बातों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तरों पर प्रशासनिक तंत्रों की व्यवस्था की गई है।

6.19 बिहार सरकार का श्रम नियोजन एवं रोजगार संबंधी प्रशासन

श्रम से संबंध अधिकार महत्वपूर्ण विषय संविधान की समवर्ती सूची है। सामान्यतः अधिकांश श्रम कानून केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए हैं तथा उनका प्रवर्तन अपने–अपने अधिकार क्षेत्र के स्थापक में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें दोनों करती हैं, लेकिन कुछ श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों को भी सौपा गया है। कुछ श्रम कानून राज्य सरकारों द्वारा भी बनाए गए है और उनका प्रवर्तन भी राज्य सरकारों द्वारा ही होता है। केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों की तरह बिहार में भी श्रम प्रशासन के लिए तंत्रों की व्यवस्था की गई है।

बिहार में श्रम प्रशासन का दायित्व श्रम संसाधन विभाग (पहले श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग) का है। सरकार पक्ष के इस विभाग के शीर्ष में मंत्री होते हैं। व्यवहार में वे केबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और आवश्यकतानुसार उनकी सहायता के लिए राज्यमंत्री तथा उपमंत्री भी नियुक्त होते रहे हैं।

प्रधान अधिकारी आयुक्त सह प्रधान सचिव होता है, जो श्रम संबंधी सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निवाहता है और अपने अधीनस्थ विभिन्न विभागों के कार्यों को नियंत्रण रखता है।

प्रशासनिक पक्ष (1) श्रम युक्त का कार्यालय (2) मुख्य कारखाना निरीक्षणालय (3) मुख्य वायरल निरीक्षणालय (4) कृषि श्रमिक निदेशालय (5) मुख्य निरीक्षण पदाधिकालय का कार्यालय (6) नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय तथा (7) निदेशालय चिकित्सा सेवाएं (कर्मचारी राज्य बीमा योजना) इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा अधिनिर्णय तंत्र तथा त्रिपक्षीय निकायों का भी गठन किया गया है।

6.20 बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

बिहार सरकार राज्य के निर्णयों असहायों तथा असंगठित क्षेत्र के कुछ श्रेणियों के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं चलाती आ रही है। इस योजनाओं में मुख्य है– (1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, (2) असंगठित मजबूर दुर्घटना अनुदान योजना, (3) निजी दुर्घटना बीमा सामाजिक योजना, (4) भूमिहीन कृषि मजदूर समूह बीमा योजना, (5) वस्त्र वितरण योजना, (6) झोपड़ी बीमा योजना, (7) बंधुआं मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम। इन योजनाओं का समुचित प्रबंधन के लिए, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में सामाजिक सुरक्षा निदेशालय का गठन किया गया है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यतः जिला अनुमंडल एवं अखण्ड प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशानुसार होता रहा है। 2007 में बंधुआं श्रमिकों के पूनवसिन को छोड़कर सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समाज कल्याण विभाग में दृष्टांतरित कर दिया गया। वर्तमान समय में राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज कल्याण तथा श्रम संसाधन दोनों विभागों द्वारा चलाई जाती है।

6.20.1 योजनाएं एवं उसका लाभ– बिहार सरकार असंगठित श्रमिकों को विशेष रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दशाओं में सुधार हेतु अनेक उपायों द्वारा प्रयास कर रही हैं–

बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 1 अप्रैल, 2011 एवं कार्यान्वयन। बिहार राज्य के अन्दर असंगठित कार्य क्षेत्र में कार्यरत कामगारों एवं शिल्पकारों को उनकी सामान्य मृत्यु, दुर्घटना के फलस्वरूप पूर्णतया आंशिक निःशक्ता दुर्घटना में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती होने तथा कतिपय असाध्य रोगों की दशा में सुरक्षा प्रदान करने एवं इन कामगारों तथा शिल्पकारों के बच्चों को स्कूली शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने के वृहत उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 1 अप्रैल, 2011 को मंजूरी दी है।

6.20.2 योजना के लाभ की पात्रता– यह योजना बिहार राज्य के निवासी उन सभी कामगारों पर लागू होगी जो असंगठित कार्य क्षेत्र में काम करते हैं। साथ ही योजना के अन्तर्गत परिभाषित शिल्पकारों के लिए भी यह योजना लागू होगी।

बिहार राज्य में निर्माण कार्य के निम्न कोटि के असंगठित कामगार आते हैं–

1. भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार।
2. राज मिस्त्री (3) राज मिस्त्री का हेल्पर (4) बढ़ई (5) लौहार (6) पेंटर (7) मकान में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलैक्ट्रिशियन (8) भवन में फर्श/फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री या उसके सहायक (9) सेट्रिंग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले (10) गेट गिल एवं बेल्डिंग का कार्य करने वाले (11) कंक्रीट मिश्रण करने वाले कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले/ढोने वाले (12) महिला कामगार (रेजा) सीमेन्ट गारा मिक्स ढोने का कार्य करती है। (13) रोलर चालक (14) सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्यों में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर/चौकीदार (15) भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर फीटर इत्यादि। (16) ईट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर (17) रेलवे टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार (18) मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत (बाड़ावानी एवं वानिकी को छोड़कर) 50 दिन कार्य करने वाले मजदूर।

6.20.3 शिल्पकार कौन है ?– योजना अनुसार शिल्पकार उन मजदूरों को माना गया है जो अपनी रोजी– रोटी निम्नांकित व्यवसायों से चलाते हैं– लौहारगिरी, टोकरी निर्माण, बैलगाड़ी, साईकिल, ठेला, हाथ ठेला चालन, बढ़ईगिरी, रिक्शा चालन, खिलौना निर्माण, पशुपालन, कुम्हारगिरी, नाईगिरी, हस्तकरघा, मल्लाहगिरी, मदारीगिरी का प्रदर्शन आदि।

भेड़–बकरी पालन, दर्जीगिरी, रफुगिरी, पत्थर तोड़ना, फेरी लगाना, ठठेरा गिरी, दुकानदार, ऑटोरिक्शा चालन, सब्जी एवं फल बिक्री, मूर्ति निर्माण, कपड़ा रंगाड़ बुनाई आदि। उपरोक्त सभी कार्य दृष्टांत युक्त हैं।

6.20.4 योजना का लाभ– इस योजना के अन्तर्गत उपरिअंकित असंगठित कार्य क्षेत्र के कामगार तथा शिल्पकारों या उनके आश्रितों को निम्न लाभ देय होगा।

- कामगार एवं शिल्पकार की स्वामानिक मृत्यु होने पर उनके विधिक आश्रितों को 30,000/– (तीस हजार) रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
- दुर्घटना के कारण कामगार या शिल्पकार मृत्यु होने पर उनके विधिक आश्रितों को 1,00,000/– (एक लाख) रू0 का अनुदान दिया जाएगा।
- पूर्ण स्थायी निःशक्ता की स्थिति में उन्हें 75,000/– (पचहत्तर हजार) रू0 का अनुदान दिया जाएगा।
- दुर्घटना के फलस्वरूप हुई चोट के लिए कम से कम पाँच दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर 5,000/– (पांच हजार) रू0 की चिकित्सकीय सहायता दी जाएगी।
- असाध्य रोगों के लिए 7500 से लेकर 30,000/– (तीस हजार) रू0 तक का चिकित्सा सहायता का भुगतान किया जाएगा।

6.21 बिहार भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड

कल्याणकारी योजनाएं

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा नई कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हैं जो निम्न हैं–

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत देय राशि
1.	मातृत्व लाभ	रू0 10,000/– प्रति शिशु प्रथम दो प्रसव तक
2.	पेंशन	अटल पेंशन 1000/– से रू0 5000/– तक प्रतिमाह
3.	विकलांगता पेंशन	रू0 1000/– प्रतिमाह
4.	मृत्यु लाभ	(क) स्वावभाविक मृत्यु में रू0 1,00,000/– (एक

		लाख) (ख) दुर्घटना मृत्यु में 4,00,000/– चार लाख
5.	नकद पुरस्कार	रू0 25,000/–, 15,000/– एवं रू0 10,000/–
6.	चिकित्सा सहायता	मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि
7.	शिक्षा के वित्तीय सहायता	एक मुश्त रू0 20,000/–, 10,000/–, 5,000/–
8.	विवाह के लिए वित्तीय सहायता	रू0 50,000/– (पचास हजार)
9.	भवन मरम्मती अनुदान योजना	रू0 20,000/– (बीस हजार रू0)
10.	साईकिल क्रम अनुदान योजना	अधिकतम रू0 4,000/– (चार हजार रू0) का कूपन
11.	औजार क्रय अनुदान योजना	अधिकतम रू0 15,000/– का औजार
12.	दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता	रू0 1000/–
13.	परिवार पेंशन	पेंशनधारी को प्राप्त राशि का 50% या 100 में जो भी अधिक हो।

6.22 बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना

केन्द्रीय बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 से प्रभावी है एवं नई योजना के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास मद में राज्य सरकार द्वारा कोई नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बंधुआ मजदूरी की कुप्रथा से विमुक्त श्रमिकों को तीन श्रेणियों में विभक्त करते हुए इनके आर्थिक पुनर्वास का प्रावधान किया गया है–

1. वयस्क बंधुआ श्रमिक– वयस्क विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वास हेतु 1,00,000/– (एक लाख रू0) की राशि उपलब्ध कराया जाएगा।

दूसरे श्रेणी में बच्चों/अनाथों अथवा पैसे बच्चों को जिन्हें संगठित या जबरन शिक्षावृत्ति कराने वाले कुचक्र से विमुक्त कराये गए हों या महिलाओं को शामिल किया गया है। इस श्रेणी के बंधुआ श्रमिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि 2,00,000/– (दो लाख) की होगी, जिसमें 1,25,000/– (एक लाख पच्चीस हजार रू0) की राशि बाल श्रमिकों के नाम में जमाकर दिया जाएगा तथा एवं विशेष राशि को विमुक्त श्रमिकों के बैंक खाते में तकनीकी प्रणाली द्वारा जमा कर दिया जाएगा।

तीसरी श्रेणी में वैसे श्रमिकों को शामिल किया जाएगा जो गंभीर प्रकृति के कार्यों से विमुक्त कराये गये हैं। दूसरी श्रेणी में महिलाओं या बच्चों को शामिल किया गया है, जिन्हें वेश्यालयों मसाज पार्लर, प्लेसमेंट एजेंसी से देह व्यापार अथवा वैसी स्थितियों जो जिला पदाधिकारी द्वारा इसके निमित उपयुक्त समझे से विमुक्त कराया गया है।

इस श्रेणी के श्रमिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 3,00,000/– (तीन लाख रू0) होगी जिसमें दो लाख की राशि में जमा कर दी जाएगी तथा शेष 1,00,000/– (एक लाख रू0) की राशि विमुक्त श्रमिकों के बैंक खाते में E.C.S. द्वारा जमा करा दिया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को दिए जाने वाले Non-Cash Components पूर्ववता दिए जाते रहेंगे जो निम्न प्रकार होंगे–

1. गृह निर्माण एवं खेती के लिए भूखंडों का आवंटन
2. भूमि विकास
3. Low Cost doelling unit का प्रावधान।
4. पशुधन डेयरी पॉलट्री एवं सुअर पालन।
5. मजदूरी के साथ रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन आदि।

6. सूक्ष्म एवं वानिकी उत्पादों का संग्रहण एवं प्रसंस्करण।

7. जरूरी वस्तुओं का जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति।

8. बच्चों की शिक्षा।

6.23 बिहार राज्य प्रवासी अनुदान योजना

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं आरम्भ– यह नियमावली बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली 2016 कही जा सकेगी।

(क) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ख) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत होगी।

2. उक्त नियमावली 2008 का नियम 5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। '5' प्रवासी मजदूर की मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी एवं स्थायी आंशिक अपंगता के मामले में न्याय निर्णित आश्रितों अथवा प्रवासी मजदूरों को अनुदान की राशि RTGS (Real Time Gross Sattlement) पद्धति से उनके बैंक खाता के माध्यम से देय होगा। यदि अंचलाधिकारी द्वारा घोषित आश्रितों के विरुद्ध कोई विवाद न हो, तो जिलापदाधिकारी के समक्ष अपील होगी, जिसका विनिश्चित अंतिम होगी।

3. (क) प्रवासी मजदूर के पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में रू0 75,000/– (पचहतर हजार) **(ख)** प्रवासी मजदूर के स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में रू0 37,500/–

6.24 आंशिक विकास की गति तेज करना (To Lecelerate Economic Development)

बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। ऐसे नीतियों पर काम करना होगा, जिसमें श्रम सघन उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके बुनियादी ढांचा विकास छोटे उद्योग, श्रम गहन इकाइयों कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि को बढ़ावा देकर रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के ग्रामीण मजदूर युवाओं को स्थायी स्तर उपलब्ध भौतिक एवं प्रकृति संसाधनों के अनुसार उद्योगों की स्थापना

करवाकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन किया जा सकता है। कुटीर उद्योग हथकरघा उद्योग और छोटे उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है। बेरोजगारी का एक मात्र निदान स्वरोजगार नहीं है। सरकार को अपनी आधारभूत परियोजनाओं लागू करना होगा। बजट में अधिक रोजगार जुटाने वाले क्षेत्रों पर सरकार को ध्यान केन्द्रित करना होगा। निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देना होगा, विदेशी बाजारों पर भी फोक्स करके रोजगार सृजन में वृद्धि की जा सकती है। अब वर्ष 2019–20 के नजर में विकास की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तभी हमारे सारण प्रमंडल कई बच्चों तो आपराधिक कार्यों में भी संलिप्त हो जाते हैं, अगर मजदूर लोगों के हित को ध्यान में रखकर उक्त बढ़तों पर काम किया जाए, साथ ही समय और धन की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे मजदूरों की सहमती से सभी परियोजनाओं की कुल लागत में उनका हिस्सा तय किया जाए, तो इन सुविधाओं के लिए उन्हें अन्य विकल्पों को अजमाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी।

हम कह सकते हैं कि बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों के आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए सरकार अनेक कार्यों की परिस्थितियों के लिए वे कैसे समावेशी समाधान निकालते हैं और कैसे मजदूरों के लिए भी रोजगार एवं आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू की है–

6.25 नियोजन कार्यालयों का विस्तार (Expension of Employment Offices)

देश हो या राज्य सब जगह पर बेरोजगार मजदूर चाहे वे कृषि, व्यवसाय, या छोटे–बड़े उद्योगों से संबंधी सभी जगहों पर मजदूरों की संख्या है। उन सभी को नियोजन के अवसरों की जानकारी देने और उपलब्ध रोजगार की सूचनाएं रखने में नियोजन कार्यालयों की वर्तमान भूमिका को यदि हम देखे तो सारण प्रमंडल में जरूर मजदूरों के प्रति असंतोषजनक है। आज भी यहाँ हजारों की संख्या में प्रतिदिन रोजगार खोजने वाले विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से मजदूर युवक या हर वर्ग के मजदूर, अपने नाम इन कार्यालयों में दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। जिन मजदूरों के

नाम दर्ज भी हुए है उन्हें भी इन कार्यालयों के जरिए रोजगार प्राप्त करने में कई सहूलियत प्रदान नहीं की जाती है। अतः सारण प्रमंडल के अन्तर्गत असंगठित मजदूरों की समस्या से संबंधित रोजगार कार्यालय को व्यवहारिक एवं उद्देश्य मूलक बनाने की आवश्यकता है।

6.26 जनसंख्या नियोजन को मजबूत करना

जनसंख्या नियोजन के क्षेत्र में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएँ धरातल पर बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में खुशियाँ ला रही है। जो मजदूर अपनी रोजी–रोटी चलाने को मोहताज थे, वे आज स्थानीय प्रशासन की मदद से बहुत आगे बढ़ रहे हैं।

कोरोना संक्रमण के समय जब लॉकडाउन से मजदूर लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, तो सरकार ने उनके जीविकोपार्जन के लिए अनेक तरह की योजनाएँ संचालित की। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के मदद् से तकरीबन 39 विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजदूर परिवार में खुशहाली लाई गई। बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने तथा हर हाथ में रोजगार से जोड़ने के लिए समूहों का गठन करके उनको संचालित करने के लिए बैंकों से ऋण दिलाया जा रहा है जिसकी मदद से समूह आगे बढ़े और हुनरमंदों को रोजगार से जोड़ा जाए।

दूसरी तरफ जनसांख्यिकीय लाभांश हमारे बिहार में प्रमुख है। सारण प्रमंडल को यदि लाभांश लेना है तो प्रतिवर्ष कार्यशील जनसंख्या में होने वाली अनुमानित वृद्धि के अनुरूप समानांतर रोजगार को बढ़ाने के लिए सुनिश्चित निवेश और संरचनात्मक विकास के मॉडल को अपनाना होगा। हर क्षेत्र के लिए भूमिक विकास मॉडल विकसित करना होगा। इसके साथ तीनों जिलों छपरा (सारण) सिवान और गोपालगंज की आवश्यकताओं में उसके संसाधन एवं बेरोजगार मजदूर युवाओं में सामंजस्य बैठाने के लिए आयु एवं लैंगिक संरचना के अनुसार सामाजिक, आर्थिक नीतियों का निर्माण करना होगा। सारण प्रमंडल के दक्षिणी एवं पूर्वी जिलों से सीख लेते हुए महिलाओं की साक्षरता स्वास्थ्य और कार्यबल में भागीदारी जैसे कुछ

विनियादी सुधार करने होंगे। अपने संसाधनों को कुशल एवं योग्य बनाकर उसका संरचनात्मक तरीके से दृष्टतम प्रयोग करने के लिए रोजगार के सभी क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा।

6.27 कृषि पर आधारित स्वरोजगार की दशा में सुधार

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के शोध अध्ययन क्रम में अध्ययन कह सकते हैं के समावेशों और संतुलित विकास के लिए आवश्यक है कि कृषि पर आधारित व्यवसायिक और योजनाबद्ध तरीके से रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम को लागू करना होगा जैसे–

व्यावसायिक पशुपालन

मधुमक्खी पालन

वत्स्य उत्पादन

दूध उत्पादन

पशुपालन– इन सभी को व्यवसाय कर स्वरोजगार की दिशा में बेहतर विकल्प बनाया जा सकता है, वैसे तो ये सब व्यवसाय के रूप में सदियों से हो रहा है, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक रूप में सबसे कमजोर और पशुपालन के क्षेत्र में खासकर महिलाएं जुड़ी है।

पशुपालन दूध उत्पादन और मछली पालन बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के असंगठित ग्रामीण मजदूरों को रोजगार प्राप्त करने तथा आय के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालन कुल ग्रामीण आय में लगभग पांचवें हिस्से का योगदान करता है और महिलाओं तथा समाज के सीमांत तबके के मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करता है।

सारण प्रमंडल में बकरी पालन आज के अर्थ युग का दूसरा 'एटीएम कार्ड' है। आने वाला समय में कम व्यवसायिक एवं योजनाबद्ध तरीके से बकरी पालन स्वरोजगार की दिशा में बेहतर विकल्प बनाया जा सकता है, ग्रामीण महिलाएं अपनी जेवर से भी ज्यादा नकदी मानती है। इसलिए बकरी को गरीबों का एटीएम कार्ड

कहा गया है। ये ही कारण है कि बकरी को बेचने के लिए बाजार नहीं जाते, बल्कि बाजार ही उसके दरवाजे पर आता है। इसी को ध्यान में रखकर अब सरकार ने समेकित बकरी एवं भेड़ पालन योजना के तहत अनुदान के लिए 19.02 करोड़ राशि भी स्वीकृत की है। इस योजना के तहत व्यवसायिक बकरी पालन के लिए 50 से 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए 50 तो एससी–एसटी के लिए 60 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। इसके साथ–साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नस्ल संबर्धन और दुधारू पशुओं का बीमा इस क्षेत्र के उत्पादों की बिक्री जैसे कई कदम उठाएं है। साथ ही साथ पशुपालन में ग्रामीण श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की है।

मत्स्य उत्पादन– बिहार में 273.3 हजार हेक्टेयर में जल क्षेत्र का और 3200 किमी0 लंबाई में नदियों का विस्तार है। दोनों का राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 3.8 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य में मत्स्य, बीजों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए 121 सरकारी मत्स्य बीजों के लिए अलावा 10 निजी मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र (हेचरी) भी काम कर रहे है। मछली उत्पादन में 2016–17 में बिहार के छपरा (सारण) प्रमंडल के तीनों जिले का अग्रणी रहा है। मत्स्य उत्पादक जिले छपरा (सारण) (49. 8 हजार टन) सिवान (44.0 हजार टन) और गोपालगंज (43.6 प्रतिशत हजार टन) थे। मत्स्य बीज के मामले में भी कम नहीं है।

राज्य सरकार ने मछुआरों को आन साइट प्रशिक्षण दिलाया और उन्हें खुद देखने के लिहाज से आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है। राज्य सरकार ने मत्स्य आहार मिल और मत्स्य बीज प्रजन्न इकाइयों की स्थापना तथा तालाबों के जीर्णोद्वार और मछली बेचने के लिए वाहनों के वितरण में अनुदान उपलब्ध कराई है, जिससे विभिन्न मजदूरों के रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

दुध उत्पादन– दुधारू पशुपालन छोटे और सीमांत किसान मजदूरों को प्रचुर जीविका उपलब्ध कराने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में उत्पादन की प्रमुख स्त्रोत गाय है जिनका कुल दूध उत्पादन में लगभग 58.9

प्रतिशत हिस्सा है। दूसरा स्थान भैसों का है (40.6 प्रतिशत) और इसके बाद बकरियों (04 प्रतिशत) गाय दूध उत्पादन में छपरा सारण जिला एवं सिवान जिला का नाम उच्च अनुपात में है जब कि भैसे बकरी के दूध उत्पादन में गोपालगंज का उच्च हिस्सा था। अब भी बिहार पशु प्रजनन नीति 2011 के आधार पर कृत्रिम गर्भाधान के प्रोटोकाल का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे पशुओं की नस्ल सुधरेगी और उनकी दूध की उत्पादकता बढ़ेगी। गौशाला विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिशत इकाई 20 लाख रू0 की सहायता स्वीकृत की गई है। इससे भी रोजगार प्राप्त हो रहा है।

मधुमक्खी पालन– भूमिहीन श्रमिकों पुरुष और महिलाओं के लिए फायदेमंद व्यवसाय एवं रोजगार है। कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा मधुमक्खी पालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षित किया जा रहा है। विभाग द्वारा बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के मधुमक्खी पालकों के बीच उपयुक्त प्रजाति की मधुमक्खी एवं बॉक्स का वितरण कृषि रोड़ मैप 2012–17 के तहत किया गया है। मधु के प्रसंस्करण इकाई की स्थापना कर प्रसंस्करण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से सारण प्रमंडल में जीविका की महिला समूह को सम्बद्ध कर ऐसे महिला समूह की आय में वृद्धि करायी गयी है।

बागवानी विकास– फल, फूल, सब्जियाँ, कन्दमूल, फसलें, मसाले, सुगंधीय एवं औषधीय पौधे उधानिक फसलों की श्रेणी में आते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान के साथ बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के कृषक एवं उद्यमी को आमदनी बढ़ाने स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा, युवाओं में रोजगार सृजन तथा वातावरणीय संतुलन बनाने में उधानिक फसलों की अहम् भूमिका है। इन फसलों की उत्पादन क्षमता अधिक होने के कारण प्रति इकाई जमीन से अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सारण प्रमंडल में कृषि आधारित रोजगार के लिए लगेठा छोटे–बड़े उद्योग धंधों में मजदूरों का रोजगार इस प्रकार से हैं। राइस मिल द्वारा चावल का कुटाई करना, गन्ने का जूस (रस) पेगई करना, गन्ने के

रस पेगई कर गुड तैयार करना आदि इस प्रकार से मजदूरों में सब में आसानी से रोजगार प्राप्त हो जा रहा है, जिससे मजदूरों की आर्थिक सुधर रहा है।

इस क्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी उन्नत कृषि खुशहाल किसान पर आधारित योजना भी चलाई जा रही है। जैसे–

कृषि रोड़ मैप (2017–2022)

जैविक कोरिडोर

संस्थागत विकास

सुखा ग्रस्त में कृषि इनपुट अनुदान

डीजल अनुदान

बिहार राज्य फसल सहायता योजना–

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

समर्पित कृषि फीड़र

अनुदानित दर पर बिजली

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना

बिहार सरकार का फौकस अब युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। ताकि राज्य के युवा उद्यमी बने और अपने साथ–साथ दूसरे के लिए भी रोजगार सृजन कर सके। इसके लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्य रूप से उद्योग विभाग चार प्रमुख उद्यमी योजना चला रहा है। जिसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति योजना, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा उद्यमी योजना को पहले ही मजदूरी दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना को स्वीकृत देने के साथ दोनों योजनाओं के लिए 200–200 करोड़ स्वीकृति दी है।

मुख्यमत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 (दस) लाख रुपये तक ऋण सरकार देगी, 50 फीसदी अनुदान वहीं 5 लाख रू0 बिना प्याज के 84 किस्तों में लौटानी होगी।

6.28 अल्पसंख्यक रोजगार

सरकार द्वारा लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरूआत की गई है। योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 50 लाख तक का लोन रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाता है।

योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन व पारसी समुदाय के व्यक्तियों को स्वरोजगार के 50 लाख रू0 तक का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। लोन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाता में सीधे मुनाफे हस्तांतरण के माध्यम से पहुंचायी जाती है। आंकड़े पर गौर करे तो वित्तीय वर्ष 2019–20 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ 291 लाभ को मिला है। इसके लिए कुल 479 आवेदन प्राप्त हुए थे। योजना के लिए दो करोड़ तीन लाख 50 हजार रू0 अनुमोदित किया गया है। वहीं जिला अल्पसंख्या कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि योजना के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वह आत्मनिर्भर बनेंगे।

6.29 जीविका एवं नाबार्ड के माध्यम से स्वरोजगार

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल में अब गांव–गांव में महिलाएं स्वरोजगार अपना कर अपने घर परिवार से लेकर अपने गांव की तकदीर बदल रही है। सारण प्रमंडल में जीविका के महिलाओं के लिए समूह में विभिन्न तरह का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार, लायक बनाया जा रहा है। समूहों को बकरी, गाय, भैस एवं मुर्गी पालन से लेकर अगरबत्ती, मसाला बनाने आदि का प्रशिक्षण देकर ही उन्हें घर पर ही अपना कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण दिया जा रहा है। जीविका के आँकड़े के अनुसार हर गांव में जीविका समूह भी बन चुका है। इस सदस्यों के माध्यम से ढाई लाख से अधिक कारण प्रमंडल में महिलाएं प्रशिक्षण लेकर

स्वरोजगार से जुड़ चुकी है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आगे आगे देखते हुए अब इस साल (2021) स्वावलंबी बनने वाली महिलाओं का आंकड़ा चार लाख से पार होने की उम्मीद दिखने लगी है। जीविका के माध्यम से महिलाओं को स्वावलम्बी बनने की दिशा में प्रयास भी तेज हो गए है।

सरकारी प्रभाव– 20 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ग्रामीण स्तर तक अपने प्रयासों का विस्तार कर रही है। चालू वर्ष में दस 10 लाख स्वयं सहायता समूह खोले जाएंगे।

6.30 गरीब कल्याण रोजगार अभियान द्वारा

बिहार में गरीब रोजगार कल्याण अभियान के जरिए प्रवासी श्रमिकों को काम मिलने में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना की शुरूआत 20 जून 2020 को की थी। इस योजना के जरिए बिहार राज्य को 32 जिलों की हर पंचायत में 36099 श्रम दिवस का सृजन होगा। यह काम मनरेगा के अतिरिक्त होगा। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का है। इसका सबसे अधिक बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल के श्रमिकों को होगा। देश के 116 जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई। इस योजना के दायरे में बिहार के 32 जिले हैं। राज्य के वैसे जिले हैं जहां लॉकडाउन कोरोना संक्रमण के समय 25000/– (पच्चीस हजार) या उससे अधिक श्रमिक दूसरे प्रदेशों से वापस आए हैं, उन्हीं जिलों को इस जिलों में चयनित किया गया है। इसके जरिए पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, खेत–पोखर, तालाब, बकरी सेड, सोख्ता, अक्षय ऊर्जा विक्रय केन्द्र, बांगवानी, पशुआहार, वृक्षारोपरण, सार्वजनिक कुंआ, पंचायत सरकार भवन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास, ग्रामीण सम्पर्क पथ और ग्रामीण हाट का निर्माण होगा जिससे सारण प्रमंडल के तहत गांव में स्थायी रोजगार सृजन के साथ मजदूरों के आर्थिक संकट की घड़ी में तत्काल रोजगार को उपलब्ध करना है, जिससे प्रवासी श्रमिकों को तत्काल मदद दिया जा सके।

6.31 कार्योन्मुख प्रशिक्षण की सुविधा

बिहार की कुल आबादी कामकाजी आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा अनिश्चितता भरे असंगठित क्षेत्र में है। खासकर सारण प्रमंडल के असंगठित मजदूरों के हुनरमंद को ध्यान में रखकर आर्थिक समस्या के विकास के व्यापक कार्यक्रमों को लागू होने के बावजूद श्रम शक्ति में आने वाले सभी मजदूरों को अलग अलग मजदूरी पर काम नहीं दिलाया जा सकता। सारण प्रमंडल के मजदूरी की आर्थिक समस्या का प्रभावी और स्थायी समाधान के लिए स्वनियोजित को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। स्वनियोजित में वृद्धि के लिए उद्यमी युवाओं को उपयुक्त रोजगार एवं व्यवसायों और विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण देने की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण मजदूरों को व्यवसायों को खोलने तथा उसे चलाने के लिए बिहारी युवा भी उद्यमिता की ओर मुखातिब हैं। बीते 3 वर्षों में सारण प्रमंडल में कई युवा उद्यमी खड़े हुए है। इनमें कई तो उच्ची डिग्री और प्रशिक्षण के बूते मिली मोटी पगार छोड़कर सारण प्रमंडल में उद्यमिता का माहौल बनाने में जुटे हैं। सरकार ने भी ग्रामीण स्तर स्किल मैपिंग के आधार पर ऐसे ही मॉडल खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। यानी हुनर होगा तो अपने घर पर ही काम होगा जिसे आर्थिक समस्या दूर होगा।

6.32 कुछ राज्यों में असंगठित मजदूरों के लिए कल्याणकारी लाभ एवं श्रम विभाग द्वारा जागरूकता अभियान

1. विभिन्न राज्यों द्वारा ऐसे मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। उदाहरणस्वरूप हरियाणा सरकार ने कृषि दुग्ध एवं काश्त क्रियाओं में कार्यरत मजदूरों को दुर्घटना के विरुद्ध बीमा करने का निर्णय लिया है। कृषि मजदूरों को कृषि यंत्रों से मृत्यु एवं विकलांगता को कवर किया गया है। जहां मृत्यु अथवा विकलांगता, नलकूप खोदने, फसल काटने अथवा बोने के दौरान हो जाती ऐसे मामलों में या विद्युत प्रद्यात, अग्नि लगाने में अथवा कीटनाशक के प्रयोग से उत्पन्न दुर्घटना भी इस स्कीम में जोड़ा गया है। मृत्यु की दशा में 15,000/– (पन्द्रह हजार) रू0 तथा गंभीर चोट अथवा

दोनों अंग खोये जाने की दशा में 10,000/– (दस हजार) रू0 प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। अंगुली कट जाने पर 1500/– (पन्द्रह सौ) रू0 दिए जाएंगे।

2. केरल सरकार ने निर्माण मजदूरों एवं आबकारी मजदूरों के लिए दो कल्याण कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन दोनों क्षेत्रों के मजदूरों के लिए वृद्धापेंशन, चिकित्सा सुविधा, आवास ऋण एवं मृत्यु की दशा में मदद् की व्यवस्था की गयी है।

3. मध्य प्रदेश, अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान हेतु सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम 'श्रमसिद्धि अभियान' चलाया गया।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने ग्रामीण श्रमिक सहित सभी नागरिकों को लक्षित कर उनको व्यापक सामाजिक सुरक्षा मॉडल उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित तीन योजनाएं आरंभ की है–

1. **अटल पेंशन योजना–** एपीवाई के अन्तर्गत अंशदाता 60 वर्ष की आयु होने पर अपने अंशदान पर आधारित जो अटल पेंशन योजना से जुड़ने की आयु पर निर्भर करेगी के आधार पर एक निर्धारित न्यूनतम पेंशन प्राप्त करेंगे। केन्द्र सरकार उनके खातों में 5 वर्ष के लिए लाभग्राहियों के प्रीमियम का 50 प्रतिशत योगदान करेगी जो कि प्रतिवर्ष एक हजार रूपये तक सीमित है। अटल पेंशन योजना को लेने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ओर अधिकतम आयु 40 वर्ष है। निर्धारित न्यूनतम पेंशन लाभ की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी।

2. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना–** प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत अंशदाता द्वारा 330/– रूपये प्रतिवर्ष प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपये का वार्षिक जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के उन लोगों को उपलब्ध होगा जिनका एक बैंक खाता है जहां से प्रीमियम ऑटो–डेबिट सुविधा द्वारा ले लिया जाएगा।

3. **पीएमएसबीवाई–** पीएमएसबीवाई के अन्तर्गत 2 लाख रुपये के दुर्घटना मृत्यु जोखिम और पूर्ण विकलांगता को कवर करती है और एक लाख रुपये के आंशिक विकलांगता को कवर करती है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगों को उपलब्ध होगा जिनका एक बैंक खाता है जहां से प्रीमियम ऑटो डेबिट सुविधा द्वारा ले लिया जाएगा।

परीक्षण

केरल राज्य	**मानजेश्वर क्षेत्रः** चिनाला, कोदलामुगारू, मांजीबलिन मुदमबेल, कदम्बर, कुलुर, मांजीपल्ला, चिंगूरपड़े, कोयलोर, सुलयामे, बुल्लुर, कानियाला, कुरुदापावु, **कसरगोड़े क्षेत्रः** चामन्द, कालनद, पडे, कामबर, कानाथूर। **त्रिवेन्द्रम क्षेत्रः** पोनमुदी
झारखंड	ब्रजामदा, पाकुर, चक्रधरपुर देवगढ़ जिले में कुछ निचले क्षेत्र
कर्नाटक	कुर्ग
ओडिशा	सांबलपुर
राजस्थान	कोटा क्षेत्र में जहां अधिक खान कामगार है।

6.33 श्रम विभाग द्वारा जागरूकता अभियान

- माननीय एलईएम ने दिनांक 17/12/2016 को हैदराबाद में एक कैशलेस सौदे पर एक कैम्प का उद्घाटन किया जिसमें 1200 कामगारों द्वारा भाग लिया गया था। दो कैम्प तेलंगाना में सिद्दीपट जिला और वारंगल जिले में संचालित किए थे जहां 759 कामगारों ने कैम्प में भाग लिया।
- अजमेर में 202 कैम्प कैशलेस ट्रान्सजैक्शन को प्रवर्तित करने के लिए संचालित किए गए थे जिनमें 5780 कामगारों ने भाग लिया।

- महाराष्ट्र में 52 कैम्प संचालित किए गए थे जिनमें 5281 कामगारों ने भाग लिया।
- झारखंड में पाकूर, चक्रधरपुर, चथरा और देओगढ़ के दूरवर्ती क्षेत्रों में कैम्प संचालित किए गए थे।
- केरल के कन्नूर में बीड़ी कामगारों के लिए 106 कैम्प संचालित किए गए जिसमें 2814 कामगारों ने भाग लिया और यह देखा गया कि 20 प्रतिशत कामगार पहले से ही कैशलेस ट्रान्जेक्शन कर रहे थे।
- 9 कैम्प इलाहाबाद क्षेत्र में आयोजित किए गए जहां 573 से अधिक कामगारों ने भाग लिया।
- कल्याण आयुक्त, पटना द्वारा नवीनगर, धुलियान बाजार, कराहा गांव में कैशलेस ट्रान्सजेंक्शन और डीजिटल भुगतान पर जागरूकता उत्पन्न करने को 9 कैम्प आयोजित किए गए थे।
- ओडिशा के विभिन्न जिलों में 29 प्रशिक्षण कैम्प आयोजित हुए जिनमें 525 बीड़ी कामगारों द्वारा हिस्सा लिया गया।
- गुवाहाटी में 2 कैम्प संचालित किए गए और 240 बीड़ी कामगारों ने इस कैम्प में भाग लिया।
- रायपुर में 100 कैम्प आयोजित किए गए और 2034 बीड़ी कामगारों ने यह कैम्प में भाग लिया।
- कोलकाता में 27 जागरूकता कैम्प आयोजित किए गए थे जहां 3745 कामगारों ने हिस्सा लिया।
- गुजरात के पालनपुर, वादनगर, अहमदाबाद और बोरसद में 07 कैशलेस कैम्प आयोजित हुए जहां 217 कामगारों ने भाग लिया।
- भवन निर्माण कामगारों के लिए बंगलुरू में दो प्रशिक्षण कैम्प आयोजित हुए।

- तिरूनेलवेली बीड़ी कामगारों के लिए 30 कैम्प आयोजित हुए जहां 669 कामगारों द्वारा भाग लिया गया।
- मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बीड़ी कामगारों के लिए 14 प्रशिक्षण कैम्प संचालित किए गए जहां 1958 कामगारों ने भाग लिया।

अध्याय–सप्तम

सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई भूमिकाएँ निभानी पड़ती है जिनमें से उसकी अधिकतम निर्णायक भूमिका कमाने वाले एक सदस्य की है। निर्णायक इसलिए नहीं है कि एक वयक्ति इस भूमिका को निभाने में अपने जीवन का लगभग एक–तिहाई समय लगा देता है, अपितु इसलिए कि यह उसकी आजीविका और प्रस्थिति को निर्धारित करती है तथा उसको अपने परिवार की सहायता और अपने परिवार एवं समाज के आर्थिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के योग्य बनाती है। यह उसे शक्तिशाली भी बनाती है। यदि सक्षम और अन्तर्निहित शक्ति रखने वाला व्यक्ति काम करने से इंकार करता है या उसे काम नहीं मिलता है तो न केवल उसे समाज में कोई प्रतिष्ठा मिलती है, अपितु वह अनेक भावनात्मक एवं सामाजिक समस्याओं से ग्रसित भी हो जाता है। उसकी दशा से वही प्रभावित नहीं होता बल्कि उसका परिवार और समाज भी प्रभावित होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि बेरोजगारी को समाज की सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय समस्या कहा जाय। इसलिए ऐसी सब संस्कृतियों में से जो अपने को लोकतांत्रिक कहने का दावा करती हैं, रोजगार के अवसर अवश्य होने चाहिए। रोजगार के समान अवसर ही अर्जित प्रस्थिति को समान रूप से प्राप्त करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। बेरोजगारी से निपटने के लिए अभी तक दो दिशाओं में प्रयत्नह ुए हैं– प्रथम, बेरोजगारी की प्रस्थिति का उपशमन करना और द्वितीय, बेरोजगारी को ही खत्मक करना। चूँकि स्थानीय समुदाय इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहे, अतः केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों ने स्वतन्त्रता के बाद इस समस्या को अपने हाथों में लिया। फिर भी वे इसे सुलझाने में प्रभावशाली नहीं रहे और उन व्यक्तियों को जो आत्मनिर्भर नहीं है सहायता प्रदान नहीं कर सके। सरकार अभी तक बेरोजगार लोगों को एक सामाजिक तथ्य मानने के बजाय एक आर्थिक घटना ही मानती है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों के आर्थिक समस्या के संदर्भ में है। प्रस्तुत शोध प्रबंध को सात अध्याय में विभक्ति किया गया है। अध्याय प्रथम में विषय से सम्बन्धित प्रस्तावना, अध्याय द्वितीय में आर्थिक समस्या के कारण का अध्ययन, अध्याय तृतीय में अध्ययन के उद्देश्य, परिचय एवं शोध प्रविधि, अध्याय चतुर्थ में शोध साहित्य का पुनरावलोकन एवं सामाजिक, अध्याय पंचम में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी एवं रोजगार का अध्ययन किया गया है। अध्याय छष्टम में मजदूरों के आर्थिक समस्या दूर करने में सरकार की व्यवस्था एवं शासन प्रशासन की भूमिका अध्याय सप्तम में अध्ययन का सारांश निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

7.1 सारांश

अध्याय प्रथम में विषय से सम्बन्धित प्रस्तावना दिये गये है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दुदर्शा ने स्वतंत्रता से अब तक सभी सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। उनका असंगठित होना ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। ये आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा से वंचित है, इनके कार्यस्थल छिट–पुट और छिन्न–भिन्न है। मालिक और श्रमिकों के बीच का भी कोई अच्छा संबंध नहीं रहने के कारण इनकी दुर्दशा का कारण है। ये सब इनकी शारीरिक एवं मानसिक विकास को रोकती है, उनके व्यक्तित्व के सामान्य विकास में बाधा उत्पन्न करती है। कभी–कभी मनुष्य अपने निजी लाभ के लिए ऐसे मजदूरों को ही काम करने की जिम्मेदारी में बाधा देता है, जो कि नैतिक दृष्टि से सामाजिक अपराध है। कम मजदूरी देकर अधिक काम लेना ही वस्तुतः असंगठित मजदूरों के रोजगार की मौलिक मान्यता है और यहीं मान्यता ऐसे श्रमिकों के शोषण एवं उन पर होने वाले अत्याचारों को बढ़ावा देती है। ऐसे श्रमिकों पर अत्याचार करके कोई भी आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। एक तरफ ऐसे श्रमिकों को बिना सुरक्षा के या बिना जानकारी के कभी–कभी खतरनाक कार्यों में कारखानों या विभिन्न स्थलों के दुषित वातावरण में तथा जोखिम भरे कार्य में लगाया जाएगा तो उसका स्वास्थ शैक्षणिक विकास रूक जाएगा तथा इससे विकास

खतरे में पड़ जाएगी। अकुशल एवं रोजगार विहीन कुठित मजदूर सामाजिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा बन जाते हैं।

भारत के संदर्भ में अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन और अभिजीत बनर्जी से लेकर थॉमस पिकेटी ढक का मानना है कि करोना और उससे थर्राई अर्थव्यवस्था में गरीबी और गरीबी होगा यानी ग्रामीण भारत में अस्तित्व का संकट गहराएगा। स्वयं भारत सरकार के एनएसएसओ (NSSO) के 75वें चक्र 2017–18 के परिणाम में कहा गया है कि सन् 2012 से 2018 के बीच एक ग्रामीण का खर्च 1430 रूपये से घटकर 1304 हो गया जबकि एक शहरी का 2630 से बढ़कर 3155 रूपये है।

भारत में लगभग 46.3 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या में से लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न है, जिसका आर्थिक विकास में मात्र 50 प्रतिशत का ही योगदान है। जबकि संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले शेष 10 प्रतिशत लोग आर्थिक विकास में 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए एवं दोनों क्षेत्रों में समन्वय के लिए सरकार द्वारा ईश्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र को दिशा देने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों में 31 प्रतिशत लोग अशिक्षित, 13 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक शिक्षित और मात्र 6 प्रतिशत लोग स्नातक है। केवल दो प्रतिशत लोगों के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं 9 प्रतिशत लोग गैर औपचारिक प्रशिक्षित है।

देश स्तर पर काम खोजने वाले लोगों की यदि संख्या पर गौर करें तो देश के शीर्ष तीन राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र तृतीय स्थान पर है। पश्चिम बंगाल के 24.45 लाख बिहार के 12.30 लाख और महाराष्ट्र के 11.06 लाख लोगों ने अपनी रोजगार के लिए पंजीयन किया है। जब उत्तर प्रदेश केक 5 लाख, झारखंड के 4.51 लाख, दिल्ली केक 1.18 लाख, हरियाणा के 88 हजार और उत्तराखण्ड के 65 हजार काम खोजने वाले लोगों ने पंजीयन किया है।

नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के अनुसार काम खोजने वाले में हर दूसरा बिहारी है। इस पोर्टल पर सितंबर 2021 में 59 हजार बिहार के लोगों ने पंजीयन

किया था, पिछले छह महीने में पंजीयन करने वालों की संख्या 1.11 लाख है। केन्द्रीय मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल था। जब सितंबर 2021 में ही 58948 बिहारियों ने काम के लिए पंजीयन किया था। हालांकि इनमें महिलाओं की संख्या काफी कम है। पिछले छह महीनों में 2342 और सितम्बर में 1.93 महिलाओं ने काम के लिए पंजीयन किया था। जबकि इस पोर्टल पर 1.46 लाख ही नौकरियां उपलब्ध है। यानी एक काम के लिए 75 से ज्यादा लोगों ने पंजीयन किया। ये ऐसे लोग है, जो देश के विभिन्न प्रदेशों में अपनी मेघा और मेहनत के बल पर औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को नई ऊंचाई देते है। वे मजदूर इस प्रकार से है– राजमिस्त्री, रेजा, निर्माण मजदूर, पेंटर, रसोईयां, ब्यूटीशियन, डायरीशियन, सिक्यूरिटी गार्ड, डिलेवरी व्याम, ड्राइवर, बढ़ई, लौहार, सेटरिंग, कारीगर, फ्लोर टाइल्स, वर्कर फूड, प्रोसेसिंग क्षेत्र वर्कर, माली, ग्रील वेल्डर, जेनरेटर रिपेयर करने वाले, हैडी क्राफ्ट एंड कारपेट वर्कर, रोड़ क्षेत्र में काम करने वाले प्लंबर, मार्डन उपकरणों के साथ निर्माण करने वाले आदि।

अध्याय द्वितीय में असंगठित मजदूरों के आर्थिक समस्या के कारण का अध्ययन किया गया है। विद्वानों द्वारा विभिन्न वर्ग एवं जाति के असंगठित मजदूरों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि उनकी एक अलग संस्कृति होती है, जिससे गरीबी की संस्कृति कहा जाता है। गरीब कौन है, गरीबी के प्रकार कौन सी है यथा विचार व्यवहार में गरीब रीति–रिवाज में गरीब मानने के गरीब, शिक्षा की दृष्टि से गरीब आदि। प्रशासन की दृष्टि से गरीब उसे माना गया है जो आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब है और अपना जीवन निर्वाह अच्छा से नहीं कर पा रहे है एवं गरीबी की सीमा रेखा के अन्तर्गत आता है। यह आर्थिक समस्या के साथ–साथ सामाजिक समस्या भी है। आज सम्पूर्ण विश्व के लिए यह एक सामाजिक नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। क्योंकि सम्पूर्ण विश्व इस समस्या से किसी न किसी रूप में ग्रसित है। इसका बुरा प्रभाव लोगों के आर्थिक स्थिति के साथ–साथ सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों पर भी प्रभाव पड़ा है।

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर भी गरीबी से तंग असंगठित मजदूरों का अध्ययन विभिन्न अर्थशास्त्रीयों द्वारा किया गया है। डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार, डॉ0 विनोद कुमार,

डॉ0 प्रदीप गुलिया, प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन, अभिजीत बनर्जी, डॉ0 पी0एस0 लोकनाथन आदि।

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों की आर्थिक समस्या का संबंध है। ऐसे लोगों से जो समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रभावपूर्ण सहभागिता एवं एकीकरण से अलग थलग पड़ा है अर्थात ऐसे मजदूर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हीन भावना से ग्रसित होने के कारण नहीं कर पाते। ऐसी हीन भावना पनपने के मुख्य कारण आर्थिक विपन्नता, सामाजिक दर शंका अशिक्षा एवं अन्य कारक है। ऐसा हमने अपने अध्ययन में देखते है कि समग्रता में पुरी आबादी के लिए असंगति मजदूरों की आर्थिक समस्या आश्चर्यजन है महज हीन वर्षों में 2016 से 2019 में दस असंगठित मजदूरों के परिवार में से कम से कम 07 परिवार या तो बेरोजगार ही रहे या उससे बाहर निकलने के बावजूद उनका जोखिम समान रूप से बना रहा, जबकि 10 परिवार में से महज दो मजदूर इन वर्षों में आर्थिक समस्या को मात दे रहे है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण है कि यहां रोजगार से लेकर उद्योग धंधे के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर कई अड़चने है एक और महत्वपूर्ण कारण है कि बिहार राज्य का इको सिस्टम उद्योग धंधों के स्थापना के खिलाफ है। बैंकों द्वारा भी छोटे–छोटे ऋण के लिए भी कोलेट्रल का भी मांग करते हैं। इस रवैया से भी रोजगार सृजन करने में बाधा आ रही है। ऐसा पाया गया है कि मजदूरों का राजनैतिक दल, स्वयं सेवी संस्था, शैक्षणिक संस्था, राजनैतिक संगठन गैर सरकारी संगठन इत्यादित से लगाव बहुत ही कम या ना के बराबर रहता है। ऐसे मजदूरों के परिवार में विभिन्न तरह की आर्थिक एवं सामाजिक समस्या रहती है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा में आने से बाध्य रहते है। स्वाभाविक है कि उनका आर्थिक एवं सामाजिक लगाव भी ऐसे लोगों एवं संगठनों से रहता है, जिसका महत्व सुसंस्कृत नियंत्रित किया जाता है एवं आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर पड़ती जाती है। सच तो यह है कि असंगठित मजदूर वर्ग सिर्फ अपनी समस्या अपनी स्थानीय हालात, अपना पड़ोसी एवं अपने ढंग से जीना चाहता है।

ऐसे मजदूर ज्ञान, आदर्श, वर्ग जागरूकता इत्यादि नहीं जानते जो आर्थिक समस्या के कारण है।

अध्याय तीन में अध्ययन के उद्देश्य परिचय एवं शोध प्रविधि का अध्ययन किया गया है। शोध अध्ययन क्षेत्र बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक समस्या के परिवेशात्मक अध्ययन से संबंधित है। जिसमें अध्ययन के उद्देश्य, अध्ययन की अवधि, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, परिकल्पना, पद्धति शास्त्र, आंकड़े का सम्पादन, वर्गीकरण एवं सारणीकरण, विश्लेषण एवं विवेचना इत्यादि का अध्ययन कर दिखा गया है।

अध्याय चतुर्थ के अन्तर्गत उपलब्ध शोध साहित्य का पुनरावलोकन के अन्तर्गत कुजनेट्स (1966), सेतुरामन (1976), मजूमदार यापन (1977), पपोला टी0एस0 (1980), गगराडे के0डी0 व गढिया (1983), मेहता मीरा (1983), अग्रवाल बी0एस0 (1986), रोमटरे (1987), मिश्र निर्मल (1988), गुप्ता, नीलम (1990), गुप्ता जितेन्द्र (1997), सूर्यामूर्ति आर0 (1998), कुंवर नीलिमा वर्मा एवं वंदना (1998), अग्रवाल उमेशचन्द्र (2002), खरे आर0के0 (2002), उपाध्याय देवेन्द्र (2003), वर्मा उदय कुमार (2005), आलोक (2011), राठी महेश (2011), दुबे नीरज तृप्ति दुबे (2006), बोरकर हेमलता (2006) आदि प्रमुख शोध साहित्यों का पुनरावलोकन किया गया है।

अध्याय पंचम के अन्तर्गत बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया गया है। उत्तरदाताओं के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से जो सार प्राप्त हुए है वह इस प्रकार है।

सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य श्रमिकों के कार्य क्षमता रोजगार एवं आय स्तर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छपरा (सारण) प्रमंडल के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग 36.87 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग 36.56 प्रतिशत अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 6.56 प्रतिशत मजदूर पाए गए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सबसे अधिक पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जाति के ही मजदूर है।

इस क्षेत्र में कार्यरत असंगठित मजदूरों में सभी हिन्दू जाति के ही है अर्थात् 100 प्रतिशत किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक विकास उस देश में रहने वाले लोगों के शिक्षा के आधार पर होता है जिस देश में जितने ज्यादा लोग शिक्षित होते उस देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास उतनी ही तीव्रगति से होगा एवं जिस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नही होगी। वह देश आर्थिक एवं सामाजिक विकास नहीं कर सकता है।

अध्ययन के माध्यम से 36.25 प्रतिशत अशिक्षित है, 44.06 प्राथमिक स्तर तक 10.94 प्रतिशत दसवीं, 5.31 प्रतिशत इण्टरमीडिएट स्तर तक मात्र 3.43 प्रतिशत स्नातक तक इन सबको देकर कह सकते हैं, शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार मजदूर शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत पिछड़े हुए है।

इस क्षेत्र कार्यरत मजदूरों में (4.37) प्रतिशत 20–25 वर्ष, (6.87) प्रतिशत 25–30 वर्ष, (10) प्रतिशत 30–35 वर्ष, (26.56) प्रतिशत 35–40 वर्ष, (14.06) प्रतिशत 40–45 वर्ष, (21.87) प्रतिशत 45–50 वर्ष, (10.62) प्रतिशत 50–55 वर्ष, एवं (5.62) प्रतिशत 55–60 वर्ष इस प्रकार कार्यरत मजदूरों में सबसे ज्यादा (26.56) प्रतिशत 35–40 वर्ष के बीच है और हम कह सकते हैं युवा ही मजदूर अधिक है। साथ ही साथ (91.56) प्रतिशत सिर्फ पुरुष मजदूरों की संख्या है, मात्र (8.43) प्रतिशत इस क्षेत्र में कार्य करने वाला महिला मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित है।

इस क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर अपने जीवन स्तर में सुधार करने के दृष्टिकोण से 82.81 प्रतिशत एकल परिवारों की संख्या में है और मात्र 17.18 प्रतिशत संयुक्त परिवार वाले मजदूर है। कार्य के रूप में है, वहीं मातृभाषा बोलने वाले में सबसे ज्यादा 80.31 प्रतिशत भोजपुरी और मात्र 19.68 प्रतिशत हिन्दी बोल पाते है, क्योंकि अधिकतर मजदूर ग्रामीण क्षेत्र के ही है। जो 84.37 प्रतिशत तक है, और मात्र 15.62 प्रतिशत शहरी मजदूर है।

लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं में से एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर है तो वे है मकान, स्वास्थ्य, इन्हीं से मजदूरों की सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति के दशा के बारे में कोई भी अनुमान लगा सकता है। इस दिशा में कार्यरत मजदूर 28.15 प्रतिशत पक्का मकान, 37.5 प्रतिशत का कच्चा मकान 18.75 प्रतिशत मिश्रित

मकान एवं 11.87 प्रतिशत झोपड़ी और वही जो इनकी मकान की स्थिति है वे 90. 62 प्रतिशत स्वयं का 8.12 प्रतिशत किराये के मकान में 1.25 प्रतिशत सम्बन्धी के घर रहकर अपना मजदूरी कर रहे हैं, ये स्वास्थ क्षेत्र में भी यदि कहे तो 43.43 प्रतिशत अस्वस्थ, 40.62 प्रतिशत और 10.93 प्रतिशत स्वस्थ की जिंदगी जी रहे है। इन्हीं सब कारणों से इन मजदूरों की सामाजिक स्थिति का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। 37.5 प्रतिशत संतोषजनक, 56.25 प्रतिशत असंतोषजनक और 6.25 प्रतिशत मजदूरों की सामाजिक स्थिति सामान्य है।

असंगठित मजदूरों के निवास स्थान कके 78.44 प्रतिशत, मजदूर, सार्वजनिक नल से 2.81 प्रतिशत मजदूर कुंआ से, 2.81 प्रतिशत स्वयं का नल से तथा 2.19 प्रतिशत मजदूर अन्य स्त्रोतों से पेयजल की व्यवस्था करता है।

शोध सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 65.31 प्रतिशत मजदूर नशा करने के आदि है वे नशा करते हैं तथा 34.69 प्रतिशत मजदूर किसी भी तरह से नशा नहीं करते हैं। अतः हम कह सकते हैं, ये वही मजदूर नशा के आदि है जो शहरीय क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है।

असंगठित मजदूर के परिवार की मासिक आय सर्वाधिक 4000–7000 रुपये की मासिक मजदूरी है, 2000–4000 (6.57) प्रतिशत, 7000–10000 (28.12) प्रतिशत, 10000–13000 (20.63) प्रतिशत, 13000–15000 (5.63) प्रतिशत, 15000–18000 (1. 57) प्रतिशत ऐसे मजदूरों की सर्वाधिक संख्या अधिक जो 4000–7000 (37.5) प्रतिशत अब इतनी आय से भला उनका क्या हो सकता थोड़ा बहुत अपनी जीवन स्तर को सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन अन्य आवश्यक समय में कर्ज लेकर अपनी परिवार के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करेगें। चूंकि किसी भी परिवार का व्यय उसके परिवार के उपयोग प्रवृत्ति तथा जीवन स्तर पर निर्भर करती है। लोगों के जीवन स्तर को उसकी आवश्यकता एवं अनिवार्यताएं जिनका वह आदि हो चुका होता है प्रभावित करती है। अतः एक बार व्यक्ति का जो जीवन स्तर बन जाता है, उसे परिवर्तित करना सरल नहीं होता, मानव जीवन स्तर में वृद्धि को तो आसानी से स्वीकार कर सकता है, परन्तु आय स्तर में कमी होने के बावजूद जीवन स्तर में कमी को स्वीकार करने के उसे कठिनाई आती है। तथा इस कमी को दूर करने के

लिए ऋण का सहारा लिया जाता है। ऐसे मजदूर परिवार में या मेहनत कम वर्ग को जिसने मानव विकास के इतिहास को महानतम ऊँचाइयों तक पहुंचाया है, लेकिन वह स्वयं आज भी अशिक्षा, गरीबी, शोषित एवं असंगठित एवं अभावों का जीवन बिता रहा है, जिसका कारण है परिवारिक व्यय में निश्चिता एवं स्थिरता का अभाव है। ये लोग जिस पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं वे मुख्य रुप से है, भोजन, कपड़ा, मकान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नशीले पदार्थ और अन्य जैसे समारोह, यातायात, मनोरंजन इत्यादि। और शिक्षा इनमें निर्विवाद रूप से सबसे कम व्यय परिवार की शिक्षा पर होता है। क्योंकि उनके नजरिए से शिक्षा से भी बढ़कर अन्य मूलभूत समस्याएं उनके पास विद्यमान है। परिवार में आय व्यय का निश्चित अनुमान निर्धारित न होने से असंगठित मजदूरों का परिवार जितनी आय प्राप्त करता है। उसका सम्पूर्ण भाग व्यय कर देता है जिससे कि बचत कुछ नहीं हो पाता। इनमें बचत की प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण किसी भी प्रकार के अकास्मिक कार्य आ जाने पर उन्हें ऋण का सहारा लेना पड़ता है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक बहुत बड़ा भाग कुल का 91.25 प्रतिशत ऋणग्रस्त है। तथा सिर्फ 5.75 प्रतिशत मजदूर के परिवार ऋण से ग्रसित नहीं है। प्रत्येक ऋण लेने का कोई न कोई उद्देश्य आवश्यक होता है। इसके परिवार द्वारा सर्वाधिक 29.69 प्रतिशत ऋण शादी विवाह हेतु लिया गया है। इसके बाद 23.44 प्रतिशत इलाज के लिए 17.16 प्रतिशत उत्सव एवं त्यौहार के लिए 10.63 प्रतिशत अन्य कारणों के लिए 9.6 प्रतिशत धंधे के उद्देश्य से एवं मात्र 8.44 प्रतिशत निर्माण कार्य के लिए। इस प्रकार विभिन्न उद्देश्यों से लिए जाने वाले ऋण के कारण ऐसे मजदूर का परिवार ऋणगस्त रहता है, यदि में भारत अन्दर रोजमर्रा मजदूरी करने वाले मजदूर आये दिन खुदकुशी करते आ रहे है जिसकी संख्या अब 4246 है और इसी का प्रभाव है कि ऋण वाले मजदूर सारण प्रमंडल में भी आत्महत्या करने से थोड़ा भी नहीं डरते हैं।

रोजगार– बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत असंगठित मजदूरों का अध्ययन सारणी द्वारा यदि देखे तो इनमें से पिछड़ा जाति, अन्य पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति के क्रमशः 36.87, 36.56, 20 एवं 6.56 प्रतिशत मजदूर

आबादी में भी इनकी संख्या अच्छी है। चौकाने वाली बात है कि इनमें सबसे ज्यादा 51.25 प्रतिशत रोज मजदूरी करने वाले 32.82 प्रतिशत मजदूर 3.44 प्रतिशत कोई काम नहीं करने वाले भी है। 2.82 प्रतिशत स्वतंत्र पेशा 2.5 प्रतिशत छोटा व्यापार करने वाले मजदूर है। बहरहाल इनमें से सबसे ज्यादा 35–40 वर्ष 26.56 प्रतिशत और इनकी आय 4000–7000 (37.5) प्रतिशत के बीच है। इन आंकड़ों से एक बात साफ है कि संविधान में समान्तर का अधिकार देने आरक्षण की व्यवस्था और 70 साल से अधिक की आजादी भी दबे–कुचले वर्ग को ऊपर नहीं ला पायी है। आज भी एक बड़ा वर्ग मजदूर होकर अभाव का जीवन जीने को मजबूर है। असंगठित क्षेत्र में होने के कारण सारी अपदाओं को भी झेलते हैं। कई बार ही मालिक से संबंध अच्छा नहीं रहने के कारण इनको जबरन कार्य से हटा दिया जाता है, जिसमें ऐसे श्रमिक कई दिनों तक बेरोजगार होकर दर–दर की ठोकर खाते हैं।

कार्य– अवधि का श्रमिकों के कार्य, स्वास्थ्य एवं उत्पादन पर असर पड़ता है। अतः कार्य करने के समय पर नियंत्रण आवश्यक है। निदर्श मजदूरों में से सर्वाधिक 39. 69 प्रतिशत को 7–9 के बीच कार्य करना पड़ता है जबकि 28.75 प्रतिशत मजदूरों को 4–6 के बीच घंटे कार्य करना पड़ता है जबकि 20.62 प्रतिशत 10–12 घंटे के बीच तक कार्य करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 10.44 प्रतिशत को 1–3 घंटे के बीच मात्र कार्य करना पड़ता है। मजदूरों के निवास स्थान में कार्य स्थल की दूरी को देखे तो 45.69 प्रतिशत 2 किमी0 45 प्रतिशत 2 किमी0 से अधिक 50.31 प्रतिशत 1 किमी0 3.13 प्रतिशत 0.5 किमी0 एवं 1.87 प्रतिशत अन्य जगहों से कार्य अधिक दूरी तय करके काम करने के लिए आते हैं। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 2 किमी0 से अधिक दूरी तय कर काम करने वाले मजदूरों की संख्या अधिक है। अर्थात जैसे–जैसे दूरी की संख्या बढ़ती जाएगी तो वैसे–वैसे मजदूर अन्य जगहों पर पलायन अधिक होते जाएगें। ऐसे मजदूरों को चाहिए कि इनकी दूरी अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय क्रम में सम्पूर्ण परिवार ही पलायन कर जाता है। लोगों का आना जाना नहीं रूक सकता। बेहतर की हलास लोगों की फितरत है। इसके तमाम आर्थिक एवं सामाजिक कारण है। लेकिन अब रोजी–रोटी खातिर आदमी को सरजमी छोड़ना पड़े तो यह पलायन

चिंता का विषय होता है। इसमें विविधता, बेचारगी का पुट है। यह शोषण की पृष्ठभूमि रचता है क्योंकि काम का हलास व्यक्ति अपने शर्तो पर नहीं कर पाता। यह स्थिति तब पैदा होती है, जब माटी के रोटी पर इंतलाम के स्त्रोत सीमित है। ग्रामीण में कम शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। यही कारण है कि मजदूर विभिन्न कारणों से अपना कार्य बदलते रहता है अर्थात उनके कार्य का स्वरूप अस्थायी होता है। जिसका परिणाम होता है कि मजदूरों को अपने वर्तमान कार्य प्रति संतुष्ट न होना उनकी कार्य परिस्थितियों के प्रतिकूल होने का परिणाम है। तथा हमारी परिकल्पना वर्तमान कार्य से संतुष्ट नहीं है। अर्थात् कहे तो संतुष्ट होना एवं असंतुष्ट होना दोनों गुण स्वतंत्र है।

अध्याय षष्टम (छः) में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास का अध्ययन किया गया है। जिसके अन्तर्गत

1. भारतीय संविधान की धारा 23 के अनुसार 'बलात श्रम' (Forced Laboour) पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अब कोई व्यक्ति किसी से बेगार नहीं हो सकता।
2. भारतीय संविधान की धारा 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालकों को किसी कारखाने अथवा खाने में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता और न ही उन्हें किसी संकटमय रोजगार में लगाया जा सकता है।
3. भारतीय संविधान की धारा 39 के अनुसार राज्य अपने नीतियों का इस प्रकार संचालन करेगा कि निर्वाचित रूप से (1) स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का साधन हो। (2) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि उससे सर्वोत्तम सामुहिक हित हो। (3) अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वता करण के लिए अहितकारी केन्द्र न हो (4) पुरुष और स्त्री दोनों के समान कार्य करने के लिए समान मजदूरी हो (5) मजदूर पुरुष एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य और व्यक्ति

तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो (6) शिशु एवं किशोरों का शोषण से संरक्षण हो।

4. संविधान की धारा 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सर्तकता और विकास की सीमाओं के अन्तर्गत काम पाने का अधिकार शिक्षा पाने का अधिकार, बेरोजगारी वृद्वावस्था, बीमारी और अभाव की अन्य दशाओं में सार्वजनिक सहायता का प्रभावोत्पादक प्रबंन्ध करेगा।

5. संविधान की धारा 42 के अनुसार राज्य न्यायपूर्ण और काम करने की मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा।

6. संविधान की धारा 43 के अनुसार राज्य समस्त कृषि श्रमिकों, औद्योगिक श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के लिए मजदूरी और काम करने का ऐसी दशाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा जिसमें वे अपना एक अच्छा जीवन स्तर बनाये रख सकें, अवकाश का छपरा आनन्द उठा सकें तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवकाशों को प्राप्त कर सकें।

असंगठित मजदूरों की समस्या से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें प्रमुख रूप से राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से लिए गए रिपोर्ट के आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्यक्रम की प्रगति एवं इनके शोषण के बारे में निरंतर सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश करता रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के कई राज्यों मजदूरों के देखरेख के लिए सेल स्थापित किए गए है। योजनाओं की निगरानी में सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

इस प्रकार श्रम विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण एवं समायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए है, आवश्यकता तो इन्हें ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ सम्पूर्ण रूप से कड़ाई के साथ परिपालन करवाने की है।

असंगठित मजदूरों की कार्य की दशाएं कार्य के घन्टे और उत्पीड़न को देखकर राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु आगे आयी है, इन संगठनों ने अपने स्तर से कार्य योजना बनाकर सुझाव उन्नयन सहायता परियोजना शैक्षणिक कार्यक्रम चलाकर

काफी कुछ योगदान किया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी संस्थाओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार यूनीसेफ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि अनेक संस्थाएं इस दिशा में कार्य कर रही है। वहीं भारत में कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं जैसे राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान, बंधुवा मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय कृषक मजदूर आयोग, भारतीय ग्रामीण श्रमिक संस्थान, गांधी यानि प्रतिष्ठान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संकट कोष आदि संस्थाएं ऐसे मजदूरों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। असंगठित शहरीय क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। तथा नीति निर्माताओं एवं सरकार के भी इस क्षेत्र के लिए विशेष नियमों के निर्माण में श्रम के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ध्यान नहीं दिया है। अतः इस क्षेत्र के मजदूर हमेशा से शोषित रहे हैं। इनके शोषण का प्रमुख कारण इनमें व्यापक अशिक्षा, सामाजिक पिछड़ापन, अकुशलता इस क्षेत्र का बिखरा स्वरूप एवं उचित संगठन का अभाव, निर्धनता, समाज की उदासीनता एवं इसके परिवार द्वारा इन्हें बचपन से ही परिवार के जीवकोपार्जन का सहयोगी तत्व मान लेने की सोच है। हमारे देश में उचित शिक्षा, उचित वातावरण और अन्य मौलिक अधिकार देने का प्रयास करता है ताकि बड़ा होकर उसका विकास एक सभ्य और सुशिक्षित नागरिक के रूप में हो ऐसे मजदूरों के निराकरण के लिए किए गए अनेक प्रयास के बाद समस्या के अभी भी महत्वपूर्ण अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियां है, जिसके विषय में गहन अध्ययन किया जाना चाहिए और उनके निराकरण हेतु व्यावहारिक समाधान खोजे जाने चाहिए। इसमें पहली चुनौती असंगठित मजदूरों की संख्या का यही आंकड़ों का होना, दूसरा आर्थिक विपन्नता अथवा रोजगारहीन से संबंधित है, तीसरी रोजगार देने वालों की लोभी अथवा शोषण की प्रवृत्ति, चौथी समस्या के समाधान हेतु बनाए गए नियमों और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का होना, पांचवी इनकी पुर्नावास अथवा शिक्षा की व्यवस्था करना। इन सभी प्रयासों में निश्चित ही हमारा समाज आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो सकेगा।

प्रमुख निष्कर्ष

बिहार छपरा (सारण) प्रमंडल अन्तर्गत एवं रोजगार का सामाजिक एवं आर्थिक अध्ययन से प्राप्त होने वाले प्रमुख निष्कर्षों का विवरण इस प्रकार हैं–

1. जाति के आधार पर छपरा (सारण) प्रमंडल क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के सबसे अधिक पिछड़ा वर्ग के 36.87 प्रतिशत पाए गए। इसी प्रकार अति पिछड़ा जाति, अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग का क्रमशः 36.56 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 6.56 प्रतिशत पाये गए। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि छपरा (सारण) प्रमंडल असंगठित मजदूरों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा जाति की बहुलता है।

2. धर्म के आधार पर कुल मजदूरों में सबका सब हिन्दू धर्म मानने वाले 100 प्रतिशत ही है।

3. आयु अनुसार कुल उत्तरदाताओं में मजदूर सर्वाधिक 26.56 प्रतिशत 35–48 वर्ष के बीच पाये गए। जबकि 21.87 प्रतिशत 45–50 वर्ष के बीच बाकी क्रमबद्ध इस प्रकार से है। 40–45 (14.06) प्रतिशत, 50–55 (10.62) प्रतिशत, 25–30 (6.87) प्रतिशत, 55–60 (5.62) प्रतिशत एवं सबसे कम उम्र वालों की संख्या 20–25 (4.37) प्रतिशत है। इस प्रकार 35–40 एवं 45–50 से वर्ष उम्र वाले मजदूरों की बहुलता हैं।

4. व्यवसाय के आधार पर असंगठित मजदूरों में सर्वाधिक रोजमर्रा मजदूरी करने वाले 51.25 प्रतिशत है, उसके बाद जाति पेशा से जुड़े काम करने वाले 32.82 प्रतिशत है। 7.18 खेतीहर मजदूर कोई काम नहीं करने वालों की संख्या का 3.44 प्रतिशत है। बाकी स्वतंत्र पेशा में 2.82 प्रतिशत एवं 2.5 प्रतिशत छोटा व्यापार करने वाले मजदूर है।

5. कुल निदर्श मजदूरों में सबसे अधिक प्राथमिक स्तर तक यानी थोड़ा बहुत (ज्ञान) शिक्षा का ज्ञान है। जिसकी संख्या कुल में से 141 अर्थात 44.6 प्रतिशत, अशिक्षित 36.25 प्रतिशत, दसवीं 10.94 प्रतिशत, 12वीं 5.31 प्रतिशत, स्नातक 3.43 प्रतिशत मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि यहां के मजदूरों में शिक्षा का अभाव नहीं है। यहां अशिक्षा का अभाव जरूर है।

6. परिवारिक संरचना के आधार पर कुल में से 82.81 प्रतिशत एकल परिवार से आते हैं, जब कि 17.18 प्रतिशत संयुक्त परिवार से आते हैं। उसे ज्ञात होता है कि संयुक्त परिवार में काम करने वालों की कमी हैं।

7. मासिक आय के आधार सर्वाधिक 37.5 प्रतिशत 4000–7000 हजार रूपये वालों के है जबकि क्रमशः 7000–10000 (28.12) प्रतिशत, 10000–13000 (26.63) प्रतिशत, 2000–4000 (6.57) प्रतिशत, 13000–15000 (5.63) प्रतिशत एवं 15000–18000 (1.57) प्रतिशत उसे ज्ञात होता है अपने जीवन स्तर इतनी आपसे नहीं कर पा रहे हैं।

8. ऋणग्रस्ता परिवारों में सबसे अधिक 91.25 प्रतिशत पाये गए जबकि ऋण नहीं लेने वाले में 8.75 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि उनका परिवार ऋणग्रस्ता में फसे हुए है।

9. ऋण लेने का उद्देश्य से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक शादी–विवाह में 29.69 प्रतिशत ऋण लिया जाता है जबकि सबसे कम 1.57 पतिशत कृषि के लिए, 8.44 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र के लिए इससे पता चलता है कि मजदूर परिवार अन्य की तुलना में शादी–विवाह को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं।

10. आवासीय स्थिति को ज्ञात करने से पता चलता है कि कुल मजदूरों में से सबसे अधिक 37.5 प्रतिशत मजदूरों का कच्चा मकान है, 28.75 प्रतिशत पक्का, 18.75 प्रतिशत मिश्रित एवं झोपड़ी में रहने वालों की 11.87 प्रतिशत हैं। अधिकतर मजदूर कच्चे मकान से ही आते हैं। बल्कि किराये के मकानों में रहकन काम करते हैं।

11. कुल मजदूरों में नशे की आदत के अध्ययन से पता चलता है कि सबसे अधिक 65.31 प्रतिशत मजदूरों में नशे की आदत होती है, जबकि 34.69 प्रतिशत मजदूरों में नशे की आदत नहीं है।

12. मजदूरी भुगतान अवधि से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक भुगतान 51.56 प्रतिशत मजदूरी भुगतान मासिक होता है जबकि क्रमशः 40.44 प्रतिशत मजदूरी भुगतान सप्ताहिक होता है, 7.5 प्रतिशत मजदूरी भुगतान प्रशित

मजदूरी भुगतान दैनिक पाये गये। इससे स्पष्ट होता है कि मजदूरों को मासिक मजदूरी का भुगतान अधिक होता है।

13. कुल मजदूरों में कार्य घन्टे के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 39.69 प्रतिशत मजदूर 7–9 घन्टे के बीच कार्य करते हैं, जबकि सबसे कम 10.44 प्रतिशत मजदूर 1 से 3 घन्टे के बीच काम करते हैं, इसी प्रकार क्रमशः 4 से 6 एवं 10–12 घन्टे के बीच काम करने वाले 28.75 प्रतिशत एवं 20.62 प्रतिशत मजदूर पाये गये, इससे ज्ञात होता है कि अधिकतर मजदूरों से 7 से 9 घन्टे के बीच काम लिया जाता है।

14. निवास स्थान से कार्य स्थल की दूरी के आधार पर अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक 45.69 प्रतिशत 2 किमी0 से अधिक 44.69 प्रतिशत 2 किमी0 5.31 प्रतिशत मजदूर रोज अपने काम करने के दूरी तय कर आते हैं स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा दूरी तय कर 45 प्रतिशत मजदूर काम करने आते हैं।

15. कार्य के संतुष्टि के आधार पर अध्ययन से ज्ञात होता है कि कुल मजदूरों में सबसे अधिक 54.6 प्रतिशत संतुष्ट नहीं है। जबकि 45.44 प्रतिशत मजदूर संतुष्ट पाये गये। इससे ज्ञात होता है कि अधिकतर मजदूर कार्य से संतुष्ट नहीं है।

16. मजदूरों की कार्य अवधि से ज्ञात होता है कुल मजदूरों में 41.25 प्रतिशत कार्य करने को ही मिलता है, 29.69 प्रतिशत 6 माह, 1 वर्ष, 16.87 प्रतिशत मजदूरों को कार्य करने वाले 3 वर्ष एवं 12.19 प्रतिशत 2 वर्ष। अतः स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा 6 माह तक ही कार्य करने में मजदूर है, दूसरी तरफ 16. 87 प्रतिशत मजदूर 3 वर्ष तक एक ही जगह कार्य करते हुए पाये गये।

सुझाव

इस क्षेत्र से सम्बन्धित असंगठित मजदूरों के आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर सुझाव देने का प्रयास किया गया है–

गरीबी और आर्थिक तौर पर पिछड़े जनसमुदाय किसी राष्ट्र के ऊपर बोझ होते हैं, जब कि स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर नागरिक किसी राष्ट्र के लिए संपत्ति होते हैं। समाज की बेहतरी और सुशासन सुनिश्चित करना सरकार एवं अन्य सभी राजनीतिक दल अगर बेहतर और प्रभावी आर्थिक नीतियां बनाएं और उसे लाभार्थियों तक सही तरीके से पहुचाएं तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर किया जा सकता। सरकारों का असली कार्य यह है कि वे ऐसी योजनाएं बनाएं जिनसे ऐसे मजदूर सक्ष्म और योग्य बनकर आत्मनिर्भर बने, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी दे सकें। इसमें निजी क्षेत्र की मदद भी ली जानी चाहिए।

हमें ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचों को मजबूत करने के लिए बड़ी और समावेशी वित्तीय खर्च एवं सुदृढ़ योजनाओं की दरकार है। हमारे नीति–निर्माताओं को देश की आबादी को एक प्रमुख मानव संसाधन के रूप में देखना चाहिए। सरकार को समझना होगा कि इस बड़ी मानव पूंजी को ज्ञान और कौशल से सशक्त किया जा सकता है। मुफ्त की योजनाओं की राशि को रोजगार की अवसर पैदा करने में खर्च होनी चाहिए, इससे ऐसे मजदूरों काा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान और प्रगति होगी। साथ ही मजदूरों को रोजगार प्राप्त करने के लिए उनका कौशल विकास करना आवश्यक सहायता मानी जा सकती है। देश एवं राज्यों को अपने आर्थिक सामाजिक ढांचों को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। इसके प्रमुख तत्व कृषि एवं असंगठित मजदूर है। भारत गांवों में निवास करता है। गांवों और कृषि का ढांचा मजबूत करने से गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी और मंहगाई की समस्या कम होगी। जब तक ये कम नहीं होगा तब तक ऐसे मजदूरों को आर्थिक समस्या दूर नहीं होगा।

1. असंगठित कामगारों के लिए अलग फंड की व्यवस्था होनी चाहिए इसके लिए सरकार को जल्द घोषणा करना होगा।
2. किसी भी प्रकार का योजना पंचायत स्तर प्रखंड एवं जिला स्तर तक सभी को जानकारी होना चाहिए।
3. बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की राशि और बढ़ाना चाहिए।

4. सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मजदूरों को केन्द्र और राज्य सरकार के पास सहीं आंकड़े उपलब्ध होना चाहिये।

5. ऐसे मजदूरों को श्रेणी बनाकर सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

6. खुले कार्यस्थल की विचारधारा दीवारों और कमरों को सतावाद पदानुक्रम और सामाजिक अलगांव से जोड़ता है, इसे विशेष ध्यान देना होगा।

7. किसी भी प्रकार के अपदा के समय ऐसे मजदूरों को उनके रोजगार पर ब्रेक लग जाए तो केन्द्र और राज्य सरकार को अपने स्तर से अलग रोजगार मुहैया करना होगा।

8. बिहार में शराबबंदी कानून को और सशक्त करना होगा।

9. असंगठित क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान निरंतर किये जाने चाहिए ताकि मजदूरों की विभिन्न समस्याओं की जानकारी निरंतर मिलती रहे और जिसे नीति–निर्माताओं द्वारा अनुसंधानकर्ता द्वारा तथा असंगठित मजदूरों के निराकरण के लिए उठाये जाने वाले गतिविधियों में उनका ध्यान रखा जा सकें।

10. ऐसे उद्योग जो कृषि के साथ–साथ किए जा सके जैसे– पशुपालन, दुग्धशाला, मुर्गीपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सूअर पालन आदि का विकास किया जाए। साथ ही गांवों में मिट्टी के काम, कपड़ा उद्योग, कटाई बुनाई आदि को प्रोत्साहन दिया जाए।

11. शरीर से अक्षम लोगों के लिए पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

12. शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाया जाए।

13. श्रमिकों का उचित जीवन–स्तर कायम रखने एवं कार्य क्षमता बनाएं रखने के लिए बीमारी के दौरान उनको वेतन दिया जाए।

14. बीमार मजूदरों की शीर्घ चिकित्सा करने एवं पुनः काम पर लाने के लिए प्रयास किए जाए।

15. कृषकों को उन्नत बीज खाद, फसल रक्षक दवा आदि देकर भूमि के छोटे–छोटे टुकड़ों में अधिकाधिक फसल उगाने को प्रोत्साहित किया जाए।

16. भूमि सुधार के कानूनों को लागू करके जमीन को गरीबों में वितरण किया जाए। तथा भू–दान कार्यक्रर्मी को प्रोत्साहित दिया जाए।

17. नवयुवकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर विकसित किए जाए।

18. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे– पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, बीमारियों में चिकित्सा, सार्वजनिक बीमा, विधवाओं, अनाथों, भिखारियों आदि के पुर्नवास और आर्थिक विकास हेतु सुविधाएं जुआने की व्यवस्था की जाए।

अतः आर्थिक समस्या जिसके उन्मूलन के लिए एक सतत् एवं दीर्घकालीन बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। इस रणनीति के अन्तर्गत शिक्षा का सुद्दीकरण, विभिन्न कार्यक्रमों की सहायता से श्रमिकों के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार, रोजगार उत्पादक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन के लिए समाज के सभी वर्गों में जागरूकता के प्रयास तथा एक परिवर्तित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जैसे कार्य को इच्छित परिणित तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार, समाज, मीड़िया तथा गैर सरकारी संगठनों को परिस्परिक समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता हैं।

प्रश्न यह है कि वर्तमान स्थिति में क्या 'काम के अधिकार' की गारंटी देना सम्भव है ? तटस्थ और पक्के आंकड़ों के साथ क्या रोजगार उत्पादन परियोजना की एक निश्चित रूपरेखा बनायी जा सकती है या फिर यह भी क्या लोकप्रिय बनाने के लिए एक और झूठा नाटक होगा। मेरे विचार से यह अप्रासंगिक, पलायनवादी, विषयान्तर करने वाला छिछोरा और हास्यास्पद प्रस्ताव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। केवल वादा करने से या संविधान में व्यवस्था कराने से किसी को काम मिलने की सम्भावना नहीं हो जाती, सिवाय राजनीतिज्ञों के जो असम्भव वादे करने में प्रवीण होते हैं। व्यापक आर्थिक नीतियाँ, नवीन रोजगार के उत्पादन की परियोजनाओं, आर्थिक प्रणाली का दक्ष संगठन और दूसरी व्यवहारिक तथा परिणाम

देने वाली तकनीकों पर पर्याप्त विचार किए बिना ही वे 'काम का अधिकार' के एक और वादे को जोड़ने को गलत नहीं समझते। भारी निवेश के बिना काम का अधिकार न तो व्यवह्मर्स है और न ही काम के लायक। यह एक दूर की भांति और एक खोखला दफियानूमी विश्वास मात्र है। एक नौकरी उत्पन्न करने में प्रतिवर्ष बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में 5 करोड़ रोजगार व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए इतने संसाधन और अरबों रुपया कहां से आयेगें। क्या यह नारा चारो ओर अपरिमित कुण्ठा और मोह–भंग उत्पन्न नहीं कर देगा ? क्या 'काम का अधिकार' नौकरी पाने के लिए अदालत की आज्ञा से और मालिक द्वारा नौकरी की सेवायें समाप्त करने के अधिकार के प्रतिकूल नहीं है ? इसलिए क्या हम उन राजनीतिज्ञों, जो जनता को खुश करने के लिए ऐसे नारे देते हैं और वादे करते हैं, कि विचारों में कोई विकृत कुतर्क नहीं पाते।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मनुष्यों को सीमित साधनों, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय सुझाता है– प्रो0 सी0बी0 सिंह (बैंकिंग अर्थशास्त्र एवं वित विभाग के विभागाध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
2. रोजगार के अनेक अवसर एवं कई लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ–साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकता है– प्रो0 के0एन0 भट्ट, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
3. कृषि क्षेत्र में रोजगार देना ही नहीं उद्यमी बनाने पर जोर– प्रो0 अरविन्द कुमार, रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी के कुलपति।
4. मजदूरी नीति तथा सामाजिक सुरक्षा Labour Policy and Social Security ए0के0 शर्मा पेज सं0 251 से 252.
5. डॉ0 बबीता अग्रवाल, Child Labour in India.
6. व्यवसाय का सामाजिक वातावरण (पी0सी0 जैन) Saraswati Publishers Distributers, 494 Jaipur-1 पेज सं0 24 से 31 तक।
7. एम0के0 शर्मा ओकगोर पब्लिकेशन्स 4378/4बी–4 जेएमडी हाउस गली मुरारी लाल अंसारी रोड़, दरियागंज नई दिल्ली–110002 पेज सं.–221
8. डॉ0 पी0एस0 लोकनाथन पेज सं.–211–240
9. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय (उ0प्र0) के बैंकिंग अर्थशास्त्र एवं वित विभाग द्वारा ''कैरियर उपलब्धि'' विषय पर आयोजित बेविनार का अंश।
10. सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी– डॉ0 संजीव महाजन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस 4831/24 प्रहलाद गली अंसारी रोड़ दरियागंज, नई दिल्ली–110002 पेज सं.– 149 से 166 तक।
11. W.J. Hoock and P.K. Natt, Methods in Social Research P. 133
12. E.S. Bogardus, Introduction to Social Research P-45.

13. P.V. Young, Scientific Social Survays and Research P-186-187.

14. T.C. Mecormic, Elementary Social Statistics, P.-37

15. मीरा रंजन लाल : भारतीय अर्थव्यवस्था Regal Publication New Delhi – 110027.

16. डॉ0 गंगा सहाय शर्मा : (श्रमिक विधियां) राजस्थान विश्वविद्यालय।

17. विश्व को उस मेहनतकश वर्ग को जिससे मानव विकास के इतिहास को महानतम ऊंचाइयों तक पहुँचाया है, लेकिन वह स्वयं आज भी घोषित असंगठित और अभावों का जीवन बिता रहा है – (डॉ0 गंगा सहाय शर्मा)

18. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का बनेगा लेब (कार्ड, रोजगार में होगी आसानी, दैनिक जागरण सिवान 24/08/2021 पेज सं.–02.

19. असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को मिलेगा बीमा का लाल, दैनिक जागरण, पटना 27 अगस्त, 2021, पेज सं. 02

20. बिहार में असंगठित क्षेत्र में 14025 लाख रोजगार के कमी से रोजी–रोजगार पर संकट विश्वव्यापी महामारी के कारण : दैनिक भास्कर, पटना, सोमवार, 30 अगस्त, 2021 पेज. 01

21. खेत बन सकते हैं कारखाने, दैनिक जागरण, पटना, 21 अक्टूबर, 2021 पेज 7

22. बजट में रोजगार की चिंता, पत्र लेखा चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला, झाँसी (उ0प्र0) 30/01/2023 पेज 10

23. बिहार के श्रमिकों की बढ़ी मजदूरी, आज समाचार सेवा पटना, 05/04/2021 पेज 01

24. मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए सड़क पर उतरे कई राजनैतिक दल : सीवान भास्कर, 10/01/2019 गुरूवार, पेज 13

25. रामनवमी को लेकर बर्तन बनाने में जुटे कुम्हार, दैनिक भास्कर सीवान आभार 15/042021 पेज 12

26. एक करोड़ कामगारों का डाटा जुटाने की तैयारी में सरकार, पटना, दैनिक जागरण, 21/12/2020 पेज 01

27. थ्वकसित जिले का दर्जा मिलने के बाद भी हर साल होता है मजदूरों का पलायन, पटना, दैनिक भास्कर सीवान शुक्रवार 21 जून, 2019 पेज 18

28. रोका नहीं जा सकता श्रमिकों का पलायन, भरत झुनझुनवाला सम्पादकीय जागरण, मंगलवार, 22 फरवरी, 2022

29. 2019 में प्रकाशित यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 में भारत के 47 प्रतिशत युवाओं के पास बाजार के अनुकूल आवश्यक शिक्षा एवं कौशल नहीं होगा।

30. केन्द्र सरकार के राहत पैकेज से बिहार के एमएसएमई वाले उद्यमियों को उम्मीद बढ़ी, दैनिक भास्कर, पटना, 16 मई, 2020 पेज 02 (सुशीला)

31. मोदी सरकार के समावेशी विकास का लाभ सभी वर्गों में सम्पादकीय जागरण, 30 जुलाई, 2020 पेज 8

32. खाली हो जाते हैं, गांव रह जाते सिर्फ बूढ़े और लाचार, अपना प्रदेश जागरण, पटना, सिवान, 13/08/2021, पेज 11

33. भट्टा मजदूरों को नहीं मिल पाता लाभ, दैनिक जागरण, पटना, सिवान, 01/09/2021, पेज 09

34. असंगठित कामगारों के लिए फंड की घोषणा, दैनिक जागरण पटना, 06/01/2021 पेज 13

35. मजदूरों की इन सभी समस्याओं के स्थाई हल तलाशने होंगे, सुप्रिम कोर्ट दैनिक जागरण, पटना, 29/01/2022 पेज 04

36. बदलते परिवेश में रस्सी की तरह उलझादी धानुकों की जिंदगी, दैनिक जागरण, पटना, सिवान, 31/07/2021 पेज 04

37. बुनकर फटेहाल, चर्खा बेहाल, पुश्तैनी धंधे पर लग गया ग्रहण, प्रभात खबर पटना, सिवान, 09/08/2021 पेज 04

38. 17वीं लोक सभा का गठन होने जा रहा है और नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री में नई सरकार कामकाज संभालने की तैयारी में है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि नई सरकार की वरीयताओं में असंगठित क्षेत्र के मुद्दे के जगह मिलती हैं या नहीं। वैसे देश के विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान असंगठित क्षेत्र का ही है और यह भी उतना ही सच है कि उस क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

39. अपोशों 31 सम्मेलन सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण साझा परिकल्पना सामूहिक कृति 5–6 अप्रैल 2016 विमान भवन, नई दिल्ली।

40. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 29/07/2021 पेज 18

41. श्रम संसाधन विभाग श्रम संदर्भ पुस्तिका 2017–18 बिहार सरकार।

42. श्रम प्रशासन के निष्पादन का संबंर्धन एवं त्रिपक्षीय

43. समाजिक संवाद का सुद्दीकरण पर आईएलओ के साथ एक राष्ट्रीय सेमिनार 13 अक्टूबर 2015.

44. एसोसिमन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियां के सहयोग से श्रम इतिहास पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 21–23 मार्च, 2016.

45. श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय, वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से फ्यूचर आफ वर्क एंड यंग पीपल्स एस्पिरेशंस पर कार्यशाला का आयोजन 10 मई 2016.

46. सतर्कता एवं जन शिकायतों का निपटान मंत्रालय ने 31/1022016 से 05/11/2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया तथा मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं सदस्यों ने सभी गतिविधियों में पूर्ण सत्यनिष्ठा पारदर्शिता बनाए रखने तथा जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए 31/10/2016 को शपथ ली।

47. नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट दैनिक जागरण 08/05/2022 पेज 2

48. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट, 4 जून, 2022

49. विकास के लिए प्रतिस्पर्धा बने राज्य डॉ0 सुरजीत सिंह, सम्पादकीय जागरण (उ0प्र0) 03/10/2022 पेज 08

50. केन्द्र की NSSO (एनएसएसओ) का रिपोर्ट 15–29 आयु वर्ग पर की गई अध्ययन दैनिक भास्कर, पटना 17/03/2023 पेज 01

51. कुपोषण से पहले भुखमरी पर तत्काल योजना बनाना जरूरी दैनिक भास्कर 23/11/2021 पेज सं0 04

52. नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर नौकरी ढूढने वालों में हर दूसरा बिहारी दैनिक भास्कर पटना, 26/10/2021 पेज 02

53. आर्थिक सुधारों को सामाजिक नीतियों से जोड़ना होगा, दैनिक जागरण 10/10/2021 पेज 11

54. कोरोना संक्रमण के प्रभाव से रोजी–रोटी पर संकट, दैनिक जागरण 03/08/2021 पेज 4

55. यू0एन0 वाशिंगटन विश्वविद्यालय की रिपोर्ट हेल्थ में ट्रिक्स एंड वेल्यूएशन, नेशनल फैमली सर्वे एवं स्टेटिस्ट, दैनिक भास्कर, 11 जुलाई 2021 पेज 01

56. डॉ0 नंदिता सैकिया, एक्सपर्ट पापुलेशन स्टडी जेएनयू, दिल्ली दैनिक भास्कर 10–11/07/2021

57. डॉ0 श्रीनिवास गोला : रिसर्चर जनसंख्या और जनस्वास्थ्य विश्वविद्यालय ऑफ वेस्टर्न आस्ट्रेलिया, दैनिक भास्कर 11/07/2021

58. डॉ0 कुलदीप मलिक जरूरी है आबादी पर नियंत्रण पर पहल दैनिक जागरण 10/07/2021 पेज 8

59. टालोका 2011 असंगठित श्रमिक विशेष कोष जरूरत क्रियान्वयन की योजना सितम्बर पृष्ठ सं. 37, नई दिल्ली।

60. भारत मानव विकास रिपोर्ट–2011 ''सामाजिक समावेश की ओर'' मानव पब्लिकेशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली, पृष्ठ 262

61. Biomik Abhijeet-2008 “National Problem Research Analysis and Evaluation” ISSN 0974-2832, Vol. 11, Issue, 5 Nov., pp 669.

62. Pathak, Vinay Kumar 2006 “Research nature and concept” Parks books Delhi 110092, ISSN No. 81, pp 21

63. Government of India 1969 Ministry of employment and Rehabilation National Commission on Labour, New Delhi Chapter 19, p 417.

64. Government of India 1978 Planning Commission Draft Five Year Plan – 83 (New Delhi)

65. Kamlesh Santram 2002 “Geography analysis of Chhatisgarh” Vasu Nathra Prakashan Gorakhpur pp 58.

66. Kapoor S.K. 2011 “Human Right Central Law” Agency 30 1 Material Nehru Road Allahabad, pp 331-337

67. न्यूज हरिभूमि 2014 प्रशिक्षण केन्द्रों में तबदील हो जाएगी बाल श्रमिक शाभाएं'' समाचार पत्र 20 मार्च मिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़, पृष्ठ 4

68. Romtat, Emmaure 1987 “Calcutions Informal Sector Theory and Reality” Economic and Political Weekly Vol 20, 8 Feb. 2023

69. Rathi Mahesh, 2011 “Unorgnised of Service Sector Yozna Year 55 Sept. pp 29 Rawat Publication Jawahar Nagar, Jaipur New Delhi.

70. Sachdev D.R. 2007, “Social Welfare Government in India Sarojni Naidu Marg Allahabad.

71. सिंह, रिरंकार 2013 ''गरीबी के आंकड़ों का खेल'' समाचार पत्र 11 अक्टूबर मिलाई रायपुर छत्तीसगढ़ पृष्ठ 6

72. Shukla Asutosh, 2006, “Labour and Wages” History and Development Kurshetra May pp 4

73. Singh, Deelip Kumar 2004, “Labour Participation and Industrial” Relation.

74. Upadhya Jairam 1999 "Human Rights" Central Law Agency 30-d/1, Motilal Nehru Road, Allahabad pp 45

75. श्रम संसाधन विभाग (बिहार सरकार) अधिसूचनाएं 30 सितम्बर 2021.

76. ईपीएफओ के अप्रैल 2019 के आंकड़े के अनुसार

77. सीएमआई की 2017 के रिपोर्ट के अनुसार

78. एसबीई के 2018–19 के रिपोर्ट के अनुसार

79. प्रभात खबर पटना, 10 जनवरी, 2019, पेज–12.

80. आज समाचार सेवा पटना, 5 अप्रेल, 2021, पेज–01

81. के0के0 रस्तोगी, श्रम समस्याएं सभा, समाज कल्याण

82. डॉ0 आर0एस0 कुलश्रेष्ठ, भारत में उद्योगों का संगठन प्रबन्ध एवं वित

83. डॉ0 अनूप अग्रवाल, एसबीपीडी पब्लिकेशन आगरा, मथुरा बाई पास रोड़, तुलसी सिनेमा आगरा, पेज 18–27 एवं 159–172.

84. डॉ0 विमल अग्रवाल, एसबीपीडी पब्लिकेशन आगरा, मथुरा बाई पास रोड़, तुलसी सिनेमा आगरा, पेज 138–152.

85. डॉ0 जी0के0 अग्रवाल, सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण, एसबीपीडी पब्लिकेशन आगरा, मथुरा बाई पास रोड़, तुलसी सिनेमा आगरा, पेज सं. 26–34

86. डॉ0 बी0के0 सिंह, व्यवसायिक रूपरेखा, एसबीपीडी पब्लिकेशन आगरा, मथुरा बाई पास रोड़, तुलसी सिनेमा आगरा, पेज 1–17.

87. डॉ0 सतीश कुमार शाह, औद्योगिक सन्नियम, एसबीपीडी पब्लिकेशन आगरा, मथुरा बाई पास रोड़, तुलसी सिनेमा आगरा, पेज 21–25.

88. सच्चिदानन्द सिंहा, भूमण्डलीयकरण की चुनौतियां, एसबीपीडी पब्लिकेशन आगरा, मथुरा बाई पास रोड़, तुलसी सिनेमा आगरा।

89. डॉ0 चतुर्भुज, मामोरिया एवं डॉ0 एस0सी0 जैन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।

90. डॉ0 पी0सी0 वर्मा, बिहार की अर्थव्ववस्था।

91. जी0एल0 शर्मा, सामाजिक मूल्य, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

92. डॉ0 बिन्दु श्रीवास्तव, भारतीय अर्थव्यवस्था के विविध आयाम, अतुल्य पब्लिकेशन।

93. एल0एम0 राय, महान राष्ट्रों का आर्थिक विकास, नव विकास प्रकाशन, लंगरा टोली, पटना।

94. आर0के0 रस्तोगी, परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र, संजीव प्रकाशन, मेरठ।

95. डॉ0 पंकज तिवारी, श्रम एवं समाज कल्याण, प्रतियोगिता सन्दर्भ पब्लिकेशन, पटना– दिल्ली।

96. डॉ0 वी0सी0 सिन्हा, श्रम अर्थशास्त्र समाज कल्याण, एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन, आगरा, मथुरा बाई पास रोड़, तुलसी सिनेमा, आगरा।